खण्ड-370, अंक-6
सोमवार, 31 आषाढ़, शक संवत् 1907
(22 जुलाई, 1985 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 370 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | .. | 1 |
| प्रश्नोत्तर | .. | 3–75 |
| प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न | .. | 75–77 |
| मंझनपुर तथा द्वाबा, इलाहाबाद में भूमि संरक्षण की इकाइयां स्थापित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 77 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार-योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती को आवंटित धनराशि का दुरुपयोग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 77–78 |
| विज्ञान वर्ग की स्वीकृत मान्यता के पद सृजित करके अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 78 |
| सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तर काशी में उत्क्रमणशील विद्यालयों के अध्यापकों का 'उत्क्रमणीय' यात्रा भत्ता बन्द किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 78–79 |
| बस्ती जनपद में नलकूपों के निर्माण में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 79 |
| समाज-कल्याण विभाग, देवरिया के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 79 |
| अलीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस के आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 79–80 |
| टी० बी० सेनीटोरियम, वृन्दावन, मथुरा में अव्यवस्था के कारण मरीजों को कठिनाई होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 80 |
| उतरौला, गोण्डा में राप्ती नदी की बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 80–81 |
| पुलिस लाइन, हरदोई में गोली चलने से एक सिपाही की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 81 |
| बांसी, बस्ती में राप्ती व बूढ़ी राप्ती की बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 81–82 |
| भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बनारसीदास के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी की मांग | .. | 82 |
| राजा मोहम्मद और मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा की नागरिकता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न | .. | 82–92 |

| विषय | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|
| विधान सभा की प्रवर समिति द्वारा राजस्व संहिता विधेयक के सम्बन्ध में तैयार किए गये प्रतिवेदन की चर्चा न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न | .. | 92–93 |
| लेखानुदान का प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् भी इसकी वित्तीय स्वीकृति जिलों में न भेजे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न | .. | 93–94 |
| कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं | .. | 94–103 |
| वित्तीय वर्ष 1985–86 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (समाप्त) | | 103–134 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं | .. | 134 |
| जलौली, आजमगढ़ के छात्र श्री उदय प्रताप मल्ल की पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य | .. | 134–140 |
| घटियां | .. | 141–149 |


संसद भवन विधान भवन

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

**सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 1985**

**विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।**

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अमर चन्द्र, श्री (आगरा)
अरविन्द तिवारी, श्री (जालौन)
अशरफ इमाम, श्रीमती (मिर्जापुर)
आर० एन० पाठक, श्री (कानपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री (गाजियाबाद)
कृष्णा रावत, कुमारी (लखनऊ)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
देव कुमार यादव, श्री (बांदा)
नंगाराम, श्री (खीरी)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नियाज हसन, श्री (प्रतापगढ़)
नेक चन्द्र पान्डेय, श्री (कानपुर)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
प्रेमोला बुद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फजले मसूद, श्री (देवरिया)
फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
बलदेव सिंह, कैप्टन (अलीगढ़)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मनपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शारदा प्रसाद विन्द, श्री (वाराणसी)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
सखावत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
सन्तन बड़थ्वाल, श्री (चमोली)
सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट, श्री (फर्रुखाबाद)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री अधिष्ठाता के आने पर]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

बधाई हो आप परमानेन्ट हो जायं ।

## प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 1985

## अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

## ब्लाकों के लिये जिला गवर्निंग बाडी कार्यक्रम की स्वीकृति का क्षेत्र समिति द्वारा अनुमोदन

**1—श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी (अनुपस्थित)—

क्या पंचायत राज मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश वर्ष 1984-85 द्वारा यह निश्चित किया गया है कि जिला गवर्निंग बाडी ब्लाकों के लिए जो कार्य स्वीकृत करेंगे उन कार्यों का अनुमोदन क्षेत्र समिति द्वारा होना आवश्यक है ? क्या यह सत्य है कि इस आदेश से माननीय विधायकों का अस्तित्व अपने क्षेत्र में समाप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन इस शासनादेश को वापस करने की कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं अभी हाल में डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक हुई थी, और सभी प्रस्तावों को क्षेत्र समितियों में भेज दिया गया है, क्षेत्र समिति में झगड़े मारपीट की नौबत तक आयी । मैं जानना चाहता हूं कि कौन से शासनादेश के तहत इसे क्षेत्र समिति के पास भेजा गया है और अनुमोदन लिया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना दिसम्बर, 1981 से प्रारम्भ हुई और, शुरू के वर्ष में इस योजना के तहत विभिन्न विभागों के लिये राज्य में धन का आबंटन हो जाता था, राज्य स्तर से योजनायें बन जाती थी, जिनका कार्यान्वयन जिलों पर होता था । लेकिन, भारत सरकार ने आपत्ति की और कहा कि यह योजनायें जिला स्तर पर बननी चाहिये, विकास खंड स्तर पर बननी चाहिये । गांव के लोग, ब्लाक के लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं कि क्या उनकी आवश्यकतायें हैं, किस तरह की योजनाओं को चालू किया जाय । 1983-84 से मान्यवर, डी0 आर0 डी0 ए0 की संरचना हुई और सारे धन का आबंटन एन0 आर0 ई0 पी0 के तहत जिलों को किया गया । धन का किन मदों में किन योजनाओं में खर्च किया जाय, डी0 आर0 डी0 ए0 की जो बैठकें होती हैं, उसमें यह तय किया जाता है । फिर मान्यवर ग्राम सभाओं के चुनाव हुए, बिकासखंडों के चुनाव हुए, ब्लाक प्रमुख लोग चुने गये । नीचे स्तर से चुने हुए लोगों ने कहा कि गांव की योजनायें ग्राम स्तर से बननी चाहिये । विकास खंड की योजनायें विकास

---

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की रुचि पर लिया गया ।

खंड स्तर पर बननी चाहिये । इसको ध्यान में रखते हुए और जो भारत सरकार की गाइडलाइंस थीं, यदि आज्ञा हो तो मैं इसे पढ़ दूं--

"शेल्फ आफ प्रोजेक्टस तैयार करते समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मरुभूमि, विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आदि जैसे अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से उपयुक्त सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक है। चूंकि शेल्फ का आफ प्रोजेक्टस लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिये अतः इन्हें तैयार करने हेतु स्थानीय ग्रामीण समुदाय को भी शामिल करना चाहिये । खंड विकास अधिकारियों द्वारा गांवों के दौरे करके तथा ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित करके जनता की आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है । चूंकि कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार सुलभ कराना, उनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना और उसके माध्यम से ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना है अतः केवल यही उपयुक्त है कि पंचायती राज संस्थाओं को इसके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाय । यदि इन्हें उचित तकनीकी और प्रशासनिक सहायता सुलभ की जाय तो इन संस्थाओं में निर्माण कार्यों को निष्पादित करने और लोगों की आवश्यकताओं को विकेन्द्रीकृत आधार पर पूरा करने की क्षमता है । निःसन्देह ही कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन का निकट से तथा कड़ाई से पर्यवेक्षण करना और उन्हें नियन्त्रण रखना अनिवार्य होगा। तो इसलिए मान्यवर, एक परिपत्र जारी किया गया शासन की ओर से 22 अप्रैल, 1985 को, जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी कि योजनाओं पर ग्राम सभाओं का प्रस्ताव पारित हों । विकास खन्ड में बी० डी० सी० की बैठक होगी और वह उस पर विचार करेगी और विचारोपरान्त विकास खन्ड में किस गांव में कौन सा कार्य प्राथमिकता के आधार पर करना है, यह सुनिश्चित कर योजना को जिला स्तर पर डी० आर० डी० ए० की समिति में भेजा जायेगा और डी० आर० डी० ए० उस पर विचार करेगी । अगर डी० आर० डी० ए० यह समझती है कि यह योजना ठीक नहीं है, तकनीकी दृष्टिकोण से या इसमें कोई व्यवहारिक कठिनाई है, तो डी० आर० डी० ए० उस योजना को पुनः विचार करने के लिए ब्लाक समिति को वापस कर सकती है । लेकिन जब यह परिपत्र जिले में गया तो जिले में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हुआ और माननीय सदस्यों ने भी इससे यह समझा कि हमारे अधिकार जो हैं वे सीमित कर दिये गये हैं और सारे अधिकार विकास खंड को सौंप दिये गये हैं तो इन कठिनाइयों को देखते हुए मैंने एक संशोधित परिपत्र 27 मई, 1985 को भेजा । जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी कि विकास खन्ड से योजनायें तो आ सकती हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि बी० डी० सी० में ब्लाक प्रमुख मेम्बर होते हैं उसके बाद वह योजना डी० आर० डी० ए० में आती है, उन योजनाओं को डी० आर० डी० ए० ही फाइनल स्वीकृति देगी । यदि वह चाहती है तो उसे वापस भी कर सकती है पुनः विचार के लिए कि यह योजना सही नहीं है इसमें ये-ये कमियां हैं । इसलिए मान्यवर, माननीय सदस्यों का कोई भी अधिकार सीमित नहीं है । विकास खंड से जो योजनायें आती हैं, उन पर पूरी तरह से परीक्षण करने का अधिकार डी० आर० डी० ए० को है । डी० आर० डी० ओ० चाहे तो उसे स्वीकृत कर दे, यदि वह

चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकती है । इस तरह से उनका पूरा अधिकार सुरक्षित है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 2 शासनादेशों का जिक्र किया 22 अप्रैल, 1985 का और 27 मई, 1985 का। अगर भावना देखी जाय तो कोई भी परिवर्तन नहीं आया । माननीय मंत्री जी ने इस बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि विधायकों द्वारा पारित किये गये प्रस्तावों की क्या स्थिति होगी ? मान लीजिए बी० डी० सी० से प्रस्ताव आया ब्लाक समिति से प्रस्ताव आया, उनमें क्लेरिकल का काम तो विधायकों ने कर लिया, अगर डी० आर० डी० ए० में विधायकों की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो उस समय उन प्रस्तावों की क्या स्थिति होगी । माननीय मंत्री जी इसे बताने का कष्ट करें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, वर्मा जी इतने कुशल राजनीतिज्ञ हैं और समझते होंगे कि जब डी० आर० डी० ए० को पूरा अधिकार है परिवर्तन करने का जैसे योजना बनी की "ए" सड़क बननी है और माननीय विधायक कहते हैं कि "बी" बनेगी, तो चूंकि विधायकगण डी० आर० डी० ए० के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें पूरा अधिकार हैं, योजनाओं के बदलने का ।

श्री मैनेजर सिंह--

इस बात को स्पष्ट करेंगे कि क्षेत्र समितियों में भी माननीय सदस्यगण हैं और क्षेत्र समिति कोई निर्णय लेती है उसको विधायकगण प्रभावित करते हैं या सम्मति देते हैं तो इसमें विरोधाभास क्या है कि उसमें विधायकगणों के अधिकार का हनन कहां हुआ ?

श्री अधिष्ठाता--

मैनेजर सिंह जी, आप बहुत पुराने सदस्य हैं, दुबारा प्रश्न करें ।

श्री मैनेजर सिंह--

क्षेत्र समितियों में विधायकगण सदस्य हैं, या नहीं और जो प्रस्ताव आते हैं उसमें विधायकगण सम्मिलित रहते हैं या नहीं और जो क्षेत्र समिति के सुझाव हैं वे विधायकगणों के प्रस्ताव हैं या नहीं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यही तो मैं भी कह रहा हूं ।

श्री मित्र सेन--

यह डी० आर० डी० ए० की मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जिलाधिकारी ।

( व्यवधान )

श्री अधिष्ठाता--

(श्री मित्र सेन यादव के न बैठने पर) आप का उत्तर आ गया । अब आप बैठें ।

( व्यवधान )

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इनकी भावनाओं को आदर करते हुए, जनतांत्रिक मूल्यों को देखते हुए क्या शासन इस पर पुनर्विचार करेगी कि डी० आर० डी० ए० की मीटिंग कोई जनप्रतिनिधि करे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

भारत सरकार से विचार विमर्श करेंगे ।

## श्रमिकों के लिये काम के बदले खाद्यान्न योजना की समाप्ति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का संचालन

**2 --श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह काम के बदले अनाज

योजना को चलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से और उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

काम के बदले अनाज योजना को समाप्त करके दिसम्बर, 1980 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा 1983-84 से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना चलाई जा रही है। इन दोनों योजनाओं में भी श्रमिकों को खाद्यान्न वितरित किया जाता है। अतः कोई अन्य योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज योजना में मजदूरी की दर क्या थी, कितना नकद रूप में और कितना गल्ला के रूप में दिया जाता था और जो उत्तर में योजनायें दी गई हैं, जो चालू हैं इनमें मजदूरी की क्या दर है और कितना गल्ला के रूप में और कितना नकद के रूप में दिया जाता है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

एन० आर० ई० पी० के तहत जो न्यूनतम मजदूरी है, जिस जिले में, उस न्यूनतम मजदूरी में से एक किलोग्राम अनाज दिया जाता है, जिसकी कीमत डेढ़ रुपया उस मजदूरी में से घट जाती है और इसके अलावा राज्य सरकार एक किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में मजदूरों को देता है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मेरा प्रश्न स्पष्ट था काम के बदले अनाज की योजना में मजदूरी की दर क्या थी कितना अनाज और कितना पैसा मिलता था। इस समय जो योजना है, उसमें कितना अनाज और कितना पैसा मिल रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मैं स्पष्ट किया इसको। विभिन्न मन्डलों में जो न्यूनतम मजदूरी है, यह भिन्न प्रकार की है। इलाहाबाद में 8 रुपया है, पश्चिमी जिलों में 9 रुपया कुछ पैसा है। जो मजदूरी है एक दिन की किसी मजदूर को उसमें से एक किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है और एक किलोग्राम खाद्यान्न की कीमत डेढ़ रुपया है। वह डेढ़ रुपया कम कर दिया जाता है, यह भारत सरकार की सहायता से खाद्यान वितरण किया जाता है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा भी एक किलोग्राम खाद्यान मजदूरों को मुफ्त दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

आपके कहने का आशय है अतिरिक्त

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा मंत्री जी ने कहा मैंने स्पष्ट कर दिया। मन्डलों में जो निर्धारित मजदूरी है, उस आधार पर मजदूरी दी जाती है। मेरे यहां तो मिट्टी कटान पर दिया जाता है कि इतने घनफुट मिट्टी का इतना हुआ। मिट्टी का रेट है हमारे यहां। यह बात कह कर माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। होता यह है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मन्डल में इस बात की जांच करायेंगे कि वहां पर न्यूनतम मजदूरी न मिल रही हो या कम मिल रही हो तो दोषी अधिकारियों को दन्डित करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जांच करायेंगे, जो शिकायत दी जायगी।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, मैं सूचना दे रहा हूं गोरखपुर की ।

श्री अधिष्ठरता--

सूचना देने का यह माध्यम नहीं होगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी मिली है कि जो योजनाएं चल रही हैं, जिसमें मजदूरों को कुछ मजदूरी और गेहूं देने की व्यवस्था रही है । इसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है । बी0 डी0 ओ0 या और जो अधिकारी हैं अलग-अलग विभागों से काम होता है वह ठेकेदारी पर काम हुआ है और जो मेट ठेकेदारी पर काम करते हैं तो क्या इसकी सूचना या जानकारी है । 3-4 पत्र तो मैंने स्वयं लिखे हैं अब उनकी तिथियां मुझे ज्ञात नहीं है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि डाइरेक्ट जो मेट काम करने के लिए आते हैं उनको डाइरेक्ट पैसा मिल जाय वह ठेकेदारों के माध्यम से पैसा न मिले जो मेट के नाम से काम करते हैं, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है ?

श्री इयाम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि 3 योजनाओं के तहत कहीं भी ठेकेदारी प्रथा से कार्य न कराया जाय । लेकिन कहीं भी किसी ब्लाक में किसी योजना पर माननीय सदस्यों को जो....

( विरोधी दल के कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये ।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य उत्तर को ध्यान से सुनें ताकि प्रश्न करने में आसानी हो । पहले उनका उत्तर पूरा हो जाने दें ।

श्री इयाम सूरत उपाध्याय--

....भी स्पेसिफिक सूचना प्राप्त होगी तो जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दन्डित किया जायेगा ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि क्या मस्टररोल सिस्टम पर काम कराया जा रहा है ?

श्री सुखपाल पान्डे--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानकारी करना चाहता हूं कि जो मस्टररोल उनको दिया गया है वह छपा करके दिया गया है या स्वयं कागज पर बना लेते हैं ? दूसरी यह जानकारी करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा के अनुसार और इलाहाबाद में भी ठेकेदारी प्रथा के अनुसार काम किया जा रहा है । जो एक किलो गेहूं आप मजदूरों को मुफ्त देते हैं वह भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ले लेते हैं और ठेकेदारी से काम कराया जा रहा है । इसके सम्बन्ध में जांच कराकर कड़ी कार्यवाही करने का कृपा करेंगे ?

श्री इयाम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये हैं कि जो मुफ्त खाद्यान्न का वितरण है इसमें किसी प्रकार की किसी स्तर से गड़बड़ी न होनी चाहिए । जहां भी मुझे सूचना मिल रही है किसी योजना पर इस तरह की शिकायत है उसकी मैं तत्काल जांच करा रहा हूं । किसी भी दोषी कर्मचारी या अधिकारी को बक्शा नहीं जायेगा ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने तथा कई विपक्षी सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपके ही साथी को बोलने का अवसर दिया है इसलिए आप लोग बैठ जायं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि एक किलो जो नि:शुल्क गेहूं दिया जा रहा है वह बिलकुल सड़ा हुआ है । डी0 आर0 डी0 ए0 की मीटिंग में भी मैंने यह कहा था । गोरखपुर जिले में भी यह सड़ा हुआ गेहूं दिया जा रहा है जो कि अखाद्य है । मजदूर उसको ले नहीं रहे हैं क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, गोरखपुर मण्डल में दिखवा लेंगे कि सड़ा हुआ गेहूं तो नहीं है ।

श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि मस्टर रोल छपा कर दिये गये हैं कि नहीं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, जिलों में विभिन्न विभाग अपने-अपने मस्टर रोल छपा कर देते हैं और अपने दफ्तर में दाखिल करते हैं ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे मालूम हुआ है कि एक किलोग्राम जो अतिरिक्त दिया जाता है, वह बन्द कर दिया गया है, क्या यह सही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, अभी हाल ही में मंत्रि-परिषद् ने इस योजना में जो एक किलोग्राम मुफ्त दिया जाता है, उसको 30 सितम्बर, 1985 तक जारी रखने का निर्णय लिया है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जितनी सड़कें बनाई गई हैं, जो टूटी-फूटी अवस्था में हो गई हैं, क्या उनको राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर बनवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, जिलों में खाद्यान्न योजना के तहत जो हमारी संरचनाएं होती हैं या आर0 एल0 जी0 पी0 के तहत जो योजनाएं चल रही हैं, इन सभी का निर्णय डी0 आर0 डी0 ए0 करता है, जिसके सदस्य माननीय सदस्य होते हैं । वे ही निर्णय लेते हैं कि कौन सी सड़क बनवानी है या कौन सी योजना स्वीकृत करवानी है । कितना रुपया खर्च करें । सारे अधिकार माननीय सनस्य के हैं, क्योंकि सभी माननीय सदस्य डी0 आर0 डी0 ए0 के सदस्य हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत और ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जितनी फिरोजाबाद और आगरा में सड़कों का निर्माण हुआ, उनमें एक किलोग्राम फ्री वाला गेहूं नहीं दिया गया । क्या मेरी सूचना को सही मानकर इसकी जांच करायेंगे और क्या यह भी जांच करायेंगे कि जितने लोगों से मेट के नाम पर काम कराया गया, वह सब के सब ठेकेदार थे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इस पर शुरू में ही कह दिया कि कोई भी सदस्य कोई भी शिकायत लिख कर देंगे तो हर शिकायत पह जांच करा लेंगे ।

श्री मुईद अहमद—

डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक में जो फैसले लिए जाते हैं और जो काम किये जाने का निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय के बाद भी मेरी जानकारी है कि कार्य में परिवर्तन कर दिया जाता है और अधिकारी अपने स्तर पर डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक में लिये गये निर्णय के बिना या उसके अलावा नया काम ले लेते हैं और डी0 आर0 डी0 ए0 के काम को छोड़ देते हैं । ऐसी स्थिति में क्या डी0 आर0 डी0 ए0 में निर्णय लिया जाता है, उसे ही कार्यान्वित कराने के लिये प्रशासन को बाध्य करेंगे ?

मान्यवर, मैंने यह बात कही कि डी0 आर0 डी0 ए0 में माननीय सदस्यों द्वारा जो विकास कार्यों के लिये निर्णय लिये जाते हैं, उन्हीं का कार्यान्वयन करायेंगे यह जिला स्तर पर जो अधिकारी लोग बदल देते हैं, उस पर रोक लगायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैंने पहले ही यह बात कही कि डी0 आर0 डी0 ए0 पूर्णरूप से सक्षम है किसी भी योजना को स्वीकृत करने के लिये । उसको बदलने का किसी अधिकारी को या अन्य को कोई अधिकार नहीं है ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो अधिकारी लोग बदल देते हैं, उस पर रोक लगायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, डी0 आर0 डी0 ए0 में जो योजनाएं स्वीकृत होती हैं, उनके कार्यान्वयन को देखने के लिये अनुश्रवण समितियां भी हैं, उसमें वे देख सकते हैं कि क्या काम हुआ, क्या प्रगति है और काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, क्या मंत्री जी इस बात के आदेश जारी करेंगे कि अनुश्रवण समिति की बैठक हर महीने में निश्चित रूप से हुआ करेगी ?

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रश्न के परिधि में नहीं है, यह बात अलग से कीजियेगा ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

यह मान्यवर, उसके परिधि में है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठें, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है ।

बुनियादी सवाल हरीश जी का था, इसलिए अब हरीश जी अन्तिम प्रश्न करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, काम के बदले अनाज योजना जब चल रही थी, उस समय 5 किलोग्राम गेहूं और एक रुपया मिलता था । 1978-79 के अनुसार मुद्रास्फीति में पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त हो गया था । क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए, जिलों की योजनाओं के अन्तर्गत अनाज की मात्रा मजदूरों के लिये, बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

## तारांकित प्रश्न

### मथुरा के प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के प्राविडेण्ट फंड का हिसाब किताब

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद के प्राइमरी अध्यापकों के प्राविडेन्ट फंड्स का कोई हिसाब-किताब ही नहीं है और न ही अध्यापकों की पासबुकें तैयार की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? शासन कब तक हिसाब ठीक कराकर, पास बुकें तैयार करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

जनपद में हिसाब-किताब है किंतु अद्यावधि पूर्ण नहीं है ।

जी हां ।

अद्यावधि ब्याज न लगने के कारण। यथाशीघ्र कार्य पूर्व कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरी जानकारी को सही मानते हुए क्या मंत्री जी इसका स्पेशल आडिट करायेंगे और इनका पूरा हिसाब-किताब ठीक कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

यह आडिट का विषय नहीं है ।

श्री सरदार सिंह—

वहां कोई हिसाब-किताब नहीं है, न उनकी पास-बुक है, इसलिए इसका स्पेशल आडिट करायेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

यह विषय आडिट का नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

जब यह विषय आडिट का नहीं है तो प्रश्न समाप्त हो गया ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

यह मान्यवर, केवल मथुरा जिले का ही सवाल नहीं है, प्रदेश के हर जिले में यही स्थिति है और इससे प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों में अत्यन्त रोष है । तो क्या इस चीज को देखते हुए बजट सत्र समाप्त होते ही जो प्राविडेन्ट फंड का मामला है, उन अध्यापकों को पास-बुकें दे दी जायेंगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, जब प्राथमिक शिक्षा जिला परिषद् के अधीन थी उस समय इसके हिसाब-किताब सही ढंग से मेनटेन नहीं हो रहे थे । जब बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन हुआ तो वही हिसाब मिला जिसमें बहुत सी गड़बड़ियां पाई गई । उसको ठीक कराया जा रहा है और अब करीब-करीब हम इस स्थिति में हैं उसको ठीक कराया जा सके ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता—

वे कहते हैं कि जो गड़बड़ियां रह गई हैं उनको ठीक करायेंगे । अब आप बैठें ।

*2—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पौड़ी–गढ़वाल के काण्डी व्यासघाट और काण्डी मोहन चट्टी मार्ग पर गंगा नदी पर नाव घाट की स्थापना

*3–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी–गढ़वाल के काण्डी व्यासघाट और काण्डी मोहन चट्टी पैदल यात्रा मार्ग के बीच गंगा नदी पर नाव घाटों की स्थापना किये जाने की मांग पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह सत्य है कि जिला परिषद् पौड़ी के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 1388/21–6, दिनांक 21–7–84 द्वारा क्षेत्रीय अवर अभियन्ता से आख्या मांगे जाने की जानकारी दी गई थी ? यदि हां, तो अवर अभियन्ता की आख्या क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

शासन से अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं की गयी। अतः उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, परन्तु यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, पौड़ी–गढ़वाल द्वारा तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक को उनके पत्र के संबंध में दी गयी ।

घाट की स्थापना के संबंध में जिला परिषद् से प्रस्ताव- प्राप्त नहीं हुआ है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में कहा है कि जी हां, परन्तु यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, पौड़ी–गढ़वाल द्वारा तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक को उनके पत्र के सम्बन्ध में दी गई । जैसा कि माननीय मन्त्री जी को भी मालूम है और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जिला परिषद् का गठन विधिवत नहीं हुआ है । जो भी सिफारिशें आती हैं वे जिलाधिकारी और विशेष कार्याधिकारी के माध्यम से आती हैं, जैसा कि उत्तर में भी स्वीकार किया गया है कि भूतपूर्व विधायक को उन्होंने इस महत्व–पूर्ण घाट को निर्मित करने के लिये अपनी ओर से आश्वासन दिया था । क्या माननीय मन्त्री जी इसी को ही सूचना मानकर इस घाट को बनाने के लिये निर्देश करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

घाटों की स्थापना के सम्बन्ध में जिला परिषदें प्रस्ताव भेजती हैं मंडला–युक्त के माध्यम से । इसका परीक्षण जिला स्तर पर जिलाधिकारी करते हैं । दो जिलों का भी प्रश्न है पौड़ी–गढ़वाल और टिहरी–गढ़वाल । टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी को भी लिखा गया है कि उनकी क्या राय है इनकी स्थापना के सम्बन्ध में । जब प्रस्ताव आ जायगा जिला स्तर से तो शासन स्तर पर विचार कर लिया जायगा ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

ये अपनी ओर से निर्देश दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो प्रश्न पूछा उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि पत्र का जवाब आ जायगा तो विचार कर लेंगे । आप बैठें ।

अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के अध्यापक विहीन राजकीय हाई स्कूल एवं इन्टर विद्यालय

*4–श्री पूरन सिंह–

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में 1–4–85 को कितने सरकारी हाई स्कूल व इन्टर

विद्यालय ऐसे थे जिनमें प्रधानाचार्य व उन स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विषयों के अध्यापक नहीं थे तथा शासन कब तक उन विद्यालयों में प्रधानाचार्य व अध्यापकों की पूर्ति कर देगा?

श्री संकठा प्रताद शास्त्री----

25 प्रधानाध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं। अन्य पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। सम्प्रति कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

श्री पूरन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 25 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो गयी है, तो क्या इन नियुक्तियों से सभी पद भर गये हैं या कुछ पद अब भी रिक्त हैं? दूसरी बात पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में कितने प्रधानाध्यापक के पद रिक्त थे और सहायक अध्यापकों के कितने पद रिक्त थे?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

यह 1-4-85 तक की स्थिति है, शेष जो रह गये हैं, उनकी भी नियुक्ति पर विचार किया जायगा। अल्मोड़ा जिले में 33 इन्टर कालेज हैं, उसमें 12 में प्रधानाचार्य नहीं हैं, 37 हाईस्कूलों में 17 प्रधानाध्यापक नहीं हैं, 22 इंटर कालेजों में कुछ प्रवक्ता नहीं हैं। यह स्थिति अल्मोड़ा जिले की है। इसी प्रकार, पिथौरागढ़ में 31 इंटर कालेज हैं, जिनमें 13 प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं, 18 हाई स्कूलों में 16 पद प्रधानाध्यापकों के रिक्त हैं। यह 1-4-85 की सूचना है।

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने टोटल संख्या पूरी बतला दी है।

श्री पूरन सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीन मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह शिक्षा का इतना महत्वपूर्ण कार्य है तो इसमें अपने उत्तर में जैसा कि मन्त्री जो ने कहा है कि "कार्यवाही चल रही है" तो क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में बतायगे कि उन्होंने इंटरव्यू आदि के लिये अभ्यर्थियों को बुला लिया है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

अभी जैसा कि मैंने बताया कि कुमायूं मन्डल और गढ़वाल मन्डल में कार्यवाही चल रही है। प्रार्थना पत्र मांगे गये थे जिसकी अन्तिम तिथि 30 जून थी। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी तभी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता—

चलिये आपका उत्तर आ गया।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो तारांकित प्रश्न है इसी प्रकार का मेरा भी एक प्रश्न अतारांकित प्रश्न संख्या 99 है जिसे मैंने पूछा है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मन्त्री जी ने अलग-अलग दिये हैं। अतारांकित प्रश्न का उत्तर इन्होंने दिया कि "सूचना एकत्र की जा रही है।" जबकि तारांकित प्रश्न का उत्तर दूसरा आया है जो इस समय चल रहा है तो इसका क्या कारण है?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं आया है?

श्री अधिष्ठाता—

जो प्रश्न यहां उठा है उसकी परिधि में आपको प्रश्न करना चाहिये।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

माननीय अधिष्ठाता जी, यह प्रश्न पिथौरागढ़ के बारे में है जिसमें 1-4-85 की सूचना दी गयी है। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि मई और अप्रैल के महीनो में ही विद्यार्थियों की परीक्षा के लिये पूरी-पूरी तैयारी होती है। तो जो माननीय मन्त्री जी ने दोनों जिलों की 1-4-1985 तक की सूचना दी है, तो यह सारा बातें आठ पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। क्या मंत्री जी हमें भविष्य के लिये आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जो अध्यापकों के और प्रधानाचार्य के रिक्त पद हैं उनमें समय पर नियुक्ति हो जायेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

प्रयास किया जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर—

अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है और स्कूलों में बराबर गड़बड़ियां चलती रहती हैं तो क्या मंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं कि शिक्षा का डाईरेक्ट डिसेन्ट्रलाइजेशन कर दिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठ जाइये। यह कोई प्रश्न नहीं है।

## शिव हर्ष किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बस्ती के प्राधिकृत नियंत्रक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*5—श्री राम सरन—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शिव हर्ष किसान स्नातकोत्तर महा विद्यालय, बस्ती गत ढाई वर्षों से प्राधिकृत नियंत्रक की देख रेख में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त कालेज में हो रही गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में उक्त कालेज की शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा रजिस्टर्ड पत्र 587, दिनांक 26-12-1984, रजिस्टर्ड पत्र 933, दिनांक 20-11-1984 द्वारा जिलाधीश, बस्ती को, रजिस्टर्ड पत्र संख्या 1243, दिनांक 28-12-1984, रजिस्टर्ड पत्र 2466, दिनांक 7-10-1984 द्वारा शिक्षा सचिव को तथा रजिस्टर्ड पत्र संख्या 934, दिनांक 20-11-1984, दिनांक 29-11-1984 शिक्षा मंत्री को तथा रजिस्टर्ड पत्र संख्या 2741, दिनांक 18-3-1985 को प्राधिकृत नियंत्रक एवं रजिस्टर्ड पत्र संख्या 2465, दिनांक 16-3-1985 को शिक्षा सचिव तथा मुख्य मंत्री को अवगत कराया जा चुका है ? यदि हां, तो वे वित्तीय अनियमितताये क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री सिन्हे रजी)—

जी हां।

उक्त कालेज की शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा प्रश्न में उल्लिखित कोई भी पत्र जिला अधिकारी बस्ती, प्राधिकृत नियंत्रक तथा शासन के स्तर पर प्राप्त होने की पुष्टि नहीं होती।

उक्त समिति के सदस्य सर्वश्री-प्रहलाद उपाध्याय का एक पत्र, दिनांक शून्य तथा शत्रुघ्न नाथ से एक पत्र दिनांक 14-10-1984 प्राप्त हुआ है। शिकायतों का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

इन पर शिक्षा निदेशक (उच्च-शिक्षा) उत्तर प्रदेश तथा जिला अधिकारी, बस्ती से आख्या मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर विचार किया जायगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 141 पर।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न में जसा कहा गया है कि तमाम पत्र शिक्षा सचिव को और मुख्य मंत्री जी को भेजे गये हैं, अब इन्हें वे मिले या नहीं मिले, जैसा समझें ये जवाब दें। प्रिविलेज की बात मैं नहीं उठाता लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एक पत्र 14-10-1984 को प्राप्त हुआ है और इस पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश से तथा जिलाधिकारी, बस्ती से आख्या मांगी गयी है। तो अपने इस आख्या को मंगाने के लिये किस तारीख को उन्हें पत्र भेजा है ? और अब तक उस आख्या के प्राप्त न होने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी को 29 जून को स्थानीय जांच करने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं और दूसरे....

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, यह हमारे जिले का बहुत बड़ा कालेज है, एक भूतपूर्व विधायक और आपके दल के नेता का इस कालेज से घनिष्ठ सम्बन्ध था, जिनकी हत्या कर दी गयी है और जो दूसरे प्रिंसिपल आये हैं, वह बहुत ही शराबी हैं और भ्रष्ट हैं। वह शराब पीकर पड़े रहते हैं। साधिकार नियंत्रक का उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी नई समिति का चुनाव कराकर साधिकार नियंत्रक को हटाने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

पूरे प्रकरण में जांच के द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है और जांच रिपोर्ट आने पर समिति का चुनाव करा दिया जायेगा।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, 14-10-1984 को एक पत्र प्राप्त हुआ और इसके अतिरिक्त 6 और रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुए, जिनके एकनालेजमेंट मेरे पास हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि इतने पत्र शिक्षा विभाग में कैसे गायब हो गये। क्या आप इसकी जांच किसी ज्वाइन्ट सेक्रेटरी या उसके समकक्ष अधिकारी से बस्ती भेजकर कराने का कष्ट करेंगे और जो शिकायतकर्त्ता हैं उनके समक्ष तथा जो वहां के विधायक हैं उनके समक्ष जांच करायेंगे। मान्यवर, यह श्री उपाध्याय जी का कालेज है, हम लोगों के वह गुरु थे और कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य थे, तो क्या आप इस सारे मामले की जांच के लिये एक कमेटी बनायेंगे और जांच के समय जिले के सारे विधायक भी मौजूद रहें।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, जहां तक शिकायती पत्रों की प्राप्ति का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आप शिकायत-कर्त्ताओं के नाम आदि दे दें जिससे कि तथ्यों तक पहुंचने में आसानी हो।

श्री राम सरन--

जरा दोबारा कह दीजिये।

श्री सिब्ते रजी--

शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है, 29 जून, 1985 को, उनकी रिपोर्ट आ जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसी से सम्बन्धित प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं। मान्यवर, जो विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 है, उसकी धारा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद धारा 40 है, उसमें इस बात का प्राविधान है कि विश्वविद्यालय

की ओर से एक स्पेशल जांच कमेटी डिग्री कालेजों की जांच के लिये नियुक्त की जायेगी। एक इन्क्वयरी जो मजिस्ट्रेट को दे दी गयी और जो इन्क्वायरी ऐक्ट के अधीन होती है, उसमें जमीन आसमान का अन्तर है। इस विद्यालय के सम्बन्ध में जितनी भी शिकायतें की गयी हैं, वह प्रधानाचार्य के खिलाफ की गयी हैं, तो क्या आप उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

जो विभागीय जांच की जा रही है, उसकी रिपोर्ट आ जाने पर यदि आवश्यक होगा तो जांच करा ली जायेगी।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 7 पत्र प्राप्त हुये जिनका पूर्ण विवरण प्रश्न में दिया गया है और जो शिक्षा विभाग से गायब हो गये हैं, उसकी जांच करायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, मैंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है और माननीय सदस्य से सहयोग की प्रार्थना भी की है। जैसे ही इसके बारे में तफसील आ जायेगी, पोस्ट आफिस से भी पूछ लिया जायेगा कि चिट्ठियां कहां गईं।

श्री राम सरन--

मान्यवर, ये 6 रजिस्टर्ड-पत्र इनके विधायक लोगों ने छिपाया है। ये पत्र शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के दफ्तर से चोरी हुये होंगे। मेरे पास इन रजिस्टर्ड पत्रों की रसीदें मौजूद हैं। मान्यवर, पत्र भी इन लोगों ने नहीं दिये हैं। इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने दिये हैं। श्री सोहन लाल धूसिया, श्री मथुरा प्रसाद पांडेय आदि के पत्र हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शिकायतें की हैं। वे शिकायत करते हैं और माननीय मंत्री जी उनकी वकालत कर रहे हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि श्री सोहन लाल धूसिया और श्री मथुरा प्रसाद पांडेय तथा इन विधायकों को जांच के सामने बुलाकर उनके बयान भी आप लेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, कोई बात छिपाने की नहीं है। जिन दो पत्रों का हमने जवाब में विवरण दिया है उन पत्रों की तारीखें उसमें नहीं मिलती हैं। यदि छिपाने की ही बात होती तो इन पत्रों में भी कार्यवाही न होती। जो कार्यवाही होनी थी, वह कर दी गई है....

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि हमारा यह स्कूल बहुत गरीब स्कूल है जो कि नियंत्रक की देख-रेख में चल रहा है और इससे गम्भीर अनियमितताएं हो रही हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी उनको हटायेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री सुखपाल पांडे--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि मुझे पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं। 6 रजिस्टर्ड-पत्रों की रसीदें हमारे पास मौजूद हैं। इन पत्रों को कांग्रेस के नेताओं--सोहन लाल धूसिया ...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय पांडेय जी, जो प्रश्न आल-रेडी अभी दो-तीन माननीय सदस्यों ने पूछ लिये, कृपया उनको रिपीट न कीजिये, आप कोई नया सवाल उठायें।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, यह मामला बहुत ही गम्भीर है। मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने सुखपाल पांडेय जी को बुलाया है ।

श्री सुखपाल पांडे--

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । यह डाक रजिस्ट्री द्वारा दी गई रसीदें हमारे पास मौजूद हैं और कांग्रेस के एम0 पी0 और एम0 एल0 एज0 ने शिकायत की है । मंत्री जी इसको इन्कार कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन शिकायतों के आधार पर वहां पर तत्काल चुनाव कराकर नियंत्रक को समाप्त करने के लिये आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि पत्र नहीं मिले । कहा कि पुष्टि नहीं हो पा रही है । इसीलिए मैंने माननीय सदस्यों से सहयोग चाहा है । जहां तक साधिकार नियंत्रक को समाप्त करने का प्रश्न है चूंकि वहां पर काफी अनियमितायें थीं इसलिये नियंत्रक नियुक्त किया गया था ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 14-10-1984 को पत्र प्राप्त हुआ और 29-6-1985 को जांच के लिये भेजा गया । मैं जानना चाहता हूं कि जो 14-10-1984 को पत्र प्राप्त हुआ उसमें क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या श्री राम सरन दास जी का प्रश्न जब 6-5-1985 को दिया गया, उसके प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा कार्यवाही की गई और जानबूझकर उस पत्र को छिपाया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, 14-10-84 का पत्र प्राप्त हुआ था उसमें मूल रूप में यह आरोप लगाये गये थे कि कालेज की बस्ती तथा गोंडा में स्थित अचल सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं की जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय । यह तो परिशिष्ट में दिया ही हुआ है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मेरे प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर नहीं आया । माननीय मंत्री जी ने कहा 14-10-84 को पत्र प्राप्त हुआ और 29-6-85 को जांच के लिए भेजा । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि उक्त पत्र को जानबूझ कर विभाग द्वारा दबाया जा रहा था और जब माननीय राम सरन दास जी का प्रश्न प्राप्त हुआ उसके बाद उस पर कार्यवाही की गयी ।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, प्रश्नगत पत्र 26-4-85 को आख्या के लिए भेजा गया । 29-6-1985 को उच्च शिक्षा निदेशक ने दुबारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को स्थानीय जांच के लिये कहा गया ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, जो विश्वविद्यालय अधिनियम 74 है वह केवल इसलिए है कि अगर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कोई आर्थिक गड़बड़ियां हैं तो उनके जांच के लिए एक स्टैटुरी प्रावीजन बनाकर जांच की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है । तो जब इस प्रकार की अनियमितताओं के लिए अधिनियम में जांच की प्रक्रिया बनाई गयी है तो उसके अनुसार माननीय मंत्री जी जांच कराने का आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

यह प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी उठाया था जिसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि आख्या मांगी गयी है शिक्षा निदेशक से और जिलाधीश, बस्ती से तो इस प्रकरण में जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है ।

श्री सिब्ते रजी--

इस मामले की जांच के लिए शिक्षा निदेशक (उच्च) को अधिकृत किया है और उन्होंने जो उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी हैं उनसे कहा है ।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, इसमें एक कमेटी एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 जी0 की बना दीजिये । वहां पैसे की लूट हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय यूसुफ साहब प्रश्नों के समय इस प्रकार के भाषणों की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, प्रह्लाद उपाध्याय जी ने जो पत्र दिया था जिसकी प्राप्ति की स्वीकृति उन्होंने दी है उसमें प्रधानाचार्य के खिलाफ कौन-कौन सी शिकायतें बताई गयी हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अधिष्ठाता--

इसका जवाब आ चुका है ।

श्री मैनेजर सिंह--

उसमें शिकायतें क्या हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, श्री प्रह्लाद उपाध्याय, सदस्य, किसान शिक्षा समिति के पत्र दिनांक शून्य में मुख्य अनियमितायें परिशिष्ट 'क' में दी गयी हैं--पहला है प्रधानाचार्य, शिव हर्ष किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बस्ती ने काशनमनी को कालातीत बताकर उक्त धन से 40,000 रु0 की कीमत की कार खरीदी है जब कि कीमत ज्यादा वसूल की गयी है । अग्रवाल आटोमोबाइल्स, वाराणसी फर्म का महाविद्यालय में प्रस्तुत वाऊचर वास्तविकता से परे है । दूसरा--प्रधानाचार्य डा0 प्यारे लाल शुक्ला ने कार्यालय में सफाई और सुधार पर 40,000 रु0 व्यय किया है जब कि इससे पूर्व प्रधानाचार्य ने 15 हजार अथवा 20 हजार रु0 व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया था । तीसरा--प्रधानाचार्य ने कालेज की तात्कालिक आवश्यकताओं पर ध्यान न देकर टेलीविजन और वी0 सी0 आर0 खरीदा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, आपने देखा कि लाखों रुपये का घोटाला है । दूसरे अनियमितता की शिकायतें हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया । इसलिये क्या माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये, सभी माननीय सदस्यों को सूचना देकर, खुली जांच करायेंगे ।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, इस प्रकरण की अभी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

गम्भीर मामला है जिसको मंत्री जी समाप्त करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

क्या भ्रष्ट अधिकारियों की वकालत करने का ही इनका धंधा रह गया है ?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से उम्मीद करता था कि सही-सही जांच करायेंगे और भ्रष्टाचार रुकेगा लेकिन मंत्री जी भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सरकार की छवि बिगड़ेगी और यदि सही जांच कराकर उत्तर देंगे तो इससे सरकार की छवि निखरेगी। तो सही जांच कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि शासन किसी को बचाने का काम नहीं कर रहा है और इसीलिये अनियमितताओं को दूर करने के लिये साधिकार नियंत्रक नियुक्त किया गया था क्योंकि उस समय गम्भीर आरोप लगाये गये थे।

(व्यवधान)

(एक साथ कई सदस्य बोलने लगे)

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त)--

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो अभी प्रश्न उठाया है, जैसा मेरे सुयोग्य सहयोगी शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रश्न पर जांच के लिये शिक्षा निदेशक को नियुक्त किया गया। शिक्षा निदेशक का यह दायित्व है कि जो-जो आरोप संदर्भित दो पत्रों में लगाये गये उनकी जांच शीघ्रातिशीघ्र करें। जो अभी अंतिम सूचना मिली है, उन्हें टेलेक्स दिया गया उसके आधार पर रिपोर्ट वह शीघ्रातिशीघ्र भेजें। एक बात और आवश्यक कहना चाहता हूं कि जो रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र का उल्लेख हुआ है और प्राप्त हुये हैं मैं उनको देखूंगा, विशेषकर जो मेरे कार्यालय में शिकायती-पत्र आते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उन पर तत्परता से कार्यवाही करें, इस दृष्टिकोण से हजारों आवेदन-पत्र आते हैं लेकिन उनमें कोई कोताही हुई है तो अवश्य कार्यवाही करूंगा। यदि कहीं कोई असावधानी हुई है तो ठीक करूंगा, यह हमारा प्रयास होना चाहिए और होगा। जहां तक जांच का प्रश्न है शिक्षा निदेशक से जांच रिपोर्ट आ रही है, मैं शिक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा कि जांच रिपोर्ट की एक प्रति हमारे पास भी भेजेंगे।

## ग्रामीण क्षेत्रों में मकान के निर्माण हेतु ऋण की योजना

*6--श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों का निजी मकान बनाने के लिए आसान शर्तों एवं कम ब्याज दर पर ऋण देने की योजना लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या है और इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपध्याय--

जी हां।

संदर्भित योजना की प्रस्तावित रूपरेखा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 144 पर।

## प्रान्तीयकृत विद्यालयों के कर्मचारियों हेतु नियम वली

*7--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीयकृत विद्यालयों के स्टाफ हेतु कोई सेवा नियमावली शासन स्तर पर तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो इस प्रकार की नियमावली कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस सेवा नियमावली को अंतिम रूप देने से पूर्व

इस नियमावली पर प्रान्तीयकृत स्टाफ के उन सदस्यों से कोई वार्ता की जानी है जिन्होंने इस हेतु शासन स्तर पर कई बार ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । प्रश्नगत नियमावली प्रख्यापित करने की कार्यवाही की जा रही है। इस स्टेज पर प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता करना प्रस्तावित नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नियमावली कब तक पूर्ण हो जाएगी ? क्या प्रश्नगत कर्मचारी संगठन की न्यायोचित भावनाओं के अनुरूप नियमावली बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की जाए ।

श्री सिब्ते रजी--

यह प्रान्तीयकृत विद्यालयों के स्टाफ हेतु शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी सेवा नियमावली बनाई जा रही है । यह सेवा नियमावली कतिपय समीक्षाओं सहित लोक सेवा आयोग से दिनांक 9-10-84 को प्राप्त हो गई है। लेकिन इसके बाद दिनांक 1-3-65 से प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप, राजकीय सिटी इन्टर कालेज, गाजीपुर के कुछ शिक्षकों ने उसी तिथि से स्थायीकरण तथा वरिष्ठता के निर्धारण के लिए लोक सेवा अधिकरण में एक याचिका दायर कर दी और माननीय अधिकरण ने उसे स्वीकार भी कर लिया है । अतः अब इस नियमावली के पुनः परीक्षण करने की आवश्यकता है और वह हो रहा है, और जैसे ही यह परीक्षण समाप्त हो जायेगा और ऐसे ही दूसरे प्रकरणों से निकलने के बाद नियमावली घोषित कर दी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चूंकि लोक सेवा आयोग ने नियमावली को स्वीकृत करके भेज दिया है, तो उसे तुरन्त सदन के पटल पर न रखने का क्या कारण है ? अधिकरण ने जो अपील स्वीकार कर ली है, उसके बाद उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए अभी उसकी घोषणा नहीं की जा सकती ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

लोक सेवा आयोग ने एक नियमावली स्वीकार करके भेज दी, किन्तु किसी ने उस पर याचिका दायर कर दी, तो जो सामान्य जूरिसप्रुडेन्स का तरीका है जो उन्होंने स्वयं नियमावली अस्वीकार नहीं किया है और उन्होंने उसे रोकने को नहीं कहा है, शासन उस पर तत्काल क्यों कार्यवाही न कर सदन के पटल पर तुरन्त क्यों नहीं रखता है ? सरकार तो नियमावली भेज चुकी थी, सरकार को पुनः परीक्षण करने की क्या आवश्यकता पड़ गयी ?

श्री सिब्ते रजी--

जो लोक सेवा आयोग को भेजा था, उन्होंने उस पर समीक्षाएं की हैं, तो उसका परीक्षण भी आवश्यक हो जाता है, तो अधिकरण के फैसले के अंदर करने की आवश्यकता है । इसलिए उसके पुनरीक्षण की आवश्यकता है । इसलिए उसकी घोषणा नहीं की जा रही है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है वह पूर्णतया भिन्न है । यह प्रान्तीयकृत विद्यालयों का प्रश्न है, जो सरकार के द्वारा पहले चल रहे थे, उनको अपने अधिकार में लेने के बाद सरकार ने जिनका सरकारीकरण किया है, यह ऐसा विद्यालय है । मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि इस बीच बहुत से ऐसे अध्यापक और प्रधानाध्यापक हैं जो रिटायर हो गये हैं, दो-दो, तीन-तीन वर्षों से उनको हिसाब नहीं मिला है, फिर कुछ मर भी गये हैं, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी प्रोन्नति भी कर रहे हैं,

तो क्या प्रोन्नति में इन प्रान्तीयकृत अध्यपिकों और वरिष्ठ अध्यापकों को भी उसमें सम्मिलित किया जा रहा है ? दूसरे प्रान्तीयकृत विद्यालयों के जितने भी अध्यापक हैं, उनको वरिष्ठता के आधार पर कहीं शासन में स्थान दिया गया है या नहीं ?

श्री सिब्ते रजी--

प्रोन्नति का जहां तक प्रश्न है, इसके लिए जो इस समय नियमावली है, उसके अनुसार उन पर विचार किया गया है और विचार किया जायेगा ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

उनकी सीनियारिटी फिक्स हो गयी है या नहीं ?

श्री सिब्ते रजी--

इस प्रकरण में सूचना की आवश्यकता है । सूचना प्राप्त करके माननीय सदस्य को अवगत करा दी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, एक सामान्य नियम है कि प्रमोशन होने के पहले सीनियारिटी लिस्ट बनायी जायगी, बिना उसके प्रमोशन नहीं होगा सीनियारिटी लिस्ट बनी नहीं है और प्रमोशन जारी है । स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार और अनियमिततायें हो रही हैं । मेरा निवेदन है कि या तो आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें नहीं तो प्रश्न एव संदर्भ सहित को भेज दीजिए, भ्रष्टाचार उजागर हो जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि नियमावली प्रकाशित नहीं की गयी । जब तक नियमावली प्रकाशित नहीं की जाती है तब तक उस पर विचार हो सकता है, पुनर्विचार हो सकता है । माननीय सदस्य ऐरी जी ने कहा कि जिन कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह नियमावली बनायी जा रही है उन कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से परामर्श करके, इसको ठोस रूप देने में माननीय मंत्री जी को क्या आपत्ति है । जो उत्तर यहां पर आये हैं उनके परिप्रेक्ष्य में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको स्थगित कर दें या फिर सब प्रश्नों के उत्तर साफ-साफ आने चाहिये ।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उससे पहले ही नियमावली लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी थी । यदि कोई नियमावली के सम्बन्ध में मिलना चाहता है, विचार देना चाहता है तो हर समय उसका स्वागत है ।

श्री मैनेजर सिंह--

यह जो प्रस्तावित नियमावली है इसकी कापी इस सदन के माननीय सदस्यों को भेजकर उनकी राय सरकार लेने की कोशिश करेगी ।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, यह जो नियमावली है, जब तक उस पर निर्णय न ले लिया जाय, यह संभव नहीं हो पायेगा ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

इसको स्थगित कर दीजिये सभी माननीय सदस्यों की इच्छा है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, सीनियारिटी लिस्ट बिना प्रमोशन हो रहे हैं । क्या आप इससे सहमत हैं । आपकी पीठ से जो आज्ञा होगी वह शिरोधार्य है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

माननीय, इस पर स्थगन आदेश नहीं है फिर क्या विवक्षित है ?

श्री अधिष्ठाता--

बुनियादी सवाल आपका यह हो सकता है । आप सवाल करें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, जिसने याचिका दायर की है तो क्या माननीय उच्च न्यायालय ने कोई इस पर स्थगन आदेश दिया है कि जब तक वह लम्बित रहे तब तक इस नियमावली को सस्पेन्ड रखा जाय ।

श्री सिद्धे रजो--

मान्यवर, ऐसा कोई आदेश नहीं है लेकिन फिर भी अधिकरण ने जो फैसला किया है उससे जो दूसरे विद्यालय हैं वह भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रकरण पर विचार करने के लिये, लोगों को ज्यादा फायदा पहुंच सके इसलिए इसको रोका गया है ।

## लखनऊ भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के रायबरेली के दिलावरपुर साइड की टूटी हुई स्लाइटेड पाइप

*8--श्री हफीज भारती, श्री उदयवीर सिंह राठौर (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, खंड द्वितीय में कार्यरत सहायक अभियन्ता (श्री हुकुम सिंह) द्वारा जनपद रायबरेली के दिलावरपुर साइड पर कितने मीटर, 14 इंच व 8 इंच (ट्यूबवेल वाला पाइप) मशीन से टूट कर जमीन के नीचे गिराया गया ? क्या यह सही है कि उक्त गिरा हुआ पाइप निकाल लिया गया है ? यदि हां, तो वह कौन सा ऐसा टूल है जिसके द्वारा सहायक अभियन्ता ने उपरोक्त पाइप जमीन से निकाल लिया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से उपरोक्त पाइप की वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

रायबरेली जनपद के दिलावरपुर साइट पर बोर होल में दिनांक 5 मार्च, 1982 को जब 170.65 मीटर 8 इंच डाया पाइप लोअर हो चुका था तथा अगला पाइप सावट में जोड़ने हेतु उठाया जा रहा था कि अचानक स्पाइडर बेल फट जाने के कारण 170.65 मीटर एसेम्बली बोर होल में गिर गई थी। उक्त एसेम्बली का 152.65 मीटर पाइप निकाल लिया गया तथा शेष 18 मीटर स्लाटेट पाइप टूट कर बोर होल में धंस जाने के कारण नहीं निकाला जा सका । पाइप को पाइप एक्सट्रैक्टिंग टूल द्वारा निकाला गया । जितना पाइप नहीं निकाला जा सका उसका मूल्य 4,500 रु0 होता है जो बाजक में 2 प्रतिशत लास एलाउन्स प्राविजन के अन्तर्गत समायोजित कर दिया गया है । अतः वसूली का प्रश्न नहीं उठता है ।

## गोरखपुर जिले के रतनपुरा इन्टर कालेज में नेपाली लड़कियों का प्रवेश एवं परीक्षा केन्द्र का स्थानान्तरण

*9--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हर्ष वर्धन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित गोरखपुर जिले के रतनपुरा इंटर कालेज में भारी संख्या में नेपाली लड़कियों का नाम भरकर उन्हें अन्तिम वर्ष की परीक्षा दिलायी जा रही है ? क्या यह सच है कि उनका परीक्षा केन्द्र इन्टर कालेज नौतनवां (गोरखपुर) में रखा गया था और परीक्षा शुरू होने की पहली रात को परीक्षा केन्द्र बदल कर पुनः रतनपुरा कर दिया गया ? यदि हां, तो किन

परिस्थितियों में और किस सक्षम अधिकारी के आदेश से परीक्षा केन्द्र बदला गया ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न देखें, 2 चीजों के बारे में मैंने मांग की है । नेपाल की लड़कियों का नाम लिखा गया ह या नहीं इसका जवाब हां या नहीं में आ सकता है । दूसरी बात यह कि रात को 12 बजे सेन्टर को चेंज कर दिया गया कि नहीं, इसका उत्तर भी बताया जा सकता है। यह किसके आदेश से किया गया, यह फाइल में होगा। मान्यवर, यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है । इससे बड़ा विशुद्ध भ्रष्टाचार का नमूना देखने को नहीं मिलेगा। नेपाल की लड़कियों के नाम सीमा के स्कूलों में लिखे जा रहे हैं और उनसे 5-5 हजार रुपये लिए जा रहे हैं । उनको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सर्टीफिकेट दे दिये जायेंगे । एडमीशन के लिए शर्त होती है कि कक्षा 8 पास होना चाहिये। कक्षा 8 पास नहीं हैं । नियमों में है कि जब एक मुल्क की लड़की दूसरे मुल्क में जाती है तो माइग्रेशन सर्टीफिकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक देश से दूसरे देश में लड़का आकर पढ़ रहा है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ? किन परिस्थितियों में माननीय मंत्री जी का उत्तर नहीं आया ? इन सबको देखते हुए, पूरे प्रकरणों पर प्रकाश डालते हुए क्या जल्द से जल्द उत्तर आ जायगा ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि हम इसकी पूरी जानकारी कर रहे हैं । आपने जिन बातों का जिक्र किया है, उनका उत्तर आने के बाद यह प्रश्न उठता नहीं है । यह प्रश्न तब उठता जब 15 दिन के बाद सदन न चलता होता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जान-बूझ कर उत्तर नहीं दिया है ।

श्री अधिष्ठाता--

जब सूचना आ जायगी, तो पूरा उत्तर दे दिया जायगा ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, नेपाल से रुपया गोरखपुर आ रहा ह, इसमें ओझा जी को एतराज है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मैनेजर सिंह और ओझा जी आपस में तय कर लें ।

विकास खण्डों के लेखा लिपिकों के पद पर विकास विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी निर्देश

*10—श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करगे कि आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत ब्लाकों में लेखा लिपिक का पद शासन ने स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो क्या इस पर विकास विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

विकास खण्डों के लेखा लिपिकों के पद विकास विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भरे जाने के निर्देश शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं । पदोन्नति की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है ।

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि लेखा लिपिकों के पद की स्वीकृति शासन ने कर दी है और इसके निर्देश जारी कर दिये गये हैं और जिला स्तर पर पदोन्नति की कार्यवाही हो रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये पद कब स्वीकृत किये गये, निर्देश कब जारी किये गये और जिला स्तर पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, 4 अप्रैल, 1983 को ये पद स्वीकृत किये गये थे। ये स्वीकृत पद 799 हैं। मान्यवर, जब ये पद स्वीकृत किये गये, तो कहा गया था कि कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति लेखा लिपिक के पद पर की जायगी। लेकिन विगत में विकास खंड में लेखा लिपिक का पद नहीं था, शासन ने स्टोर-कीपर-कम-कैशियर को लेखा संवर्ग नहीं माना था। परन्तु यह देखा गया कि स्टोर-कीपर-कम-कैशियर के पद उसी के समकक्ष हैं, तो शासन देश दिनांक 31-5-85 द्वारा स्टोर कीपर-कम-कैशियर को लेखा संवर्ग में मानते हुए पदोन्नति के निर्देश जारी कर दिये हैं। इसी तरह से एक शासनादेश दिनांक 27 जून, 1985 को जारी किया गया था कि कनिष्ठ लिपिक को स्टोर-कीपर के पदों पर प्रोन्नत कर दिया जायगा।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, अब तक कितने ब्लाकों में यह कार्यवाही की गयी है और इससे हमारे ब्लाकों पर वित्तीय भार क्या पड़ा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, अभी यह सूचना नहीं मिली है कि कहां-कहां पर पदोन्नति कर दी गयी है और कहां नहीं।

श्री कौशिक रमा शंकर—

माननीय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1983 में यह फैसला लिया गया कि कनिष्ठ लिपिक को लेखा लिपिक के पद पर कर दिया जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन को यह ज्ञात ही नहीं था कि ब्लाक स्तर पर कोई भी कनिष्ठ लेखा लिपिक की नियुक्ति नहीं है, फिर भी आदेश जारी किये गये। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रोन्नत किये गये पद थे, वे खाली पड़े रहे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, शासन को यह जानकारी थी कि विकास खंडों में कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद नहीं हैं, लेकिन विभिन्न विभागों में कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद थे। जब यह आदेश हुए कि कार्यरत कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर पदोन्नति की जाए तो विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने यह मांग उठाई कि हमारे विकास विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए, इसलिए इसमें विलम्ब हुआ, तो कैशियर-कम-स्टोर कीपर को लेखा संवर्ग में मान लिया गया जिससे विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर मिल जायेंगे।

## फैजाबाद क्षेत्र में राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा कल पुर्जों की अनियमित खरीद

*11—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित रोडवेज में 1983-84 के दरम्यान स्पेयर पार्ट्स की लोकल पर्चेज के सम्बन्ध में लाखों रुपये का घोटाला हुआ था, जिसके सम्बन्ध में जांच हुई थी और जांच रिपोर्ट सन् 1984 में शासन को सुपुर्द हुई और जांच के

दौरान लगभग 18 लाख रुपये का घोटाला पाया गया ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

परिवहन मंत्री (राजकुमार संजय सिंह)—

फैजाबाद क्षेत्र में राजकीय परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा कलपुर्जों के क्रय में अनियमितताएं करने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर जांच उपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया । यह कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट किस तारीख को प्राप्त हुई और जांच रिपोर्ट क्या है ? यह किन-किन अधिकारियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट है ?

राजकुमार संजय सिंह—

मान्यवर, 21 जून, 1984 को जांच रिपोर्ट मिली और उस जांच रिपोर्ट में करीब सात अधिकारियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट आयी है । इसमें कार्यवाही जो हुई है उसमें स्तर-स्तर पर अधिकारी बदले गये हैं । अभी फाइनल रिपोर्ट हफ्ते भर में मिलेगी और उनके खिलाफ जो हो सकता है वह किया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सम्बन्धित मामले में जानना चाहूंगा कि जितनी जांच रिपोर्ट अभी तक आई हैं उसमें अनियमितताओं की कौन-कौन सी शिकायतें हैं और उन शिकायतों पर माननीय मंत्री जी ने अभी तक कुछ किया है ? सम्बन्धित मामले में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर भी माननीय मंत्री जी द्वारा कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

राजकुमार संजय सिंह—

जो अनियमितताएं आई हैं वह हैं—

क्षेत्रीय प्रबन्धक में निहित क्रय के वित्तीय अधिकारों का उपयोग नियमानुसार क्षेत्रीय क्रय समिति के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबन्धक ने नहीं किया ।

डिपो स्तर पर स्थानीय क्रय वित्तीय अधिकारों की सीमा से अधिक किया गया । क्रय प्रक्रिया नियमानुसार नहीं रखी गयी एवं चुनी हुई फर्मों तक ही इस क्रय को सीमित रखा गया ।

स्थानीय क्रय कुछ मामलों में केवल भंडारण के लिए किया गया न कि गाड़ियों के आफ रोड को कम करने के उद्देश्य से ।

डिपो स्तर पर स्थानीय डिपो प्रबन्धक के वित्तीय अधिकारों की सीमा से अधिक किया गया और इसे क्षेत्रीय स्तर के स्थान पर क्रय की सीमा से समायोजित करने का प्रयास किया गया ।

क्षेत्रीय स्तर पर नियमानुसार रेट कान्ट्रैक्ट की फर्मों से क्रय न करके स्थानीय फर्म से क्रय रेट कान्ट्रैक्ट की दर से कई गुनी अधिक दर पर किया गया एवं किन्हीं-किन्हीं मामलों में यह दर 6-7 अधिक पाई गई । इन तमाम सारी अनियमितताओं को देखते हुए स्थानान्तरण किया गया यह किन परिस्थितियों में किए गये, यह मैं नहीं कह सकता हूं । इसमें जो कार्यवाही संभव होगी वह की जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कहना चाहता हुं कि यह अनियमितायें नहीं हैं यह भ्रष्टाचार है इससे स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है । मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार मे लिप्त पाये गये हैं उनके खिलाफ मुकदमा दायर करके कार्यवाही की जायेगी ?

राजकुमार संजय सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि हफ्ते भर में रिपोर्ट आ रही है उसमें मुकदमा नहीं उससे कठोर दंड भी दिया जा सकता है ।

(शोरगुल)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न का उत्तर पूर्ण है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं जहां यह मामला स्वयं में महत्वपूर्ण है, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि 21-6-84 को रिपोर्ट आ गयी । जून, 1984 से आज तक कार्यवाही न करना और मामले को दबाने का प्रयास करना । जिन लोगों ने मामले को दबाने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने को मन्त्री जी तैयार हैं ?

राजकुमार संजयसिंह--

जो डिले की बात है अगर 18 लाख का घपला हुआ है, तो डिले हो सकता है । जहां तक कार्यवाही की बात है, कठोर कार्यवाही होगी ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मेरे पास स्पष्ट सूचना है । बहुत गम्भीर मामला है । जिन अधिकारियों ने घपला किया, उनको पदोन्नत कर दिया गया । जो ए0 आर0 एम0 थे उनको आर0 एम0 बना दिया गया, जो छोटे पदों पर थे उनको लखनऊ में सर्विस मैनेजर बना दिया, एक अधिकारी को आई0 ए0 एस0 का ग्रेड दे दिया । जो संयुक्त सचिव परिवहन में थे वह एम0 पी0 का टिकट चाहते थे कांग्रेस में टिकट नहीं मिला तो निगम का चेयरमैन बना दिया । 18 लाख के घोटाले का मामला है । रिपोर्ट में 18 लाख का मामला आ भी गया है उस अधिकारी ने, जिसने जांच किया अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा कि 18 लाख का घोटाला है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय परिवहन मन्त्री के यह कहने के बाद कि जो कोई भी होंगे जल्द से जल्द कठोर दंड देने जा रहे हैं अब प्रश्नों का समय समाप्त ।

## बस्ती जिले की प्राइमरी पाठशालाओं के प्रधानाध्यापक के कथित रिक्त पद

*12--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जनपद में प्राइमरी पाठशालाओं में प्रधानाध्यापकों के 500 स्थान रिक्त हैं जिन पर पदोन्नति द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि विद्यार्थी अध्यापक अनुपात के आधार पर बस्ती जनपद में 735 नये स्थानों की स्वीकृति होनी चाहिए परन्तु शासन वर्ष 74 से इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त तथ्यों की जांच कराकर अविलम्ब रिक्त स्थानों पर नियमानुकूल नियुक्तियां कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

## एटा जिले के परसौन स्थित जनता इन्टर कालेज में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

*13--श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री शारदानन्द अंवल--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 शासन ने राज ज्ञा संख्या 398/15-197-984-200/89 द्वारा जनता इन्टर कालेज, परसौन, जनपद एटा पर दिनांक 27-3-84 से साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने क आदेश दिया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने तत्काल प्रभाव से निषेध आज्ञा द्वारा रोक दिया ? यदि हां, तो उक्त साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने का कारण क्या है और क्या सरकार उक्त आदेश को वापस कर रही है ?

श्री सिब्ते रजी--

विद्यालय में शासनादेश सं0 398/15-शि0-9-84-2001 ( 89 )-83, दिनांक 27-3-84 द्वारा इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-घ (4) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गयी थी । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 23-5-84 द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश को स्थगित कर दिया । स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में विधिक परामर्श के अनुसार प्राधिकृत नियंत्रक के कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गयी और शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 को निदेशित किया गया कि समस्त तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनके आदेश प्राप्त करें । माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3-4-85 को अपील को निष्प्रभावी घोषित कर दिया तथा स्थगन आदेश समाप्त कर दिया और यह निर्णय दिया कि यदि प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के आधार अब भी हो, तब शासन द्वारा नये सिरे से प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश पारित किये जा सकते हैं ।

## राजकीय कन्या हाई स्कूल, डुमरियागंज, बस्ती का भवन

*14--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या हाई स्कूल डुमरियागंज, जनपद बस्ती जिसका अपना कोई भवन नहीं है और कोई बाउन्डरी नहीं है, के लिए शीघ्र भवन बनवाने तथा बाउन्डरी बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

विद्यालय किराये के भवन में अवस्थित है । विद्यालय को निजी भूमि उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

## बाराबंकी के जैतपुर-गढ़ो रामऊ मार्ग का निर्माण

*15--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्ग जैतपुर से गढ़ो रामऊ में हुए मिट्टी का कार्य एवं पुलिया निर्माण में की गई अनियमितताओं की शिकायत 15 अप्रैल, 85 को प्रश्न-कर्ता द्वारा प्राप्त हुई ? यदि हां, तो अब तक शिकायत के आधार पर शासन ने निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां । शिकायतों की तकनीकी जांच अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कराई गई है ।

## डा0 अम्बेदकर जूनियर हाई स्कूल, मालागढ़, बुलन्दशहर की मान्यता

*16--श्री किरनपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 अम्बेदकर जूनियर हाई स्कूल, मालागढ़, जनपद बुलन्दशहर की

स्थायी मान्यता की पत्रावली बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नष्ट किये जाने के विरोध स्वरूप श्री राज सिंह गौतम ने दिनांक 19-4-84 से जिलाधीश, बुलन्दशहर के कार्यालय के सम्मुख आमरण अनशन किया था ? यदि हां, तो समस्त प्रकरण क्या था तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

श्री राज सिंह गौतम का यह आरोप था कि डा0 अम्बेदकर जूनियर हाई स्कूल मालागढ़, बुलन्दशहर को मान्यता न देकर दूसरे विद्यालय को मान्यता दे दी गई तथा उनके विद्यालय की पत्रावली जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में गायब या नष्ट कर दी गई ।

प्राप्त सूचनानुसार स्थिति यह बताई गयी है कि उक्त विद्यालय को अस्थायी मान्यता हेतु प्रबन्धक द्वारा वर्ष 1980 में प्रार्थना-पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर के कार्यालय को दिया गया था जिस पर उक्त अधिकारी ने पत्र दिनांक 13-5-80 द्वारा मान्यता के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें प्रबन्धक से मांगी थीं जिसका कोई उत्तर न देकर वह शिकायतें करते रहे । अन्ततः दिसम्बर, 1984 में प्रबन्धक से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिस पर जांच की गई और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र दिनांक 20-5-85 द्वारा प्रबन्धक को सूचित किया गया कि मान्यता समिति द्वारा बताई गई कतिपय शर्तों को पूरी करके सूचित करें ताकि मान्यता प्रदान की जा सके । किन्तु प्रबन्धक ने कोई उत्तर नहीं दिया । चूंकि यह विद्यालय अस्थायी या स्थायी मान्यता हेतु नियमानुसार कतिपय शर्तें पूरी नहीं करता है इसलिये उसे मान्यता प्रदान करना नियमानुसार सम्भव नहीं हो सका । इस विद्यालय की मान्यता सम्बन्धी पत्रावली का नष्ट किय जाना या गायब किया जाना सही नहीं पाया गया ।

## काशी विद्यापीठ, वाराणसी में व्याप्त भ्रष्टाचार हेतु गठित भीमन कमेटी

*17—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि काशी विद्यापीठ, वाराणसी में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित भीमन कमेटी की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य संस्तुतियां क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

## भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के डी0 ई0/ए0 एम0 आई0 ई0 पास अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति को मांग

*18—श्री फजलुलबारी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के अन्तर्गत बी0 ई0/ए0 एम0 आई0 ई0 कोटा के अन्तर्गत तदर्थ पदोन्नति हेतु स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो विभाग के योग्य अवर अभियन्ता कब तक सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में इस समय कोई भी बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 पास अवर अभियन्ता प्रोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में नहीं आता है ।

## चाचा नेहरू बाल मन्दिर, आंवला, बरेली के अंग्रेजी अध्यापक का नियमितीकरण

*19—श्री कमल किशन पान्डेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चाचा नेहरू बाल मन्दिर हाई स्कूल, आंवला (बरेली) में किसी ऐसे

अध्यापक का अंग्रेजी स्नातक वेतनक्रम में नियमितीकरण दिनांक 1-2-80 से किया गया है, जो कि उक्त तिथि तक अंग्रेजी विषय में स्नातक था ही नहीं ? यदि हां, तो तब किस नियम के आधार पर यह वेतन क्रम दिया गया एवं इस सम्बन्ध में कितने शिकायती-पत्र विभाग/शासन को अब तक प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*20--श्री राय लक्ष्मी नारायन सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

## अतारांकित प्रश्न

1--श्री विजय सिंह राणा--

[दिनांक 15-7-85 को ता0 प्र0 सं0 9 द्वारा उत्तरित ।]

श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विश्वनाथ गली, वाराणसी के प्रधानाचार्य, श्री शिवदत्त शुक्ल की सेवा समाप्ति

2--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की सेवा समाप्ति से सम्बन्धित अपील के कितने ऐसे सम्बन्धित मामले हैं जो पिछले 9-10 वर्षों से उप शिक्षा निदेशक-पंचम मंडल, वाराणसी के कार्यालय में अनिर्णीत पड़ हुए हैं तथा ऐसे अनिर्णीत मामले में वेतन भुगतान भी नहीं किया जा रहा है ? क्या इसमें श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उ0 मा0 विद्यालय, विश्वनाथ गली, वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री शिवदत्त शुक्ल के सेवा समाप्ति से सम्बन्धित कोई अपील भी 9-10 वर्षों से अनिर्णीत पड़ी है ? यदि हां, तो उसका निर्णय करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## श्री एस0 पी0 सिंह, प्रवक्ता, डी0ए0वी0 कालेज, आजमगढ़ के स्थायीकरण की मांग

3--श्री किरन पाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री कृष्ण कुमार गुप्त जो बांगला कालेज, हाथरस सम्बद्ध आगरा विश्वविद्यालय में कामर्स प्रवक्ता थे, 1981 में एन0 आर0 ई0 सी0 खुर्जा, मेरठ विश्वविद्यालय में कामर्स प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुए और स्थायीकरण के बाद एन0 आर0 ई0 सी0 कालेज, खुर्जा में हा कर्यरत हैं, की नियुक्ति उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्गत उ0 प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की परिनियमावली के अन्तर्गत हुई थी ? यदि हां, तो फिर श्री एस0 पी0 सिंह, प्रवक्ता डी0 ए0 वी0 कालेज (सैन्य विज्ञान), आजमगढ़ सम्बद्ध गोरखपुर विश्वविद्यालय की 1981 में ही एस0 एस0 वी0 कालेज, हापुड़ सम्बद्ध मेरठ विश्वविद्यालय में हुई नियुक्ति अभी तक स्थायी क्यों नहीं की गई है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

एन0आर0ई0सी0 कालेज, खुर्जा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 23-1-82 थी ।

श्री एस0 पी0 सिंह की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कुलाधिपति, मेरठ विश्वविद्यालय के विचाराधीन होने के कारण इनकी नियुक्ति स्थायी नहीं की जा सकी ।

## तुलसीदास इन्टर कालेज, गोरखपुर के सहायक अध्यापक श्री रामानन्द पण्डेय की सेवा समाप्ति

4--श्री किरन पाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तुलसीदास इन्टर कालेज, गोरखपुर में सहायक अध्यापक श्री रामानन्द पाण्डेय

जिनकी नियुक्ति 1-10-75 को हुई थी, को उक्त इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य ने अपने पत्र दिनांक 19-5-79 के द्वारा कालेज की सेवाओं से निकाल दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार श्री रामानन्द पाण्डेय को उक्त कालेज में अपने पद पर फिर से बहाल करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रिफाहे आम इन्टर कालेज, खुर्जा जनपद बुलन्दशहर में शारीरिक शिक्षक के पद के सृजन की मांग

5--श्री किरन पाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिफाहे-आम इन्टर कालेज, खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर में अल्पसंख्यकों का रजिस्टर्ड एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है एवं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग एक हजार है, में अभी तक इस संस्था में शारीरिक शिक्षक (पी० टी० ) का पद सृजित नहीं हुआ है ? यदि हां तो ऐसा क्यों ? शारीरिक शिक्षक का पद कब तक सृजित कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एस० एस० बी० इन्टर कालेज, हापुड़, गाजियाबाद के छात्र श्री संतोष कुमार त्यागी का इन्टरमीडिएट परीक्षा (हिन्दी) का प्राप्तांक

6--श्री किरन पाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संतोष कुमार त्यागी पुत्र श्री प्रहलाद सिंह त्यागी अनुक्रमांक 48885 वर्ष 1977 को इन्टरमीडिएट की परीक्षा में एस० एस० बी० इन्टर कालेज, हापुड़, जनपद गाजियाबाद के संस्थागत छात्र के रूप में परीक्षा केन्द्र राजकीय दीक्षा विद्यालय, हापुड़ में सम्मिलित हुए थे तथा अकारण ही इनको सामान्य हिन्दी के प्रथम प्रश्न पत्र में अनुपस्थित दिखा दिया गया था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि श्री संतोष कुमार त्यागी सामान्य हिन्दी के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे ? यदि हां, तो उक्त प्रश्न पत्र में उनके प्राप्तांक कितने थे ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अमीचन्द सिंह, अध्यापक गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल बुलन्दशहर को सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान

7--श्री किरन पाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमीचन्द सिंह, सहायक अध्यापक (पी० टी०) गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल, सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर 1 जुलाई, 1980 को सेवा निवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो आज तक उनके सामूहिक जीवन बीमा की राशि का भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ? यह राशि कब तक भुगतान कर दी जाएगी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

जीवन बीमे की धनराशि का भुगतान चेक सं० बी० ए० 31/1007839-23, दिनांक 2 अप्रैल, 1985 के द्वारा किया जा चुका है । प्रश्न नहीं उठता ।

रामपुर, बिलासपुर में राजकीय इन्टर कालेज की स्थापना की मांग

8--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रामपुर की तहसील बिलासपुर के मुख्यालय पर राज्य सरकार

एक राजकीय इन्टर कालेज खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री सिन्हे रजी—

विलासपुर जनपद रामपुर में वर्ष 1984–85 में राजकीय हाई स्कूल स्थापित किया गया है । सम्प्रति इसके इन्टर स्तर पर उच्चीकरण का प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## शारदा सहायक समादेश क्षेत्र, लखनऊ द्वारा फार्म स्कूल आफ दी एयर कार्यक्रम का आयोजन एवं कृषकों को देय किराया

9—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1981–82 में शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना लखनऊ के निदेशानुसार आकाशवाणी लखनऊ से "फार्म स्कूल आव दी एयर" कार्यक्रम चलाया गया था ? क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पुरस्कृत होने वाले विशिष्ट 10 कृषकों को आने जाने का बस/रेल के द्वितीय श्रेणी का किराया देने का आदेश था ? यदि हां, तो क्या उक्त कृषकों को किराया भुगतान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

नियमानुसार किराये का भुगतान कृषकों द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर ही हो सकता था, किन्तु पुरस्कृत कृषक यह कार्यवाही किए बिना ही अपने गांव लौट गये । किराये के दावों को कृषकों से प्राप्त करने के प्रयासों के बावजूद भी किसी कृषक से दावा अभी तक शारदा सहायक समादेश क्षेत्र को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके अभाव में किराये का भुगतान सम्भव नहीं हो सका ।

## बलिया, नगरा बरौली मार्ग से आदर्श अम्बेडकर नगर मार्ग के निर्माण की मांग

10—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत खंड विकास, नगरा, ग्राम सभा बरौली में घोसी नगरा मुख्य मार्ग से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आदर्श अम्बेडकर विद्यालय, अम्बेडकर नगर (बरौली) तक स्वीकृति सम्पर्क मार्ग जो विगत वर्ष ही बननी थी, अब तक नहीं बनी ? यदि हां, तो कब तक बन जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत नगरा बरौली मार्ग से आदर्श अम्बेडकर नगर सम्पर्क मार्ग गत वर्ष स्वीकृत किया गया था । भूमि एवं मिट्टी न मिलने के कारण कार्य नहीं हो सक है । उक्त मार्ग का निर्माण भूमि एवं मिट्टी मिलने पर निर्भर करता है ।

## जनता इंटर कालेज, परसौन, एटा में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

11—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश शासन ने राजाज्ञा सं0 398/15–197–984–200–89 द्वारा जनता इंटर कालेज परसौन, जनपद एटा पर दिनांक 27 मार्च, 1984 से साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने का आदेश दिया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने तत्काल प्रभाव से निषेध आज्ञा द्वारा रोक दिया ? यदि हां, तो उक्त साधिकार नियन्त्रक नियुक्त करने का कारण क्या है ? क्या सरकार उक्त आदेश को वापस कर रही है ?

श्री सिन्हे रजी—

विद्यालय में शासनादेश सं0 398/15–शि0–9–84–200 (89)–83, दिनांक

27 मार्च, 1984 द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 घ (4) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 23 मई, 1984 द्वारा प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति के आदेश को स्थगित कर दिया। स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में विधिक परामर्श के अनुसार प्राधिकृत नियन्त्रक के कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गयी और शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को निदेशित किया गया कि समस्त तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनके आदेश प्राप्त करें। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3 अप्रैल, 1985 की अपील को निष्प्रभावी घोषित कर दिया तथा स्थगन आदेश समाप्त कर दिया और यह निर्णय दिया कि यदि प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त करने के आधार अब भी हो, तब शासन द्वारा नये सिरे से प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति के आदेश पारित किये जा सकते हैं।

12--श्री शारदा नन्दन अंचल--

[दिनांक 15 जुलाई, 1985 को अतारांकित प्रश्न सं0 165 द्वारा उत्तरित]

## हाई स्कूल परीक्षा के सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह का पत्र

13--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1499, दिनांक 8 अगस्त, 1984 वर्ष 1984 की हाई स्कूल परीक्षा के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

## निदेशक, गंजरिया फार्म, लखनऊ द्वारा माल की खरीद

14--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के गंजरिया फार्म को खर्चा के लिए वर्ष 1984-85 में कितनी राशि का आबंटन किया है ? क्या यह सही है कि प्रबंधक गंजरिया फार्म ने अपने पत्र सं0 4621, दि0 29-3-85 से जो उप निदेशक, पशु पालन प्रक्षेत्र को लिखा गया, आबंटित राशि में से 10 लाख की राशि को सरेन्डर किया है ? क्या यह भी सही है कि उप निदेशक ने 28-29 मार्च के लगभग 8 लाख का माल खरीदा है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए टेंडर मांगे गये थे तथा इतनी बड़ी राशि के सामान को एक साथ खरीदने की क्या उपयोगिता थी और क्या-क्या सामान खरीदा गया ?

पशुधन मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)--

जी हां। वर्ष 1984-85 में रु0 16,84,500 की धनराशि निदेशक, पशुपालन द्वारा आकस्मिक व्यय की मदों हेतु गंजरिया फार्म को आबंटित हुई थी।

जी हां, यह सही है कि प्रबन्धक ने रु0 10,95,300 की धनराशि को समुचित भाव के कारण समर्पित करने हेतु उप निदेशक को सूचित किया। परन्तु यह ज्ञात होने पर कि ट्रेजरी और बैंक दिनांक 30 व 31 मार्च, को खुले रहेंगे उक्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया।

उपरोक्त धनराशि में से कुल 1,71,472·95 रु0 का माल खरीदा गया तथा शेष धनराशि से पुराने बिलों का भुगतान तथा ए0 जी0 के माध्यम से बुक ट्रान्सफर द्वारा समायोजन कराया गया।

जी नहीं। टेन्डर मांगने की आवश्यकता नहीं थी, माल शासन के क्रय-विक्रय नियमों के अनुसार ही क्रय किया गया। खरीदे गये सामान की सूची संलग्न† है।

15--श्री शारदा नन्द अंचल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

†(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 144 पर।)

बाराबंकी में सहायक अध्यापक, प्राइमरी स्कूल, श्री रघुनन्दन प्रसाद पाठक को संस्कृत शिक्षक के पद पर नियुक्ति

16—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने वर्ष 1982 में श्री रघुनन्दन प्रसाद पाठक, सहायक अध्यापक (प्राइमरी) की नियुक्ति संस्कृत शिक्षक (सीनियर बेसिक) के पद पर की थी ? यदि हां, तो इनकी शैक्षिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा इन्टरमीडिएट है ? यदि नहीं, तो क्या इन्टरमीडिएट के समकक्ष अन्य योग्यता है ? यदि हां, तो परीक्षा का नाम क्या है तथा सर्टीफिकेट देने वाली संस्था का नाम क्या है ? क्या वह शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद बाराबंकी की अध्यापिका, श्रीमती कमला देवी के वेतन का आहरण

17—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के 1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0 85 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी अध्यापिका/अध्यापक का वेतन बिना किसी अधिकार पत्र के किसी भी अन्य विद्यालय में तैनात अध्यापक को भुगतान करने हेतु दे सकता है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती कमला देवी, अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, ओबरी, बाराबंकी की नियुक्ति एवं चिकित्सा अवकाश

18—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जू0 बे0 वि0 (कन्या) ओबरी, बाराबंकी कब से वर्तमान विद्यालय में कार्यरत हैं ? इन्होंने कब और किस आदेश के तहत इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था ? इसके अतिरिक्त यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इसके पूर्व यह किस विद्यालय में कार्यरत थीं ? इस विद्यालय में स्थानान्तरण क्या प्रशासनिक आधार पर किया गया था ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

19—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के 1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0 86 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा-अवकाश की स्वीकृति के पूर्व ही क्या सम्बन्धित अध्यापिका ने चिकित्सा-प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर जमा कर दिया था ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो चिकित्सा अवकाश किस आधार पर स्वीकृत किया गया ? यदि बिना सी0 एम0 ओ0 के काउन्टर-साइन के ही अवकाश स्वीकृत होना था, तो अवकाश तुरन्त स्वीकृत न कर दो वर्ष बाद क्यों स्वीकृत किया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी, श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव का अवकाश

20—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर एवं नवम्बर, 1979 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी किन-किन तिथियों को सरकारी दौरे एवं निजी अवकाश पर रहे ? इन दोनों महीनों में कुल कितने दिन (दिनांक सहित) कार्यकाल में उपस्थित रह कर सरकारी कार्य देखा ?

श्री सिब्ते रजी—

माह सितम्बर, 1979 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के पद पर श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव पदारूढ़ थे । वे निम्नांकित तिथियों में सरकारी दौरे एवं निजी अवकाश पर रहे :—

| सरकारी दौरे की तिथियां | अर्जित अवकाश की तिथियां |
|---|---|
| 3-9-79 | 5-9-79 से 23-9-79 तक |
| 4-9-79 | |
| 28-9-79 | |

उन्होंने दिनांक 2 तथा 30 सितम्बर, 1979 को पड़ने वाले रविवार तथा 29-9-79 के सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, दिनांक 1-9-79, 24-9-79, 25-9-79, 26-9-79 तथा 27-9-79 को सरकारी कार्यालय में कार्य किया ।

माह नवम्बर, 1979 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के पद पर दिनांक 1-11-79 से 8-11-79 तक श्री पन्ना लाल तथा दिनांक 9-11-79 से 30-11-79 तक श्री हरिहर कुमार मिश्र कार्यरत थे । इनके बारे में उक्त विवरण एकत्रित किये जा रहे हैं ।

जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी की अध्यापिका, श्रीमती कमला देवी के वेतन का भुगतान

21—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

प्रथम सत्र 1983 के 1ले सोमवार के अता० प्र० सं० 25 के उत्तर के क्रम मे शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य नियमों के अनुसार क्या कार्य करने के बाद ड्यूटी पे भी रोकी जा सकती है ? यदि नहीं, तो नवम्बर, 1980 के कार्य दिवसों का वेतन सम्बन्धित अध्यापिका को क्यों नहीं तुरन्त भुगतान किया गया, दो वर्ष बाद ड्यूटी पे के भुगतान का क्या औचित्य है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ओम प्रकाश मिश्र, तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा कर्मचारियों/अध्यापकों की नियुक्ति

22—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने अपने कार्यकाल में बाराबंकी जनपद में कुल कितने तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की ? क्या यह सत्य है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी नियुक्त नहीं किया गया ? इसके अतिरिक्त क्या यह भी सत्य है कि यह सब नियुक्तियां बिना सेवायोजन कार्यालय के माध्यम के की गयी हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

23—ईश्वर शरण विद्यार्थी—

शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने अपने कार्यकाल ( जनपद बाराबंकी ) में कुल कितने अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां की ? इन नियुक्तियों में कुल कितने अभ्यर्थी बाह्य जनपद के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित थे तथा कितने बाराबंकी जनपद के ? क्या यह भी सत्य है कि बाह्य जनपद के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति के बाद अपने गृह जनपदों को स्थानान्तरण करवा कर चले गये है ? यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही नियमानुसार है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी, गृह शिल्प शिक्षिका (सीनियर बेसिक) के पद पर श्रीमती शान्ती मिश्र की नियुक्ति

24—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1983, जनवरी, 1984 में बेसिक शिक्षा परिषद्, बाराबंकी के अन्तर्गत गृह शिल्प शिक्षिका (सीनियर बेसिक) के पद पर श्रीमती शान्ती मिश्रा, बाहरी अभ्यर्थी, जिसने बाह्य जनपद से बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण वर्ष 1980 में किया था, को नियुक्ति अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) ने कर ली है ? यदि हां, तो क्या बाराबंकी जनपद में कोई अन्य अभ्यर्थिनी उपलब्ध नहीं थी ? यदि थी, तो उसकी नियुक्ति न कर श्रीमती शान्ती मिश्रा की नियुक्ति का क्या आधार है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी, श्री ओम प्रकाश मिश्र द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध शिकायती-पत्र

25—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी श्री ओम प्रकाश मिश्र ने अनियमित रूप से धन अर्जन हेतु बाह्य जनपद के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इस बाहरी अभ्यर्थियों की मेरिट नियुक्ति हेतु तैयार की गयी सूची में ऊपर दिखलाई ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की जायेगी ? क्या इसकी भी जांच की जायेगी कि नियुक्ति हेतु जो मेरिट सूची बनायी गयी वह सेवा नियमावली के अनुरूप थी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

26—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओम प्रकाश मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिन बाह्य जनपद के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनियमित रूप से जनपद बाराबंकी में अपने कार्यकाल में की, उनमें से लगभग सभी का स्थानान्तरण सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के द्वारा उक्त अभ्यर्थियों के मूल निवास गृह जनपद में करवा दिया ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच मंत्री जी करायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

27—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री, श्री ओम प्रकाश मिश्र, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के विरुद्ध अनियमित नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के बारे में कोई शिकायती पत्र

दिनांक 16-4-1984 को श्री छविनाथ सिंह, जिला मंत्री, प्राथमिक शिक्षक संघ, बाराबंकी से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो श्री सिंह द्वारा इंगित प्रकरणों पर क्या जांच की गयी ? यदि हां, तो श्री मिश्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

शिक्षा निदेशक द्वारा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद से जांच करायी जा रही है । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

## बाराबंकी में गृह शिल्प शिक्षिका (सीनियर बेसिक) के पद पर श्रीमती शान्ति मिश्रा की नियुक्ति

28—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 1973 की बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थिनी उपलब्ध होते हुए भी बाह्य जनपद से वर्ष 1980 की बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित श्रीमती शान्ती मिश्रा पत्नी श्री शत्रुघ्न प्रसाद मिश्र, कार्यवाहक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी (तत्कालीन) की नियुक्ति दिसम्बर, 1983 में गृह शिल्प शिक्षिका (सीनियर बेसिक) के पद पर अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), बाराबंकी ने की है ? यदि हां, तो क्या यह नियुक्ति सेवा नियमावली के अनुरूप नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

29—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

## श्रीमती कमला देवी, अध्यापिका, जूनियर बेसिक स्कूल, सफेदाबाद, बाराबंकी के वेतन का आहरण

30—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के निदेशानुसार प्रधानाध्यापक को वेतनावली एक सप्ताह के अन्दर यानी कि दिनांक 13-11-79 तक कार्यालय में जमा कर देनी चाहिए थी ? यदि हां, तो वेतनावली दिनांक 22-11-79 को कार्यालय में जमा करने का क्या औचित्य था ? क्या उपरोक्त कार्यवाही बेसिक शिक्षा अधिकारी के निदेशानुसार है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

31—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान के द्वितीय सत्र 1983 के 1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका को अगस्त, 1979 का वेतन श्री सतीश कुमार, सहायक अध्यापक द्वारा प्राप्त करा दिया गया है ? इसका क्या कोई प्रमाण कार्यालय में है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

32—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के 8वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के क्रम में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अणित विद्यालय का वातावरण दूषित होने एवं अध्यापकों के मध्य विवाद एवं आपस में तालमेल न होने की सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी को किस माध्यम से और कब प्राप्त हुई तथा इसकी पुष्टि हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में वातावरण दूषित होने के क्या-क्या कारण एवं कारक बताये गये तथा उन बताये गये कारणों को दूर करने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

33--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

विधान सभा के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के 8वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को वेतन वितरित कर वेतनावली जमा करने के निर्देश लिखित दिये थे ? यदि हां, तो क्या यह निर्देश केवल माह अक्तूबर के वेतन के लिए ही दिये थे ? यदि नहीं, तो माह नवम्बर का भी वेतन पूर्व की भांति ही निर्देशों के साथ क्यों नहीं दिया गया ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

34--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

विधान सभा के 1983 के प्रथम सत्र के 9वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वेतन वितरित कर वेतनावली एक सप्ताह के अन्दर उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करने के निदेशों के अनुपालन में प्रधानाचार्य ने वेतनावली एक सप्ताह के अन्दर जमा कर दी ? यदि नहीं, तो प्रधानाध्यापक के विरुद्ध निर्देशों की अवहेलना के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? सम्बन्धित अध्यापिका के अवकाश पर निर्णय दिनांक 21-11-79 को हो जाने के बाद ठीक दूसरे दिन दिनांक 22-11-79 को वेतन बैंक में जमा करना, क्या विद्यालय का वातावरण दूषित होना सिद्ध होता है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## श्री ओम प्रकाश मिश्र, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

35--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश मिश्र, भूतपूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित श्री कैलाश नारायण तिवारी, संयुक्त मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद बाराबंकी का पत्र, दिनांक 20 मार्च, 1984 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और जांच किस अधिकारी से कराई गई है तथा जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

शिकायती-पत्र में श्री ओम प्रकाश मिश्र, भूतपूर्व स्थानापन्न जिला विद्यालय निरीक्षक एवं तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के विरुद्ध निम्न बिन्दुओं पर शिकायतें की गयी हैं :--

1--भैरव नाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मऊ, गोरखपुर के अनुदान की धनराशि का व्यपहरण कराया ।

2--जनपद इण्टर कालेज, हरख में विद्यालय के नाम सीमेन्ट क्रय कर उसका दुरुपयोग किया और निरपराध प्रधानाचार्य को फंसाया गया ।

3--विद्यालयों के प्रशासक के रूप में श्री मिश्र ने अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग किया ।

4--प्रशासक के रूप में सरस्वती जयन्ती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, त्रिवेदीगंज में भविष्य निधि, जीवन बीमा और अनिवार्य जमा योजना के धन का व्यपहरण तथा करने वालों को संरक्षण प्रदान किया ।

5--स्काउट कार्यक्रम के नाम पर विद्यालयों को धन दिया गया व उसे फर्जी कैम्पों के नाम पर प्राप्त कर धन का व्यपहरण किया गया ।

6—5 सितम्बर को शिक्षक दिवस का राष्ट्रीय पर्व न मना कर इस कार्यक्रम हेतु शासन द्वारा दिये गये धन को हड़प लिया ।

7—श्री शफीक अहमद वारसी, सहायक अध्यापक, सी० टी० ग्रेड का उच्चीकरण एल० टी० ग्रेड में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कर दिया ।

8—धन बटोरने के प्रयोजन में जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्तियों, पदोन्नतियों व चयन में ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाया जो अर्ह नहीं थे ।

9—पैनल इन्सपेक्शन फर्जी तरीके से सम्पन्न कराये ।

10—राजनैतिक दबाव से अपने तबादले को रुकवाया और इससे भ्रष्टाचार को अधिक व्यापक बनाया ।

11—श्री मिश्र की बेनामी टैक्सियां चलती हैं और इनके कई मकान हैं।

शिक्षा निदेशक ने इस मामले में उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद को जांच करने के आदेश दिये हैं । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

## पौड़ीगढ़वाल के बहेड़ाखाल के पंचायत भवन का निर्माण

36—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 5वें सोमवार के लिए निर्धारित श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी के अतां० प्र० सं० 99 के उत्तर के क्रम में क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के स्थान बहेड़ाखाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पंचायत भवन निर्माण हेतु कब कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? क्या जिला परिषद् द्वारा व्यय की गयी धनराशि के अन्तर्गत प्राक्कलनानुसार स्वीकृत सभी निर्माण कार्य पूर्ण करवाये गये थे ? यदि नहीं, तो स्वीकृत प्राक्कलनानुसार योजना को पूर्ण न किये जाने के कारण क्या हैं और इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ? मार्च, 83 से मार्च, 85 तक इस पंचायत भवन पर कराये गये निर्माण कार्य और लगाये गये मैटीरियल्स का विवरण तथा मूल्य क्या है और क्या इसका भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुरत उपाध्याय—

जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल से उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान बहेड़ाखाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पंचायत भवन निर्माण हेतु 53,200 रुपये वर्ष 1981 में स्वीकृत किया गया था । स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने का कारण जिला परिषद् के पास अनुपातिक श्रम अंश में मार्च 1983 के बाद धन उपलब्ध न होना था । सितम्बर, 1984 में उक्त भवन की नाप करायी गई । नाप के आधार पर भवन का कुल मूल्य 55,472·68 रुपये निकला । स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार अवशेष धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

## कन्या इन्टर कालेज शामली, मुजफ्फरनगर की आडिट रिपोर्ट

37—श्री राजेन्द्र गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 84 के 1ले मंगल के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतां० प्र० सं० 187 तथा 188 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अब तक एकत्र की गयी सूचना क्या है ?

श्री सिंह रजी—

शिक्षा निदेशक के पत्र दिनांक 18-8-78 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है । आडिट से प्रकाश में आई आपत्तियों जिसके अनुसार प्रबन्ध समिति को अपने

स्रोतों से कालिज निधि में 1,72,528·83 रु0 जमा करना था, इत्यादि का निराकरण न किये जाने पर प्रबन्ध समिति के विरुद्ध इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16–घ में निहित प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की गई और प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति कर दी गयी है ।

बस्ती जिले की प्राइमरी पाठशालों तथा जूनियर हाई स्कूलों के मृतक प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पदों पर आश्रितों की नियुक्ति

38–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में प्राइमरी पाठशालाओं तथा जू0 हा0 स्कूलों (पुरुष तथा महिला) के कुल कितने प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापकों, जिनकी मृत्यु सेवा काल में ही हो गयी है, के आश्रितों को अभी तक शासनादेश के आधार पर उनके योग्यतानुसार सेवा में नहीं रखा गया है ? क्या मंत्री जी ऐसे सभी आश्रितों को तुरन्त नियमानुकूल सेवा में रखे जाने हेतु आदेशित करने का कष्ट करेंगे और इसकी सूचना में सम्पूर्ण सूची को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की रही है ।

राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा भूगर्भ जल का सर्वेक्षण तथा अनुसंधान एवं भूमि जल के उपयोग का प्रतिशत

39–श्री विदेशी प्रसाद भारती–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रत्येक जनपद की भूमिगत जल की समस्या के निराकरण हेतु क्या–क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या उक्त विभाग को जनपद योजना के अन्तर्गत विस्तृत सर्वेक्षण हेतु धनराशि आवंटित की जाती है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रदेश के मैदानी तथा पठारी क्षेत्र के जनपदों में भूमिगत जल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा भूगर्भ जल सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य किये जाते हैं जिसके अन्तर्गत मुख्यतः विकास खण्डवार भूजल उपलब्धता का आंकलन, सिंचाई हेतु भूजल की रासायनिक अनुकूलता का तथा जल भण्डारण क्षमता की जानकारी के लिये पम्प टेस्ट, लघु सिंचाई साधनों द्वारा होने वाले निकास की गणना हेतु सेम्पुल सर्वे तथा जल स्तर के कन्टूर मैप तैयार करना और भूगर्भीय संरचना के अध्ययन किये जाते हैं ।

इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के अनुरूप विशिष्ट सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । डार्क श्रेणी विकास खंडों में सूक्ष्म अध्ययन, जल प्लावन की समस्या का अध्ययन, शारदा सहायक क्षेत्र में पायलट अध्ययन, बुन्देलखंड एवं विन्ध्य पठारी क्षेत्रों में ब्लास्ट कूपों के निर्माण हेतु हाइड्रोजियोलोजिकल सर्वेक्षण तथा खारे पानी के क्षेत्रों में भूरसायनिक अध्ययन किया जा रहा है । उक्त संगठन को विस्तृत सर्वेक्षण हेतु जनपद योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है क्योंकि उक्त कार्यों हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत धन दिया जाता है ।

40–श्री विदेशी प्रसाद भारती–

क्या यह सही है कि प्रदेश के 800 विकास खंडों में से 140 विकास खंडों में भूमिगत जल का उपयोग 80% से अधिक हो रहा है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं एवं वित्तीय

संसाधन जुटाने हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

भूजल उपलब्धता को मार्च, 1982 के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने प्रदेश में कुल 141 विकास खंडों को डार्क श्रेणी में रखा था जिनमें भूमिजल का उपयोग 80% से अधिक अनुमानित था। तदुपरान्त भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के अनुसार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित माप दन्डों पर दिसम्बर, 1983 के आधारभूत आंकड़ों पर आधारित विकास खंडवार भूजल उपलब्धता का आंकलन किया गया तथा नये माप दन्डों में पूर्व निर्धारित कुछ तकनीकी प्रतिबन्धों के शिथिल हो जाने के कारण, अधिकांश विकास खंड ग्रे तथा श्वेत श्रेणी में आ गये, जिनमें भूजल का उपयोग नये माप दन्डों के अनुसार 35% से कम हो रहा है। वर्तमान में कुल 28 विकास खंड डार्क श्रेणी में हैं।

इस प्रकार अधिकांश विकास खंडों में लघु सिंचाई कार्यों हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध है तथा डार्क श्रेणी विकास खंडों में भी पुराने पम्पिंग सेट को बदलने, सरफेस वाटर पर लगाने के लिये पम्पिंग सेट तथा पुराने डीजल पम्पिंग सेट को बदल कर विद्युत चालित पम्पिंग सेट लगाने के लिये ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। डार्क श्रेणी विकास खंडों में सूक्ष्म अध्ययन भी कराया जा रहा है।

भू-गर्भ जल विकास की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में अपेक्षित विस्तृत प्राविधान आवश्यकतानुसार किया जाता है।

जय किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चमियानी, उन्नाव की मान्यता

41—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें किसी विधायक के दिनांक 20-3-85 या 21-3-85 के पत्र के साथ श्री बाबू राम सिंह, ग्राम प्रधान, चमियानी एवं सदस्य, जिला परिषद्, उन्नाव का कोई ऐसा पत्र मिला है, जिसमें जय किसान पू० मा० विद्यालय, चमियानी, जनपद उन्नाव को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने पर आपत्ति की गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश को निर्देश दे दिये गये हैं कि श्री बाबू राम सिंह के पत्र दिनांक 20-3-85 में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करा के ही मान्यता के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जाय। इस प्रकरण से सम्बन्धित मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ के अभिलेखों और विद्यालय के अभिलेखों की भी जांच कर लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

पशु पालन विभाग के नियोजन विभाग के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची सम्बन्धी

सूकदमा

42—श्री मोहम्मद आकिल—

क्या पशुधन मन्त्री को ज्ञात है कि अगस्त, 1980 में पशुपालन विभाग में नियोजन विभाग के समायोजित 50 कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता भंग करके ज्येष्ठ कर्मचारियों को प्रोन्नति से वंचित करके कनिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ज्येष्ठ कर्मचारियों को पूर्व देय तिथि से प्रोन्नति देने पर विचार करेगी ?

श्रीमती बेनी बाई—

ऐसे कर्मचारियों की ज्येष्ठता का निर्धारण समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के प्राविधान के अनुसार किया गया

था । मामला माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ, के भी समक्ष विचाराधीन है । माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के पश्चात् नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

43--श्री मोहम्मद आकिल--

क्या पशुधन मन्त्री बतायेंगे कि निदेशक, पशुपालन विभाग ने अगस्त, 1980 व मार्च, 1981 की ज्येष्ठता सूची में 50 कर्मचारियों की निर्धारित अनियमित ज्येष्ठता को निरस्त करके उनकी ज्येष्ठता दिनांक 29-12-83 को सही कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित कर्मचारियों को दिनांक 5-8-80 से प्रोन्नति करने के आदेश निदेशक पशुपालन विभाग को देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती बेनी बाई--

निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा शासन के निर्णयानुसार दिनांक 29-12-83 को ज्येष्ठता निर्धारित कर दी गई परन्तु सम्पूर्ण प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय में अन्तिम निर्णय के पश्चात् ही नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पशुपालन विभाग के सांख्यिकी कर्मचारियों की ज्यष्ठता सूची

44--श्री मोहम्मद आकिल--

क्या पशुधन मन्त्री जी बतायेंगे कि पशुपालन सांख्यिकी कर्मचारियों की गलत ज्येष्ठता सूची व गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप शासन के कितने धन का अपव्यय हुआ और उसकी वसूली कब तक कर ली जायेगी ? इस अपव्यय का जिम्मेदार कौन है ?

श्रीमती बेनी बाई--

शासन के धन का अपव्यय नहीं हुआ । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव-अजगैन-मलिहाबाद मार्ग पर बसों का संचालन

45--श्री बद्री प्रसाद--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव में मलिहाबाद वाया अजगैन, मोहान मार्ग पर गत वर्ष कितनी बसें उस मार्ग पर चल रही है ? यदि नहीं चल रही हैं, तो क्या सरकार उनके परमिट निरस्त करने की कृपा करेगी ?

राजकुमार संजय सिंह--

प्रश्नगत मार्ग पर गत वर्ष कोई परमिट निजी वाहन स्वामी को नहीं दिया गया है ।

उन्नाव-अजगैन-मलिहाबाद मार्ग के लिए पहले 6 स्थायी परमिट थे । उनमें से 2 परमिटों के नवीनीकरण प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये थे जिसके विरुद्ध परमिटधारियों द्वारा वायर राज्य परिवहन अपीलीय न्यायधिकरण के यहां अपीलें चल रही हैं । एक स्थायी परमिट वर्ष 1981 में समाप्त हो गया था । इस प्रकार वर्तमान में मार्ग पर 3 गाड़ियां स्थायी परमिटों के आधार पर संचालित हैं । वर्तमान में किसी परमिट के निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव-मुंशीगंज, अजगैन मार्ग पर बस का संचालन

46--श्री बद्री प्रसाद--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव से मुंशीगंज वाया अजगैन मार्ग पर उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम की दो बसों में से एक बस बंद किये जाने का क्या कारण है ? यह बस सेवा पूर्ववत् कब से चलाई जायेगी ?

राजकुमार संजय सिंह—

प्रश्नगत मार्ग पर उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की दो बसों में से एक प्रयोगात्मक रूप से चलाई गई थी, जिसका संचालन आय प्रति किलो-मीटर तथा लोड फैक्टर कम मिलने के कारण बन्द करना पड़ा। वर्तमान में इस मार्ग पर यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए एक बस चल रही है।

## लखनऊ-मोहान मार्ग पर बस का संचालन

47—श्री बद्री प्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि चारबाग डिपो (लखनऊ) से बंथरा हरौनी होकर मोहान (उन्नाव) जाने वाली उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 की बस सेवा का चलना बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो अब यह बस सेवा कब से चालू कर दी जायेगी?

राजकुमार संजय सिंह—

सम्बन्धित बस सेवा परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1975 से समाप्त की गई थी। लखनऊ से मोहान के लिए 27 किलोमीटर का एक सीधा मार्ग अब उपलब्ध है जिस पर 10 निजी बसें संचालित हो रही हैं। परिवहन निगम द्वारा लम्बे मार्ग से पुनः बस सेवा चलाने का अब कोई औचित्य नहीं है।

## लखनऊ-बांगरमऊ मार्ग की बसों के किराये में वृद्धि

48—श्री बद्री प्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ-बांगरमऊ मार्ग पर चलने वाली निजी बसों के किराया वृद्धि का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार किराया कम करके पूर्ववत किराया लेने के आदेश देगी?

राजकुमार संजय सिंह—

बसों के किराया वृद्धि के ऐसे कोई आदेश शासन द्वारा नहीं किए गए हैं। सम्बन्धित वाहन स्वामियों द्वारा अनियमित अधिक किराया लिए जाने पर उनके विरुद्ध मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

## हरदोई के विकास खण्ड मल्लावा और माधोगंज के अन्तर्गत सड़क, भवन, पेयजल कूपों का निर्माण

49—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खंड मल्लावां और माधोगंज में वर्ष 1982-83, 1983-84 में स्वीकृत कौन-कौन कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, उन्हें पूरा न कराये जाने के क्या कारण हैं? इसके लिए दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना संलग्न है।

(देखिये परिशिष्ट 'घ' आगे पृष्ठ 147 पर।)

50—श्री राम आसरे वर्मा—

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## उन्नाव के विकास क्षेत्र असोहा के अन्तर्गत हरिजनों को बैलगोई हेतु स्वीकृत ऋण

51—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास क्षेत्र असोहा में हरिजनों को वर्ष 1984-85 में बैलगोई के ऋण स्वीकृत होने और चेक मिलने के महीनों बाद

भी उन्हें बैल गोई क्रय नहीं कराई गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा हरिजनों के साथ इस तरह उपेक्षा व परेशान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## आजमगढ़ के जूनियर हाई स्कूलों की क्षतिपूर्ति का भुगतान

52--श्री विष्णु देव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1982-83 व 1983-84 और वित्तीय वर्ष 1984-85 में आजमगढ़ जनपद के किन-किन जूनियर हाई स्कूलों को क्षतिपूर्ति का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## मैनपुरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

53--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता एवं पक्षपात करके अध्यापक एवं कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने के संबंध में श्री लटूरी सिंह भूत पूर्व विधायक को दिनांक 23-2-84 को सूचना आपको प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की और जांच के क्या परिणाम निकले ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । प्रकरण में जांच हेतु शिक्षा निदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं । उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

## प्राइमरी पाठशाला, दियरा, सुल्तानपुर के प्रधानाध्यापक, स्व0 राजनाथ शर्मा के पुत्र को नियुक्ति की मांग और जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान

54--श्री अवधेश राय शास्त्री--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्व0 श्री राजनाथ शर्मा, जो प्राइमरी पाठशाला दियरा सुल्तानपुर में प्रधानाध्यापक थे, की ड्यूटी के दौरान दिनांक 11-10-1982 को मृत्यु हो गई और अभी तक उनके आश्रित पुत्र को नौकरी नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो स्व0 श्री शर्मा के आश्रित पुत्र श्री हरीश चन्द्र शर्मा को कब तक नौकरी दे दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

55--श्री अवधेश राय शास्त्री--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्व0 राजनाथ शर्मा जो प्राइमरी पाठशाला, दियरा, सुल्तानपुर में प्रधानाध्यापक थे, की ड्यूटी के दौरान दिनांक 11-10-1882 को मृत्यु हो गयी और अभी तक उनके जीवन बीमा और फंड की पूर्ण धनराशि का आधा ही भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अवशेष धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही ।

## श्री रघुवर दयाल शर्मा, भूतपूर्व पांन्डकीश्वर जिला परिषद् बुलन्दशहर के वेतन का भुगतान

56--श्री किरन पाल सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रम न्यायालय गाजियाबाद

का औद्योगिक विवाद सं0 185 सन् 1982 में दिनांक 12-5-1983 के अभिनिर्णय का परिपालन करते हुए श्री रघुबर दयाल पुत्र श्री छोटे लाल पो0 मोहर्रिर जिला परिषद् बुलन्दशहर को अभी तक पुनः विभागीय सेवा में नहीं लिया गया है तथा उनका बकाया वेतन 1-2-1980 से आज तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? सेवा में वापसी तथा बकाया का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

श्री रघुवर दयाल शर्मा, भूतपूर्व पाम्प कीपर जिला परिषद् बुलन्दशहर को श्रम न्यायालय गाजियाबाद के औद्योगिक विवाद संख्या 185 के अभिनिर्णय दिनांक 12-5-1983 से अनुसार 1-2-1980 से वेतन का भुगतान दिनांक 21-6-1985 को किया जा चुका है। औद्योगिक विवाद केवल 1-2-1980 से सेवा समाप्ति के विरुद्ध था। इन्हें एक माह का वेतन देकर इनकी सेवायें 1-3-1983 से पुनः समाप्त कर दी गयीं। परन्तु उन्होंने एक माह का वेतन लेने से इन्कार कर दिया।

1-3-1983 को समाप्त की गयी सेवाओं से विरुद्ध इनके द्वारा 31-5-1983 को आयुक्त महोदय मेरठ मंडल मेरठ को अपील की गयी जिसका आयुक्त महोदय ने अपने आदेश दिनांक 23-9-1983 की द्वारा खारिज कर दिया। 1-3-1983 से सेवा समाप्ति को किसी भी न्यायालय द्वारा अवैधानिक नहीं घोषित किया गया है।

अतः पुनः सेवा में लेने का प्रश्न नहीं उठता।

57—श्री खुर्शेद अहमद--

[3रे शुक्रवार में असा0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## शाहजहांपुर के उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियों में बरती गई अनियमितताए

59--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा उर्दू अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्तियों में बरती गई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में स्थानीय उर्दू टीचर्स एसोसिएशन द्वारा मुख्य मंत्री एवं उन्हें प्रेषित शिकायती-पत्र दिनांक 8 फरवरी, 1985 तथा दिनांक 18 फरवरी, 1985 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या माननीय मंत्री जी बरती गई अनियमितताओं को दूर कर के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिंहते रजी--

जी हां, मामले में जांच कराई जा रही है।

## हरदोई के बी0 एन0 इण्टर कालेज भगवन्तनगर, मल्लावां की अवैध प्रबन्ध समिति

59--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के बी0 एन0 इण्टर कालेज भगवंतनगर मल्लांवां की अवैध रूप से गठित प्रबन्ध समिति के विरुद्ध उप शिक्षा निदेशक के आदेश के बावजूद भी भंग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सिंहते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मैनपुरी की प्राइमरी पाठशाला फरिहा के श्री सुनहरी लाल प्रधानाध्यपक का अवशेष वेतन

60--श्री राम प्यारे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के वि0 क्षे0 करहल के प्रा0 पा0 फरिहा के श्री सुनहरी लाल प्रधानाध्यापक का अवशेष वेतन 1972 से पूर्व का बकाया है ? क्या यह सच है कि 1972 से पूर्व का वेतन शिक्षा परिषद को भुगतान करने के संबंध में राजाज्ञा पत्र संख्या म0 वि0 अधि0 जि0 परि0/493/ए/3765, तारीख 27 अगस्त, 1977 को हुई है ? यदि हां, तो अब तक प्रश्नगत अध्यापक को वेतन का अवशेष धन भुगतान करने में विलम्ब का कारण क्या है ? क्या इस संबंध में श्री बाबू सिंह यादव भू0 पू0 एम0एल0 ए0 की सूचना दिनांक 6-9-1983 प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? और उसका क्या परिणाम हुआ ? क्या शासन द्वारा प्रश्नगत अध्यापक को भुगतान कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति

61--श्री अफजाल अंसारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू अध्यापकों का वर्ष 1984-85 में बेसिक शिक्षाधिकारियों द्वारा प्रदेश भर में जो साक्षात्कार लिये गये हैं उनकी नियुक्ति कब तक हो जायेगी ? उक्त पदों की नियुक्ति में विलम्ब का क्या कारण है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद के प्राईवेट जूनियर हाई स्कूलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों की क्षतिपूर्ति धनराशि

62--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को पिछले कई वर्षों से छात्राओं तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित सरकार से मिलने वाली क्षति-पूर्ति की धनराशि नहीं मिली है जिसके कारण सम्बन्धित विद्यालयों के समक्ष गम्भीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है ? यदि हां, तो विलम्ब के लिये दोषी लोगों को दंडित करने तथा सम्बन्धित सभी विद्यालयों को क्षतिपूर्ति बकाया धनराशि शीघ्र दिलाने के लिये सरकार क्या कर रही है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी के विकास खंड देवा व बंकी के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

63--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खंड देवा व बंकी में जितने प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनकी अपनी इमारतें नहीं हैं ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर पढ़ाई कैसे होती है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितनी स्कूली इमारतें ऐसी हैं जिनकी मरम्मत वर्षों से न होने के कारण खतरनाक स्थिति में हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन

64--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन से उपायों पर विचार कर रही है ? क्या इस योजना के नाम पर धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों से धनराशि वसूली का प्राविधान बनाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये सभी जनपदों को विस्तृत गाइड लाइन्स जारी की गई है और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन करने के सम्बन्ध में निर्देश भेजे जा चुके हैं । यह टास्क फोर्स जनपदों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हैं । इसके अतिरिक्त योजनांतर्गत सृजित परि संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराने के लिये जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके हैं । जहां तक धन के दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों से धनराशि वसूली का प्राविधान बनाने का प्रश्न है, ऐसे मामलों में जांचोपरांत दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही संभव हो सकती है ।

## संडीला-गौसगंज मेंहदीघाट मार्ग पर बसों का परमिट

65--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि संडीला गौसगंज-मेंहदीघाट रोड पर बसों के लिये परमिट जारी करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो परमिट कब तक जारी कर दिए जायेंगे ?

राज कुमार संजय सिंह--

प्रश्नगत मार्ग के लिए तीन बसों की क्षमता निर्धारित है और वर्तमान में दो अस्थायी परमिट के आधार पर गाड़ियां चल रही हैं । तीन स्थायी परमिटों की रिक्तियों के लिए विज्ञप्ति दिनांक 31 जनवरी, 1985 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा चुके हैं तथा मोटर वेहिकिल्स अधिनियम, 1939 की धारा 57(3) की कार्यवाही पूर्ण होने पर स्थायी परमिट स्वीकृत करने का मामला संभागीय परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा ।

## आगरा के अतरौली मत्स्य-बीज वितरण केन्द्र का उत्पादन

66--श्री विजय सिंह राणा--

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में मत्स्य बीज वितरण केन्द्र अतरौली (ब्लाक बिचपुरी) पर पिछले दो वर्ष 1983-84 व 1984-85 में कुल कितना मत्स्य बीज पैदा किया गया और इस वर्ष 1985-86 में कितना बीज पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है ? क्या मत्स्य विभाग ने ग्राम सभा जिसकी जमीन पर यह मत्स्य बीज केन्द्र स्थापित है, को लगान मुआवजा व किराया अदा किया है ? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या शासन मुनाफे में ग्राम सभा को साझीदार बनाने के लिए तैयार है ?

श्रीमती बेनी बाई--

मत्स्य प्रक्षेत्र से अत्यधिक सीवेज होने के कारण मत्स्य बीज पैदा नहीं किया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

ग्राम समाज द्वारा भूमि मत्स्य विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की गयी थी । प्रश्न नहीं उठता ।

**गोंडा जिले के ग्राम सकरी-सकरा में प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण**

67--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सकरी-सकरा, विकास खण्ड पत्रपेड़वा, जनपद गोंडा में वर्ष 1981 में कोई विद्यालय भवन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोंडा द्वारा बनाया जा रहा था ? यदि हां, तो वह कौन ठेकेदार बनवा रहा था, उसको कितना सामान विभाग द्वारा जारी किया गया तथा कितना रनिंग पेमेंट किया गया ? क्या यह सत्य है कि मौके पर कोई भवन नहीं बना है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अवर अभियंता तथा ठेकेदार के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

गोंडा जनपद के विकास खंड पचपेड़वा, ग्राम सकरी-सकरा में प्राइमरी पाठशाला का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा वर्ष 1981 से कराया जा रहा था । यह कार्य श्री इमतियाज अहमद ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था । विभाग द्वारा ठेकेदार को इस कार्य के लिए 80 बोरी सीमेन्ट एवं 10 कुन्तल चूना दिया गया । ठेकेदार को रु0 7322 रु0 का रनिंग भुगतान किया गया, जिसमें 30 बोरी सीमेन्ट एवं 10 कुन्तल चूने की कीमत कुल रु0 1400 रु0 काट लिया गया था । मौके पर स्कूल भवन का निर्माण प्रारम्भ कराया गया था । जो अभी अपूर्ण है । सम्बन्धित ठेकेदार एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

**बाराबंकी के विकास खंड मवई एवं रुदौली के न्यू सिलाई मशीन केन्द्र में प्रशिक्षार्थियों की संख्या**

68--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4966/38-6 आई0 आर0 डी0 127-84, दिनांक 20-9-84 द्वारा ट्राइसेम योजना में मास्टर क्राफ्टमैन संस्था द्वारा अधिकतम 10 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने का प्राविधान किया गया है ? क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के विकास खंड मवई में वर्ष 1984-85 में 50 प्रशिक्षार्थियों को न्यू सिलाई मशीन केन्द्र द्वारा तथा विकास खंड रुदौली के अमराई गांव में भी 50 प्रशिक्षार्थियों को ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने की अनुमति दी गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त न्यू सिलाई मशीन केन्द्र कोई समिति है अथवा सरकारी संस्था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां । शासनादेश संख्या 4966/38-6-आई0 आर0 डी0-127-84, दिनांक 20-9-84 द्वारा एक कुशल मास्टर क्राफ्टमैन को एक समय में ट्राइसेम के अन्तर्गत अधिक से अधिक 10 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने का प्राविधान किया गया है । जनपद बाराबंकी के विकास खंड मवई में वर्ष 1984-85 में न्यू सिलाई मशीन केन्द्र को विकास खंड मवई एवं रुदौली में 50 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने की अनुमति दी गई है । उक्त सिलाई मशीन केन्द्र न तो कोई समिति है एवं न ही कोई सरकारी संस्था है किन्तु यह केन्द्र उषा कम्पनी से सम्बद्ध एवं अधिकृत है तथा उसका संचालन कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा होता है अतएव इस प्रकार के केन्द्रों में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण

देने के सम्बन्ध में कोई संस्था शासन द्वारा निर्धारित नहीं की गई है ।

## प्रदेश में मकतब के मैनेजमेंट को एड देने की मांग

69--श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार एड केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय शिक्षा विभाग को प्राइमरी विद्यार्थियों के शिक्षार्थ उनकी तादाद को जोड़ कर देती है और प्रान्तीय सरकार उपरोक्त प्राइमरी स्कूलों के मैनेजमेन्ट को देती है उसी प्रकार मकतब के बच्चों की उनकी तादाद को जोड़ कर मकतब के मैनेजमेन्ट को भी एड देने की सरकार कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## विशम्भर नाथ इन्टर कालेज, रसनपुर एवं जोखन पाण्डेय इण्टरमीडिएट कालेज, कैम्पियरगंज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य

70--श्री हर्ष वर्धन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विशम्भरनाथ इन्टर कालेज, रसनपुर, गोरखपुर के व्यवस्थापक एवं जोखन पाण्डेय इन्टरमीडिएट कालेज, कैम्पियरगंज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य एक ही व्यक्ति हैं ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा इस अनियमितता के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं, दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं । अतः अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता ।

## फैजाबाद, अमानीगंज-उछौही मार्ग का निर्माण

71--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र अमानीगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक में स्वीकृत मार्ग भवनपुर-करमपुर, अमानीगंज उछौही के निर्माणार्थ वर्ष 1984-85 में कितना धन स्वीकृत किया गया, अब तक के कार्य की प्रगति क्या है ? क्या मिट्टी का कार्य सम्पन्न होने के बाद पुलियों का निर्माण कर दिया गया अथवा नहीं तथा कितनी और अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

केवल अमानीगंज उछौही सम्पर्क मार्ग के लिए वर्ष 1984-85 में 1.80 लाख रुपये स्वीकृत किया गया था । उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक 2 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य तथा एक पुलिया का निर्माण हो चुका है । छः पुलियों के लिए पाइप खरीदा जा चुका है । शेष 1.50 कि0 मी0 मार्ग पर मिट्टी के कार्य तथा शेष पुलियों के लिए 50 हजार रुपयों की अतिरिक्त आवश्यकता है ।

## फैजाबाद के विकास क्षेत्र हरिगठनगंज के अन्तर्गत डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक में स्वीकृत कतिपय मार्गों का निर्माण

72--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र हरिगठनगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत गत डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक में स्वीकृत मार्ग 1 विजयनपुर, रामपुर, जोहन तथा 2 आस्तीकन, बसवार, परसपुर सथरा और

3 सागरपट्टी णधिला, बनैकापुर, अहरन, सुवश भिटारी, सुसैपुर, घाटमपुर सम्पर्क मार्ग निर्माणार्थ वर्ष 1984–85 में कितना धन आवंटित किया गया तथा किन–किन निर्माण इकाइयों के माध्यम से कार्य की प्रगति क्या उपरोक्त तीनों मार्गों पर पुलिया स्तर तक का कार्य सम्पन्न हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बिजयनपुर–रामपुर–जोहन तथा सागरपट्टी–भिटारी सम्पर्क पर वर्ष 1984–85 में क्रमशः 1.55 लाख तथा एक लाख रुपया आवंटित किया गया आस्तीकन, बसवार, परसपुर, सथरा मार्ग पर वर्ष 1984–85 में नहीं अपितु वर्ष 1983–84 में 1.30 लाख रुपया आवंटित किया गया था। ये तीनों मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्माण कराये जा रहे हैं। विजयनपुर-रामपुर–जोहन मार्ग पर 2.25 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य, अस्तीकन बसवार, परसपुर, सथरा पर 2.50 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य तथा दो पुलियों का निर्माण व सागरपट्टी–भिटारी मार्ग पर 3.40 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य तथा दो पुलियों का निर्माण किया गया है। केवल सागरपट्टी–भिटारी मार्ग पर पुलियां स्तर तक का कार्य सम्पन्न हो चुका है। शेष पर नहीं। शेष दोनों मार्गों के लिए पाइप खरीदा जा चुका है। विजयनपुर–जोहन मार्ग पर 500 मीटर तक का गड्ढा मार्ग में स्थित होने के कारण गैप छूटा है जिस पर मिट्टी का कार्य होना शेष है तथा आस्तीकन, बसवार, परसपुर, सथरा मार्ग पर स्पष्ट रेखांकन न हो पाने के कारण कार्य अवरुद्ध है।

## फैजाबाद के मलेथुआ–धनपुरा मार्ग, हरदोइया–भादे मरुई मार्ग तथा अज–रौलीचिरौली मार्ग का निर्माण

73—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद के अन्तर्गत डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक में स्वीकृत मार्ग 1–मलेथुआ, धनथुआ, हरदोइया, भादे मरुई, अंजरौली चिरौली सिडसिड अधियौना मुराबन, तेघा, सरूरपुर, मितौरा डफलपुर-कुमारगंज बवां, गड़ौली, खन्डासा, कटघर, तिन्दौली मार्गों के निर्माणार्थ वर्ष 1984–85 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? अभी तक पुलिया स्तर तक निर्माणार्थ कार्य सम्पन्न न होने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1984–85 में प्रश्नगत मार्गों पर उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि स्वीकृत की गई :—

| क्रम– सं0 | संपर्क मार्ग का नाम | स्वीकृत धनराशि (रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | मलेथुआ धनथुआ | 8,000 |
| 2 | हरदोइया, भादे, मरुई | 3,00,000 |
| 3 | अजरौली, चिरौली, सिडसिड | 1,00,000 |
| 4 | सरूरपुर, चिरौली, मितौरा | 1,00,000 |
| 5 | कुमारगंज बवां | 68,000 |
| 6 | खंडास, कटघर, तिन्दौली | 1,25,000 |

क्रम संख्या—1 पर अंकित मलेथुआ धनथुआ पर पुलिया स्तर तक कार्य सम्पादित करा दिया गया है। क्रम संख्या–1 से 4 तक के कार्यों पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पुलिया निर्माण हेतु पाइप क्रय किया गया है और शीघ्र पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं।

कुमारगंज बवां मार्ग के हेड पर 100 कि0मी0 कच्ची सड़क का निर्माण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि निर्दिष्ट मार्ग के मध्य में बिजली का ट्रांसफार्मर पोल लग है उनके हटने पर ही निर्माण सम्भव है। क्रम संख्या–5 व 6 पर अंकित मार्ग निर्माण भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा सहायक खंड–5 करा रहे हैं तथा इन मार्गों पर पुलिया निर्माण धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

**इटावा के हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र, खरगपुर, सरैया के परीक्षार्थी श्री मुन्ना लाल व श्री राम लड़ते का परीक्षाफल**

74––श्री महराज सिंह यादव––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1984 में हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र खरगपुर सरैया, जनपद इटावा के अनुक्रमांक 765265 व 765228 क्रमशः मुन्ना लाल व राम लड़ते का परीक्षाफल न घोषित करने का क्या कारण है? इसका उत्तरदायित्व जिन अधिकारियों पर है, उनके खिलाफ शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजो––

सूचना एकत्र की जा रही है।

**बांदा के जूनियर हाई स्कूल, बरवारा, परसौजा, शिवरामपुर के चपरासियों का वेतन**

75––श्री राम सजीवन––

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के चित्रकुट ब्लाक के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल बखारा, परसौजां, पुरवा तरौहा व शिवरामपुर के चपरासियों के वेतन का भुगतान जुलाई, सन् 1983 से अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो वेतन भुगतान न करने के क्या कारण हैं और उनका भुगतान कब कर दिया जायगा ?

श्री सिन्हे रजो––

सूचना एकत्र की जा रही है।

**बांदा की ग्राम सभा खोही के प्रधान, श्री रघुनाथ प्रसाद की बहाली**

76––श्री राम सजीवन––

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के जिलाधिकारी ने दिनांक 11–9–84 को परगनाधिकारी करवी के आदेश दिनांक 27–6–84 को रद्द करते हुए श्री रघुनाथ प्रसाद प्रधान ग्राम सभा खोही, परगना दुरवी को उनके पद पर बहाल कर दिया था ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत मामले में चित्रकूट ब्लाक के खंड विकास अधिकारी ने जांच अधिकारी की हैसियत से आरोप सही पाये थे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही हुई थी ? यदि हां, तो स्वयं अपना अन्य किसी अधिकारी से दुबारा जांच कराई थी ? यदि नहीं, तो ग्राम प्रधान की बहाली का क्या कारण था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

जिलाधिकारी, बांदा द्वारा परगनाधिकारी, करवी के आदेश दिनांक 27–6–84 निरस्त किये जाने के फलस्वरूप परगनाधिकारी द्वारा प्रधान को बहाल कर दिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम प्रधान द्वारा परगनाधिकारी के निलम्बन आदेश के विरुद्ध जिलाधिकारी बांदा को प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त जिलाधिकारी ने पाया कि सम्बन्धित साक्ष्यों का परगनाधिकारी के समक्ष अभाव था जिसके कारण वह तत्सम्बन्धी बिन्दुओं पर सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। अतः जिलाधिकारी

द्वारा परगनाधिकारी के आदेश को अप्रभाव करते हुये उसे प्रस्तुत साक्ष्यों पर पुनः विचार हेतु परगनाधिकारी को रिमान्ड कर दिया । तद्नुसार परगनाधिकारी द्वारा प्रधान को बहाल कर दिया गया ।

## आजमगढ़ के मकतब इस्लामियां को ग्राण्ट

77—श्री मोहम्मद मसूद खां—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मकतब इसलामियां को जो ग्रान्ट दी जाती थी 1984-85 में दी गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## मिर्जापुर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ओवरसियर, श्री बालकृष्ण अग्रवाल को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं वेतन का भुगतान

78—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से नवम्बर, 1976 में सेवानिवृत्त ओवरसियर श्री बाल कृष्ण अग्रवाल को अभी तक पेंशन एवं ग्रेच्युटी नहीं दी गई है तथा न तो शैक्षिक योग्यता से शासन द्वारा छूट दे दिये जाने के बावजूद वर्ष 1968 से उनका नये वेतनमान में वेतन निर्धारण हुआ, न ही वर्ष 1970-71 से 1976-77 तक की वेतन वृद्धि दी गई ? यदि हां, तो उपरोक्तानुसार वेतन वृद्धि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी कब तक दे दी जायेगी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जी हां ।

पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा । श्री अग्रवाल को 1968 से अनर्ह ओवरसियरों के लागू संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान कर दिया गया है । चूंकि श्री अग्रवाल दिनांक 5-5-72 से 28-3-73 एवं 11-6-73 से 13-2-76 तक निलम्बित रहे इन्हें वर्ष 1970-71 से 1976-77 तक की वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकी क्योंकि सक्षम अधिकारी द्वारा इन्हें पुर्नस्थापित किए जाने के आदेश में विलम्ब अवधि के लिए वेतन दिए जाने के विषय में कोई आदेश नहीं पारित किया गया था । अब इस विषय में आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं तथा वेतन वृद्धि के भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

79—श्री राम गोविन्द चौधरी—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

## सुल्तानपुर के जगदीशपुर-सिदुरवा मार्ग के निर्माण की मांग

80—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रसूलपुर विकास खंड बाजार शुकुलपुर जिला सुल्तानपुर में जगदीशपुर बाजार शुकुल पक्के भोग स्कूल (नया भवन) के निकट ग्राम से सिदुरवा तक सड़क बनाये जाने की योजना स्वीकृत हो गयी है ? यदि हां, तो आज तक सड़क न बनने का क्या कारण है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## सुल्तानपुर की ग्राम सभा रसूलपुर में कन्या जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की मांग

81—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर विकास खंड बाजार शुकुल, जिला सुल्तानपुर में जिसकी आबादी लगभग 5000 है, लड़कियों को प्राइमरी शिक्षा के बाद आगे

की शिक्षा के लिए सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम सभा में एक जूनियर कन्या हाई स्कूल खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर में अध्यापकों एवं बच्चों के लिये पानी की व्यवस्था

82--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड बाजार शुकुल जिला सुल्तानपुर स्थित नव निर्मित स्कूल में अध्यापकों बच्चों को बैठने तथा पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो अब तक उसकी व्यवस्था न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिन्हे रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

83--श्री राम गोविन्द चौधरी--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

84--श्री राम गोविन्द चौधरी--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, वाराणसी में समाज शास्त्र के प्रवक्ता के पद का सृजन

85--श्री राम सजीवन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, जिला वाराणसी में समाज शास्त्र प्रवक्ता के पद पर सृजन हेतु शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने उप निदेशक, शिक्षा पंचम मंडल, वाराणसी से कुछ जानकारी मांगी थी ? यदि हां, तो यह सत्य है कि उप निदेशक, शिक्षा वाराणसी ने पत्र संख्या प्रशासन आयोग/15648-49, दिनांक 16-3-1985 तथा पृष्ठांकन संख्या प्रशासन/2732, दिनांक 10-5-1985 के द्वारा तथ्यों को भेज दिया है ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिक्षा विभाग में राजपत्रित कर्मचारियों के रिक्त पद

86--श्री राम सजीवन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों तथा ए0 इ0 एस0 के राजपत्रित अधिकारियों के कितने-कितने पद कब से रिक्त है ? इन पदों के रिक्त रखने के क्या कारण है ? क्या सरकार प्रोन्नति के हकदार अर्ह अभ्यर्थियों को प्रोन्नति हेतु कोई विचार कर रही है ? यह रिक्तियां कब तक भर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 लेखा का महालेखाकार कार्यालय में त्रुटिपूर्ण रख रखाव

87--श्री राम सजीवन--

क्या सरकार को जानकारी है कि महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में जी0 पी0 एफ0 लेखा का रख-रखाव त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण रहने के कारण शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में व्यापक रूप से असंतोष है ? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति उनके सम्बन्धित कार्यालय में लेखा की व्यवस्था कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में महा-

लेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से अथवा केन्द्रीय सरकार से कोई पत्र व्यवहार किया है ? यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में शिक्षकों की सेवा-निवृत्ति की आयु में वृद्धि करने की मांग

88--श्री राम सजीवन--

क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने शिक्षकों की अवकाश प्राप्ति की आयु 58 साल से 60 साल तक करने के आदेश जारी कर दिए हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार भी अपने शिक्षकों के अवकाश प्राप्ति की आयु 60 वर्ष करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चाचा नेहरू बाल मंदिर हायर सेकेन्डरी स्कूल, आंवला, बरेली के अध्यापकों का नियमितीकरण

89--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चाचा नेहरू बाल मंदिर हायर सेकेन्डरी स्कूल आंवला (बरेली) में स्टाफ 1 फरवरी, 1980 से समायोजित किया गया है ? यदि हां, तो शिक्षा अधिनियम के किस धारा के आधार पर यह कार्य किया गया ?

श्री सिब्ते रजी--

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 20 मई, 1980 के आधार पर नौ अध्यापक सी० टी० वेतनक्रम में, तीन अध्यापक बी० टी० सी० वेतनक्रम में एक लिपिक तथा तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण 1 फरवरी, 1980 से किया । 1 फरवरी, 1980 से विद्यालय के अनुदान सूची पर आने पर वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत वेतन भुगतान हेतु प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के आधार पर तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त नियमितीकरण किया गया ।

90--श्री काशी सिंह ऐरी--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शिक्षा विभाग द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों का दिया जाने वाला कथित अनुदान

91--श्री काशी सिंह ऐरी -

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे पुस्तकालय कौन-कौन हैं जिनको सरकार दो लाख रुपये से अधिक वार्षिक अनुदान देती है ? इन पुस्तकालयों को विगत तीन वर्षों में क्रमशः कितना रुपया अनुदान दिया गया ? इन पुस्तकालयों में से किन-किन में उत्तर प्रदेश विधान मंडल व संसद की कार्यवाहियों की प्रक्रिया नियमित रूप से संकलित की जाती है ?

श्री सिब्ते रजी--

शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय को रुपये 2.00 लाख से अधिक वार्षिक अनुदान नहीं दिया जाता है ।

शिक्षा विभाग में पर्वतीय सम्वर्ग का गठन एवं नियुक्ति व स्थानान्तरण सम्बन्धी शासनादेश

92--श्री काशी सिंह ऐरी

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्ग

पर्वतीय सम्वर्ग बनाया गया है ? इस सम्वर्ग म नियुक्तियां, पदोन्नति, स्थानान्तरण के सुचारु रूप से चलाये जाने हेतु समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का पूर्ण कठोरता से पालन करने हेतु शासन ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय महाविद्यालयों तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का विनियमितीकरण

93--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ प्रोन्नत तथा तदर्थ नियुक्त शिक्षकों का राजज्ञा संख्या 19 मई, 1981 कार्मिक-1 लखनऊ, दिनांक 22 मार्च, 1984 द्वारा विनियमितीकरण दिनांक 1 मई, 1983 से कर लिया गया है ? यदि हां, तो इसी संवर्ग के अशासकीय सन्यासप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कब तक नियमितीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या 12, सन् 1985) द्वारा आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है ।

शिक्षा विभाग के दिनांक 25 नवम्बर, 1980 का शासनादेश

94--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं0 9299/15-2-80-27 (37)-79, दिनांक 25 नवम्बर, 1980 का मुख्य लक्ष्य विकेन्द्रीयकरण प्रक्रिया को तेज कराना था ? यदि हां, तो इसे अब तक किस-किस प्रकार लागू की गई है ? इसे सभी राजपत्रित पदों हेतु कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

शिक्षा विभाग द्वारा पर्वतीय जनपदों में सी0 टी0 ग्रेड से एल0 टी0 ग्रेड में पदोन्नतियां

95--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या यू0 सं0 नियुक्ति-एल0 टी0/7803-608, 16 नवम्बर, 1984 द्वारा उत्तराखंड (पर्वतीय जनपदों) में जनपदवार सी0 टी0 ग्रेड से एल0 टी0 ग्रेड में कितनी पदोन्नतियां की गयीं तथा कितनी इस वर्ष की जानी हैं ? यदि नहीं, तो शासनादेश अनुपालन न करने हेतु कौन दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

96--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि सहायक शिक्षा निदेशक सेवायें (1) के आदेश संख्या यू0 सं0-नियुक्ति-एल0 टी0/7803-608, 16 नवम्बर, 1984 के कार्यान्वयन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 1985 को स्थगनादेश जारी किया था ? यदि हां, तो इस स्थगन आदेश को तुरन्त निरस्त कराने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम गठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की रही है ।

शिक्षा विभाग के दिनांक 25 नवम्बर, 1980 के शासनादेश का क्रियान्वयन

97--श्री काशी सिंह ऐरी--

उपरोक्त स्थगन आदेश शासनादेश सं0 9299/16-5-80-27(37)-79, दिनांक 25 नवम्बर, 1980 पर लागू न होने पर इसके क्रियान्वयन न करने के क्या कारण है ? इसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूलों के अध्यापकों/प्रधानाचार्यों का वेतनमान

98--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं0 ऊ-1/532-65-15, दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के अनुसार राजकीय हाई स्कूलों के सहायक अध्यापक/प्रधानाचार्यों का वेतनमान रु0 100-180 के स्थान पर रु0 80-125 हो गया था ? इस विसंगति से जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के कितने अध्यापक/प्रधानाचार्य अभी भी प्रभावित हैं ? कितने व्यक्ति इसी परिवर्तित वेतनमान के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त हो गये ? सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिये क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में सी0टी0 एवं एल0 टी0 ग्रेड के प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पद

99--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रमशः जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में क्रमशः सी0 टी0, एल0 टी0 प्रवक्ता तथा प्रधानाचार्यों के कितने पद दिनांक 1-5-85 को रिक्त थे ? इसमें से कितने पद क्रमशः दो तीन या इससे अधिक वर्षों से रिक्त हैं ? छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन पदों पर अतिशीघ्र नियुक्तियां करने के लिये क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पिथौरागढ़ के राजकीय हाई स्कूल एवं इंटर कालेज, गंगोलीहाट, पोपलकोट, बेरीनाग के अध्यापकों का स्थायीकरण

100--काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि राजकीय हाई स्कूल एवं इन्टर कालेज, गंगोलीहाट, पीपलकोट, बेरीनाग (जनपद पिथौरागढ़) के अध्यापकों को विद्यालय के प्रधानाचार्यों की भांति उसी दिन से ज्येष्ठता व स्थायीकरण नहीं दिया गया, जबकि राजकीय इन्टर कालेज नारायणनगर (पिथौरागढ़) में अध्यापकों को उनके प्रधानाचार्यों के साथ ही ज्येष्ठता दी गयी है ? शासन ने इस विषय पर तुरन्त क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों द्वारा सेवा-निवृत्ति की प्राप्ति

101—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों की अवधि में सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में वर्षवार क्रमशः ऐसे कितने अध्यापक व प्रधानाध्यापक थे, जिन्होंने उपरोक्त जनपद में पदभार ग्रहण करने के एक वर्ष या इससे कम अवधि में सेवा-निवृत्ति प्राप्त की इनमें सबसे कम अवधि में सेवा-निवृत्त होने वाले कौन-कौन थे? वे कहां से स्थानान्तरित होकर वहां पहुंचे थे और कितने दिनों में स्थानान्तरित हो गये?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शिक्षा विभाग के पर्वतीय सेल अनुभाग के शासनादेश के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं के पदों का विकेन्द्रीकरण

102—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश शिक्षा (पर्वतीय सेल) अनुभाग के पत्रांक सेल/760-100/154 (2)/81-82, दिनांक 4-1-82 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के कतिपय शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा में पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण तथा अलग पर्वतीय संवर्ग बनाये जाने की शासकीय योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? कब तक यह कार्य पूरा करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शिक्षा विभाग के शासनादेश के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण शाखा व निरीक्षण शाखा में पदों एवं संवर्गों का विकेन्द्रीकरण

103—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजाज्ञा सं0 9299/15-2-80-27 (37)-79, दिनांक 25 नवम्बर, 1980 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के कतिपय शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा के पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) तक के पदों के पर्वतीय क्षेत्र के अलग संवर्ग बनाने के आदेश पारित किये हैं? इस संदर्भ में उत्तराञ्चल (पर्वतीय आठ जनपदों) में जनपदवार कुल किस-किस कर्मचारी श्रेणी ने क्रमशः पर्वतीय व मैदानी संवर्ग का चयन किया? इस प्रकार जनपदवार कितने पद रिक्त रहे? उन्हें क्रमशः कब तक भरा जायेगा?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों का नियमितीकरण

104—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा

में क्रमशः 1979 से लगातार हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट कालेजों में कार्यरत क्रमशः कितने अध्यापकों का अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है ? इन्हें कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी/अधिकारी

105--श्री कल्लूराम रत्नाकर--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हिन्दी संस्थान, लखनऊ में द्वितीय व तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनमें से 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर उक्त सभी श्रेणियों में कुल कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या आरक्षण का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भविष्य में अविलम्ब कब तक आरक्षण कोटा पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ में द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कुल 65 कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यरत हैं । उनमें से 6 कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति का कोई नहीं है ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में संविलीन हिन्दी ग्रन्थ अकादमी तथा हिन्दी समिति प्रभाग में संविलयन के पहले से कर्मचारी नियुक्त हैं । भविष्य में आरक्षण कोटा पूरा करने का प्रश्न संस्थान में होने वाली भावी रिक्तियों पर आधारित है ।

बांदा जिले के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल

106--डा0 सुरेन्द्रपाल वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1982-83 में कितने भवन विहीन प्राइमरी विद्यालयों के भवन बनवाने की स्वीकृति शासन ने प्रदान की थी ? इनमें से कितने भवन नरैनी विधान सभा क्षेत्र के थे ? क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि कितने भवन बन चुके हैं, कितने बनने को शेष हैं ? उन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद के बेरोजगार बी0टी0सी0 अध्यापक

107--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में कुल कितने बी0टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक मौजूद हैं और उन्हें कब तक नौकरी उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

108--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कुल कितने प्राइमरी पाठशालायें और जूनियर हाई स्कूल हैं और उनमें से कितने विद्यालय

भवन विहीन हैं जिनके छात्र/छात्रायें खुले आसमान में पढ़ते हैं और कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन इतने जर्जर हैं कि जीवन का खतरा मोल लेकर ही उनके नीचे बैठा जा सकता है ? यदि हां, तो भवन विहीन विद्यालयों के भवन का कब तक निर्माण करा दिया जायेगा और जर्जर भवनों को गिरा कर उनके स्थान पर नये भवनों के निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## देवरिया के बापू इन्टर कालेज, सलेमपुर, देवरिया के प्रधानाचार्य श्री प्रकाश सिन्हा की पुनः नियुक्ति

109- श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रकाश सिन्हा की नियुक्ति बापू इन्टर कालेज, सलेमपुर, देवरिया में प्रधानाचार्य के पद पर करते समय शिक्षा सचिव के गोपनीय अर्द्ध शासकीय अध्यादेश 3882-2958/75-76, दिनांक 15-9-75 तथा नवीन नियुक्ति अनुच्छेद 2 का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं तो नियुक्ति का औचित्य क्या है ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानाचार्य श्री प्रकाश सिन्हा के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से याचिका संख्या 1525/76 का निर्णय उनके विरुद्ध हो चुका है तथा प्रबन्ध समिति द्वारा दाखिल याचिका संख्या 176 ए/76 खारिज हो चुकी है फिर भी श्री सिन्हा को वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ; जबकि श्री सिन्हा द्वारा दाखिल याचिका संख्या 2056/77 भी 1979 में ही खारिज हो चुकी है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## बापू इन्टर कालेज, देवरिया के प्रधानाचार्य एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध गबन की शिकायत

110--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बापू इन्टर कालेज के प्रधान लिपिक श्री चक्रधर नारायण द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया तथा प्रधानाचार्य द्वारा गबन की प्राथमिक सूचना थाने में दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि भू0पू0 प्रवक्ता स्वर्गीय बृज बहादुर खरे की अकाल मृत्यु दिनांक 20 मार्च, 1984 को परीक्षाकाल में विद्यालय में हुई थी ? यदि हां, तो उनके आश्रितों को नौकरी न देकर अन्य लोगों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो उनका आधार क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

111--श्री राज किशोर सिंह--

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0सं0 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

## वाराणसी जिले में बी0टी0सी0 प्रशिक्षणार्थी की नियुक्ति

112--श्री राज किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षणार्थियों की 1970-71 की नियुक्ति पूरी क्यों नहीं हुई और वर्ष 1970-71 तथा उसके बाद की अवधि की बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? अब तक कितनी नियुक्तियां की जा चुकी हैं और कितने बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति शेष है ?

श्री सिद्धे रजो—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर के खंड विकास अधिकारी श्री राम प्रसाद मौर्य व श्री देवानन्द दुबे के स्थानान्तरण की मांग

113—श्री हर्ष वर्धन —

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में लगातार 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कितने खंड विकास अधिकारी हैं? ऐसे खंड विकास अधिकारियों के अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद गोरखपुर में लगातार 10 वर्ष से अधिक समय से सर्वश्री राम प्रसाद मौर्य, खंड विकास अधिकारी, विकास खंड सिसवा तथा श्री देवानन्द दूबे, खंड विकास अधिकारी, सदरनगर के अतिरिक्त अन्य कोई खंड विकास अधिकारी कार्यरत नहीं है । उक्त दोनों खंड विकास अधिकारियों को जनपद गोरखपुर से अन्य किसी जनपद में स्थानान्तरित कर तनात करने हेतु अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को आदेश दिया जा चुका है ।

वाराणसी जिले के ग्राम बलुआ में हरिजनों के आवास हेतु दी गई सहायता

114—श्री हर्ष वर्धन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के धानी विकास खण्ड में वर्ष 1980 से 30 अप्रैल, 1985 तक निर्बल वर्ग के आवास हेतु कितने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी गई ? इन व्यक्तियों में कितने हरिजन थे तथा उक्त विकास खण्ड के बलुआ ग्राम में आवास हेतु सहायता प्राप्त व्यक्तियों में कितने प्रतिशत हरिजन थे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत अवधि में विकास खण्ड धानी में निर्बल वर्ग के आवास हेतु कुल 252 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी गयी है जिनमें से 184 व्यक्ति हरिजन हैं । ग्राम बलुवा में आवास हेतु सहायता प्राप्त व्यक्तियों में 50 प्रतिशत हरिजन हैं ।

आजमगढ़ के परिवहन निगम द्वारा यात्रीकर एवं मार्ग कर की वसूली

114-ए—श्री विष्णु देव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में बड़ी वाहनें मैटाडोर, टैक्सियां कितनी हैं और इनसे यात्री कर के रूप में कितनी धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हो रही है तथा रोड टैक्स के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हो रही है ?

राजकुमार संजय सिंह—

आजमगढ़ में वर्तमान में 37 बड़ी वाहनें (बस) तथा 122 टैक्सियां संचालित हो रही हैं । मेटाडोर टैक्सियों की संख्या शून्य है या 26 बसों से 1-4-85 से 30-6 85 की अवधि का यात्री कर के रूप में रु0 1,30,699·30 पैसे की वसूली हुई ।

टैक्सियों पर यात्रीकर देय नहीं होता है । इनसे मार्गकर के रूप में रु0 23,180.00 पैसे की वसूली हुई ।

बसों से मार्गकर के रूप में रु0 59,718.00 की धनराशि वसूल हुई ।

115— श्री विष्णु देव—

[ विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रतापगढ़ के सीनियर बेसिक विद्यालय, उतरास के अध्यापक, श्री गिरीश प्रसाद पाण्डेय एवं श्री राम नारायण मिश्र का अनुपस्थिति

116—श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री का जानकारी है कि सीनियर बेसिक विद्यालय उतरास, विकास खण्ड मंगरारा, जनपद प्रतापगढ़ के प्रधान अध्यापक गिरीश प्रसाद पाण्डे तथा सहायक अध्यापक, श्री राम नारायण मिश्र मास मार्च, अप्रैल तथा 3 मई, 1985 तक विद्यालय में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उक्त महीनों में उपस्थित पंजिका में तिथिवार उनके हस्ताक्षर हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी, ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय द्वारा 'शमा हथकरघा बड़ेल' को दी गई धनराशि के विरुद्ध शिकायत

117—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय द्वारा 'शमा हथकरघा बड़ेल के नाम से ट्राइसेम योजना में कोई भुगतान माह दिसम्बर, 1934 में किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान कितन का किया गया है ? क्या क्या यह संस्था गवर्निंग बाडी की बैठक द्वारा अनुमोदित है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

भुगतान रु0 16280 का किया गया । उक्त संस्था जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बाराबंकी की गवर्निंग बाडी द्वारा अनुमोदित नहीं थी ।

118—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में 'शर्मा हथकरघा बड़ेल' को सर्वश्री सुरेश चन्द्र पुत्र मोहन लाल, रघुनाथ प्रसाद पुत्र महादेव, गुरूदीन पुत्र अशर्फी लाल, परस राम पुत्र छंगा लाल, जगन्नाथ पुत्र परमेश्वर, बजरंग पुत्र सनेही, रूपचन्द्र पुत्र सहजराम, इसरार अली पुत्र इकरार अली, नौशाद अली पुत्र सज्जाद, कल्लू पुत्र सिराजुद्दीन को विकास खण्ड सिद्धौर का निवासी दिखाकर छात्रवृत्ति का भुगतान संस्था को किया गया है, जबकि ये व्यक्ति विकास खण्ड सिद्धौर के निवासी नहीं हैं ? क्या इन्हें भुगतान प्राप्त हो गया है ? क्या इसकी पुष्टि क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी से कराई गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बाराबंकी द्वारा प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों को ट्राईसेम योजना के प्रशिक्षण के छात्रवेतन के लिए 'शमा हथकरघा बड़ेल' को भुगतान किया गया है । प्रश्नगत मामले में प्राप्त शिकायत की जांच करने पर कथित व्यक्ति विकास खन्ड सिद्धौर के निवासी नहीं पाए गए, अतः ग्राम्य विकास अधिकारी से उनको भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि नहीं कराई जा सकी ।

119—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 'शमा हथकरघा बड़ेल', जनपद बाराबंकी की प्रशिक्षण अवधि दिनांक 2-6-84 से 30-11-84 दिखाई गयी है ? क्या इस अवधि में यह प्रशिक्षण केन्द्र बड़ेल ग्राम में चल रहा था ? यदि हां, तो इस केन्द्र का निरीक्षण

किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया और क्या उनकी निरीक्षण टिप्पणियां उपलब्ध है ? यदि निरीक्षण किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है तो भुगतान किस आधार पर किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

"शमा हथकरघा बड़ेल" जनपद बाराबंकी का प्रशिक्षण अवधि 2-6-84 से 2-12-84 दिखाई गई है। उक्त केन्द्र पर प्रशिक्षण चलने के सम्बन्ध में खंड विकास अधिकारी, सिद्धौर ने पुष्टि की थी। खंड विकास अधिकारी, सिद्धौर सहायक विकास अधिकारी (आई० एस० बी०) द्वारा केन्द्र का निरीक्षण कराया गया। विकास खंड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही सम्बन्धित संस्था को भुगतान किया गया।

**प्रदेश में मान्यता प्राप्त उर्दू मीडियम स्कूलों की संख्या (मकतबे इस्लामियां) की संख्या एवं उन्हें दी गयी सहायता**

120--श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने उर्दू मीडियम स्कूल (मकतबे इस्लामियां) हैं और उनमें से कितने मान्यता प्राप्त हैं और कितनों को सहायता (एड) दी जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जनपद बरेली, में बरेली-शाही-बहेड़ी एवं शाही-शेरगढ़-बरेली मार्ग पर बसों का संचालन**

121--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 2-9-82 के पत्र पर परिवहन मन्त्री के आदेशों के अनुसार जनपद बरेली में बहेड़ी शाही बरेली मार्ग पर बसों की संख्या में कितनी वृद्धि कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वृद्धि के अनुसार बसों के परमिट जारी कर दिए गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह--

जनपद बरेली में बरेली-शाही-बहेड़ी मार्ग का बरेली-शाही भाग राष्ट्रीयकृत है जिस पर परिवहन निगम की बसों का संचालन हो रहा है।

शाही-शेरगढ़-बहेड़ी अराष्ट्रीयकृत मार्ग है जिस पर 4 बसों का संचालन होता था। आर० टी० ए० बरेली ने आदेश दिनांक 26/27-6-83 के द्वारा दो स्थायी परमिट स्वीकृत किए। पुनः आर० टी० ए० बरेली के आदेश दिनांक 18-2-84 द्वारा उक्त मार्ग पर बसों की संख्या 6 के स्थान पर 10 निर्धारित की। जिस पर प्राधिकरण ने 4 स्थायी परमिट बैठक दिनांक 23-5-85 में स्वीकृत कर दिए। वर्तमान में शाही-शेरगढ़-बहेड़ी मार्ग पर 10 बसें स्थायी परमिट पर चल रही हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त 6 बसें अस्थायी परमिट पर भी चल रही हैं। इस प्रकार कुल 16 बसों का संचालन शाही-शेरगढ़-बहेड़ी मार्ग पर हो रहा है।

132--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या मन्त्री जी को यह जानकारी है कि अभी भी उपरोक्त मार्ग पर आधे से अधिक यात्री बसों की छत पर बैठ कर यात्रा करने को मजबूर हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी तुरन्त परमिटों की संख्या दुगुनी करने के निदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह--

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली द्वारा 4 और स्थायी परमिट दिनांक 23-5-85 को ही स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार प्रश्नगत मार्ग पर इस समय 16 बसों के संचालन की

व्यवस्था हो गई है जो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होगी ।

## गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में उत्पन्न समस्याओं पर नियन्त्रण

123--श्री रामनाथ मुंशी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कितने महाविद्यालय हैं ? एक आवासीय विश्वविद्यालय से कितने महाविद्यालय को सम्बद्ध करने का मानक है जिससे कि ऐसे महाविद्यालयों की सारी व्यवस्था सही ढंग से संचालित हो सके ?

श्री सिब्ते रजी--

गोरखपुर विश्वविद्यालय से 104 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं ।

ऐसा कोई मानक निर्धारित नहीं है ।

124--श्री रामनाथ मुंशी--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि एक आवासीय विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों को सम्बद्ध करने से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं से शासन अवगत है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी समस्यायें हैं ? क्या इस विश्वविद्यालय का अधिक भार कुछ उत्तम महाविद्यालयों को स्वयंशासी बनाकर या कोई अन्य विश्वविद्यालय खोलकर कम करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । एक आवासीय विश्वविद्यालय से अत्यधिक संख्या में महाविद्यालयों को सम्बद्ध करने से विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों पर नियंत्रण रखने, उन्हें नेतृत्व प्रदान करने तथा परीक्षा सुचारु रूप से संचालित करने में कठिनाई होती है ।

जी नहीं, परन्तु गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्यभार को कम करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

## प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं छात्रों का अनुपात और छात्रों को अनिवार्य शिक्षा दिये जाने की मांग

125--श्री राजनाथ मुंशी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपने राज्य की प्राथमिक शिक्षा में छात्रों और शिक्षकों का क्या अनुपात निर्धारित किया गया है ? निर्धारित अनुपात के अनुसार प्रदेश में कितने प्राथमिक शिक्षक चाहिये और कितने इस समय में कार्यरत हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

126--श्री रामनाथ मुंशी--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच कितने बालक या बालिका शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कितने नहीं ? उपर्युक्त आयु के जो बालक प्राथमिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं उनको अनिवार्यतः शिक्षा देने की कोई योजना शासन में विचाराधीन है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## बेसिक शिक्षा परिषद् के कक्षा आठ तथा हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों के कक्षा आठ के परीक्षा शुल्क में अन्तर

127--श्री रामनाथ मुंशी--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा के लिये बेसिक शिक्षा परिषद् के

लिए अलग तथा हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों के सम्बद्ध कक्षा 8 की परीक्षा के लिये अलग परीक्षा शुल्क का रेट निर्धारित है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? प्रत्येक हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज के क्षेत्र में पड़ने वाले बेसिक शिक्षा परिषद् के मान्यता प्राप्त एवं व्यक्तिगत जूनियर हाई स्कूलों के कक्षा 8 की परीक्षा उसी हाईस्कूल एवं इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य की देखरेख में उनके ही द्वारा ली जाने वाली परीक्षा फीस में कमी कराने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धे रजी—

जी हां ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इसका आयोजन गृह परीक्षा के रूप में और बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में सार्वजनिक परीक्षा के रूप में होता है ।

जी नहीं ।

प्रस्तावित व्यवस्था सम्प्रति व्यवहारिक न होगी ।

**बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के कक्षा सात एवं आठ के शुल्क रेट में अन्तर**

128—श्री रामनाथ मुंशी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 7 तथा कक्षा 8 के लिये शुल्क रेट अलग और हाई स्कूल तथा मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के लिये शुल्क रेट अलग है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री सिद्धे रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**इलाहाबाद के प्राथमिक शिक्षकों के प्राविधायी निधि का लेखा**

129—श्री रामनाथ मुंशी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के प्राथमिक शिक्षकों की प्राविधायी निधि का लेखा-जोखा वर्ष 1972 से उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिद्धे रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**एम0 एस0 हायर सेकेन्डरी स्कूल कन्नौज, फर्रुखाबाद के प्रधानाचार्य के पद पर श्री अहमद रजा खां की नियुक्ति और विद्यालय को प्रदान किया गया अल्पसंख्यक स्वरूप**

130—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0 एस0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, कन्नौज (फर्रुखाबाद) के प्रधानाचार्य पद का चार्ज श्री राम कृष्ण द्विवेदी को देने के लिये माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 23-3-1984 को आदेश जारी किया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश होते हुए अब तक श्री द्विवेदी को प्रधानाचार्य का कार्यभार न देने के लिए दोषीजनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धे रजी—

जी हां, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-3-84 के विरुद्ध प्रबन्धतन्त्र द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में अपील दायर की गयी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16-4-84 श्री अहमद रजा खां को विद्यालय का प्रधानाचार्य माना गया है । तदनुसार वह कार्यरत है । उच्चतम न्यायालय में याचिका अभी ही अन्तिम सुनवायी हेतु विचाराधीन है ।

131--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0 एन0 हायर सेकेन्डरी स्कूल कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद विद्यालय के प्रबन्धक महोदय द्वारा उक्त विद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को घोषित करने के सम्बन्ध में भेजे गये तीन प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1975, 1976 एवं 13 दिसम्बर, 1983 को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है और क्या शासन के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रबन्धक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई पिटीशन दायर की गई है, जो विचाराधीन है ? यदि हां, तो विवाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रहते हुये भी शासन ने उक्त विद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप देने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री सिब्ते रजी--

सही है ।

क्योंकि अल्पसंख्यक घोषित करने के बिन्दु पर कोई रोक नहीं लगी थी ।

## महिला इंटर कालेज लखनऊ, के कर्मचारियों/अध्यापकों के डी0ए0 का भुगतान

132--श्री सरदार सिंह--

द्वितीय सत्र 1983 के 1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष कर्मचारियों के एरियर का भुगतान अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? विलम्ब के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा एरियर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा अलीगढ़ में मूल्यांकन केन्द्र की स्थापना

133--श्री सुरेश प्रताप सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष 1985 में अलीगढ़ जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के मूल्यांकन केन्द्र कितने व कहां-कहां हैं ? मूल्यांकन केन्द्र अलीगढ़ नगर में ही न रखने के क्या कारण थे ? क्या शासन इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित कर केवल जिला मुख्यालयों पर ही मूल्यांकन केन्द्र निर्धारण भविष्य में करेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

अलीगढ़ जनपद में 1985 की परीक्षा में निम्नलिखित विद्यालयों में मूल्यांकन केन्द्र बनाया गया था :--

संस्थागत--

1--डी0 ए0 वी0 इंटर कालेज, अलीगढ़ ।

2--अग्रसेन इंटर कालेज, हरदुआगंज, अलीगढ़ ।

3--डी0 आर0 वी0 इंटर कालेज, हाथरस, अलीगढ़ ।

व्यक्तिगत--

1--राजकीय इंटर कालेज, हाथरस, अलीगढ़ ।

जिला विद्यालय निरीक्षक अपने जनपदीय मूल्यांकन केन्द्रों का पदेन मुख्य नियंत्रक होता है । अतः नगर मुख्यालय में अथवा नगर मुख्यालय के बाहर उन्हीं की संस्तुति के आधार पर मूल्यांकन केन्द्र बनाया गया है । तहसील अथवा कस्बे के विद्यालयों में उत्तम सुवि उपलब्ध होने की स्थिति में नगर मुख्यालय से बाहर मूल्यांकन केन्द्र बनाने में कोई आपत्ति का प्रश्न नहीं है ।

## गौरी शंकर इंटर कालेज, सिकन्दराराऊ के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का रोका गया परीक्षफल

134—श्री सुरेश प्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1984 में गौरी शंकर इंटर कालेज, सिकन्दराराऊ से माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में कितने परीक्षार्थी हाई स्कूल की तथा तथा कितने इंटर की परीक्षा में बैठे थे ? उक्त परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों में से कितने परीक्षार्थियों के परीक्षाफल आज भी दिनांक 15-5-85 तक घोषित नहीं किये गये हैं। उक्त परीक्षाफलों को किन-किन आरोपों के अन्तर्गत रोका गया है तथा परीक्षाफल कब तक घोषित किए जाने का विचार है ? रोके हुए परीक्षाफल घोषित न होने के कारण जिन छात्रों ने वर्ष 1985 की परीक्षा दे दी है उनके सम्बन्ध में शासन की क्या नीति रहेगी ?

श्री सिद्धते रजो—

प्रश्नगत विद्यालय से वर्ष 1984 की इंटर की परीक्षा में 143 तथा हाई स्कूल परीक्षा में 270 परीक्षार्थी पंजीकृत हुये थे।

इंटर में केवल एक परीक्षार्थी का परीक्षाफल सी0 पी0 सूची में निरस्त किया गया है। उसके आवेदन-पत्र के अनुसार वह दो वर्ष अनुत्तीर्ण होने के कारण तीसरे वर्ष में संस्थागत के रूप में प्रवेश का अधिकारी नहीं था।

इंटर में ही पांच परीक्षार्थियों का परीक्षफल सी0 क्यू0 सूची में निरस्त किया गया है। इनके परीक्षाफल प्रधानाचार्य की आख्यानुसार नाम कटने के कारण निरस्त किये गये। जब वर्ष 1984 की परीक्षा में उक्त विद्यालय के किसी परीक्षार्थी का परीक्षाफल रोका ही नहीं गया तो वर्ष 1985 की परीक्षा में रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## श्री स्वामी नाथ शर्मा, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, जालौन का स्थानान्तरण

135—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री स्वामीनाथ शर्मा, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, जालौन (उरई) के विरुद्ध जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई गम्भीर शिकायतों पर उनका स्थानान्तरण शासन स्तर से 22 जनवरी, 1985 को कर दिया गया लेकिन उसके प्रभावी न होने के क्या कारण हैं ? शासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धते रजो—

हां।

परन्तु जिलाधिकारी, जालौन की विशेष संस्तुति पर स्थानान्तरण 15 अप्रैल, 1985 तक के लिये शासन द्वारा रोक दिया गया था।

श्री स्वामी नाथ शर्मा ने 15 अप्रैल, 1985 के पश्चात् भी अपने पद का कार्यभार नहीं छोड़ा तो उनकी अनुपस्थिति में एक अन्य अधिकारी को चार्ज दिलाया गया।

मामला शासन के विचाराधीन है।

136—श्री बदन सिंह—

[2रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा आगरा के फतेहपुर-सीकरी क्षेत्र के चौमाशाहपुर व मेंहदऊ में अन्वेषणात्मक छिद्रण

137—श्री बदन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ब्लाक

फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम चोमा और मेंहदऊ में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा सन् 1979–80 में छिद्रण सफल हो गये हैं ? यदि हां, तो उन छिद्रणों को अभी तक सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित न करने का क्या कारण है ?

श्री इयाम सूरत उपाध्याय—

जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर–सीकरी के क्षेत्र में अत्यन्त खारे पानी व अच्छे स्ट्रेटा न मिलने का गम्भीर समस्या है। ग्राम चोमा शाहपुर व मेंहदऊ में अच्छे जल व स्ट्रेटा का पता लगाने हेतु अन्वेषणात्मक छिद्रण वर्ष 1980–81 में किये गये थे न कि वर्ष 1979–80 में। उक्त स्थलों पर जो जल मिला वह उस स्थान एवं आस–पास के क्षेत्र के पम्पों व नलकूपों द्वारा उपलब्ध जल की तुलना में बहुत अच्छा है। परन्तु गुणवत्ता के अपनाये जा रहे मापदण्ड के अनुसार ये सफल नहीं हैं, यही कारण है कि सिंचाई विभाग को यह अभी तक हस्तान्तरित नहीं किए गए हैं।

सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर में
प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का
संचालन

138—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खन्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में आज तक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस ग्राम में अविलम्ब एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं। ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिल सुल्तानपुर में एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का संचलन 1 जून, 1985 से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर, के ग्राम रसूलपुर की
प्राइमरी पाठशाला में उर्दू
अध्यापक की नियुक्ति
की मांग

139—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकासखंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में नवनिर्मित प्राइमरी स्कूल में उर्दू अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या इस स्कूल में अविलम्ब एक उर्दू शिक्षक की नियुक्ति करने पर विचार करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

140—श्री राम गोविन्द चौधरी—

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सुल्तानपुर, के ग्राम रसूलपुर की
प्राइमरी पाठशाला का
भवन

141—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में प्राइमरी स्कूल के नव निर्मित भवन में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है ? क्या इसकी जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर का
भवन विहीन प्राइमरी स्कूल

142—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में प्राइमरी

स्कूल का कोई अपना भवन नहीं है जिसके कारण बच्चों की शिक्षा सुचारु रूप से नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो इस ग्राम में 1985-86 में स्कूल भवन का निर्माण कराने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर की गलियों में खडंजा लगने की स्वीकृति**

143--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि ग्राम बाहरपुर विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर की गलियों में आज तक खडंजा व पेय जल की व्यवस्था न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ग्राम सभा बाहरपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर की गलियों में खड़ंजा लगवाने हेतु क्षेत्र समिति द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 1985 को 6,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है ।

ग्राम में एक हरिजन पेय जल कूप भी विगत वर्षों में निर्मित हो चुका है ।

**मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपाररानी, देवरिया में बी0 एड0 कक्षा का स्थगन और प्राचार्य, श्री राम नारायन मिश्र को बी0 एड0 की उपाधि**

144--श्री कामेश्वर उपाध्याय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपाररानी, देवरिया में बी0 एड0 कक्षा में प्रवेश मात्र इसलिए निलम्बित है, क्योंकि प्रबन्ध तन्त्र ने एन्डाउमेन्ट और छात्रों की एनरोलमेंट फीस जमा नहीं की थी ? क्या अन्य विभागों में भी ऐसा है ? अध्यापकों और छात्रों तथा क्षेत्र में व्यापक हितों का ध्यान रखते हुए शिक्षा विभाग बी0 एड0 की कक्षायें पुनः चालू कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही रहा है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

जी नहीं ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के विचाराधीन है ।

145--श्री कामेश्वर उपाध्याय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन मालवीय इंटर कालेज, भाटपाररानी, देवरिया के प्राचार्य श्री राम नारायन मिश्र ने बी0 एड0 की उपाधि ली है ? यदि ली है, तो कब ? बी0 एड0 की डिग्री लेने की अवधि में क्या अवकाश लिए है ? क्या यह सही है कि उन्होंने एक दिन भी अवकाश लिए बिना उक्त डिग्री प्राप्त कर ली है ? यदि ऐसा है तो क्या यह डिग्री वैध है ? यदि नहीं है, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**ताजमहल पर भारत सरकार का स्वामित्व**

146--श्री मालिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

प्रथम सत्र 1984 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 7 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्बन्धित मामले का जो परीक्षण किया जा रहा है, पूरा हो गया है ? यदि हां, तो उसमें क्य

परिणाम निकले ? इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है और कार्यवाही कब तक प्रारम्भ की जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उत्तरीय मंडल, आगरा से जो आख्या प्राप्त हुई है उससे विदित होता है कि ताजमहल जो कि एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, को एन्शियेन्ट मान्यूमेन्ट प्रिजरवेशन ऐक्ट, 1904 की धारा-3 के अधीन एक एन्शियेन्ट मान्यूमेन्ट स्वीकार किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या 1645-एम0/1133, दिनांक दिसम्बर 22, 1920 को तथ्य का निश्चायक साक्ष्य भी स्वीकार किया जा चुका है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार ताजमहल का स्वामी भारत सरकार है और ताजमहल वक्फ की श्रेणी में नहीं आता है ।

हरदोई की बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों को कृषि योग्य भूमि से प्राप्त धनराशि

147—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों की कृषि योग्य भूमि से प्राप्त होने वाली कुल कितनी धनराशि जिला परिषद, हरदोई के पास है ? इस धनराशि के उपयोग के सिलसिले में शासन द्वारा कौन सी नीति निर्धारित की गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् हरदोई के पास बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों की कृषि योग्य भूमि से प्राप्त होने वाली कोई धनराशि इस समय अवशेष नहीं है ।

शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इस धनराशि को विद्यालय की भूमि के संवर्धन, भवन सुधार एवं मरम्मत तथा सज-सज्जा आदि पर ही व्यय किया जाना चाहिए । जिला परिषद् को इस नीति का कड़ाई से अनुपालन करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा लखनऊ एवं लखीमपुर खीरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता नहर, हरदोई को धनराशि का कथित आवंटन

148—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला ग्रामीण अभियंत्रण लखनऊ एवं लखीमपुर खीरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता नहर हरदोई को मार्च, 1985 में कितनी धनराशि आवंटित की गई ? क्या यह सही है कि इन जिलों द्वारा आवंटित लाखों रुपयों की धनराशि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा बैंकों से निकाल कर अपने कैश में रखी गई ? यदि हां, तो इस वित्तीय अनियमितता के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लखनऊ एवं लखीमपुर खीरी द्वारा कोई भी धनराशि अधिशासी अभियन्ता नहर हरदोई को मार्च, 1985 में आवंटित नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## सरदार पटेल इंटर कालेज, फैजाबाद की प्रबन्ध समिति का चुनाव

149--श्री गोपाल राम दास--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार पटेल इंटर कालेज, जिला फैजाबाद की प्रबन्ध समिति का चुनाव उसके बाईलाज के अनुसार कितने समय पर होना चाहिए और गत कितने वर्षों से उक्त चुनाव नहीं हुआ है ? उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति को चयन करने वाले कितने सदस्य और कौन-कौन हैं ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति में प्रदेश मंत्रि मंडल के एक माननीय मंत्री भी सदस्य हैं ? यदि हां, तो कौन हैं ?

श्री सिन्हे रजी--

प्रश्नगत विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव संस्था के बाईलाज के अनुसार तीन वर्ष पर होना चाहिए । गत चुनाव दो वर्ष पूर्व दिनांक 6-2-83 को सम्पन्न हुआ था ।

उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति में पदाधिकारियों सहित कुल 14 सदस्य हैं तथा प्रबन्ध समिति को चयन करने वाले साधारण सभा के सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में 50 है । प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा साधारण सभा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूचियां संलग्न हैं ।

संस्था की प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ड़' आगे पृष्ठ 147 पर ।)

150--श्री सुखपाल पांडे--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

## फैजाबाद के गांव मसनियां, मौजा पलिया साहबदी में कूप का निर्माण

151--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के मसौधा विकास क्षेत्र स्थित गांव मसनियां, मौजा पलिया साहबदी में जिस पर अधिकांश आबादी हरिजनों की है, पेयजल योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा कूप निर्माण स्वीकृत हुआ था, जिसकी धनराशि विकास क्षेत्र मसौधा के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा निकाल कर खर्च कर ली गयी है और कुआं आज भी अधूरा पड़ा हुआ है और पेयजल का संकट बरकरार है ? उक्त कूप कब तक निर्मित कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रश्नगत गांव के लिए शासन द्वारा कूप निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी । स्वीकृत धनराशि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निकाल कर खर्च नहीं की गयी है वरन् कूप निर्माण पर ही व्यय की गयी है । कूप का निर्माण भूमि के स्तर तक हो चुका है तथा कुएं का पानी पीने योग्य हो गया है । अब पेयजल का संकट नहीं है । केवल जगत निर्माण शेष है जिसका निर्माण वर्षा ऋतु के बाद हो सकेगा ।

## सीनियर बेसिक विद्यालय, उतरास, प्रतापगढ़ के कर्मचारी, श्री मातादीन एवं श्री राम मूर्ति सिंह का बकाया वेतन

152--श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीनियर बेसिक विद्यालय, उतरास, विकास खंड सगरारा, जनपद प्रतापगढ़ के परिचारक एवं जल वाहक मातादीन तथा परिचारक चौकीदार

रामभूति सिंह का वेतन तथा एरियर क्रमशः 4338.00 व 5071.00 रु0 का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त भुगतान को कब तक कराया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।]

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू अध्यापक

153—हाजी मोहम्मद हयात—]

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के कितने स्थान हैं ? इस समय कितने स्थानों पर नियुक्तियां हैं और कितने स्थान रिक्त हैं ? यदि रिक्त है, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

154—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ]

बाराबंकी के नानमऊ—महमूदाबाद मार्ग का निर्माण

155—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाराबंकी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत नानमऊ—महमूदाबाद मार्ग का निर्माण कार्य अप्रैल, 85 में पूर्ण हो गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शिकायतों के आधार पर 80 क्विन्टल गेहूं मजदूरी आवंटन हेतु जांच पूरी होने तक रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मई, 1985 में उक्त गेहूं फर्जी श्रमिकों के हस्ताक्षर बनाकर सहकारी समिति, नानमऊ द्वारा बांट दिया गया जिसकी शिकायत तत्काल जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उल्लिखित मार्ग के निर्माण का कार्य मार्च, 1985 में ही पूर्ण हो गया था ।

जी नहीं । कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और न ही खाद्यान्न आवंटन रोकने के कोई आदेश दिये गये ।

जी नहीं ।

उक्त मार्ग पर लगभग 23.5 क्विन्टल गल्ला मजदूरों को सीधे उपलब्ध करवाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बदायूं के विनावर में हाई स्कूल की स्थापना की मांग

156—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं स्थित विनावर में जनहित को देखते हुए हाई स्कूल स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह स्कूल किस वर्ष से कार्य शुरू कर देगा ? क्या सरकार पूर्ण विवरण देने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते राजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण सम्प्रति बालकों के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना संबंधी योजना स्थगित कर दी गई है ।

परिवहन अयुक्त संगठन द्वारा आयोजनागत मद में धनराशि का आवंटन

157—श्री कल्याण सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में परिवहन विभाग को किस-किस मद

में कितनी कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा वर्ष के अन्त में किस किस मद में कितनी कितनी धतराशि व्यपगत हो गई ? व्यपगत होने के कारण क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

राजकुमार संजय सिंह—

परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में आयोजनागत मद में रु0 40.57 लाख का आय-व्ययक का प्राविधान हुआ जिसके समक्ष रु0 39.77 लाख का व्यय हुआ तथा रु0 80.30 लाख की धनराशि व्यय में मितव्ययता बरतने के कारण समर्पित कर दी गयी। अयोजनेत्तर मद में रु0 343 24 लाख का आय-व्ययक प्राविधान हुआ, जिसके समक्ष रु0 307.80 लाख का व्यय हुआ। रु0 34.99 लाख समर्पित किया गया।

यह समर्पित धनराशि मुख्यतः दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता दियेजाने के प्राविधान रु0 60.00 लाख के विरुद्ध वास्तव में केवल रु0 29.83 लाख का व्यय होने के कारण थी।

158--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी तथा श्री कल्याण सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

शंकर हायर सेकेन्डरी स्कूल, पलसों, मथुरा के विरुद्ध शिकायता-पत्र

159—श्री लक्ष्मी नारायण--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 18-5-85 को एक शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता एवं अन्य विधायकगण के हस्ताक्षरों से शंकर हायर सेकेन्डरी स्कूल पलसों, जिला मथुरा की अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिया गया था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में मुख्य मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर शासन ने क्या क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

शिकायती पत्र जांच कराये जाने हेतु शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को मूल रूप में भेजा गया है।

खंड विकास अधिकारी नौहकील, मथुरा के विरुद्ध शिकायती पत्र

160--श्री कुशलपाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि जुलाई, 1984 में क्षेत्र विकास अधिकारी नौहकील, ब्लाक जिला मथुरा के खिलाफ एक शिकायती पत्र ब्लाक प्रमुख नौहकील ने जिलाधिकारी को दिया था ? यदि हां, तो शिकायती पत्र में मुख्य-मुख्य शिक्कायतें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

शिकायती पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्न प्रकार थी--

(1) खंड विकास अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार व सरकारी धन का पूरी तरह सदुपयोग न करना।

(2) क्षेत्र समिति की बैठक दिनांक 10-7-84 को कार्यवाही में हस्ताक्षर न करना।

(3) प्रमुख के साथ सहयोग न करना।

(4) सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि का गलत अंकन करना।

(5) यात्रा-भत्ता ब्लाक प्रमुख से प्रमाणित न कराना तथा क्षेत्र के फर्जी यात्रा-भत्ता बिल बनाना।

(6) बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन आवास गृह के लिए सरकार से प्राप्त धन के उपयोग के सम्बन्ध में अनियमितताये।

(7) एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत कृषि यन्त्रों एवं सिलाई की मशीनों के वितरण में अनियमितता ।

उक्त शिकायतों की जांच अपर जिलाधिकारी (परियोजना), जनपद मथुरा द्वारा कराई जा रही है । जांच प्रगति में है ।

## प्रदेश में हाटों की आमदनी ग्राम पंचायतों को दिये जाने की मांग

161--श्री कुशलपाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास व पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के देहातों में लगने वाली हाटों की आमदनी को जिला परिषदों से पुनः ग्राम पंचायत को दिलाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस पर शासन कब तक अमल करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

## आगरा के विकास खंड, बरौली अहीर विछूपुरी एवं अकोला के अन्तर्गत प्रधानों का निलम्बन

162--श्री विजय सिंह राणा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में विकास खंड बरौली विछूपुरी और अकोला के अन्तर्गत वर्ष 82–83 और 83–84 में कितने ग्राम प्रधान निलम्बित किये गये हैं और कितने ग्राम प्रधानों को निलम्बित किये जाने की कार्यवाही चल रही है ? उक्त ग्राम प्रधानों का निलम्बित किये जाने का आधार क्या था ? क्या शासन परगनाधिकारियों द्वारा बरती जा रही इस घोर अनियमितता की जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो तक तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

आगरा जनपद में विकास खंड बरौली अहीर विछूपुरी और अकोला के अन्तर्गत वर्ष 82–83 में किसी प्रधान को निलम्बित नहीं किया गया है । विकास खंड बरौली अहीर तथा विछपुरी में वित्तीय वर्ष 83–84 में क्रमशः दो तथा एक प्रधान को निलम्बित किया गया । विकास खंड अकोला के किसी प्रधान को उक्त अवधि में निलम्बित नहीं किया गया ।

किसी ग्राम प्रधान को निलम्बित किये जाने निमित्त कोई कार्यवाही नहीं चल रही है ।

प्रधानों के निलम्बन का आधार उनके विरुद्ध प्रारम्भिक जांच में गम्भीर आरोपों का प्रथम दृष्टा सिद्ध पाया जाना है ।

इस प्रकरण में परगनाधिकारी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों को पक्का किये जाने की मांग

163--श्री विजय सिंह राणा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाये गये कच्चे मार्गों को पक्का करने का जो प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता हेतु भारत सरकार को भेजा गया था, उसे भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिल गई है ? यदि हां, तो इन मार्गों को कब तक पक्का कर दिया जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाये गये कच्चे मार्गों को पक्का कराने हेतु विश्व बैंक की सहायता हेतु प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजा गया था। अभी प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं है।

ग्रामीण अभियंत्रण योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों की मरम्मत की मांग

164—श्री विजय सिंह राणा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण योजना के अन्तर्गत जो मार्ग बनाये गये हैं उनके रखरखाव और मरम्मत के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को मरम्मत अनुदान दिये जाने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह महत्वपूर्ण निर्णय कब तक कार्यरत हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह प्रकरण विचाराधीन है। परन्तु निर्णय के विषय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। धन की उपलब्धि की स्थिति पर यह निर्भर करता है।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों की भूमि की आय सम्बन्धित विद्यालयों को दिये जाने की मांग

165—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्रांक 3200—1/33—3—147, दिनांक 5 जून, 1976 के संदर्भ में प्रदेश में जो प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के साथ जो भूमि सम्बद्ध है उससे होने वाली आय जो जिला परिषद् के खाते में जमा है, के सम्बन्ध में निर्णय लिया था कि विद्यालय भवन एवं भूमि से होने वाली आय को जिला परिषदों के लेखा में अलग से विधिवत् जमा किया जाय ताकि यह धनराशि सम्बन्धित विद्यालयों को आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुरक्षित रहे ? यदि हां, तो इस संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या जिला परिषद् इस आय को सम्बन्धित विद्यालयों की आवश्यकताओं पर व्यय कर रही है अथवा नहीं ? यदि हां, तो यह कार्य कब से चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, गोरखपुर बरगदही के प्रबन्धाधिकरण में व्याप्त अनियमितताएं

166—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर ने किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, पोस्ट गुलरिहा बाजार, जनपद गोरखपुर के प्रबंधाधिकरण के विरुद्ध उक्त विद्यालय में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं के आधार पर मार्च, सन् 1983 में नियमानुसार उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मन्डल की सेवा में कोई नोटिस का प्रारूप तैयार कर भेजा था ? यदि हां, तो उस मामले पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर किसान जूनियर हाई स्कूल, चड़राव की मान्यता

167—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक सप्तम

मन्डल, गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 30-4-84 द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को, किसान जूनियर हाई स्कूल, चड़राव, जनपद गोरखपुर की फर्जी स्थायी मान्यता के प्रत्याहरण हेतु अपनी संस्तुति भेजी थी ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित विद्यालय के पास भूमि भी नहीं है ? यदि हां, तो इस मामले पर बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

168--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विधान सभा क्षेत्र, सरोजनीनगर, लखनऊ के भवन विहीन सीनियर बेसिक स्कूल

169--श्री शारदा प्रताप--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, सरोजनीनगर, जिला लखनऊ में कितने ऐसे सीनियर बेसिक स्कूल हैं जिनके अपने भवन नहीं है ? वर्ष 1984-85 में इनमें से कितने स्कूलों के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया था ? कितने स्कूलों के भवन बन गये हैं और कितनों के नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ में बेरोजगार बी०टी०सी० अध्यापक

170--श्री शारदा प्रताप--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में कितने बेरोजगार बी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापक हैं और उनमें से सरकार ने अभी तक कितने अध्यापकों को रोजगार प्रदान किया है ? रोजगार न मिलने वाले अध्यापकों को सरकार कब तक रोजगार का अवसर प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र, सरोजनीनगर, लखनऊ में प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना की स्वीकृति

171--श्री शारदा प्रताप--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, सरोजनीनगर, जिला लखनऊ में वर्ष 1984-85 में कितने नये प्राइमरी हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई ? क्या सभी विद्यालय खुल गये हैं तथा उनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति हो गई है ? यदि नहीं, तो क्या शासन शीघ्र ही अध्यापकों की नियुक्ति करेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की धनराशि का कथित आबंटन

172--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नियम 301 के अन्तगत दिनांक 11-9-84 को प्रश्नकर्ता द्वारा दी गयी

सूचना के उत्तर से सम्बन्धित अद्धं शासकीय पत्र संख्या 884/38-1-18-ए-क्यू-84--प्रा0 वि0 अनु0-1, दिनांक 28-1-85 के पैरा 2 के सम्बन्ध में क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत जिन कार्यों पर अधिकांशतः धन व्यय किया गया है, उन्हीं कार्यों पर जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार योजना के अन्तर्गत भी धन उपलब्ध कराया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि एक ही कार्य पर दो मदों से धन खर्च किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं ।

जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई भी धनराशि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखंड, बस्ती को उपलब्ध नहीं करायी गयी थी ।

जी नहीं ।

पृथक्-पृथक् योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग तत्सम्बन्धी योजनाओं में स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध किया गया है ।

## जूनियर हाई स्कूल, बंथरा, लखनऊ के अध्यापक श्री विद्याधर दीक्षित के स्थानान्तरण की मांग

173--श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, बंथरा, लखनऊ के सहायक अध्यापक श्री विद्याधर दीक्षित द्वारा स्कूल में अनियमितता तथा अनुशासनहीनता के कारण स्कूल का वातावरण दूषित है ? क्या उनका स्थानान्तरण बंथरा से अन्यत्र किये जाने हेतु श्रीमती शारदा देवी, विधायिका का पत्र, दिनांक 14-5-85 उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## प्रदेश में प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों की संख्या

174—श्री विक्रमादित्य पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों की संख्या क्या है ? क्या उन्हें तत्काल रोजगार देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## बलिया के शिवपुर दियर एवं जबही दियर में पशुओं की चिकित्सा की सुविधा

175--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के शिवपुर दियर एवं जबही दियर के किसानों के पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो पशु चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई—

जनपद बलिया के शिवपुर दियर के किसानों के पशुओं को चिकित्सा सुविधा शिवपुर दियर स्थित पशु सेवा केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध है ।

जबही दियर के किसानों के पशुओं को चिकित्सा सुविधा स्थानीय रूप से सुलभ कराने हेतु अभी कोई प्रस्ताव जिला नियोजन समिति से नहीं आया है ।

## उन्नाव के ग्राम घूरखेत, तौरा, मऊ, अतरसा आदि में गोबर-गैस प्लान्ट की स्थापना

176—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास

खंड बिछिया के ग्राम घूरखेत, तौरा, मऊ, सुल्तानपुर, अतरसा, नौगवां, खरगोखेड़ा आदि सा0 सहकारी समिति, घूरखेत में गांवों में वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में गोबर गैस प्लान्टों का निर्माण हुआ है ? क्या जिन लोगों ने गोबर गैस प्लांट बनवाया उसको छूट (अनुदान) प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इयाम सूरत उपाध्याय--

वर्ष 1983-84 में तौरा नौगवां तथा घूरखेत आदि ग्रामों में 10 बायोगस प्लांट लगाये गये जिन पर अनुदान के रूप में रु0 28,130 का भुगतान किया जा चुका है जिसके सम्बन्ध में सूची संलग्न† है। 1984-85 में ग्राम घूरखेत तौरा, बखतखेड़ा आदि ग्रामों में 27 गोबरगैस प्लाण्ट निर्मित कराये गये जिसके विपरीत 13 प्लान्टों पर अनुदान की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। 14 बायोगैस प्लान्टों के अनुदान की धनराशि वर्ष 1984-85 में समायोजन लेखा पूर्ण नहीं हो पाने से भुगतान न हो सका (सूची संलग्न है)† । इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जा रही है।

## प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री फजलुल बारी--

नियमावली के नियम 42 के बारे में मैं व्यवस्था चाहता हूं। अनुपूरक सवालों के पूछने की क्या व्यवस्था है। होता यह है कि मन्त्री जी को कोई जवाब देना हुआ तो बहुत से कागजात और फाइल का हवाला पेश करते हैं, पढ़कर सुनाने लगते हैं। होना यह चाहिये कि हर सवाल का स्पष्ट जवाब दें। सवाल का जवाब संक्षेप में एक लाइन में साफ-साफ मन्त्री जी दे दें। वह जवाब को घुमाकर देते हैं तो जो सवाल पूछने वाला है, जवाब को साफ करने के लिए पूरी तकरीर फरमा देता है। जो सवालात एजेन्डे में लगे रहते हैं, हम लोग तैयार रहते हैं कि हमारा सवाल आयेगा। मेरा एक सवाल आज बहुत इम्पोर्टेन्ट था, हम सोच रहे थे कि जरूर आयेगा 18 नम्बर पर सवाल था। पूछा इतना था कि विभाग में कितने अवर अभियन्ता, बी0 ई0 या ए0एम0आई0ई0 अवर अभियन्ता मौजूद हैं। उत्तर में आया कोई पात्रता क्षेत्र में नहीं आता। मेरी निश्चित जानकारी है, मैं नाम जानता हूं कि बी0ई0 और ए0आई0एम0ई0 पास अवर अभियन्ता मौजूद है, लेकिन डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों....

श्री अधिष्ठाता--

आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे।

श्री फजलुल बारी--

जो अनुपूरक सवाल पूछे जायें, कैसे होने चाहिये, उसमें तकरीर होनी चाहिये या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता--

नियमानुसार सवाल होंगे, नियमानुसार जवाब होगा।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप--

मैंने तीन सवाल किया था।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बैठें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठें।

श्री विजय सिंह राणा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

राणा जी क्या व्यवस्था उठा रहे हैं 301 से....

(व्यवधान)

राणा जी आप बैठें।

†छापी नहीं गयी।

श्री विजय सिंह राणा—

माध्यवर, आपने बुलाया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । आपने प्रश्नों के बारे में कहा है यह शून्य प्रहर है, 301 की कार्यवाही करने दें ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

राणा जी को व्यवस्था के बाद आप व्यवस्था का सवाल कीजिए मैंने राणा जी को बुला लिया है ।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी शिक्षा मन्त्री के कार्यालय में एक डी0ओ0 लेटर था जिसको मैंने दिया है । यह सन् 1976 का प्रश्न है । इसमें यह साफ-साफ लिखा गया था कि गांवों के अन्दर जो प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल की गांव सभा की जमीन ली गई है, इन स्कूलों को ट्रान्सफर कर दी जाय उसमें यह लिखा हुआ है कि यह जो जमीन का पैसा आयेगा वह जिला परिषद् के अलग एक खाते में जमा होगा और उसको खर्च किया जायेगा इन विद्यालयों के रख रखाव के ऊपर । यह सन् 1976 का प्रश्न है । मैंने पूछा कि यह रकम अलग खाते में जमा हो रही है और वह स्कूलों के ऊपर खर्च हो रही है या नहीं तो उत्तर आ रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है । कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है । हमारे जिले के विद्यालय सब टूट रहे हैं । बच्चे हमारे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं । सन् 1976 में यह विशेष सचिव के पत्र संख्या में भी इसका हवाला दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि उनके खाते अलग से खोलकर के सारी रकम उसमें जमा की जायेगी तो उत्तर दिया जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राणा जी आपकी बात हो गई । आपने जो बात कही है वह अवश्य ही सोचनीय है । मैं समझता हूं कि सत्र चल रहा है । 15 दिन के बाद आपका प्रश्न फिर आयेगा । आपने जो बात रखी है वह इसलिए हुआ कि इतना पुराना मामला है जितनी जल्दी सूचना मंगाई जा सकती है, उतनी जल्दी सूचना मंगाई जायेगी ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन् आप कार्यसूची में देख लीजिए ।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं आपका भी नम्बर आ जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

....प्रश्न नम्बर 80, 81, 82, 138, 142 यह इतने 7-8 प्रश्न मेरे तारांकित प्रश्न में आये थे । कार्य-सूची में 8 में से 7 प्रश्न का उत्तर है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमन्, एक तो अधिकांशतः प्रश्न अतारांकित कर दिए जाते हैं, जिन पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की छूट नहीं है और उसका उत्तर आ रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मेरे आज के आठ प्रश्नों में से 7 का उत्तर आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं आपके माध्यम से दुख के साथ कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी और मन्त्रिमन्डल के तमाम सदस्य यहां पर बैठे हैं कि केन्द्र सरकार से भी उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है, प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जायगा । स्पष्ट उत्तर देना चाहिये । यदि स्पष्ट उत्तर नहीं दे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकते तो टाल दीजिये, दोबारा ले लिया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

या तो इन अतारांकित प्रश्नों पर भी अनुपूरक प्रश्न कराये जायें या फिर यह स्पष्ट निर्देश होना चाहिये, सरकार को कि अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर सूचना एकत्र की जा रही है, न आयें । स्पष्ट उत्तर आना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

हमें नियमों में चलना चाहिये, इसमें आपका सहयोग चाहिये । यह सही है कि प्रश्नों को करना और उनका उत्तर प्राप्त करना आपका अधिकार है । लेकिन कभी-कभी प्रश्नों का फैलाव इतना हो जाता है जैसे हर जिले में कितने अध्यापक हैं या इसी तरह के प्रश्न, इनमें उत्तर देने में समय लग सकता है और शासन का समय मांगना उचित है । लेकिन जो प्रश्न सीधे हों, किन्हीं एक दो मामलों से सम्बन्धित हों तो उनका जवाब अवश्य आना चाहिये । यह जो माननेय सदस्यों का अधिकार है, इसमें ऐसी कार्यवाही होनी चाहिये जिससे एक सीधा सा उत्तर लिखित रूप में माननीय सदस्यों को मिल जाय तो यह समय बच सकता है और अनुपूरक प्रश्न कम होंगे ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, आपने न तो मुझे प्रश्न पूछने दिया और न ही व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत दी, इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री काशी सिंह ऐरी सदन त्याग कर चले गये ।)

## मंझनपुर तथा द्वाबा, इलाहाबाद में भूमि संरक्षण की इकाइयां स्थापित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

[12 बजकर 32 मिनट]

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका विवरण निम्न है :

मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर तथा द्वाबा में अभी तक भूमि संरक्षण की एक भी इकाई नहीं है । जबकि गंगापार में कई तथा यमुनापार में कई इकाइयां कार्य कर रही हैं । जबकि दो नदियों के बीच का यह भाग शासन नीति के अनुसार सर्वप्रथम होना चाहिये । इलाहाबाद जनपद का द्वाबा अत्यन्त पिछड़ा भाग है । यह कि मंझनपुर दो नदियों के बीच यमुना नदी का किनारा कौशाम्बी (पबांस) का पहाड़ ऊसर का बहुत बड़ा भाग है । अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर मंझनपुर क्षेत्र में भूमि संरक्षण की तीन इकाइयां, पूरे द्वाबा में 5 इकाइयां भूमि संरक्षण की खोली जायें जिससे द्वाबा का पिछड़ापन दूर हो सके ।

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती को आबंटित धनराशि का दुरुपयोग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ---

मान्यवर, वर्ष 1983-84 में तीन लाख रुपया मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निर्माण कार्य करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दिया गया था। जिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पांच योजनाओं पर यह धन खर्च होना था उसके साथ मुझे मार्च, 1985 तक प्रगति दी गयी है उसमें ढाई लाख रुपये से ज्यादा खर्च होना बताया जाता है जबकि मुश्किल से एक डेढ़ लाख रुपया खर्च किया गया होगा। सारा पैसा निकाल कर खा लिया गया है और इसमें तत्कालीन अधिशासी अभियंता श्री आर0 एन0 तिवारी का विशेष हाथ रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शासन को निर्देश दें कि टेक्निकल सेल की एक टीम भेजकर मेरे क्षेत्र की इन योजनाओं की जांच करा ली जाय। जितनी पुलिया बनायी गयी हैं किसी पुलिया के नीचे गिट्टी नहीं डाली गयी है। सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर ने सबसे ज्यादा रुपया गोलमाल किया है। कृपया जांच के समय जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाय कि हमसे भी सम्पर्क स्थापित करें जिससे कि मैं वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत करा सकूं।

विज्ञान वर्ग की स्वीकृत मान्यता के पद सृजित करके अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गया प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं आपका एवं सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रदेश में शिक्षा विभाग के प्राइवेट प्रबन्ध समिति के माध्यमिक विद्यालयों में पिछले तीन वर्ष पूर्व से विज्ञान वर्ग की मान्यता सरकार से मिल चुकी है लेकिन अभी तक प्रबन्ध तन्त्र के बार-बार अनुरोध एवं निवेदन के बावजूद भी विज्ञान व बायलोजी जैसे विषयों को पढ़ाने के लिये शिक्षकों के पद सृजित नहीं किये गये हैं। जिससे पूरे प्रदेश के छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और इससे छात्रों अभिभावकों तथा प्रबन्धतंत्र में क्षोभ एवं रोष व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि अविलम्ब विज्ञान, बायलाजी विषयों के पद सृजित कराकर नियुक्ति कराने का कष्ट करें।

सीमांत जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में उत्क्रमणशील विद्यालयों के अध्यापकों का उत्क्रमणीय यात्रा भत्ता बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, आपके संज्ञान में निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय रखना है-सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के उत्क्रमणशील विद्यालयों के अध्यापकों को मिलने वाला उत्क्रमणीय यात्रा भत्ता 1976 से अकारण बन्द कर दिया गया था। अध्यापकों द्वारा 1-6-1982 से आन्दोलन करने तथा शासन के आर0 जी0 संख्या 5841/5 (5) 82-2-59/79, दिनांक 28-7-82 द्वारा दिये गये आश्वासन पर अध्यापकों ने 3-8-1982 को आन्दोलन समाप्त कर दिया था।

अब तक भत्ता न दिये जाने के कारण सम्बन्धित अध्यापकों ने दिनांक 11-5-1985 से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है, पीड़ित अभिभावकों ने भी 12 जुलाई, 1985 को धारचुला में जुलूस निकाल कर शासन को ज्ञापन देते हुए अग्रिम कार्यवाही की चेतावनी दी है। दूसरी ओर पिथौरागढ़ जनपद के सभी बेसिक अध्यापकों ने 10 जुलाई, 1985 को जनपद मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए शासन को ज्ञापित किया है कि उपरोक्त भत्ता न मिलने पर 25 जुलाई, 1985 से जनपद में पूर्ण हड़ताल रहेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं माननीय सदन के माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि सीमान्त क्षेत्र के सैकड़ों बालक-बालिकाओं के भविष्य और व्यापक जनहित में आवलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

## बस्ती जनपद में नलकूपों के निर्माण में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पान्डे--

मान्यवर, आज सदन के माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्री एम0 एन0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खंड, गोरखपुर 1984-85 में बस्ती जिले में विश्व बैंक के 15 नलकूपों को मार्च में फर्जी बोरिंग करके तैयार दिखाकर लाखों रुपया भुगतान करा लिया और नलकूप गांव में लगे नहीं । पम्पसेट, मोटर, स्टार्टर नहीं लगे थे, वी0 एल0 फार्म विद्युतीकरण के लिए भेज दिया गया । जिलाधिकारी बस्ती कमिश्नर, गोरखपुर को फर्जी भुगतान की जानकारी हो चुकी है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मामला विद्युतीकरण को लेकर प्रकाश में आया । पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के कुछ प्रमुख अधिकारियों का एक गिरोह जो फर्जी भुगतान करके करोड़ों रुपया हजम कर लेता है । एक राजनैतिक संरक्षण के उक्त गिरोह का प्राप्त ह बस्ती जिले में 15 नलकूप फर्जी बनकर तैयार दिखाकर 31 मार्च को भुगतान कर किया गया है । अब तक कोई कार्यवाही न होने से जनता में घोर असंतोष हैं ।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सदन की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की जाय । समस्त सम्बन्धित भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करके निलम्बित कर दिया जाय तथा मुकदमा चलाया जाय और किसानों को सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था तत्काल की जाय और माननीय सिंचाई मंत्री के उक्त गिरोह पर से संरक्षण समाप्त कराया जाय ।

## समाज कल्याण विभाग, देवरिया के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

महोदय, देवरिया जनपद में हरिजन समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित 23 आवर्तक प्राइमरी हरिजन पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों को 4 माह से अनुदान के अभाव में वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है जिससे 150 अध्यापकों का परिवार भीषण महंगाई में भुखमरी का शिकार हो रहा है । अध्यापकों में असन्तोष व्याप्त है और आन्दोलन की आशंका है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उनके वेतन भुगतान के लिए आवश्यक अनुदान के आवंटन की मांग करता हूं ।

## अलीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस के आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर बंगाली सिंह--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान माननीय सदन के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि अलीगढ़ शहर दिनांक 19

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जुलाई, 1985 में प्रशासन अधिकारी एवं पुलिस ने आतंक से अलीगढ़ बाजार आज तक पूरी तरह बन्द हैं ।

श्रीमन्, 19-7-1985 की शाम को ए० डी० एम० (सिटी) ने पुलिस के माध्यम से दुकानदारों पर बर्बर लाठी चार्ज कराया । इसी बीच अलीगढ़ के सम्भ्रान्त नागरिकों ने ए० डी० एम० (सिटी) से कहा कि भले नागरिकों को क्यों पिटवा रहे हो । उन लोगों को भी मारा पीटा और जेल भेज दिया । अलीगढ़ में काफी तनाव है ; वहां के अधिकारी साम्प्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं । जिससे अलीगढ़ शहर तथा शहर के लोग बदनाम हों । अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न से आपके माध्यम से शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

## टी० बी० सेनीटोरियम वृन्दावन, मथुरा में अव्यवस्था के कारण मरीजों को कठिनाई होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह--

महोदय, टी० बी० सेनीटोरियम, वृन्दावन, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के अतिरिक्त हरियाना, राजस्थान, प्रदेश के टी० बी० मरीजों की भी सेवा गत अनेक वर्षों से करता आ रहा है । अच्छे इलाज व सफाई आदि की सुव्यवस्था के कारण इस सेनोटोरियम का नाम दूर-दूर तक रहा है । परन्तु खेद है कि आज प्रबन्धक मन्डल व डाक्टरों की राजनीति के कारण यह अस्पताल कुव्यवस्था, गन्दगी और राजनीति का अखाड़ा बन गया है । मरोजों का इलाज सुचारु रूप से नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश शासन की 50 सीटें इस अस्पताल में हैं जो कि मरोजों की संख्या देखते हुये बहुत ही कम है । मरोजों के थूक, खून एवं अन्य बहिस्रावों को खुले में डाल दिया जाता है जिससे अन्य व्यक्तियों को भी यह रोग लग जाता है । आये दिन अस्पतालों में कर्मचारियों के अनशन, हड़ताल एवं प्रदर्शन चलाने से रोगियों के ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है ।

मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन को सूचित करते हुए अविलम्ब उचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री फजलुलबारी का नाम पुकारे जाने पर ।)

(श्री यदुनाथ सिंह द्वारा बैठे-बैठे यह कहा गया कि "कोई क्राइटेरिया भी है या ऐसे ही सब स्वीकार कर लेते हैं")

## उतरौला, गोन्डा में राप्ती नदी की बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फजलुलबारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना लाना चाहता हूं । गोंडा जनपद की उतरौला तहसील राप्ती नदी की बाढ़ एवं कटान से प्रत्येक वर्ष क्षति-ग्रस्त होती है । इस समय राप्ती के तट पर स्थित कई गांव नदी की कटान के कारण सख्त खतरे में हैं । ग्राम मुडलिया, ठेढवा तप्पा बांक की आबादी किसी भी क्षण नदी के पेट में जाने वाली है । ठेडवा जहां पर पिछले वर्ष ठोकरें बनी थीं उसकी आबादी से केवल 10 फिट के फासले पर नदी की धारा आ गयी है और किसी भी क्षण सम्पूर्ण आबादी गर्क आब हो सकती है । पीलीभीत-बस्ती रोड पर टेढवा गांव में साल भर से बोल्डर पड़े हुए हैं परन्तु उन पत्थरों को जिनमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है जब तक ठोकर और पिचिंग के काम में नहीं लाया गया कि बाढ़ का इन्तजार हो रहा था कि उनमें बिला नापे हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पत्थर डाल दिया जाय और उनका भ्रष्टाचार छिप जाये ।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बिना एक क्षण की देर किये हुए मुंडालिया, टेंढवा, मखलिया और गोनकोट की आबादी को बचाने का कार्य युद्ध स्तर पर कार्य कराया जाय ।

## पुलिस लाइन, हरदोई में गोली चलाने से एक सिपाही की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हरदोई जनपद में दिनांक 15-7-1985 की रात्रि 12 बजे के लगभग रेलवे गंज पुलिस चौकी पर ड्युटी पर तैनात सिपाही श्री दया शंकर ने सिपाही श्री शिवराज लाल वर्मा को गोली से मार डाला । शिवराज लाल की गोली लगने से तत्काल मृत्यु हो गयी । हरदोई जनपद के पुलिस बल में आपसी खींचतान, गुटबन्दी, अनुशासनहीनता से पुलिस प्रशासन ठप्प हो गया है । अमन अमानत के लिए खतरा पैदा हो गया है किसी भी क्षण पुलिस कर्मियों में भयंकर मार-काट होने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है तथा पुलिस बल के अन्दर जातीय विद्वेष के भड़कने की सम्भावना है । उपरोक्त परिस्थिति में हरदोई जनपद के जन जीवन में घोर असंतोष, रोष एवं चिन्ता व्याप्त है ।

अतः मान्यवर, इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं तथा सरकार से तत्काल कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

## बांसी बस्ती में राप्ती व बूढ़ी राप्ती में बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, बस्ती जिले में राप्ती बूढ़ी राप्ती नदियों का जलस्तर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है । बूढ़ी राप्ती पिछले एक सप्ताह से सतवाड़ी गांव के पास अपने दाहिने तट को काटती हुई इस ग्राम की आबादी के अत्यन्त सन्निकट पहुंच गयी है । विगत वर्ष 1984 की बाढ़ में सतवाड़ी गांव के पश्चिम की ओर चौदह घर कट कर नदी में विलीन हो गये थे । परन्तु अभी तक उन चौदह घरों को बनाने के लिये न तो भूमि मिली है और न तो भवन बनाने के लिए अनुदान । इस वर्ष को कटान को रोकने लिए पेड़ की डालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है । उससे कटान नहीं रोका जा सकता है । मैं मौका देखकर आ रहा हूं । सतवाड़ी के पास बूढ़ी राप्ती घोड़े की नाल की तरह हो गयी है । सिंचाई विभाग के जिला स्तरीय बैठक में लूप कटिंग के द्वारा नदी की दिशा मोड़ देने का निर्णय हो गया था । परन्तु यह कार्य अभी चार दिन पूर्व शुरू हुआ है । राप्ती नदी के जल स्तर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है । चंवर ताल का पानी बांसी सूपा मार्ग पर बने जिन दो पुलों से बहता था उनमें से एक पुल के बन्द कर देने के कारण बिना बाढ़ आये हजारों एकड़ फसल डूब गयी है । बाढ़ और जल जमाव के समय संकट ग्रस्त ग्रामों तक पहुंचने, उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करने और राहत कार्य को गति प्रदान करने के लिए बांसी केन्द्र पर एक यन्त्र चलित नाव भी जो विगत वर्ष पानी में डूब गयी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वह सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करें कि सतवाड़ी गांव के पास नदी के कटान को रोकने के लिए पक्के ठोकर लगाये जायें। बूढ़ी राप्ती में सतवाड़ी गांव के पास लूप कटिंग के कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाय। बांसी–सूपा मार्ग के बीच बन्द किये जा रहे पुल को खोल दिया जाय और बांसी केन्द्र पर एक यन्त्रचालित नाव की तत्काल व्यवस्था की जाय।

## भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री बनारसी दास के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री मुलायम सिंह यादव––

मान्यवर, एक सूचना चाहता हूं, बाबू बनारसी दास जी इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री रह चुके हैं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। वे काफी दिनों से बीमार हैं। पता चला है कि उनकी हालत खराब होती चली जा रही है। उनका स्वास्थ्य बहुत चिन्ताजनक है। मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से क्या उनकी देखभाल हो रही है? कहां इलाज हो रहा है? अभी तक सरकार ने क्या मदद की है? केवल शिष्टाचार–वश जानना चाहता हूं।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)––

श्रीमन्, मुझे अभी 4–5 दिन हुये हमारे सम्मानित श्री बनारसी दास जी के सुपुत्र ने यह सूचना टेलीफोन पर दी थी कि वे डा0 लोहिया अस्पताल, दिल्ली में भर्ती हैं। गंगाराम अस्पताल में भी उनका उपचार हो रहा है। मैंने स्वयं कहा कि जो भी आवश्यकता हो हम करने के लिए तैयार हैं। वे दिल्ली में भर्ती हैं, इलाज हो रहा है, सारे एक्सपर्ट्स भी वहीं पर विद्यमान हैं। मैं स्वयं उनके स्वास्थ्य के बारे में चिन्तित हूं। मेरा प्रयास है कि जो भी राज्य सरकार से बन पड़ेगा, अवश्य होगा और अवश्य किया जायगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, सदस्य विधान सभा की नागरिकता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश––

मान्यवर, 19 जुलाई को विधान परिषद् में एक प्रश्न के बारे में चर्चा हुई है। विधान सभा के सदस्य हैं श्री मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, उनके बारे में उनकी नागरिकता के सम्बन्ध में। मतदाता सूची में जो महमूदाबाद से प्रकाशित हुई है, उसके बारे में विधान परिषद् में चर्चा हुई है। कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां इस समय इस देश के नागरिक नहीं हैं। उनकी नागरिकता इंग्लैंड में भी है। जो मतदाता सूची विधान सभाई क्षेत्र 76–महमूदाबाद की प्रकाशित हुई है उसमें 385 नम्बर पर मकान नं0 90 में 1983 की मतदाता सूची में सरवती पत्नी नत्थू अंकित किया गया था। वर्ष 1984 में "सरवती" के स्थान पर इनका नाम अंकित हो गया। मतदाता सूची में स्त्रीलिंग अंकित है और सरवती भी अंकित है। इस बारे में विचार–विमर्श हुआ और देश की अखंडता और एकता के बारे में भी चर्चा उठायी गयी। माननीय सभापति, विधान परिषद् ने यह कहा कि....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

मैं समझता हूं कि आपने जब औचित्य का प्रश्न उठाया है तो जो कुछ भी कहना है आप स्वयं कहें, दूसरे सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का जिक्र न कर । अपनी बात को इस रूप में रखें कि वह औचित्य का प्रश्न लगे ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप बठें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैंने भी इसी विषय पर औचित्य का प्रश्न दिया है । (श्री शतरुद्र प्रकाश की ओर इंगित करते हुये) उन्होंने लिखित रूप में आपके कार्यालय को नहीं भेजा है, जबकि मेरी सूचना पहले से है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपकी सूचना के लिये बता रहा हूं, उन्होंने लिखित में दिया है ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि इन दोनों का नाम अखबार में छप जाय ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, किसी सदस्य के नाम यदि अखबार म छप जाये तो इन्हें क्यों बुरा लग रहा ह ? इनके रोज के काले कारनामें तो अखबार में छपते ही रहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये, मैंने श्री शतरुद्र प्रकाश को बुलाया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं केवल तथ्यों से सम्बन्धित बात ही कह रहा हूं । मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो कि माननीय विधान परिषद् की गरिमा के प्रतिकूल हो । मैं तो केवल तथ्यों के सम्बन्ध म ही आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि माननीय विधान परिषद् के माननीय सभापति ने अपनी यह व्यवस्था दे दी है इस मामले के सम्बन्ध में सरकार वहां अपना बयान देगी ।

मान्यवर, लोकतन्त्र में विधायिका के दो अंग होते हैं एक उत्तर प्रदेश की विधान सभा और दूसरी विधान परिषद् । विधान परिषद् में जो चर्चा हुई है वह विधान सभा से सम्बन्धित है कि राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया गया है जो कि गलत किया गया है क्योंकि राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां ब्रिटेन के नागरिक हैं ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातें अवश्य कहना चाहता हूं कि क्या जब किसी सदन के किसी सदस्य के बारे में सदस्यता का प्रश्न उपस्थित होता है तो क्या कोई दूसरे सदन का सदस्य इस बारे में चर्चा कर सकता है और क्या आरोप-प्रत्यारोप लगा सकता है ?

विधान सभा के सदस्य की सदस्यता से सम्बन्धित प्रश्न को क्या चर्चा के लिये विधान परिषद् में उठाया जा सकता है और माननीय सभापति उस पर अपनी व्यवस्था दे सकता है ? क्या यह विधान सभा की मर्यादा का प्रश्न नहीं बनता है ?

मान्यवर, यदि इसी तरह से दोनों सदनों के बारे में परस्पर आरोप-प्रत्यारोप चर्चा का विषय बनेंगे तो इससे माननीय सदन की गरिमा गिर जायेगी । आपस में टकराहट की स्थिति उत्पन्न होगी । यदि विधान सभा के सदस्य के बारे में विधान परिषद् में कोई प्रश्न उठाया गया था तो विधान परिषद् के सभापति का यह कर्तव्य होना चाहिये था कि वह मामला विधान सभाध्यक्ष के पास वे भेज देते विचार करने के लिये और जब कोई बात का निश्चय हो जाता तो उस पर वे अपनी

व्यवस्था दे सकते थे। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया जो कि इस सदन की गरिमा के प्रतिकूल है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात को कहते जाइये, जो उचित नहीं होगा मैं उसको निकलवा दूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान "भारत का संविधान" में सदस्यता की अनर्हताओं के बारे में 191 (1) (घ) में लिखा हुआ है कि "यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर चुका है, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभी स्वीकार किये हुये है," की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, विधान परिषद् में बताया गया है कि राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां की नागरिकता ब्रिटेन में थी। इसके अलावा सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चय के सम्बन्ध में 'भारत के संविधान' में 192(1) (1) में दिया हुआ है कि "यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान मंडल का सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।"

तो मान्यवर, इस प्राविधान से स्पष्ट हो गया कि जो प्रश्न विधान परिषद् में उठाया गया है वह विधान सभा के सदस्य की सदस्यता से सम्बन्धित है और विधान सभा ने या इस सदन ने अभी इस पर विचार नहीं किया है। और यदि विधान परिषद् के सभापति इस विषय पर, बिना विधान सभाध्यक्ष के संज्ञान में लाये, अपनी व्यवस्था दे देते हैं तो इसमें संसदीय लोकतन्त्र की गरिमा का पालन नहीं किया गया है।

यह जो प्रश्न रखा गया है, कि क्या विदेशी नागरिक विधान सभा का सदस्य हो सकता है? इसके पहले कि सरकार, विधान परिषद् में कोई बयान दे यहां के सदस्य के बारे में, उसके पहले सरकार इसी सदन में स्थिति को स्पष्ट करे। राजा साहेब ब्रिटेन के नागरिक हैं और 1983 की मतदाता सूची में संख्या 385 पर मकान नं0 90 पर उनका नाम अंकित है और उनके नीचे पत्नी का नाम तथा अंकित है। तो यह बड़ी गम्भीर बात है। मान्यवर, राज्य की एकता का सवाल है। यह घटना पहली घटना नहीं है। मान्यवर, देहरादून में जान लोबो ने मतदाता सूची में अपना नाम गलत ढंग से अंकित कराया और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और बाद में वह एक जासूस साबित हुआ। एक और सदस्य के बारे में इसी तरह की चीज है और वह सदस्य इस सदन के सदस्य हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी नियत पर, किसी सदस्य की इमानदारी पर किसी तरह की उंगली उठे, लेकिन इसकी सफाई हो जानी चाहिए। मान्यवर, एक और सदस्य हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वह इस देश की नागरिकता बहुत गलत ढंग से प्राप्त की है। अगर यह सवाल हम लोगों के सामने है तो इसकी सफाई यहीं पर हो जानी चाहिए और विधान परिषद् में जो प्रश्न उठा है, वह वहां पर न हो बल्कि पहले यहीं पर हो।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समय बहुत ही सीमित है, इसलिए इस औचित्य के प्रश्न पर किसी बात को दुहरायें नहीं। कोई नयी बात कहें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय सदस्य, वाराणसी कैंट ने स्थिति से अवगत करा दिया है। मेरा एक निवेदन है कि अगर यह तथ्य सही है तो यह बहुत बड़ा असाधारण संकट उत्पन्न हो गया है। आप देखें कि

जिन संविधान की धाराओं का हवाला माननीय सदस्य ने दिया है, उनके अनुसार अगर यह आरोप किसी सदस्य पर हो कि वह विदेशी नागरिक है उसकी नागरिकता भारतीय नहीं है, तो इस विधान सभा का सारा गठन असंवैधानिक हो जाता है और सदन की अब तक की जो कार्यवाही हुई है वह सारी की सारी असंवैधानिक हो गई है। जहां पर मान्यवर, संविधान का प्रश्न उठेगा, तो वहां पर गिनती का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि क्या आप भी असंवैधानिक तरीके से चुनकर आये हैं ?

( व्यवधान )

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय सदस्य को अन्दाज नहीं है, नेता सदन जो बैठे हैं, वह संसदीय प्रक्रियाओं के ज्ञाता हैं और पंडित हैं, उनका हम सभी आदर करते हैं। अगर मैं कोई अनुचित बात कहूं तो उन्हें टोकना चाहिए। संसदीय प्रक्रिया के बारे में उनको नेता सदन से सीखना चाहिए। माननीय नेता सदन आज भी जब कोई बात कहते हैं तो हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। मैं माननीय नेता सदन से चाहूंगा कि वह अपने माननीय सदस्यों को कुछ सिखायें जिससे उनको संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान हो सके। संसदीय प्रक्रिया में जिन लोगों को विश्वास होगा उनके लिये इस सदन की महत्ता एक मन्दिर के समान है और देवता की जो प्रतिष्ठा होती है, उस देवत्व की रक्षा का भार उस पुजारी या प्रीस्ट पर होता है, उसी प्रकार से इस सदन की गरिमा का दायित्व हम सारे लोगों पर होता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक असाधारण संवैधानिक प्रश्न पैदा हो गया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री इस सदन के उपाध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं और संसदीय गरिमाओं के लिये तमाम व्यवस्थायें दे चुके हैं। मान्यवर, इस सदन की उदात्त परम्परायें हैं और स्वर्गीय राजर्षि टंडन, ए० जी० खेर और मदन मोहन वर्मा ने जो संसदीय व्यवस्थायें दी हैं उन्हें उच्च श्रेणी की आदर्श व्यवस्थाओं के नाम से जाना जाता है। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी की बात को सुनने के बाद मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह एक गम्भीर मामला है, इस पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें और अगर यह आरोप सत्य है तो उसके उपचार के लिये जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 193 में दिया गया है कि 400 रुपये प्रति दिन का दण्ड ऐसे व्यक्ति पर पड़ेगा और उसकी हाउस की सदस्यता निरस्त समझी जायेगी। मान्यवर, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार जवाहर लाल नेहरू ने मुदगल के खिलाफ पार्लियामेन्ट में मामला पेश किया था उसी तरह से नेता सदन इन राजा साहब के खिलाफ कार्यवाही करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, दो बातें मैं भी कहना चाहता हूं। मैं उन नियमों का हवाला नहीं दूंगा क्योंकि माननीय सदस्य, वाराणसी और फैजाबाद ने उन सभी बातों का उल्लेख कर दिया है। तीन बिन्दु उसमें और महत्वपूर्ण हैं जिससे उन माननीय सदस्य की इन्टेग्रेटी डाउट-फुल होती है। वह यह है कि उनकी पाकिस्तान में सम्पत्ति है, इंग्लैंड में भी उनकी सम्पत्ति है। दूसरी बात यह विचारणीय है कि यहां पर विद्वान सदस्य बैठे हुए हैं वे जानते हैं कि इंग्लैंड की नागरिकता इस बात से पैदा होती है कि वहां की धरती पर कौन जन्मा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वे माननीय सदस्य इस समय सदन म नहीं हैं । उनके यहां पर न होने का कारण यह है कि वे विदेश गये हुए हैं और उनको श्रीमती जी की डिलीवरी होने वाली है, संतान उत्पन्न होने वाली है, इसलिए वे वहां गये हैं जिससे उनकी सन्तान को वहां की नागरिकता मिले । इसलिए आप समझ लें कि विदेशी नागरिकता का उनका किस तरह से सम्बन्ध है ।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो नेता सदन हैं राजीव गांधी जी हैं, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में लिया है जिसकी राष्ट्रीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है । वे इंग्लैंड में हैं, सन्तानोपत्ति के लिये विलायत गए हुए हैं और न जाने कितने करोड़ों रुपये की सम्पत्ति सीतापुर में उनकी है और न मालूम अपनी इस सम्पत्ति से कितने वर्षों से वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि शत्रु-सम्पत्ति मिल जाय । अब उसका यह दबाव और भी तेज हो गया है । इसलिये माननीय, मेरा आपसे आग्रह है कि जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दें तो मेरी इन बातों का उत्तर भी देने की कृपा करें ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

आपने बहुत देर में मुझे समय दिया । वैसे सबसे पहले हमने यह प्रश्न आपको दिया था । वह मामला गम्भीर है और यह हमारे इस माननीय सदन के लिये ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिये एक बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । एक प्रकार से जो इस सदन की कार्यवाही हुई है वह असंवैधानिक ही हुई है । जो राजा साहब यहां पर सदस्य चुनकर आये हैं वे इस देश के नागरिक नहीं हैं । उन्होंने 420 करके और फोर्जरी करके अपना नाम वोटर्स लिस्ट में रजवाया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात कहें और किसी सदस्य के बारे में जब तक कि कोई अन्य बात तय नहीं होती...।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, ये जो सदस्य चुने गए हैं, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है । उन्होंने फोर्जरी करके वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यहां आये हैं । आज भी वे इंग्लैंड में हैं और कुछ पत्र उन्होंने अपने पैड में हस्ताक्षर करके रखे हुए हैं और आज भी वे पत्र कुछ विभागों में भेजे जाते हैं । वह फोरजरी कर रहे हैं, उनके नाम पर यहां काम हो रहा है और विभागों से उनके हस्ताक्षरित पत्र जारी किये जा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह इसकी जांच कराये और जो गलत तरीके से वह विधान सभा के सदस्य चुने गये हैं उसे आज ही निलम्बित करे । उनकी पूरी सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति है उनको इस देश में आने पर रोक लगाये ।

*श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मैंने भी इसमें लिख कर दिया है । राजा महमूदाबाद के खिलाफ जो तथ्य आपके सामने आये हैं उस सम्बन्ध में संविधान की दफा 191 (1)-घ में लिखा है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनुशक्ति को अभिस्वीकार करता है ।" तो हमारी पक्की सूचना है और आप भी जानते हैं कि राजा महमूदाबाद को नागरिकता इंग्लैंड में भी है तो संविधान की धारा 111 (1)–घ के मुताबिक एक ही समय में एक ही व्यक्ति दो देशों का नागरिक नहीं हो सकता है । इस प्रकार वह भारत के भी नागरिक हों और इंग्लैंड के भी नागरिक हों यह सम्भव नहीं है । अगर वह किसी कारण से एम0 एल0 ए0 हो जायं और उन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर ली है तो यहां की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है । उनक भारत का नागरिक होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

दूसरी जो सबसे गम्भीर बात है अगर वह निर्दलीय सदस्य के रूप में चुन कर आये होते तो कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन वह सत्तारूढ़ दल के बड़े लोगों की साजिश से आये हैं और यहां के भूतपूर्व मंत्री का टिकट काट कर आये हैं । इस कांड से सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची है । इनके इस काम में भारत के प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी और माननीय तिवारी जी भी कहीं न कहीं जुड़े हैं । इसलिए मैं स्पस्ट मांग करत हुं कि हमारें सदन का यह अधिकार है उनकी नागरिकता पर विचार करें । मान्यवर, यह मामला जो है इसमें आपके फसले का सवाल नहीं है कि जो चाहें आप फैसला दें । यह तो हमारी मजबूरी है चूंकि संविधान की मर्यादा के विरुद्ध यह हो रहा है इसलिए गवर्नर साहब को यह मामला भेजना बहुत जरूरी है । यह हमारी इच्छा पर नहीं है यह तो बांइडिंग है इसलिए इसको महामहिम राज्यपाल को भेज दें ।

श्री मयंकर सिंह––

मान्यवर, वह सदन की कार्यवाही भी अपने साथ लेकर गये हैं और यहां सदन की फोटो भी लेकर गये हैं ।

*श्री राम आसरे वर्मा––

अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत अहम मसला है । इससे संवैधानिक संटक पैदा हो गया है । पहला मुद्दा तो यह कि इस सदन के सदस्य के बारे में विधान परिषद् में चर्चा हो सकती है या नहीं या विधान परिषद् के सदस्य के सम्बन्ध में यहां चर्चा हो सकती है या नहीं ।

मान्यवर, दूसरा जो मुद्दा आता है कि क्या इस सदन का कोई भी सदस्य ऐसा हो सकता है जिसकी नागरिकता भारतीय न हो या जिसकी नागरिकता संदिग्ध हो राजा महमूदाबाद को स्पष्ट रूप से जिस दिन विधान परिषद् में चर्चा हुई उसी दिन से अखबारों और जनता में चर्चा का विषय बन गया है कि ऐसे लोग जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, वह लोग विधान सभा के सदस्य हैं, उनकी जो भी संपत्ति यहां रही उसको शत्रु संपत्ति घोषित किया जा चुका है, जिसको छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है । उनको ब्रिटिश नागरिकता से मोहब्बत है ।

हमारे संविधान में व्यवस्था है कि जो इस धरती पर जन्मा है उसको नागरिकता स्वाभाविक रूप से मान ली जाती है, वही कानून ब्रिटेन में भी है और वहां व्यवस्था है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी ब्रिटिश नागरिकता होगी । इसीलिये उनके बड़े लड़के ने इंग्लैंड में जन्म लिया था और यह भी जानकारी में आया है कि उनकी पत्नी को बच्चा पैदा होने वाला है, ऐसी स्थिति में उनको इंग्लैंड ले जाया गया है, इसलिये कि बच्चे को इंग्लैंड की नागरिकता मिले । तो ऐसे आदमी को जिसको दूसरे देश की नागरिकता प्यारी हो, जिसकी संपत्ति ब्रिटेन और पाकिस्तान में हो एवं जिसकी संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित की जा चुकी हो, क्या वह इस आदरणीय सदन का सदस्य बनने लायक है कि नहीं । यदि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं है, तो संविधान के अनुच्छेद 193 में व्यवस्था दी गयी है ऐसे माननीय सदस्य के बारे में, जो विधान सभा का संविग्ध सदस्य हो उसके बारे में यहां प्रस्ताव आना चाहिए । हमारा विश्वास है कि मुख्य मंत्री जो इसको गम्भीरता से लेगें और उसके बाद एक ऐसा प्रस्ताव लायेंगे कि जिसकी संविग्ध अवस्था है उसको सदन से निष्कासित किया जाय ।

*श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया था कि यह शासन किस तरह से अपने लोगों को लाभान्वित करना चाहता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण राजा महमूदाबाद हैं कि जब वह हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं रहे, ब्रिटेन के नागरिक हैं, तो हिन्दुस्तान की नागरिकता अपने आप स्वां ही समाप्त हो गयी । सरकार की जिम्मेदारी थी कि जब वह दुबारा यहां आयें तो भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने की एक निश्चित प्रक्रिया है उसके आनुसार उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए थी केवल वोटर लिस्ट में नाम डलवा देने से भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त हो जायेगी । इसलिये संविधान के अनुच्छेद 192(1) के अनुसार मैं अनुरोध करूंगा कि यह निश्चय करने के लिये कि सदस्यता वैध है या नहीं इसके लिये राज्यपाल के पास इसको भेजना चाहिए ।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन, जो प्रश्न यहां अभी सम्मानित सदस्य वाराणसी, कैंट और माननीय सदस्य फैजाबाद ने यहां प्रस्तुत किया है । मैं समझता हूं कि वह एक ऐसी भावना से प्रेरित हैं कि जिससे इस सदन की आम सदस्यता पर और इस सदन के प्रत्येक सदस्य की जो गरिमा और उसके जो विशेषाधिकार हैं वह अक्षुण्य रहें, उन पर किसी प्रकार का प्रहार न हो, शायद इसीलिये माननीय सदस्य, वाराणसी, कैंट ने कहा कि इस सदन के किसी माननीय सदस्य की सदस्यता वैध या अवैध का प्रश्न दूसरे सदन में नहीं उठाना चाहिए, इस दृष्टिकोण से श्रीमन्, चूंकि उन्होंने एक ऐसा विषय उठाया है जो दूसरे सदन से सम्बन्धित है, तो मैं स्वयं यह भूल नहीं करूंगा कि दूसरे सदन में हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में यहां टिप्पणी करूं जिसका उल्लेख स्वयं माननीय सदस्य ने किया है कि भूल वहां हुई है मैं वह भूल यहां दोहराऊं यह मेरे लिए उचित नहीं होगा । मेरे सामने वह दूसरे सदन की विस्तृत कार्यवाही नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि वह भूल है । यह भी कि यदि भूल है तो किस हद तक, यह भी नहीं कह सकता हूं और कोई भूल हुई है या नहीं, यह भी मैं नहीं कह सकता हूं और मेरे लिए यह कहना उचित भी नहीं होगा । लेकिन मैं माननीय सदस्य वाराणसी केन्ट की प्रशंसा करता हूं । जो प्रश्न विवादास्पद हो उसकी चर्चा यहां पर उचित नहीं है । मैं उनके सैद्धान्तिक विचार का स्वागत करता हूं ।

मैं समझता हूं कि एक सम्मानित सदस्य चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में--नामांकन पत्र दाखिल करने और स्वीकृत होने पर पर्चा भरने के वक्त जो बातें यहां कही गई हैं वह उस समय वहां पर कही गई हों । मुझे जहां तक व्यक्तिगत सूचना है, लेकिन वह प्रश्न नहीं है कि उस समय भी ऐसे एतराज त हुए, जिस समय नामांकन पत्र भरा गया जो प्रश्न चुनाव का पर्चा भरे जाने के समय उठाए जाने चाहिए और जो कारण चुनाव के बाद चुनाव पिटीशन के कारण बनने चाहिए, वह वहां उस समय कुछ नहीं हुआ । चुनाव हो गए, उनके चुनाव की घोषणा हो गयी जैसे हम सब के हुए और कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐतराज होते तो पिटीशन किया जाता, लेकिन अब 4/5 महीने बाद, उनके शपथ लेने के बाद वह किसी कारण यहां से गये हों, वह इस सदन के माननीय सदस्य हैं, जैसे हम सब लोग हैं, अब उनके चुनाव की वैधता पर शंका करें या उनकी सदस्यता पर शंका करें, यह बहुत शोभनीय नहीं है। यह वैधानिक प्रश्न जो कहीं उठाया गया है कि वह भारतीय नागरिक हैं, तो जो संविधान का उल्लेख यहां पर माननीय सदस्य फैजाबाद ने किया है, मैं भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 की ओर सम्मानित सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है—"इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे में उपबन्ध बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।" श्रीमन्, नागरिक कौन है, कौन नहीं है, इसका निर्णय संविधान के आधार पर केवल भारत की संपद कर सकती है। नागरिकता सम्बन्धी विधायन और नियमन का सारा कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में है। आगे चलकर संविधान का अनुच्छेद (5) देखें—

"5—इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति, जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास है तथा—

(क) जो भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था, अथवा

(ख) जिसके जनकों में से कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था, अथवा

(ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कम से कम पांच वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है,

भारत का नागरिक होगा।

अब श्रीमन्, कितना विस्तृत और स्पष्ट उल्लेख भारत का नागरिक होने के सम्बन्ध में है। इसके अलावा जो दूसरे देशों पाकिस्तान आदि के नागरिक हैं, उसके बारे में अनुच्छेद (8) में लिखा है :—

"8—अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके जनकों में से कोई अथवा महाजनकों (पितामह पितामही) में से कोई भारत शासन अधिनियम, 1955 में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा जो सामान्यतया इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रहता है, भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह भारत डोमीनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले या बाद, दिये जाने पर ऐसे राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर दिया गया है।

श्रीमन्, इतनी विस्तृत परिभाषा संविधान में है, उसके अंतर्गत क्या नियम हैं, कहां रजिस्टर हुये हैं कहां नहीं हुए उसकी मुझे जानकारी नहीं है। केवल मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि संविधान में जो अनुच्छेद हैं वह बहुत विस्तार से दिये गये हैं। किसी व्यक्ति ने क्या किया, अगर किन्हीं को शिकायत होती है तो उसके लिये, बिल्कुल ठीक है, जो माननीय सदस्य ने अनुच्छेद पढ़े उसके आधार पर कार्यवाही होनी चाहिये लेकिन इस सदन के लिये शोभा नहीं देता है, हम सब सदन के सदस्य हैं, किसी की सदस्यता पर कोई आक्षेप करें। अगर किसी को आपत्ति है तो संविधान की मर्यादा के अनुसार ही कार्यवाही कर सकता है। लेकिन प्रायः दर्शन में हम यह देखते हैं कि अनुच्छेद इतने विस्तृत हैं और इतने व्यापक हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं ने इस बात को बहुत उदार दृष्टिकोण से, सहिष्णुतापूर्वक देखा है, अगर कोई भारत का नागरिक बाहर रहा फिर भी उसकी नागरिकता

के बारे म सहिष्णुता दिखायी ह । मैं नहीं समझता कि सदन असहिष्णु इस प्रश्न पर होना चाहेगा । जो हमारा संविधान है सहिष्णु है, अगर हम असहिष्णुता के दायरे में आ जायं और यहां विचार हो तो उस पर अलग-अलग सदस्यों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं । लेकिन संविधान सहिष्णुता प्रदर्शित करता ह, संविधान टालरेंट है । यह कहूंगा जब सारी जनता जनार्दन ने अपना निर्णय दे दिया है, मैं अपने सम्मानित सदस्य सीतापुर से आग्रह करूंगा कि इसमें कृपा करके राजीव गांधी या किसी का नाम न लायें । यह उनको शोभा नहीं देता है । वह शोभनीय व्यक्ति हैं, शोभनीय व्यक्ति को अशोभनीय बात शोभा नहीं देती है ।

(मेजों की थपथपाहट)

मैं समझता हूं कि हर जगह केवल राजनीतिक चक्षुओं से नही देखना चाहिये । हमारे यहां संसदीय चक्षु हैं, तो राजनीतिक चक्षुओं और संसदीय दोनों चक्षुओं का समन्वय हो यही मेरा उनसे आग्रह है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय नेता सदन संसदीय प्रक्रिया के पारंगत हैं इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है । लेकिन उसका नाजायज फायदा भी नहीं उठाना चाहिये । संविधान की तमाम प्रक्रियाओं का जिक्र करते हुए इस सही मामले को छिपाने की कोशिश की गयी है । सारी दुनिया जानती है, राजा साहब के बारे में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन राजा साहब के पिता जी हिंदुस्तान के बंटवारे की जड़ में थे । यह सारी ऐतिहासिक बातें हैं । अगर मान लीजिये उस वक्त कोई मामला, चुनाव प्रक्रिया के समय कोई मामला नहीं उठा, तो संविधान की धारा 102 के अंतर्गत, अगर यह जानकारी हो जाय कि किसी को सदन की सदस्यता गलत मिल गयी है तो जो आपने स्वयं कहा है इस मामले को संसद को भेज देना चाहिये । राष्ट्रपति के पास यह जाना चाहिये । यदि कोई गलत तरीके से सदस्य बन गया है तो यह भी प्राविधान है कि 500 रुपये रोज, सदन में जितने दिन वह बैठा है उसको हर्जाना देना पड़ेगा । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन ने, इस प्रकार से विदेशी शक्तियों को संरक्षण देने का प्रयास किया है । इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग चले गये) ।

*श्री जनादन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह दर्शाया कि भारत के संविधान की यह-यह धारायें हैं और वह भारत के नागरिक हैं । मुझे खेद है कि जो व्यक्ति आदरणीय सदन का सदस्य है वह आज यहां पर नहीं है और उसके बारे में यहां पर तरह-तरह की बातें हुई । लेकिन जो मूल बात है वह अनुत्तरित रह गयी कि जिस दिन उन्होंने नामिनेशन पेपर फाइल किये उस दिन वह ब्रिटेन के नागरिक थे या नहीं । इसका स्पष्टीकरण कौन देगा, जब वह यहां पर नहीं हैं । आप शासन को निदेश दें कि जब उनके दल के सदस्य सदन में उपस्थित हों तो वह स्वतः स्पष्टीकरण दें कि जिस दिन उन्होंने नामिनेशन फाइल किये थे वह ब्रिटेन के नागरिक थे या नहीं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इसमें स्पष्टीकरण नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता--

बात तो पूरी हो गयी । इस समय स्पष्टीकरण का अवसर नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर स्पष्टीकरण हो ही नहीं सकता । आप तो पुराने सदस्य हैं । स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । औचित्य के प्रश्न पर आप अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मूल बात जिस पर सारी चर्चा हुई, यह मूल बात रह गयी । वह जिस दिन नामिनेशन फाइल किये वह उस दिन ब्रिटेन के नागरिक थे कि नहीं थे ? इसलिए जब तक स्पष्टीकरण नहीं हो जायगा, तब तक संवैधानिक हल कहां होता है ?

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं इसके लिए कतई तैयार नहीं हूं कि ब्रिटेन के लोग गुमराह हों या यह सदन गुमराह हो ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

यह स्पष्टीकरण का समय नहीं है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से आदर करता हूं और उनकी बातों को हमेशा मान्यवर, बहुत वर्षों से जब वह इधर बैठते थे, मैं सुनता आ रहा हूं मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जो अपनी विद्वता का लाभ उठाकर ऐसी बात कह देते हैं, जिससे मूल बात छूट जाती है । मान्यवर, इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 8 को उन्होंने पढ़ा । मान्यवर, 9 को पढ़ लीजिए। 9 में पढ़ रहा हूं । यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक न होगा ।

मान्यवर, वह न तो अनुच्छेद 8 के अनुसार और न अनुच्छेद 9 के अनुसार भारत का नागरिक समझा जायेगा, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छतः किसी देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है। उनके पिता राजा साहब महमूदाबाद पाकिस्तान चले गये इनके पिता का पाकिस्तान बनवाने में कितना हाथ था, इसको सभी जानते हैं उनकी महमूदाबाद हाउस के के नाम से कोठी बनी हुई है । उनके जो ये पूज्य पुत्र हैं, यह भी चले गये । मान्यवर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने 8 पढ़ा, 8 में लिखा है--जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारम्भ से पहले या बाद, दिये जाने पर राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिकता पंजीबद्ध कर लिया गया है । मान्यवर, वह प्रमाण-पत्र न मेरे पास है और न मुख्य मंत्री जी के पास है ।

श्री नारायन दत्त---

माननीय सदस्य ने जो संविधान का अनुच्छेद पढ़ा उसमें दो शब्द रह गये, अगर वह पढ़ दें, "स्वेच्छा से", तो बात स्पष्ट हो जाती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर मैंने पढ़ा है । मैं फिर से पढ़ देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता --

फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वह पढ़ा हुआ माना जायगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त --

मान्यवर, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है, तो वह

अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक न होगा। मान्यवर, राजा साहब का हाथ भारत को टुकड़ा बनवाने में था, इसलिए वह यहां से पाकिस्तान स्वेच्छतः गये थे। आज अगर माननीय सदस्य इंग्लैंड गये हैं, तो स्वेच्छतः गये हैं। वह इंग्लैंड इसलिए चले गये ताकि वहां जो बच्चा पैदा हो, उसको वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाय। स्वेच्छा शब्द मैंने छुपाया नहीं था, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने नियम 8 पढ़ा है वह लागू नहीं होता है।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी तथा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और माननीय नेता सदन को मैंने बड़े ध्यान से सुना, जिन बातों के हवाले इसमें दिये हैं उनको देखते हुए मैं यह कहूंगा कि यह मामला इलेक्शन कमीशन तथा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से अटैच है इसलिए मैं इस पर निर्णय सुरक्षित रखता हूं।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

## विधान सभा कि प्रवर समिति द्वारा राजस्व संहिता विधेयक के सम्बन्ध में तैयार किये प्रतिवेदन की चर्चा न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है। राजस्व संहिता विधेयक के बारे में। मान्यवर, सातवां विधान सभा के समय से इस बात का प्रयास चल रहा था कि जितने भी राजस्व सम्बन्धी कानून हैं उन सबको एक कोड में कोडीफाई करके उनको एक संहिता बनाई जाय। सातवीं विधान सभा में मान्यवर, इस पर सरकार ने बिल सदन में प्रस्तुत किया था वह सेलेक्ट कमेटी को रिफर हो गया था सेलेक्ट कमेटी इसमें पूरा काम नहीं कर पायी थी कि विधान सभा भंग हो गयी। फिर आठवीं विधान सभा में सातवीं विधान सभा को सेलेक्ट कमेटी को संस्तुतियों का समावेश करते हुए एक नया राजस्व संहिता विधेयक पेश किया गया जो बाद में सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया गया। सेलेक्ट कमेटी ने सारे देश का दौरा किया जिसमें लाखों रुपया पब्लिक एक्सचेकर का खर्च हुआ। उसके बाद आठवीं विधान सभा में उसका प्रतिवेदन सदन के पटल पर नियम 132 में रखा गया। फिर मान्यवर, उस पर राजस्व मंत्री जी द्वारा चर्चा का प्रस्ताव आना चाहिये था ? मान्यवर, मेरा सरकार पर चार्ज है कि चर्चा के लिए इसलिए प्रस्ताव नहीं आया क्योंकि प्रवर समिति का जो प्रतिवेदन था उसमें राजस्व परिषद् को भंग करने की संस्तुति की गयी थी। संविधान के अनुच्छेद 146 (2) में मंत्रि परिषद् विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है लेकिन उस समय की मंत्रि-परिषद् के व्यवहार से लगता था कि विधान सभा के प्रति उत्तरदायित्व सेकेन्डरी हो गया। मान्यवर, इसलिए इस पर चर्चा के लिए प्रस्ताव नहीं इन्ट्रोड्यूज हुआ। क्योंकि सरकार पर राजस्व परिषद् के आई० ए० एस० अधिकारियों का दबाव था। अब नवीं विधान सभा है। इसमें भी कोई मंशा सरकार की दिखाई नहीं देती है कि चर्चा का प्रस्ताव करेंगे। मान्यवर, सेलेक्ट कमेटी पर लाखों रुपये का खर्चा होता है उसकी संस्तुति पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह गलत बात है। इससे जनता को ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ भत्तों के लिए ही काम करते हैं। यह सरकार नियमों की लगातार अवहेलना कर रही है। मान्यवर, आप देखें नियम 14 में 90 दिन के उपवेशन की बात कही गयी है। लेकिन यह सरकार 90 दिन का उपवेशन कभी नहीं करती है। नियम 132 में प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया तो सरकार को उसे चर्चा के लिए पेश करना चाहिये

था । मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहूंगा कि नियम 132 तथा 132 'क' के बीच में कितना समय रिजनेबुल है । जिसके अन्दर सरकार को चर्चा के लिए प्रस्ताव प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार के लिये प्रस्तुत करना चाहिए । अगर आप इसमें निर्देशित नहीं करेंगे तो हमारे नियमों के साथ इसी तरह से मजाक होता रहेगा । तो मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपसे इस प्रश्न पर व्यवस्था चाहता हूं । जब किसी सेलेक्ट कमेटी या किसी कमेटी का प्रतिवेदन प्राप्त हो तो उस पर विचार के लिए प्रस्ताव आने के लिए कितना रिजनेबिल समय समझा जायेगा या अनन्तकाल तक की आजादी दी जायेगी, मंत्रिपरिषद् को । वह चाहें तो ले आयें या न लायें तीसरा आई० ए० एस०, आई० सी० एस० के दबाव में यह नहीं लाया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि वरीयता हमारे प्रति, सदन के प्रति उत्तरदायित्व का होगा या राजस्व परिषद् के अधिकारियों के प्रति । इन तीनों बातों पर आपसे व्यवस्था चाहता हूं और नेता सदन भी इस बात का ध्यान रखें कि पब्लिक एक्सचेकर का जो लाखों में रुपया खर्च हुआ है, पब्लिक गलत धारणा न बने, इस बारे में कोई निश्चित आश्वासन देने की कृपा करेंगे ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

माननीय तिवारी जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है । सातवीं विधान सभा में यह प्रयास हुआ था कि राजस्व कानूनों की विविधता और जटिलता को दृष्टिगत रखते हुए, राजस्व कानूनों को एक पुस्तक में प्रस्तुत किया जाय और यह समझा गया कि जो हमारी पुस्तक बने वह स्वतः पूर्ण हो, साथ ही साथ यह विधि सरल, सुबोध हों । 26 कानूनों के स्थान पर प्रासंगिक और प्रभावी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्व संहिता विधेयक, 1980 को 4 सितम्बर, 1980 को यहां पर पुरःस्थापित किया गया और 17 सितम्बर, 1980 को एक प्रस्ताव के द्वारा उसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया । प्रवर समिति की उस पर 80 बैठकें हुईं । प्रवर समिति के विचार के उपरान्त मंत्रिमंडल की एक उप-समिति बनी । उसकी कोई मीटिंग नहीं हो पायी थी कि विधान सभा भंग हो गई और वह व्यपगत हो गया । भारत के संविधान के अनुच्छेद 196 (5) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । इसमें स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था है ।

ए बिल विच इज पेन्डिंग इन दि लेजिस्लेटिव असेम्बली आफ ए स्टेट आर विच हैविंग बीन पास्ड बाई दि लेजिस्लेटिव असेम्बली इज पेन्डिंग इन दि लेजिस्लेटिव काउन्सिल शैल सेप्स आन ए रिजोलूशन आफ दि असेम्बली ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

आप प्रस्ताव ला रहे हैं या नहीं ?

श्री गौरी शंकर—

इसमें स्पष्ट व्यवस्था है । वह व्यपगत हो गया । चूंकि मंत्रिमंडल की उपसमिति बन गयी है, इस पर विचार करने के लिए । चूंकि बहुत सारे मामलों पर गम्भीरता से विचार होना है, अतः उपसमिति के विचार के बाद सदन की भावना के अनुरूप कार्य किया जायेगा ।

## लेखानुदान का प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् भी इसको वित्तीय स्वीकृति जिला में न भेजे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 को देखें कृपा करके । 202 में यह व्यवस्था दी गई है कि वार्षिक बजट पेश किया जायेगा । 203, 204 में है बजट कैसे बनेगा । 203, 204 की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्रिया लम्बित हो जाती है, 31 मार्च तक हो गया तो 206 में लेखानुदान की व्यवस्था की गई है। 206 को देखने की कृपा करें। 206 में यह व्यवस्था है। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी यानी 2, 3, 4, 5 के होते हुए भी किसी राज्य विधान सभा को किसी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया की पूर्ति लम्बित रहने तक, पेशगी देने की, इस अनुदान को हमने 5 महीने के लिए पास कर दिया उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है। मान्यवर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने बीत रहे हैं। मेरी यह जानकारी बिल्कुल सही है कि अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट प्लान है जिला योजना जिसमें पूरे बजट का 30 फीसद पैसा खर्च होना है वह लेखानुदान में था। अभी मान्यवर, अभी कल तक की ही बात है परसों मेरे जनपद में 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग थी। उसमें माननीय सुरेन्द्र सिंह, न्याय मंत्री भी वहां उपस्थित थे उसमें लिखा गया है कि जिला सेक्टर योजना 1985-86 में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति तथा मंडलीय नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय की स्वीकृति शासन स्तर से अभी तक नहीं प्राप्त हुई है।

मान्यवर, जब यह जानकारी मुझे अपने जनपद की मिली तो मैंने बीसों विधायक से बातचीत की और हर एक विधायक ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे जनपद में भी वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं गयी है। मान्यवर, आप कल्पना कीजिए अनुच्छेद 206 में हमने लेखानुदान प्राप्त कर सरकार को खर्च करने का अधिकार दे दिया लेकिन सरकार की शिथिलता, सरकार की अव्यवहारिकता, सरकार की असंवेदनशीलता के कारण जिला योजना जो है वह बिल्कुल ठप पड़ी है। अभी तक वित्तीय स्वीकृति किसी भी जिले में नहीं गयी है। अब बरसात का मौसम आ गया है। वर्षा में कोई काम नहीं होता है। इसलिए जो विधान मंडल ने अधिकार दे दिया शासन को, हमारे इस पूरे बजट को। बजट क्या है? यह बजट केवल लेखाजोखा नहीं है, बजट जो नीति सम्बन्धी वक्तव्य भी है अभी तक जो वित्तीय स्वीकृति नहीं गयी उससे सम्पूर्ण जिला योजना के विकास अवरुद्ध है। माननीय मुख्य मंत्री जो जो वित्त मंत्री भी हैं, इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि अगर कोई वैधानिक स्थिति है तो माननीय वित्त मंत्री जी इससे अवगत कराने की कृपा करें कि लेखानुदान पास करने के बाद 4 महीने बीत रहे हैं जिला योजना के कार्य क्यों ठप पड़े हैं, प्रदेश के कार्य क्यो ठप हैं?

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि वित्तीय स्वीकृति जिला योजना सीतापुर के सम्बन्ध में नहीं दी गयी है। मैं इस लिए सीतापुर को कह रहा हूं क्योंकि निजी जानकारी भी आपकी सीतापुर के बारे में है। मैं श्रीमन्, इसमें अवश्य दिखवा लूंगा कि जो वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गयी है। वैसे श्रीमन्, लेखानुदान के बारे में आप जानते हैं कि कोई नया मद या नया व्यय लेखानुदान का भाग नहीं हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने इस प्रश्न को अस्वीकार किया।

## कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[1 बज कर 50 मिनट]

श्री फजलुल बारी--

नियम 63 में एक सूचना दी थी।

श्री अधिष्ठाता--

यह परीक्षण में है जब आ जायेगी तो ले लूंगा। नियम 56 में जो सूचना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आई है इनमें जो सदस्य भाग लेना चाहते हैं उनके नाम पढ़ देते हैं। डाक्टर दिनेश जोहरी, माननीय अवनिाश कुमार सिंह, माननीय सत्य प्रकाश विरुज, माननीय सरदार सिंह जो श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां विधायक के विदेशी नागरिक होने के सम्बन्ध में सवाल किया है। इसमें इन्होंने यह विषय बार-बार उठाया है, नियम 56 में। माननीय राम गोविन्द चौधरी, माननीय राजेन्द्र गुप्त ने गरीबों का लाभ उठा कर तथा जोर जुल्म के बल पर प्रदेश मे व्यापक धर्म परिवर्तन तथा श्री हर्ष वर्धन ने प्रदेश के कतिपय उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

श्री भोपाल सिंह, श्री बुद्धपाल सिंह खुर्जा वाले, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री त्रिलोक चन्द्र और श्री राम सरन ने मेरठ में पाइरिला के प्रकोप के सम्बन्ध में कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री राम सरन दास ने नियम 56 में दो सूचनाएं दी है। उन्हें कोई एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना देनी चाहिए थी। श्री वेनी प्रसाद वर्मा, श्री राम सागर, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी और श्री राम सरन ने बाराबंकी सीतापुर, फैजाबाद और लखनऊ में सीवेज समस्या के सम्बन्ध में कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री विक्रमादित्य पान्डेय ने बिहार सरकार द्वारा बकसर कोयलर बांध के निर्माण से बलिया जनपद के कई गांव जलमग्न होने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन की बात कही है। श्री गौरी शंकर भइया ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में जहरीली दवाओं की बिक्री के सम्बन्ध म नियम 56 के तहत कार्य स्थगन की बात कही है। श्री सत्यपाल सिंह ने 12 जुलाई को आम्मी शाहाबाद रेलवे पुलिस स्टेशन पर भूतपूर्व विधायक श्री दधीच सिंह पर हमले की बात कही है। श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ने ललितपुर के हवाई पट्टी पर 10-12 लाख रो गेहूं के सड़ने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन की बात रखी है। श्री माता प्रसाद पान्डेय, श्री सुखपाल पान्डेय और श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसूफ ने देवरिया में श्री सुभाष यादव की हत्या के सम्बन्ध में नियम 56 के तहत कार्य स्थगन की बात रखी हैं, श्री बदन सिंह ने आगरा नगर महापालिका द्वारा नालों की सफाई न किये जाने से जल निकासी की समस्या के बारे में नियम 56 के तहत बात रखी है, श्री यदुनाथ सिंह ने नरेन्द्र देव कृषि विद्यालय के कुलपति पद पर किसी की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में बात रखी है। श्री फजलुल बारी ने गोन्डा जिला से राप्ती नदी पर स्थित पिपराघाट में हुई नाव दुर्घटना में लोगों के मरने के सम्बन्ध में बात रखी है और श्री रेवती रमण सिंह ने महा पालिका तथा टाउन एरिया में करों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध मे नियम 56 के तहत कार्य स्थगन की सूचना दी है। मैंने श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री भोपाल सिंह और श्री गौरी शंकर भइया, इन तीन माननीय सदस्यों को सुनने के लिये स्वीकार किया है और शेष को अस्वीकार किया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं कि अभी सामान्य बजट पर चर्चा होनी है। उसमें आप अपने जनपद से सम्बन्धित बात कह सकते हैं। वहां पर आपको बड़े पैमाने पर अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे उस समय अपनी उन तमाम बातों को अपना पक्ष रखते हुये कह दें। इस समय जितना मुमकिन होगा उतने ही लोगों को सुनने की कोशिश करेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मेरा जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव है, जिस विषय पर वह तात्कालिक घटना भी है। मान्यवर, इस प्रदेश में

बार बार धर्म परिवर्तन की खबर आती रहती है कि धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती से कराया जाता रहा है। पिछली विधान सभा में भी धर्म परिवर्तन के ऊपर कई बार चर्चा की गई। और, अभी पूरे प्रदेश के अधिकांश जनपदों में गरीबी का लाभ उठा कर के पेट्रो डालर के बल पर, विदेशी धन खर्च करके, धर्म परिवर्तन कराने का काम, विदेशी शक्तियों के इशारे पर इस प्रदेश में किया जा रहा है। बहराइच, बनारस, मिर्जापुर, बाराबंकी, गाजीपुर, बलिया आदि ऐसे कम से कम 15-20 जनपदों में अशिक्षित, गरीब लोगों को विदेशी मुद्रा देकर के, विदेशी शक्तियों के इशारे पर, उनका हिन्दुत्व से मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया गया है। इससे बड़ा लोक महत्व का प्रश्न और कोई नहीं हो सकता। मान्यवर, संविधान में व्यवस्था है कि धर्म प्रचार करने की छूट है, लेकिन जोर जबरदस्ती से किसी का धर्म परिवर्तन कराने की छूट नहीं है। मान्यवर, यह भी इस देश में खबरें प्रकाशित होती रहती है कि अरब देश के लोग झूठी शादी आदि का स्वप्न यहां की गरीब लड़कियों को दिखला कर, उन्हें बहला-फुसला कर उनकी जिन्दगी बिगाड़ने का काम भी किये हैं।

मान्यवर, पूर्वांचल में नट जाति के लोग रहते हैं, इस जाति की आबादी देश में लगभग 5-7 लाख है। इसमें 80 प्रतिशत लोग गरीब हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से इन्हें प्रोत्साहित नहीं किया गया है। यह लोग बंजारा टाइप हैं। इन नट जाति के गरीब लोगों को पेट्रो डालर के माध्यम से, विदेशी शक्तियों के इशारे पर, डरा धमका कर इनसे धर्म परिवर्तन कराया गया है, उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया गया है। यह भी उनसे कहा गया कि तुम इस बात को किसी से नहीं कहोगे।

मान्यवर, हिन्दू से मुस्लिम, हिन्दू से क्रिश्चियन इस तरह से अधिकांश धर्मों की संस्थाओं द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धन के बल पर गरीब आदमी की गरीबी का मखौल उड़ाया जा रहा है। मान्यवर, इस तरह के कार्यों से साम्प्रदायिक आग भी भड़क रही है। अगर, इस पर नियन्त्रण न किया गया, तो प्रदेश का बड़ा ही अहित हो जायेगा और उस भड़की आग को सुलझाने में ही सरकार का तमाम समय लग जायेगा। मान्यवर, अरब देशों के इशारे पर, पेट्रो डालर के बल पर जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, यह एक दुखद घटना है। मैं चाहूंगा कि आप सदन के तमाम कार्य रोक कर, इस लोक महत्व के महत्वपूर्ण व अविलम्बनीय महत्व के विषय पर आज सदन में इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, जो माननीय चौधरी जी ने बात कही है, मैं उसे दोहराऊंगा बिल्कुल नहीं। लेकिन जो इस पर चिंता है, वह मैं प्रकट करना चाहता हूं मान्यवर, अभी थोड़े दिन पहले दक्षिण भारत में भी इस प्रकार की घटना घटित हुई थी, जिस पर स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी चिंता प्रकट की थी। मेरी माननीय मुख्य मन्त्री जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने खुद चिंता व्यक्त की थी और यह आदेश जारी किये थे कि जो गरीब पिछड़े लोग हैं, उनको सामाजिक स्तर पर लाने में सफलता नहीं मिली है, उनकी तरफ सरकार ध्यान देगी। मान्यवर, मैं बहराइच भी गया था, वहां मैंने देखा कि सरकार ने कोई काम नहीं किया था। और इस तरह से सम्पूर्ण प्रदेश में, ऐसे जो हमारे गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, यह हमारे हिन्दू समाज की भी कमजोरी है, जो आज तक ऐसे लोगों को सामाजिक स्तर तक नहीं ला सके, उन पर जोर जुल्म व दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ी दुख की बात और कोई हो नहीं सकती है । इसमें सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष का कोई सवाल नहीं है । यह सवाल हमारे विचारों का है और हमारे सिद्धान्तों और आदर्श का है । कोई यदि स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन चाहता है तो वह करे लेकिन यदि किसी का जोर व जुल्म के साथ धर्म परिवर्तन किया जाता है तो वह बड़ी खतरनाक बात है ।

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानते हुए जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी श्रीपति मिश्र जी थे तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था सभी जिले के एस0 पी0 को, जिसमें लिखा गया था कि यदि जरा भी कहीं इस तरह के संकेत मिलते हों तो वहां पर जाकर उस पर कड़ी कार्यवाही की जाय, लेकिन इसके बावजूद भी आज प्रदेश के चारों तरफ अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र रचा जा रहा है । नेपाल में जोरों से धर्म परिवर्तन हो रहा है । इसके किनारे-किनारे जो जिले हैं वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है । इसको रोकने के लिए शासन पूरी तरह से उपेक्षित है । शासन जानबूझकर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कराता रहा है, जिससे तनाव पैदा हो रहा है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप चर्चा करवा दें ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैं एक असल बात कहना चाहता हूं । यहां पर एक शब्द जोर-जुल्म कहा गया इसलिए आपकी सहूलियत के लिए कहना चाहता हूं कि जो पेट्रोडालर की बात कही कई है केन्द्र इसका पता लगाये कि यह पेट्रोडालर कहां से किसके पास आ रहा है और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है । मूल प्रश्न यह है कि लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं । इस देश में 5 हजार साल से एक कौम पर जुल्म हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री फजलुल बारी साहब आप बैठ जायं । अगर गोन्डा से सम्बन्धित कोई बात कही जाती है, तब आपका कहना उचित था ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री कौल साहब आपके जिले से मुतालिक बात है, आप स्पष्टीकरण में कुछ कहना चाहेंगे ।

(श्री मनहर नाथ कौल कहने के लिए खड़े हुए ।)

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, यह तो चर्चा कराने वाला विषय है । इस पर शासन पक्ष का आदमी कैसे बोल सकता है । नियमों के विपरीत है ।

श्री अधिष्ठाता--

यदि नियमों के विपरीत है तो श्री कौल जी आप बैठ जायं । (श्री मनहर नाथ कौल अपने स्थान पर बैठ गये ।)

श्री भोपाल सिंह--

मान्यवर, विगत 4 मास से मेरठ मंडल में पाइरिला का प्रकोप चल रहा है । गन्ने की फसल समाप्त हो गयी है । 50 प्रतिशत लोगों ने अपने गन्ने को जोत दिया है । इसी गन्ने से चारे में भी पाइरिला का प्रकोप आ गया है । चारे की समस्या भी वहां पर आ गयी है । खरीफ की फसल, मक्का की फसल और उरद आदि में भी पाइरिला लग गया है । लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में शासन ने इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है । मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी इस सम्बन्ध में बात की थी । उन्होंने सेक्रेटरी से टेलीफोन पर भी कहा था, लेकिन आज तक इस समस्या पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । करोड़ों रुपए की दवाई जो खरीदी जाती है, उसे कर्मचारी लोग बेच देते हैं । मैंने इस सम्बन्ध में एक

बार शिकायत भी की थी । मैंने उस कर्मचारी को गन्ना विभाग के अधिकारी ने दवाई बेचते हुए पकड़ा भी, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई अपितु उसके फेवर में रिपोर्ट शासन को भेज दी गई ।

एक बार दवाई डेटइक्सपायरी की दी गई । फिर शिकायत के बाद दोबारा दवा दी गयी लेकिन वह दवाई 2 परसेन्ट भी छोट किसानों को नहीं दी गई है । बड़े-बड़े किसानों को दी गई है, छोटे-छोटे किसानों को नहीं दी गयी है । इसलिए मैं चाहूंगा कि फसल में, व चारे में इसका छिड़काव हवाई जहाज द्वारा किया जाय । किसानों के जो प्रोनोट भर लिय गये हैं, वापस किये जायं, उनसे पैसा न लिया जाय क्योंकि उस दवा से पाइरिला नहीं मरा और उनकी लगान माफी की जाय । बैंकों की देय आगे आने वाली फसल तक स्थगित की जाय । बैंकों का ब्याज माफ किया जाय । मेरे क्षेत्र के जो ग्राम गन्ना समिति खतौनी, बुढ़ाना, रमाला, बागपत में पड़ते हैं, उनमें दवाई बिल्कुल नहीं छिड़की गयी । उन ग्रामों में भी दवाई छिड़कवाने की व्यवस्था की जाय । जो बैंकों का ब्याज है, उसको माफ किया जाय और आज इस पर चर्चा की व्यवस्था की जाय ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मेरा और राम गोविन्द जी का जो प्रस्ताव था उस पर आपने.....

श्री अधिष्ठाता--

मैं उसे देखूंगा ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया--

अरे भाई मुझे बुलाया गया है,...

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

भोपाल सिंह जी ने जो मामला उठाया है वह बहुत गम्भीर....

(व्यवधान)

आपने दूसरा विषय ले लिया । मेरठ मण्डल में गन्ने की फसल 50 फीसदी नष्ट हो गयी है । बुलन्दशहर से लेकर सहारनपुर तक....

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता—

आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

फसल नष्ट हो रही है और सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । इसलिए आज इस सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय । इससे ज्यादा और क्या औचित्य होगा । हम लोग यहां बैठे रहें, 60 रुपया ले कर यहां से चले जायें....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने गौरी शंकर भइया जी को बुला लिया है, अब आप बैठें ।

श्री गौरी शंकर भैइय—

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत...

(व्यवधान)

(सर्वश्री किरन पाल सिंह, भोपाल सिंह, रिछपाल सिंह वंसल, हरेन्द्र मलिक, सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता विरोधी दल, आप अपने सदस्यों को अनुशासित करें ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के प्रयास से सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री किरन पाल सिंह—।

इतना गम्भीर विषय है और आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने किसी कार्य-स्थगन पर कोई निर्णय नहीं दिया है। निर्णय देने से पहले आप कैसे अपनी बात कह रहे हैं....

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय सदस्यों के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है। यह मामला पूरा का पूरा मुख्य मंत्री जी की जानकारी में और सरकार की जानकारी में आ चुका है। इसके लिए कोई न कोई रास्ता सोचना चाहिये। किसान बरबाद हो गया है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जब तक बहस चल रही है, मैंने माननीय राम गोविन्द जी से कहा भी था कि तीनों को सुनने के बाद काय-स्थगन प्रस्ताव जिस प्रकार का है, उस पर अपना निर्णय या अपना मन आपको दूंगा, लेकिन उससे पूर्व ही "वैल" में आ जाना उचित बात नहीं है, यह बात माननीय नेता, विरोधी दल अपने सदस्यों से कहें और माननीय सदस्य भी स्वयं सोच लें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

एक-एक पक्ष पर आप सरकार से जवाब दिलवा दिया करें। सरकार की तरफ से बयान नहीं होता है, इसलिये असंतोष स्वाभाविक है। यह पाथरिला का मसला है, फसलें नष्ट हो गयी हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

यह बात आ चुकी है, नेता विरोधी दल ने कह दिया है, आप बैठें।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

माननीय नेता, विरोधी दल ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन यह पहले भी कह सकते थे। अगर माननीय सदस्यों के यहां "वैल" में आ जाने के बाद कोई बात कही जाती है, तो यह एक तरह से प्रोत्साहन होता है, सदन को अव्यवस्थित करने का जो प्रयास है, इसकी भर्त्सना माननीय नेता विरोधी दल को स्वयं करनी चाहिये।

(व्यवधान)

मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी दल के किसी सदस्य की बात अनसुनी की जाती है तो माननीय नेता को कहना चाहिये और अगर नेता के कहने पर भी कोई उपचार न हो, तो कार्यवाही कीजिये। आप जहां बैठे हैं वहां से चर्चा की मांग नहीं कर सकते हैं, यहां आकर सदन को अव्यवस्थित करते हैं?

(घोर व्यवधान)

मैं आपसे कहता हूं कि नेता, विरोधी दल अपनी तरफ से द और आप चाहें स्वीकार कर लें लेकिन ऐसी चर्चा स्वीकार न करें, जिसकी मांग अव्यवस्था उत्पन्न करके की गयी हो।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह—

माननीय मन्त्री जी धमकी दे रहे हैं, आपके माध्यम से। यह

पाइरिला का विषय इतना गम्भीर है, आप सुनना नहीं चाहते हैं । बुलन्दशहर भी मेरठ मंडल में आता है ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

खुद तो नियंत्रित हों, दूसरों को क्या नियंत्रित करेंगे ।

(श्री किरनपाल सिंह के खड़े रहने पर ।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय किरनपाल सिंह जी । आपने तो इस विषय पर कोई सूचना भी नहीं दी है ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

यह बात सही है कि मैंने लिखकर नहीं दिया है । यह भी आपको जानकारी दे दूं कि यह इतना गम्भीर विषय है कि पूरा जिला प्रभावित है । जिस दिन मैं आ रहा था गाड़ी ढाई घंटे लेट थी....।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री किरन पाल सिंह--

प्रदेश के अन्तर्गत कृषि विभाग और गन्ना विभाग में लड़ाई छिड़ी हुई है, कृषि विभाग दवा का छिड़काव करने का दम भरता है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मेरा ख्याल है माननीय किरन पाल सिंह जी, आप मेरी बात को सुनिये कि जो माननीय सदस्य भोपाल सिंह जी ने अपना सुझाव रखा है उस पर पहले कृषि मंत्री जी जवाब दे दें ।

श्री किरन पाल सिंह--

[ × × × ]

श्री अधिष्ठाता--

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री गौरी शंकर भइया--

व्यवस्था के प्रश्न पर मन्त्री जी कैसे व्यवस्था देंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों के विचार आ गये हैं इसलिये मैं कृषि मन्त्री को कह रहा हूं कि वे संक्षेप में अपनी बात को कह दें ।

श्री गौरी शंकर भइया--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि एक बार आपने मेरा नाम पुकार लिया और व्यवस्था दे दी कि इस प्रकरण पर जब आप तीनों सदस्यों को सुन लेंगे तब अपनी व्यवस्था देंगे । यहां अभी एक ही सदस्य के विचार आये हैं उसके बाद आप मन्त्री जी को भाषण करने को कह रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

मैंने अभी कार्यस्थगन पर कोई निर्णय नहीं दिया है ।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा पहले आप हमको सुन लें उसके बाद आप मन्त्री जी को बुला लें ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि आप पहले माननीय गौरी भइया को सुन लें उसके बाद आप कृषि मन्त्री जी को बुला लें क्योंकि आप पहले यहां उनका नाम पुकार चुके हैं ।

---

नोट--[ × × × ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

हां, मैंने पहले उनको बुलाया था फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया और इस तरह से व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा हो गयी तो मैंने कृषि मन्त्री जी को बुला लिया कि वे दो शब्दों में अपनी बात को कह दें। मन्त्री जी को बुलाने का मतलब यह नहीं है कि मैंने निर्णय दे दिया।

श्री गौरी शंकर भइया--

पहले आप सदस्य का नाम पुकार लेते हैं फिर मन्त्री जी को बुला लेते हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं अपनी बात को वापस लेता हूं और माननीय गौरी शंकर भइया को बोलने के लिये कहता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, पहले आपने कृषि मन्त्री का नाम पुकार लिया है। मैं चाहता हूं कि पहले कृषि मन्त्री जी को बोलने दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपने अपनी बात कह दी, अब आप बैठिये। पहले माननीय गौरी भइया बोलेंगे उसके बाद यदि मन्त्री जी कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

*श्री गौरी शंकर भइया--

अधिष्ठाता महोदय, अलग-अलग आदमियों के बारे में अलग-अलग राय नहीं हो सकती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं नियम 56 के अन्तर्गत पूरे उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित जो यह महत्वपूर्ण मामला है दवाओं का केन्द्र से बिक्री के सम्बन्ध में उसे मैं सदन में चर्चा के लिये रखता हूं। समस्त उत्तर प्रदेश में दवा की दूकानों म जो 22 दवाएं बिक्री के लिये प्रतिबन्धित हैं और जिन पर भारत सरकार की बिक्री के ऊपर निषेधाज्ञा है, वह फर्जी दवा की दूकानों पर धड़ल्ले से बेची जा रही है।

सरकार के जितने संस्थान हैं, सरकारी दवा की जो दूकानें हैं और सरकार जो अस्पताल चला रही है उनमें भी प्रतिबन्धित दवाओं का कोटा मौजूद है और उन्हें काम में लाया जा रहा है। उन दवाइयों के नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कि उत्तर प्रदेश में उन औषधियों की खुले आम बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है जिस पर कि भारत सरकार के ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की संस्तुति पर स्वास्थ्य मंत्रालय के 17 अगस्त, 1984 के गजट में निर्माण और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। दर्द, बुखार, सूजन, डायरिया, मासिक रक्त स्राव के समय उठने वाले दर्द, अन्त्रोथ व अधिक खतरनाक बीमारियों में प्रयोग की जाने वाली औषधियों के हानिकारक प्रभाव के कारण ही उन दवाओं की बिक्री पर रोक लगी। यह दवायें अरिस्ट्रो पासरिन, सिवलेनिन, डोम्स, सन्टाडोन, सैफोन, रेफगान, दर्द, बुखार, सूजन या मानसिक उत्तेजना विरोधी बेगानीन (मासिक रक्त स्राव में दर्द निवारक) इन्ट्रोमेक, पनिवारल, ट्राइस्फोया, पेन्टो सल्फा, सेमीजोल, डोला, न्यूरोबियान, सीओसाइक्लीन, युरियमीन, डेन्टन, पलेमार, ट्राइएक्टीन, कमीला इक्वान, मिग्रेनिल, बेसोग्रीन, मिनील (उक्त रक्त चाप हेतु) आइसाकेडीन (तपेदिक के प्राथमिक उपचार) सबरामाइसीन व टेरामाइसिन, बच्चों का सिरप ड्राप नियामाइट तथा इरेकाडीन अन्य आदि हैं जिनका प्रयोग कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के एजेन्टों, चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिली-भगत से प्रदेश में चल रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दवाओं के हानिकारक होने का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दवाओं के सेवन से मृत्यु अगर किसी तरह से नहीं हो पाती है तो स्वास्थ्य निश्चित ही चौपट हो जायेगा तथा साथ ही किसी अंग में जो कमजोरी आ जायेगी । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य संगठन में डी0 डी0 टी0 के फसलों पर छिड़काव एवं अनाज के भन्डारण के समय डी0 डी0 टी0 का प्रयोग निषिद्ध करा दिया है, पर प्रशासनिक नौकरशाहों की मिली भगत से इन जन स्वास्थ्य विरोधी दवाओं की बिक्री वैध तथा अवैध ढंग से जारी है । प्रशासनिक उच्चाधिकारियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दलालों तथा चिकित्सकों द्वारा भारी कमाई के लिये जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली इन दवाओं की बिक्री पर सरकार के प्रति क्षोभ व अविश्वास की भावना व्याप्त हो गयी है । अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय तथा निश्चित विषय पर नियम 56 के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की अनुमति चाहता हूं और यदि सम्भव हो तो माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का वक्तव्य दिला दें ।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है, वह सही है । वह दवायें मल्टी नेशनल दवाये हैं और उच्चतम न्यायालय से भारत सरकार के उस गजट के विरुद्ध स्थगन आदेश ले लिया है । उत्तर प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में उन दवाओं की खरीद नहीं होती है चूंकि उन्होंने स्थगन आदेश ले रखा है इसलिये जो वह दवायें बिकती हैं या निजी डाक्टर उन दवाओं को लोगों को देते हैं, उस पर कोई अधिकार नहीं है ।

श्री गौरी शंकर भइया—

उनको आप रोक तो सकते हैं ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है । यह लाखों करोड़ों लोगों का सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता—

इसका अभी समय नहीं है ।

*कृषि मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पाइरिला के सम्बन्ध में बहुत ही अहम मसला उठाया है, लेकिन यह कहना गलत है कि इसको रोकथाम के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है, लगभग सवा पांच लाख हेक्टेयर फसल इससे प्रभावित है जिसमें से 4 लाख 75 हजार हेक्टेयर फसल को ट्रीट किया जा चुका है, ग्राउन्ड स्प्रे के जरिये । बहुत जगहों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जो दवा छिड़की गई उसका प्रभाव नहीं हुआ । मैंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कृषि अधिकारियों, गन्ना विकास अधिकारियों को कि जिस किसान की यह शिकायत आये कि उसके खेत में छिड़काव हुआ और वह प्रभावी नहीं हुआ तो वह विशिष्ट शिकायत करायें और उसकी जांच की जायेगी । मान्यवर, युद्ध स्तर पर इसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, यह कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं है लेकिन अगर हमारे सम्मानित सदस्य चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो तो मैं विस्तृत जानकारी करा दूंगा और उस पर वे यदि कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उनके प्रश्नों का उत्तर देने में कोई संकोच नहीं करूंगा । इसके अलावा यदि आप कोई सुझाव देंगे, कोई बहुमूल्य सुझाव आयेगा तो उनका उपयोग करने की कोशिश करूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं श्री राम गोविन्द चौधरी के कार्यस्थगन प्रस्ताव की नोटिस अस्वीकार करता हूं और उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेजता हूं। श्री भोपाल सिंह तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये कार्य-स्थगन की नोटिस को अस्वीकार करता हूं और उसे वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं। क्योंकि कृषि से सम्बन्धित चर्चा का सवाल है, कृषि का बजट आ रहा है उस समय इस विषय पर काफी चर्चा हो जायेगी वक्तव्य खास तौर से उन्हीं मुद्दों पर दिया जायेगा जो कि माननीय भोपाल सिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है वह वक्तव्य उन्हीं प्रश्नों को पूरा करता हो लेकिन कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, इन्होंने यह नहीं बताया कि वे क्या करना चाहते हैं, सरकार की क्या नीति है ? इसलिये मैं शासन की इस नीति के विरोध में अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है इसलिये मैं भी इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अधिष्ठाता—

उसे कार्यस्थगन के रूप में अस्वीकार करता हूं और वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री बनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, सीपेज की समस्या इस समय कई जिलों में पैदा हो गयी है। सैकड़ों लोग मर रहे हैं। मकान गिरने शुरू हो गये हैं। बाराबंकी, सीतापुर, राय बरेली तथा लखनऊ जिले सीपेज से प्रभावित हैं। मान्यवर, इसे आज न लें तो कल ले लें।

## वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

(श्री विजय सिंह राणा का नाम पुकारे जाने तथा उनके खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राणा जी, मैंने पहले रेवती रमण जी को रोका था। इसलिये आज उनको पहले बुलवा रहा हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैंने इस बजट पुस्तिका तथा बजट को बहुत ध्यान से पढ़ा है।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, एक आइटम मिस हो गया। वह एजेंडे में था। वह विशेषाधिकार का प्रश्न था।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने पहले भी कहा था कि उसका परीक्षण करवा रहे हैं। आपको बता देंगे।

(इस समय 2 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए)

---

†दिनांक 18 जुलाई, 1985 की कार्यवाही से।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय, इस पुस्तिका को पढ़ने और बजट में जो अलग-अलग मुद्दों का उल्लेख किया गया है उसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यह आंकड़ों का जाल है। माननीय तिवारी जो जिन्होंने इस प्रदेश का आठवीं बार बजट रखा है उससे हमें बड़ी निराशा हुई। माननीय, यह उम्मीद की जाती थी बजट में जो नीति व्यक्त होती है उसका इसमें स्पष्ट उल्लेख होगा। अगर आप देखें तो कहीं भी नीति का स्पष्ट उल्लेख इसमें नहीं है। केवल आंकड़ें माननीय तिवारी जी ने बड़ी चतुराई से प्रस्तुत किये हैं इससे यह परिलक्षित होता है कि यह दिशाविहीन बजट है। हमारे देश में लगातार पंचवर्षीय योजनायें बनती जा रही हैं उनके बनने के बाद भी हमारे प्रदेश के अन्दर गरीब गरीब होता जा रहा है। आज सातवीं पंचवर्षीय योजना लागू हो रही है। हमारे प्रदेश में 50% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं यह जो बजट उन्होंने यहां रखा है उसमें गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करने वालों के लिए कोई प्राविधान नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश जो पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है इसमें 11 करोड़ 9 लाख लोग सन् 1981 की जनगणना के अनुसार रहते हैं और इसमें 74 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं उनके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है और केवल मात्र 18 फीसदी बजट ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जायेगा। तो यह हमारे तिवारी जी ने जो बजट रखा है उसकी आधार शिला है। मैं याद दिलाना चाहता हूं जो साम्यवादी देश रहे हैं चाहे वह चेकोस्लोवाकिया हो या यूगोस्लोवाकिया हो आज से 25, 30 साल पहले 48 फीसदी और 46 फीसदी लोग कृषि पर आधारित थे आज वहां केवल 22 फीसदी और 26 फीसदी लोग कृषि पर आधारित है और बाकी लोग उद्योगों में या दूसरे कामों में लगे हैं और उनका विकास हो रहा है, लेकिन 37, 38 साल की आजादी के बाद आज 7वीं पंचवर्षीय योजना में हमारी स्थिति क्या है कि 74.9 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं और हम कहते हैं कि हम निरन्तर तरक्की पर हैं। उसी का नतीजा आज यह है कि 50 फीसदी से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे से गुजर बसर कर रहे हैं।

अगर उन लोगों को भी ले लिया जाय जो एक एकड़ या सवा एकड़ के मालिक हैं जिनकी आमदनी उससे नगण्य है तो लगभग 80 फीसदी लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे गुजरबसर कर रहे हैं। आजादी से पहले भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय से हम आगे थे लेकिन आज प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में हम दो सौ रुपये कम हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि माननीय तिवारी जी और माननीय सदन के सामने वह आ सकें। प्रति व्यक्ति आय 1977-78 में उत्तर प्रदेश की आय 506 रु0 थी और भारत की 695 रु0, 1978-79 में उत्तर प्रदेश की 514 रु0 और भारत की 717 रु0, 1979-80 में उत्तर प्रदेश की 432 रु0 और भारत की 664 रु0, 1980-81 में उत्तर प्रदेश की 519 रु0 और भारत की 700 रु0, 1981-82 में उत्तर प्रदेश की 520 रु0 और भारत की 715 रु0, 1982-83 में उत्तर प्रदेश की 529 रु0 और भारत की 711 रु0, 1983-84 में उत्तर प्रदेश की 533 रु0 और भारत की 749 और 1984-85 में उत्तर प्रदेश की 548 प्रति व्यक्ति आय रही, भारत की अज्ञात है।

माननीय, इस तरह से आप देखें कि छठी पंचवर्षीय योजना काल में प्रति व्यक्ति आय 34 रुपये की वृद्धि हुई है और उतनी ही वृद्धि अखिल भारतीय स्तर पर हुई। लेकिन 200 रुपये प्रति व्यक्ति आय में भारत के मुकाबले पीछे

हैं और योजनायें बन रही हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यह बजट की विशेषता है। जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं वह है 1.1 प्रतिशत, इसके मुताबिक है भारत को अगर 200 रुपये ज्यादा है जिसको प्राप्त करने में हमको 100 साल लग जायेंगे। तो आप योजनायें बनाते हैं इससे किसको फायदा होता है, मैं यह जानना चाहूंगा। इस समय हमारे मुख्य मंत्री जो नहीं हैं। मान्यवर, आप देखें कि प्रदेश में इस समय कृषि के मामले में मुख्य मंत्री जी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया और वह 1979-80 वर्ष को आधार मानकर आंकड़ा दिया है जबकि यह साल पूरे संसार में, इस देश में सबसे सूखे का साल रहा है जिसको आधार माना, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम यह वर्ष था।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, 1979-80 में 164 लाख टन गल्ला पैदा हुआ, जनता शासन में जिसको आधार मानकर बात कही है और 231 लाख टन गल्ला पैदा हुआ 1978-79 में जो कि 32 प्रतिशत ज्यादा है विगत कई वर्षों से। मान्यवर पहली बार भारत ने अन्न का निर्यात कोरिया और साऊथ वियतनाम को किया जनता शासन ने। 32 लाख टन जो वृद्धि हुई उसके आधार पर पहलीबार निर्यात किया था। इसके पहले पी0 एल0 480 में अमेरिका और कनाडा से हम गल्ला मंगाते रहे हैं लेकिन 1978-79 में गल्ले का पहली बार निर्यात किया गया था। पांच सालों में जिनकी आप बहुत तारीफ करते हैं 61 लाख टन की वृद्धि अर्थात् प्रति वर्ष 12 लाख टन अधिक गल्ला पैदा कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जबकि हमने ढाई गुना गल्ला ज्यादा पैदा किया था तीन सालों में जिसके मुकाबले आप नहीं आ पाये हैं। इस प्रकार 32 लाख टन हमने गल्ला अधिक पैदा किया और आपने 12 लाख टन, तो यह आपकी योजना है, इसका कारण क्या है।

मान्यवर, 1979-80 में चावल में ढाई गुना वृद्धि हुई थी जो पहले 5.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 12.97 क्विंटल हेक्टेयर चावल पैदा हुआ और 1983-84 में 11.59 क्विंटल हेक्टेयर आपका है। मान्यवर, आप देखें इसका प्रतिवर्ष 0.23 क्विंटल हेक्टेयर पैदा हुआ, जो कि नगण्य है। मान्यवर, गेहूं में आप देखें 1978-79 में 15.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था जो 1984-85 में बढ़कर 18.67 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ। इस प्रकार 6 वर्षों में केवल तीन क्विंटल प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। मान्यवर, आधा क्विंटल से भी कम की वृद्धि पूरी छठी योजना में हुई है। इससे पता चलता है कि हम कहां कृषि में पहुंच रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं और कहां प्रदेश को हम ले जा रहे हैं। गन्ना के बारे में उधर से कहा गया कि लोकदल और जनता शासन काल में गन्ने को जला दिया गया था और उन्होंने गन्ने में बड़ी तरक्की की है और पैदावार को बढ़ाया है, लेकिन आंकड़े सम्भवतया उनकी इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। सन् 1977-78 में गन्ने की औसत उपज 469 क्वींटल प्रति हेक्टेयर थी, 1980-81 में और बाकी शेष वर्षों में इसकी उपज 436 क्वींटल प्रति हेक्टेयर है। इन 6 सालों में इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, केवल रकबे में वृद्धि हुई है और उसी की वजह से उसकी कुल पैदावार में वृद्धि हुई है। प्रति हेक्टेयर क्वींटल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

आज गन्ने का भाव आप किसानों को क्या दे रहे हैं और इस समय में चीनी किस भाव में बिक रही है। मंत्री जो सम्भवतया समाजवादी रहे हैं और कभी इधर भी रहे हैं, इस समय चीनी 8 रु0 किलो है और अगले साल बहुत जल्दी ही यह 9-10 रूपये किलो

म बिकेगी । गन्ने का भाव वही है, लेकिन किसानों को आप क्या दे रहे हैं, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा । किसानों की आप बहुत बात करते हैं, लेकिन आलू उत्पादकों का भी आपकी नीतियों के चलते बहुत शोषण हुआ है । आलू का उत्पादन 1983-84 में 155 क्वींटल प्रति हेक्टेयर रहा है, जो कि जनता शासनकाल के बराबर है । उसमें कोई प्रगति नहीं हुई । इस साल आलू खेतों में सड़ गया । जहां आप कहते हैं कि जनता शासन काल में गन्ना जलाया गया, वहीं इस वर्ष आपके राज्य में आलू खेतों मे सड़ गया और किसानों को आपने मात्र 20 रुपया क्वींटल दिया और इस भाव में भी उसका आलू कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था । जो आपके कोल्ड स्टोरेज हैं उनकी क्षमता और खपत भी आप देख लीजिए । बाकी आलू कहां गया इसका कोई उल्लेख नहीं है । इसके अलावा प्रदेश की जो पूरे अन्न की तुलना की गई है, उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

पंजाब में जहां कुछ वर्ष पहले धान पैदा नहीं होता था, वहां इस समय वह 30.67 क्वींटल प्रति हेक्टेयर उसकी उपज है और गेहूं में 30.3 क्वींटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि हमारे प्रदेश में 13 और 19 का इनका रेशियो है । आप इसी से अनुमान लगा लें कि हम और हमारा प्रदेश कृषि में कहां हैं । जनता शासनकाल में जो ढाई गुना की वृद्धि हुई थी, उसका कारण यह था कि हमने प्रदेश में खाद की कीमत किसानों के लिए 52 रुपया और 75 रुपया रखी थी । आप शासन में आए, आते ही आपने उसकी कीमत बढ़ा दी । मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप परीक्षण करा लें, एक बोरी यूरिया की कीमत 35 रुपये आती है, जिसमें ढुलाई भी शामिल है, और वह बिक रही है 112 रुपये में । इसीलिए हमने उसके दाम 52 और 75 रुपये किया था । जनता पार्टी का मत था कि इसको उसी मूल्य पर बिकवाया जाये, जो उसका लागत मूल्य है । लाहौर में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने प्रस्ताव किया था कि कृषि को उद्योग मानें । लेकिन आप उसको उद्योग मानने के लिए तैयार हैं ? कदापि नहीं । उद्योगपतियों को तो आप हर तरह की मदद देंगे, उनको हर तरह की छूट देंगे, उनकी फैक्ट्री बन्द होगी तो पैसे से भी मदद करेंगे लेकिन श्रीमन्, कृषि पर आधारित किसान से इनको कोई मतलब नहीं है ।

आप उद्योगपतियों की तो मदद कर सकते हैं लेकिन हमारे जो 74 फीसदी किसान गावों में रहते हैं उनकी मदद के लिए आप कतई तैयार नहीं हैं । मान्यवर, इसी तरह से सिंचाई के बारे में मैं कहना चाहता हूं । 1979-80 में 1 लाख 10 हजार हेक्टेयर इलाके की सिंचाई होती थी । सन् 1982 तक आप 12 लाख हेक्टेयर की सिंचाई कर पाये । तो इन वर्षों में 11 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई कर पाये । अगर औसत निकाला जाय तो 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी नहीं कर पाते हैं । जितना पैसा सिंचाई पर दे रहे हैं तो आने वाली 21वीं सदी में भी हमारे सब गांव सिंचित नहीं हो पायेंगे । इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों सभी जानते हैं कि नहरों में समय पर पानी नहीं आता है । 80 फीसदी टयूबवेल खराब हैं, उनकी नालियां ध्वस्त हैं ।

आपके सिंचाई मंत्री को कभी फुरसत नहीं है कि दिल्ली से आकर कभी किसी किसान के खेत में जाकर देखें कि समय पर खेत में पानी आता है या नहीं । टयूबवेल खराब हैं तो क्यों खराब हैं । किसान दौड़ता रहता है कोई पूछने वाला नहीं है, नालियां जो ध्वस्त हैं बनायी जायंगी या नहीं । यह इनकी व्यवस्था है और 21वीं सदी में इस देश को ले जाने की बातें की

जा रहो हैं। बेचारा किसान दो जून की रोटी के लि[illegible] रहा है। आप एग्रीकल्चर वाली इरीगेशन में नहीं दे रहे हैं और 21वां सदी को, कम्प्यूटराइजेशन को बातें कर रहे हैं। इसी के साथ 7वीं पंचवर्षीय योजना में आप 11 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। मान्यवर, पहले था कि 17 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। श्रीपति तिवारी जो चले गये हैं नहीं तो मैं उल्लेख करता कि उन्होंने क्या कहा था जब वह इधर बैठते थे। वह नहीं हैं इसलिए कहने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा था कि सप्तम कमेटी बैठ रही है उसमें आप अपनी बात को रखें। पता नहीं उन्होंने अपनी बात कैसे रखी कि 17 हजार करोड़ की जगह पर घटकर 11 हजार करोड़ रुपये हो रह गये। इस बजट पुस्तिका में कहा गया है कि 77.4 प्रतिशत की वृद्धि 6ठीं पंचवर्षीय योजना में हुयी है। मान्यवर, आज मंहगाई को देखते 70 फीसदी मंहगाई बढ़ी है। अगर 70 फीसदी का आंकड़ा घटा दें तो केवल 7 फीसदी वृद्धि रह जाती है तो केवल 7 फीसदी वृद्धि में इस प्रदेश को कहां ले जायेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता है। आपको समझ में आता हो तो बड़ी खुशी की बात है, आपको मुबारक हो। कम से कम मेरे जैसे आदमी की समझ में नहीं आता है कि 7 फीसदी की वृद्धि में इस प्रदेश को कितना आगे ले जायेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो 1985-86 में 1750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछली छठी पंचवर्षीय योजना से 9.63 परसेन्ट ज्यादा है। लेकिन अगर दामों की वृद्धि को देखें तो केवल यह एक धोखा है, भ्रमजाल है।

यह बजट यथास्थितिवादी बजट है। स्टेट्स के एंटी बजट है। इस तरीके से प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है। मान्यवर, इसी के साथ ही साथ बिजली के बारे में भी कहना चाहूंगा। इस सरकार ने बड़ी-बड़ी घोषणायें की हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इस प्रदेश में जो विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू किया गया था तो क्या एक भी इकाई चालू हालत में आयी। मान्यवर, सम्भवतः 7वीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते आयेंगी। तो 7-8 सालों में एक भी नयी इकाई नहीं आयी है, जहां काम चल रहा था। एक भी विद्युत इकाई को आज यह उत्पादन में नहीं ला सके यह इनकी कार्यक्षमता है, इनकी जितनी भी दाद दी जाय, कम है। क्योंकि इतनी ज्यादा तरक्की इन्होंने की, 7-8 साल में एक इकाई, एक यूनिट का उत्पादन ये इस प्रदेश को नहीं दे पाये।

भारत सरकार के राज्य ऊर्जा मंत्री, अरुण नेहरू का बयान है 17 जुलाई के दैनिक जागरण में। मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की हालत बिजली के मामले में बहुत खस्ता है। जहां मान्यवर, पूरे देश में 50.6 प्रतिशत की वृद्धि है प्रति लोक सेक्टर में, वहीं इस प्रदेश में 31.6 प्रतिशत है। अगर देश के स्तर पर 70 ला देते, तो डेढ़ गुना आज उत्पादन होता और यह कहीं के कारण आज जो किसानों की जलालत हुई, परेशानी हुई, यह न हुई होती। लेकिन ये मान्यवर, अपना मैनेजमेंट नहीं ठीक कर पा रहे हैं, उसका दन्ड यहां के किसानों को, यहां के घरेलू बिजली जलाने वालों को ये दे रहे हैं और सम्भवतः ये ठीक भी नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, बिजली की इतनी खस्ता हालत को देखते हुए भी ये बिजली के रेट और बढ़ाने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अन्य प्रदेशों की तुलना में देखें कि ग्रामीण विद्युतीकरण कितना हुआ, हमारे प्रदेश में 38 साल के बाद कितना विद्युतीकरण हुआ? तो आपको पता चल जायगा कि हमारा प्रदेश कहां पर खड़ा है। आज ये कहते हैं कि 63 प्रतिशत विद्युतीकरण करा देंगे। हरियाणा और पंजाब में शतप्रतिशत विद्युतीकरण गांवों में हो चुका है। आंध्र प्रदेश में 75 प्रतिशत, गुजरात में 76.8 प्रतिशत9

हिमाचल प्रदेश में 75·6 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 85·5 प्रतिशत और तमिलनाडु में 99·4 प्रतिशत हुआ है और उत्तर प्रदेश में 63 प्रतिशत हम विद्युत् पहुंचा देंगे । इसका मतलब यह हुआ कि इक्कीसवीं सदी पहुंचते–पहुंचते हम अपने सभी गांवों में बिजली नहीं पहुंचा पायेंगे। मान्यवर, इनके विकास की ये योजनायें हैं ।

मान्यवर, जहां बेकारी का सवाल है, हमारे प्रदेश में 71 में 4 लाख आदमी बेकार थे, आज 20 लाख लोग इम्प्लायमेंट इक्सचेंज के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करये हैं । इस प्रदेश को ये कहां ले जायेंगे मान्यवर ? ये प्रदेश को जो नई दिशा, देना चाहते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है । अगर यही स्थिति रही, तो बजाय आगे जाने के, जहां पर यह प्रदेश है, वहीं पर रुका रहेगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करूंगा कि आगे आने वाले समयों के बारे में यह सरकार विचार करे।

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश को ऐसा बजट दिया जो किसी वर्ग के ऊपर बोझ नहीं है । मैं माननीय सदस्य रेवती रमण सिंह का भाषण सुन रहा था और मुझे एक विरोधी दल की परिभाषा याद आ रही थी कि 'टु अपोज एवरी थिंग एण्ड प्रपोज नथिंग' । मान्यवर, बजट को उन्होंने दिशाहीन बताया है । मान्यवर, वहीं पर बैठे–बैठे मैं देख रहा हूं कि दुर्भाग्यवश इस प्रदेश का जो विरोधी दल है, वही दिशविहीन है । सबसे सौभाग्य की बात यह है कि जो विरोधी दल सोचता है, वैसा आम पब्लिक नहीं सोचती है, कामन मैन वैसा नहीं सोच रहा है । आंकड़े बताये माननीय नेता विरोधी दल ने भी और माननीय रेवती रमण सिंह जी ने भी बताए । जैसा मैंने बजट को पढ़ा, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास और सम्बर्गीय क्षेत्र तथा अन्य मदों को जो ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, इसमें 65 प्रतिशत बजट का आवंटन है ।

एक सदस्य––

यह कहां से लाये हैं ?

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित––

यह तो आपको मालूम होगा । मान्यवर, जहां तक माननीय नेता विरोधी दल के नेता ने कहा कि किसान विरोधी बजट है....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

कृपया शान्त रहिए ।

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित––

मान्यवर, यह किसान विरोधी बजट बता रहे हैं । इनको नहीं मालूम है कि इस राष्ट्र के किसानों का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, जवाहर लाल नेहरू ने । जब हम अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे उस वक्त महात्मा गांधी लखनऊ आये हुए थे, पटना के किसान, जो नील पैदा करने वाले थे, उनका उत्पीड़न हो रहा था, पटना से आये लोगों ने, किसानों ने उनसे कहा कि उन्हें उत्पीड़न से बचाया जाए । महात्मा गांधी ने पटना से आए हुए लोगों को आश्वासन दिया था एवं उनका नेतृत्व किया था । जवाहर लाल नेहरू ने अवध के किसानों का नेतृत्व किया था । इसके अतिरिक्त मान्यवर, कहना चाहूंगा कि जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में सम्पूर्ण राष्ट्र में बिजली के उत्पादन के जरिए निकाले गए । बड़ी–बड़ी सिंचाई की योजनाएं निकाली गई । इस समय प्रदेश पीछे नहीं रहा यह कांग्रेस को गौरव प्राप्त है । हम सदैव उत्पीड़ित व्यक्ति के साथ रहे । कांग्रेस के क्विट इण्डिया आन्दोलन में गरीब किसानों ने, 80 प्रतिशत किसानों ने हिस्सा लिया था, कांग्रेस अनवरत किसानों के भविष्य

के लिए इस समय बराबर प्रयास कर रही है। अगर तथ्यों को सामने रखकर देखें तो ट्यूबवेल के जाल बिछ गये। अन्य सिंचाई के साधन किसानों को प्राप्त कराए गये।

माननीय मुख्य मंत्री जी एक राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। यह सौभाग्य की बात है, कि वह योजना मंत्री रह चुके हैं जो इस देश की योजना बनाने से सम्बन्धित रहे हैं जिनका राज्य की उन्नति में योगदान रहा है, उन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया है। कृषि के साधन अनवरत बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस शासन में उर्वरक के तमाम कारखाने लगाये गये हैं। मान्यवर, सन् 1947 के बाद क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम चलना था इसलिए मिस इकोनोमिक थ्योरी को अपनाया, उसके तहत कृषि की ओर ध्यान दिया गया। ऐसे उद्योग जो किसानों की आय बढ़ाते हैं लगवाये गये। श्रीमन्, आप देखें, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मुझे उत्पीड़न के बारे में मालूम है, मान्यवर, तब पैदावार इतनी नहीं थी कि लगान जमा किया जा सके, इसलिए लोग भूमि जोतते ही नहीं थे। सन् 1947 के बाद हरितक्रान्ति आई तथा देश को सफलता मिली, अतः विरोधी दल का यह कहना कि यह किसान विरोधी बजट है, निरर्थक है।

उद्योगीकरण को ले लीजिए। समाज के अन्य वर्ग के उत्थान को ले लीजिए उद्योगीकरण में देहातों में हमने सर्वेक्षण किया। हर गांव में बैंकों की शाखायें खोली गई हैं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को आदेश दिये गये हैं कि शहरी स्तर पर उन्हें लाइसेन्स नहीं मिलेगा जब तक वह ग्रामीण बैंक नहीं खोलेंगे। आखिर किसके लिये किया गया किसानों के हित के लिये किया गया।

माइक्रो प्लानिंग का जिक्र बजट में किया गया है। जिसका बड़ा क्रान्तिकारी कदम है। हम गांव-गांव में यह अध्ययन करेंगे, इसका लेखा-जोखा करेंगे कि किस परिवार को किस स्तर की सहायता दी जानी चाहिये। चाहे ग्रामीण रोजगार योजना हो वा अन्य प्रोग्राम हो हमारा इतिहास यह रहा है। जो पिछड़े वर्ग की हालत को सुधारने का हमारा प्रयास रहा है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनका शोषण हुआ है 47 के पहले, उनको उठाया जाय। सड़कों का जाल, नहरों का जाल, बिजली का, नलकूपों का जाल देहातों में बिछ गया। विरोधी दल के लोगों को भी यह चीजें दिखाई पड़नी चाहिये। उद्योग के क्षेत्र में जो योजनायें हैं, सातवीं प्लान में एक लाख छोटी इकाई लगाने का जो संकल्प है वह सराहनीय है। जगह-जगह पर छोटी-बड़ी इकाइयों को लगाया गया है। आई० आर० डी० के अन्तर्गत लोगों को ऋण दिया गया है। यह बजट चतुर्मुखी विकास का द्योतक है।

जहां तक हरिजनों के बारे में है, हमारे शासन का रचनात्मक रवैया रहा है। हमारा इतिहास है गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन किया था, हरिजनों के लिये मन्दिरों का कपाट खुलवाने के लिये। हमारा इतिहास रहा है हम गरीबों के बारे में सोचते हैं। ऐसी अर्थ व्यवस्था के लिये सोचते हैं जो शहरों में बढ़े तो भी उसका लाभ देहात को हो। हैवी इन्डस्ट्री को देखिये उससे भी लोगों को रोजगार मिलता है। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में अनेकों उद्योग खड़े हुये। आप देहरादून से लेकर मिर्जापुर तक देखें। माननीय मुख्य मंत्री जो उद्योग मंत्री थे उन्होंने कितना ध्यान इस प्रदेश के लिये दिया। मैं दुबारा आभार प्रकट करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मुझे आपने बजट पर बोलने के लिये आमंत्रित किया इसके लिये मैं आपका अनुग्रहीत हूं। जो बजट रखा है, उसके सम्बन्ध में जो मूल बहस है, वह यह कि यह घाटे का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट है । इस दुनिया में दो तरह की अर्थव्यवस्था रही हैं । दो तरह के बजट पेश होते रहे हैं । एक घाटे का बजट जिसमें कोई कर न लगाये जायं दूसरा कर वाला बजट । दुनिया के किसी भी अर्थशास्त्री ने आज तक बिना कर वाले घाटे के बजट को ठीक नहीं कहा । कारण यह है कि बजट समाजवादी सरकार के पास, वित्त मन्त्री अपने को समाजवादी कहते हैं, किसी समाजवादी सरकार के पास बजट ऐसा साधन है, जिसके द्वारा पूंजीपतियों पर कर लगाकर बढ़ते हुये पूंजीवाद को रोका जा सकता है । लेकिन सरकार में इतनी क्षमता होनी चाहिये, सरकार में इतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिये कि वह पता लगा सके कि करारोपण कहां करना है । करारोपण ऐसा करना चाहिये कि उसका प्रभाव पूंजीपतियों पर पड़े, तभी देश में बढ़ते हुये पूंजीवाद को, कर के माध्यम से रोका जा सकता है । कर के माध्यम से पूंजीवाद नहीं रोका गया तो समाजवादी सरकार के पास बढ़ते हुये पूंजीवाद को रोकने का दूसरा तरीका नहीं है ।

मान्यवर, घाटे के बजट को मैं देख रहा हूं । पहले सेसन में घाटे का बजट दिया । घाटे के बजट की स्थिति क्या है । 1980-81 में 117.99 करोड़, 1981-82 में 97.46 करोड़, 1982-83 में 128.97 करोड़, 1983-84 में 119.29 करोड़, 1984-85 में 59.32 करोड़ का घाटा था और 1985-86 में 146 करोड़ का घाटा है इसमें मूल घाटा है 178.60 करोड़ रुपये का । इसमें इन्होंने कहा है कि कराधान के माध्यम से 32 करोड़ रुपया प्राप्त करके यह घाटा केवल 146 करोड़ रह जायेगा । तो या तो इत उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री यह कहें कि इस प्रदेश की जनता के ऊपर अब करारोपण करने की स्थिति नहीं रही है । यह करारोपण प्रदेश की जनता के ऊपर नहीं हो सकता या मुख्य मन्त्री यह घोषणा करें कि हम पूंजीपतियों के ऊपर टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं रखते । हमने अपने चुनाव में पूंजीपतियों से रुपया लिया है, जिनके पैसों से हम चुनाव लड़ते आये हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं, उनको स्पष्ट रूप से यह सदन में स्वीकार करना पड़ेगा

इसके अलावा दूसरी कोई चीज इस प्रदेश की जनता के सामने नहीं रह जाती है । श्रीमन्, अब मैं इस बात पर आता हूं कि यह कहते हैं कि इस घाटे के बजट को पूरा करेंगे और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम अपना जो घाटा है उसमें मितव्ययता करेंगे, अल्पबचत को बढ़ायेंगे, जो हमारे टैक्स बकाया है उनको वसूल करेंगे । यही 4-5 तरीके हैं जो इन्होंने बताये हैं । अगर आप इनके आंकड़े देखेंगे तो आपको मालूम हो जायेगा कि यह बेबुनियाद हैं और ये प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं । राजस्व व्यय 3 वर्ष में 1,851 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,950 करोड़ रुपये हो गया अर्थात् 60 प्रतिशत वृद्धि हुई जिसको कहते हैं कि कटौती करेंगे । दूसरे प्रशासनिक व्यय पर 20 प्रतिशत की वृद्धि करनी है इनको और भू-राजस्व की 35 करोड़ रुपये की वसूली पर इन्होंने 27 करोड़ रुपये खर्च किये । तो 35 करोड़ रुपये की वसूली पर 27 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किये हैं यह इनकी अर्थव्यवस्था है । मान्यवर, इनकी 57 निगमों पर 3 हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगी है । सब के सब आज घाटे पर चल रहे हैं । यह स्थिति है इनकी और आंकड़े यह बताते हैं इनके कि पिछले साल इस सदन में 25 मन्त्रियों ने 8 महीनों के अन्दर 30 लख रुपये की चाय पी ली और यह कहते हैं कि हम बचत कर रहे हैं । यह कहते हैं कि बकाया टैक्स जो है उनको वसूल करेंगे । इनके जो पहले के आंकड़े हैं उसमें बताते हैं बिक्रीकर बकाया है 225 करोड़ रुपये का, सिंचाई पर बकाया है 63 करोड़ रुपया, भू-राजस्व 40 करोड़, आबकारी पर 21

करोड़ और बिजली पर 19 करोड़ रुपया बकाया है। इस प्रकार कुल बकाया 395 करोड़ रुपया है और इस बकाये में 255 करोड़ रुपया पूंजीपतियों पर बकाया है चाहे वह बिक्रीकर का हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे आबकारी का हो, चाहे बिजली के टैक्स की चोरी का हो। इसमें मान्यवर, 265 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के पूंजीपतियों के ऊपर बकाया है, कुल मिलाकर। इसमें बकाया इसका हिस्सा 130 करोड़ रुपया किसानों पर बकाया है। होता यह है कि किसान अगर भू-राजस्व अदा नहीं करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, उसकी कुर्की कर दी जाती है। मोदी के पास इनका करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है उनको जेल भेजने का कोई प्राविधान इनके पास नहीं है और यह आंकड़े बताते हैं कि इनका सारा बकाया पूंजीपतियों के ऊपर है और किसान को परेशान किया जा रहा है।

6 जून को माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घोषणा की कि प्रदेश के 26 जिले सूखाग्रस्त जिले हैं और 26 जिले जो हैं इन 26 जिलों में राजस्व की वसूली स्थगित की जा रही है। मैं आगरा से चुन कर आया हूं वहां किसानों के झुण्ड वसूली के नाम पर जेल भेजे गये हैं।

एक तरफ मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं भू-राजस्व को स्थगित करने की, करों की वसूली रोकने की और 26 जिले सूखाग्रस्त घोषित करने की, दूसरी तरफ मुख्य मंत्री जी के बयान के विरुद्ध किसानों को जेल भेजा जा रहा है। यह कौन सी व्यवस्था आप कर रहे हैं। किस बजट पर आप बहस करवा रहे हैं। जनता तबाह हो रही है और आप बहस करवा रहे हैं इस बजट पर। मान्यवर, इन्हीं के एक साथी कह रहे थे कि जनता पार्टी ने यह किया, वह किया। मान्यवर, मैं आपके सामने यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आंकड़ों से यह स्पष्ट करूंगा कि जब सन् 1975 में इमरजेंसी लागू हुई उस समय नारायण दत्त तिवारी जी यहां के मुख्य मन्त्री थे। उसके बाद यहां पर जनता पार्टी की सरकार बनी। केवल ढाई साल रही और मान्यवर, उसकी प्रगति के आंकड़े आप देख लीजिये, स्थिति साफ हो जायगी। सड़कों की स्थिति देख लीजिये। उस समय जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे उस समय तक कुल मिलाकर 40,503 किलोमीटर सड़कें ही बनी थीं, जबकि जनता पार्टी के शासन में 2,47,552 किलोमीटर सड़कें बनी। इस तरह से 2,72,249 किलोमीटर सड़कें केवल ढाई साल में बनीं, जबकि इनके कांग्रेस के 30 साल के शासन में केवल 40,503 किलोमीटर ही सड़कें बनीं और जनता पार्टी के तीन साल के शासन में 2,72,249 किलोमीटर बनीं कौन से आंकड़ों की आप तुलना करना चाहते हैं।

अब ग्रामीण पेयजल योजना को देख लीजिये। कांग्रेस ने इमरजेंसी के समय तक नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने तक कुल 4,103 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की, जबकि जनता पार्टी ने अपने ढाई साल के शासन में 6,533 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की, इस तरह जनता पार्टी ने केवल ढाई साल में 2,430 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की। अब उर्वरक को देख लीजिये। कांग्रेस ने सन् 1975 तक 7,99,000 टन उर्वरक की व्यवस्था की, जबकि जनता पार्टी के शासन में 10,58,000 टन उर्वरक पैदा की गयी। इस तरह 2,59,000 उर्वरक जनता पार्टी के शासन में पैदा हुई। यह सारी स्थिति आंकड़े बोलो हैं। आप जनता पार्टी की आलोचना कर रहे थे। सिद्धांतों की लड़ाई थी ढाई साल के जनता शासन में तरक्की हुई, जबकि 38 सालों में कांग्रेस ने देश को तबाह कर दिया। अन्त में मैं एक शेर पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूं :—

बीमारे मोहब्बत को अब होश में
लायें या कह दें यह

मसीहा से कुछ करके दिखाए भी ।"

श्रीमती सरस्वती देवी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे, हमारी सरकार ने जो समाजवादी बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, सर्वप्रथम मैं अपने मुख्य मन्त्री जी, जो हमारे वित्त मन्त्री भी हैं, को उनके द्वारा प्रस्तुत समाजवादी बजट के लिये हार्दिक बधाई देती हूं । हमारा यह कर रहित बजट हमारे प्रदेश की जनता को राहत देगा । इसमें औद्योगीकरण के लिये काफी प्रावधान हैं । इससे हमारे देश के नवयुवक और नवयुवती, जो पढ़ाई में लगे हैं, उनको रोजगार मिलेगा । स्वतः रोजगार में भी काफी धन और आर्थिक सहायता दी गयी है । इससे हमारे यहां के नवयुवकों को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिलेगा । यदि इस सरकार की मंशा कर लगाने की होती तो यह घाटा सरकार कर लगा कर पूरा कर सकती थी । पर नहीं, यह घाटा सरकारी खर्च में बचत करके पूरा किया जायगा । इस बजट में विपक्ष की आलोचना के लिये कोई बात नहीं है । विपक्ष में होने के कारण विरोध करना जरूरी है तो अच्छी बात नहीं । सरकार ने यातायात की सुविधा के लिये परिवहन निगम को 1,500 नयी गाड़ियों के लिये धन दिया है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । हमारे यहां सड़क यातायात के अतिरिक्त आवागमन का और कोई साधन नहीं है । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इन नयी गाड़ियों का आवंटन करते समय पहाड़ी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाय, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में पुरानी गाड़ियां चलने से दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बनते हैं ।

मान्यवर, हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है । हमारे यहां लड़कियों की शिक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन शिक्षा पूरी करने के बाद में उनके आगे रोजगार की समस्या खड़ी हो जाती है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे क्षेत्र में एक महिला पालिटेक्निक खुलवा दें । माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहाड़ों के विकास के लिये जो 177 करोड़ रु० विशेष रूप से दिलाये हैं, उनके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूं । साथ ही साथ यह निवेदन करती हूं कि यह धनराशि कुछ और बढ़ा दी जाय ताकि जम्मू-कश्मीर और हिमांचल की भांति हमें भी सुख-सुविधायें प्राप्त हों ।

इसी के साथ माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके प्रति आभार प्रगट करती हूं कि आपने मुझे इस बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया । साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देती हूं जो उन्होंने जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय अधिष्ठाता जी, जैसा कि विदित है कि योजना आयोग के पास सप्तम पंचवर्षीय योजना के लिए जो 16,000 करोड़ रुपये का प्रारूप भेजा गया था, योजना आयोग द्वारा उसे काटकर 11,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है । मान्यवर, मैं तो केवल इसे 10,000 करोड़ रुपये मानता हूं । क्योंकि 10 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई बढ़ गयी । इस हिसाब से जो स्वीकृति है वह 11,000 करोड़ रुपये की नहीं है, बल्कि 10,000 करोड़ रुपये की है ।

मान्यवर, मुझे तो यह अफसोस है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में आबादी के आधार पर 16 प्रतिशत का स्थान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रखता है, उत्तर प्रदेश में 16 प्रतिशत आबादी है पूरे देश की। और, जो केन्द्र की तरफ से पैसा है वह 10 प्रतिशत के हिसाब से दिये हैं। पिछड़ेपन और आबादी के हिसाब से 30 सैकड़ा उनका हिस्सा केन्द्र से मिलना चाहिए राज्य को, लेकिन मिला 10 सैकड़ा। और, जो 10 सैकड़ा मिला पिछड़ेपन के आधार पर वह पहाड़ ले गया। विशेष और पिछड़े क्षेत्र के लिए जो पैसा मिला है वह चला गया है पहाड़ पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उसका कोई पुरसाहाल नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो बदनाम हो गया है कि बहुत ज्यादा विकसित हो गया है, वहां भी विकास की दर रुक गई है! मध्य उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिये। प्रति व्यक्ति औसत आमदनी उत्तर प्रदेश की करीब 520 रुपया है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 750 रुपया, पूर्वी उत्तर प्रदेश की 280 रुपया और पहाड़ की 1,184 रुपया है। मान्यवर, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आंकड़े बोल रहे हैं। मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि पूरे के पूरे सूबे में आबादी का जो प्रतिशत है, वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का 37·5 प्रतिशत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 35·5 प्रतिशत, मध्य उत्तर प्रदेश 17·5 प्रतिशत, बुन्देलखंड 5 प्रतिशत, पहाड़ 4·7 प्रतिशत। लेकिन, जो इन्वेस्टमेंट है, डिसेन्ट्रलाइज्ड आधार पर, वह 32 सैकड़ा 37 प्रतिशत वाले पर, 35 प्रतिशत वाले पर 28 प्रतिशत, 17 प्रतिशत वाले पर 14 प्रतिशत, 5 प्रतिशत वाले पर 6·5 प्रतिशत और पहाड़ जिसकी आबादी 4 प्रतिशत है, उसको 19 प्रतिशत दिया गया है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में इतना ही कहूंगा कि यह बजट जो है, इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों में असंतोष बढ़ेगा। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में असंतोष बढ़ेगा। सारे का सारा विकास का काम केवल पहाड़ पर ही लगाया गया है। करीब 1,500 करोड़ रु० का योजनागत पूंजी का प्राविधान है, जिसमें 200 करोड़ रुपये केवल योजनागत परिव्यय पहाड़ पर किया जायेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सूबे का विकास तब तक नहीं हो सकता है, जब तक तो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए इलाके हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिये विशेष प्राविधान नहीं किया जायेगा। लेकिन उलटा हो गया है। यह दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, 40 साल आजादी के इतिहास में या 30 साल में, 20 साल तक पहाड़ का ही आदमी मुख्य मन्त्री रहा और सारा का सारा विकास पहाड़ पर ही ज्यादा किया गया। मान्यवर, मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। इन्टर रिजनल इम्बैलेन्शेस की 7वीं प्लान की जो डाक्यूमेन्ट्री है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको पता चलेगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में साक्षरता 20 सैकड़ा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 सैकड़ा है, बुन्देलखन्ड में 28 सैकड़ा है और पहाड़ पर 40 सैकड़ा है।

मान्यवर, यह जो रकबा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह घटता जा रहा है, वह औसत पूर्वी उत्तर प्रदेश में 0·7, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1·22, बुन्देलखन्ड में 2·12 और पहाड़ पर 1 प्रतिशत है। इसी प्रकार आप डोमेस्टिक आउट पुट के पर कैपिटा को देखें, पूर्वांचल में 611, पश्चिमांचल में 861, बुन्देलखन्ड में 834 व पहाड़ में 1,124 है।

मान्यवर, सड़कों के निर्माण का प्रश्न है। मैं यह नहीं कहता कि सड़कें नहीं बनी हैं। सड़कें बनी हैं। पूर्वांचल में एक लाख की आबादी पर 47 किलो मीटर सड़क बनी है, पश्चिमांचल में 1 लाख की आबादी पर 47 किलोमीटर की सड़क बनी है, बुन्देलखंड में 51 किलो मीटर सड़क बनी हैं एक लाख की आबादी पर और पहाड़ पर एक लाख की आबादी पर 269 किलो

मीटर सड़क बनी है। इसके बावजूद भी आज आप विकास के कार्य कर रहे हैं क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर। जूनियर हाई स्कूल की स्थिति आप देख लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक लाख की आबादी पर 58 स्कूल, पश्चिम में 7 स्कूल और पहाड़ पर 146 स्कूल हैं। इसी प्रकार सीनियर हाई स्कूलों को आप देख लें। पूर्वांचल में 11, पश्चिम में 11 और पहाड़ पर 26 स्कूल हैं।

अब आप हायर सेकेन्डरी स्कूलों को आप देख लें। पूर्वांचल में 4·4 प्रतिशत, पश्चिमांचल में 5·4 प्रतिशत और पहाड़ पर 12·6 प्रतिशत है। स्वास्थ्य विभाग की जो डिस्पेन्सरीज हैं और उनमें जो शैय्याएं लगी हुई हैं, उन्हे आप देख लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 43 और पहाड़ पर 127 हैं। यदि इसी प्रकार विकास को क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर रखा गया तो विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायेगी। सबसे पिछड़ा इलाका जो पुर्वांचल है, उसके विकास के लिए इयरमार्क का कोई प्राविधान नहीं किया गया है, जबकि पहाड़ के लिए इसका प्राविधान किया गया है। मैं पहाड़ का विरोधी नहीं हूं, पहाड़ का विकास होना चाहिये। लेकिन जो पिछड़ा इलाका है, उनका विकास किया जाना चाहिये। आपने जो विकास की दर रखी है और 7वीं योजना आयोग को भेजी है, उसमें आपने 4·4 प्रतिशत की वृद्धि दर रखी है। जब हिन्दुस्तान 2 हजार शताब्दी समाप्त कर 21वीं शताब्दी म प्रवेश करेगा तो इस हिसाब से वह नीचे के स्तर से दूसरे या तीसरे नम्बर पर होगा।

माननीय, मैं तो समझता था कि श्री तिवारी जी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेंगे इस बजट के माध्यम से। यह केवल 7 महीने का बजट है। 5 महीने तो लेखानुदान में निकाल दिये। केन्द्र सरकार का जो योजना आयोग है, उसने 34 प्रतिशत की कटौती की है पूरी की पूरी योजनाओं में। माननीय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए, पक्षपात को दूर करने के लिए और प्रति औसत आमदनी को बढ़ाने के लिए इस बजट पर नये सिरे से सोचा जाना चाहिए।

माननीय, इस बजट में मुझे एक बहुत बड़ी कमी लगी वह है काला धन। काले धन पर नियंत्रण के लिए इसमें कोई विचार प्रकट नहीं किये गये हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय 1 हजार करोड़ रुपए का काला धन इस समय चल रहा है। इस बजट के बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं भी अपनी बातों को उनसे जोड़ते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अफसर यू0 अहमद--

सदरे मोहतरम, मैं आप का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने 1985-86 के बजट पर चल रहे इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया। हुजूरेवाला, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे वजीरे आला जो वजीरे खजाना भी हैं, उन्होंने ऐसा बजट पेश किया है जिससे उत्तर प्रदेश के आवाम के जजबात और भावनाओं की मुस्कराती तस्वीर देख सकते हैं जिसने प्रदेश के अन्दर एक ऐसी लोकप्रिय सरकार बनायी जिसकी नुमाइन्दगी कांग्रेस के हाथों में है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 21वीं सदी का हिन्दुस्तान जैसा राजीव गांधी देखना चाहते हैं, देश की जनता सबसे आगे पहुंच जाय, यकीनन एहतराम के काबिल है जो उत्तर प्रदेश ने पेश किया है एक मुस्तेहदम और मुनासिब कदम है। मैं इस बजट का इस्तकबाल करता हूं और वजीरे आजम नारायण दत्त तिवारी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अवाम की बेहतरी के मुताल्लिक इसे बनाया। पैदावार को बढ़ाने के लिए माकूल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्तजाम किया गया है । पिछले रिकार्डों को देखा जाये तो खती में रिकार्ड पैदावार हुई है और उसको आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है । नहरों, ट्यूबवेल का इन्तजाम किया गया है । धान की फसल के लिए विजिटिंग सिस्टम द्वारा आगे बढ़ाने की बात की गई है ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए जो आधार होता है उसके लिए जरूरी है कि छोटे-छोटे उद्योग लगाये जायं जिसके लिए 7वें मनसूबे में ऐलान फर्माया गया है । इसके साथ ही साथ इस बात का भी ऐलान किया गया है कि जो नौजवान शिक्षित बेरोजगार हैं उन को अपना कारखाना खोलने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 25 हजार रुपये का इन्तजाम किया है । लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो रुपया दिया जाता है वह अमीरों को तो मिल जाता है लेकिन जो इसके हकदार हैं उनको नहीं मिल पाता । इसलिए इन पर कड़ी नजर रखी जाय ।

किसी भी देश और प्रदेश की तरक्की के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है । ऊर्जा तनावाई की जरूरत होती है और उसके लिए नई दिशा देने के लिए हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने उसे 3 हिस्सों में बांट दिया है और वह काबिलेतारीफ है । तीन हिस्सों में विद्युत् विभाग को बांटा है और जिम्मेदारी डाली गई है कि जहां पर कोई गडबड़ी होगी उसके जिम्मेदार वह खुद होंगे । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े कल-कारखानें हैं, उनको आपकी सरकार जो बिजली दे रही है वह काबिलेतारीफ है लेकिन कभी-कभी उसमें कमी हो जाती है । जो घरों में और दूसरी चीजों में जो बिजली इस्तेमाल होती है उसके लिए मैं चाहता हूं कि जनरेटर्स लगाये जायें, बायोगैस प्लान्ट इस्टैब्लिश किये जायें ।

शिक्षा विभाग में हमारे वजीरे आला ने एलान किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का इन्तजार कर रहे हैं, उसके आने के बाद लागू करेंगे । हमारी बहनों की तालीम के लिये जो 12 हाई स्कूल खोलने की बात कही है काबिलेतारीफ है । इस बात का ध्यान रखा जाय कि शिक्षा के विकास के लिए जो 'सिलेबस' इत्यादि बनाया जाय उसमें धर्म और प्रदेश की भावना जो चीजें पैदा करती हैं, उनको निकाल दिया जाय और प्रेम, सौहार्द्र, भाईचारा जिन चीजों से बढ़ता है, उनको रखा जाय ।

अक्सर उधर से कहा जाता है कि इस बजट में गरीबों के लिये कोई बात नहीं कही गयी । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तरफ देखें । गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले रिक्शा चालकों के लिए उन्होंने अपने समय में क्या किया था, आज हमारे वजीरे आला ने इस बात का ख्याल किया है कि लाखों-लाख रिक्शा चालक, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, उनके लिए रिक्शे का इन्तजाम किया जायगा और उनके लिये रात बिताने के लिये 'रैन बसेरा' का इन्तजाम किया जायगा । मेरा समय समाप्त न हो जाय इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं समाज के एक ऐसे वर्ग की नुमाइन्दगी करता हूं जो बुनकर कहलाता है, जिनकी तादाद 85 लाख से ज्यादा है । मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार की बुनकरों की तरफ किसी वजह से नजर-सानी नहीं हो पायी है । मैं कहना चाहूंगा कि बुनकर, जिनको रोजगार देने की भी जरूरत नहीं है, उनको एक जोड़ा धोती पर 12.00 रु0 की सबसिडी दी जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी अगर 12.00 रु0 नहीं तो कम से कम 6.00 रु0 की सबसिडी अवश्य दे, जिससे उनको कम से कम 18.00 रु0 अवश्य मिल जाया करें । भुगतान हर हफ्ते हुआ करे । उनके साथ ऐसी परेशानियां हैं कि उनके माल की खरीदारी दो-दो

महीने तक नहीं होती है और वह भुखमरी के शिकार होते हैं ।

इसके साथ ही मैं मशकूर हूं अधिष्ठाता महोदय का कि बजट पर बोलने का मौका दिया । हर दिल अजीज नारायण दत्त तिवारी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वे माननीय राजीव गांधी के बताये हुये रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं । मैं इस बजट की पुरजोर ताईद करता हूं ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जैसे नये सदस्य को उत्तर प्रदेश के इस बजट पर चर्चा करने का मौका दिया ।

वर्ष 1985-86 के लिये जो बजट पेश हुआ, हम सभी जानते हैं कि वह बजट सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम चरण है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि इस सारे हिन्दुस्तान को 21वीं शताब्दी में ले जाने की बात । बात सुनकर हम भी खुश होते हैं, ख्वाब देखने लगते हैं ।

( व्यवधान )

(सत्ता पक्ष की ओर से 'इधर चले आओ', 'इधर चले आओ', की आवाज आने पर)

मुझे यहीं रहने दीजिये तो अच्छा होगा ।

हम सोचते थे कि वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने भी कम से कम आंकड़ों में ही सही, उत्तर प्रदेश को भी 21वीं सदी में ले जाने की तैयारी की होगी, लेकिन पूरा बजट पढ़कर निराशा हुई । निराशा इस बात से भी हुई कि यह 21वीं शताब्दी की तो तैयारी नहीं ह लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार जिस समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति का दावा करती है, गरीबों के उत्थान का दावा कर रही है उसके लिये कोई क्रान्तिकारी कदम इस बजट में नहीं उठाया गया है । इस बजट से हम उम्मीद कर रहे थ कि कोई क्रान्तिकारी कदम हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी उठायेंगे लेकिन इसमें ऐसी कोई बात हमें दिखाई नहीं दीं ।

कहने में तो यह बहुत अच्छा लगता है कि इस बजट में कोई कर नहीं लगाये गये हैं, इसमें कोई घाटा नहीं हुआ है । लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के पिछले बजट के कड़वे अनुभव हमको बतलाते हैं कि बजट में कर न लगाने की बात करके बाद में करों को बढ़ाया गया और इस तरह से प्रदेश की जनता पर पीछे से छुरा भोंका गया है । डर लगता है कि इसी तरह से अभी कर न लगाने की बात कह रहे हैं तो यह बात सच में यही रहेगी या कि बाद में कर बढ़ा दिये जायेंगे ।

मैं कुछ मुद्दों पर माननीय वित्त मंत्री जी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं इस बात को गहराई से महसूस करता हूं कि तरक्की और विकास के लिये केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है । उसमें सरकार की पूरी व्यवस्था का, एक संकल्प का होना जरूरी है । इस बजट में कहने को तो संकल्प है लेकिन मुझे नहीं लगता है । इस लोकतंत्रीय सरकार का तंत्र बढ़ रहा है । इसका तंत्र बढ़ रहा है ब्यूरोक्रेसी सेट अप की तरफ । लेकिन वास्तविक विकास के कार्यक्रम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैं तंत्र के बारे में आपको एक बात बतला दूं कि पुलिस के बारे में कहा जाता है कि वह ला एण्ड आर्डर को मेनटेन कर रही है परन्तु फिर भी क्राइम रेट बढ़ रहे हैं । एक ओर आपका खर्च बढ़ रहा है लेकिन दूसरी ओर काम नहीं हो रहा है । भ्रष्टाचार अपनी चरमसीमा पर है । उत्तर प्रदेश के आई० ए० एस० आफिसर्स के बारे में माननीय सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा ही होगा तो जब तक आप तंत्र पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप अपने

संकल्प में कामयाब हो जायेंगे ऐसा मैं नहीं समझता हूं ।

इसी तरह से रोजगार योजना के लिये स्वरोजगार योजना की बात कही गयी हैं । स्वरोजगार योजना में कितनी गड़बड़ी है, धांधली है यह बात दोनों पक्ष के बैठने वाले सदस्य स्वयं अनुभव करते होंगे । पहाड़ों में काम के बदले अनाज वाली योजना है उसके सम्बन्ध में बार-बार सरकार के सामने यह बात लायी गयी कि 9 रु0 और एक किलो गेहूं में कोई मजदूर नहीं मिल रहे हैं, उस पर भी मस्टररोल के नाम पर ठेकेदारी में उनसे काम कराया जाता है, तो यह भ्रष्टाचार है । इन योजनाओं में 40 परसेन्ट भी काम नहीं होता है न उनसे कोई लाभ ले पाते हैं । इस पर जब तक हमारी सरकार और भारत सरकार रोक नहीं लगायेगी तब तक मैं समझता हूं कि लक्ष्य की प्राप्ति होना कठिन कार्य है ।

मैं पहाड़ों के बारे में अलग से बात करूंगा । यहां पर एक माननीय सदस्य ने पहाड़ों के बारे में बहुत आंकड़े दिये । माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी आंकड़ों के सम्बन्ध में एक बार एक बात कही थी कि आंकड़ों में लंका भी सोने की थी । यहां पहाड़ों के बारे में कागज पर वही लंकाई आंकड़े दर्शा दिये गये हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लिये बजट में 177 करोड़ रुपये दिखा दिये गये हैं लेकिन वहां हो क्या रहा है ? इसकी भी तस्वीर मैं आपके सामने अलग से लाऊंगा कि आंकड़ों में तो आप पैसा दे देते हैं पर होता कुछ भी नहीं है, राष्ट्र का सिरमौर हमारा पहाड़ अभी भी नंगा है । पहाड़ अभी भी भूखा है और पहाड़ अभी भी सूखा है ।

[3 बज कर 40 मिनट]

श्री राम सकल तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है इस बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिये । जहां तक इस बजट का सवाल है यह बजट अपने आप में एक बहुत ही संतुलित बजट है, जिसमें प्रदेश के विकास के लिये और सर्वांगीण विकास के लिये इसमें प्राविधान किया गया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं और उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश का पूर्वांचल बहुत ही गरीब है और पिछड़ा हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के बारे में आज से 24 वर्ष पूर्व स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी, जो एम0 पी0 थे, उन्होंने लोक सभा में पूर्वांचल के बारे में अपना भाषण दिया था, तो तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने एक पटेल आयोग की स्थापना की थी । मान्यवर, मार्च, 1962 में पटेल आयोग ने जो रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रेषित की, उसके आधार पर पूर्वांचल के तीन जनपदों में गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया उनको पिछड़ा मान कर वहां पर उद्योग और कृषि के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार को यह सूचना दी गयी थी कि इन जिलों के लोगों की तरक्की के लिये गरीबी मिटाने के लिये और अशिक्षा दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार को विशेष रुचि लेने के लिए आवश्यकता बताई, क्योंकि यह तीन जिले इस प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर मन्डल पूर्वांचल में सब से घनी आबादी वाला जिला है ।

मान्यवर, यहां की आबादी मार्च, 1981 तक 1 करोड़ 37 लाख 96 हजार आंकी गयी थी, इतनी इस गोरखपुर मंडल की आबादी है । इतनी जनसंख्या का दबाव और किसी मन्डल में नहीं है । मान्यवर, सातवीं पंच वर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें तीन जनपदों का नाम आया है जहां पर उद्योगों की स्थापना की जायेगी और वह जिले हैं बलिया,

गाजीपुर और जौनपुर। मान्यवर, इन तीन जनपदों म उद्योग धन्धे लगाये जायेंगे, लेकिन देवरिया को छोड़ दिया गया जहां की आबादी 35 लाख 42 हजार ह और जहां पर प्रति व्यक्ति जमीन 4 एकड़ आती ह। इतना होते हुए भी मान्यवर, वहां पर कोई उद्योग धन्धा स्थापित करने का प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है, मान्यवर, मैं आंकड़े देना चाहता हूं कि यहां पर 14 चीनी मिलें हैं और इन चीनी मिलों से एक्साइज ड्यूटी की शकल में केन्द्र सरकार को 6 करोड़ 75 लाख रुपया 1983-84 में प्राप्त हुई थी और राज्य सरकार को 2 करोड़ 24 लाख रुपया की आमदनी हुई थी और इसी प्रकार से गन्ना क्रय करके 1 करोड़ 92 लाख रुपया देवरिया जनपद से दिया गया लेकिन मान्यवर, देवरिया जनपद के लिये किसी उद्योग धन्धे की बात इस बजट में नहीं की गयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सातवीं पंच-वर्षीय योजना म देवरिया जिले के लिये उद्योग धन्धों की स्थापना की व्यवस्था करें, जो गरीब और पिछड़ा हुआ है। वहां से 11 करोड़ रुपया प्रति वर्ष औसतन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को यह गरीब जनपद देता है। लेकिन आज इस बजट में इस पिछड़े हुये क्षेत्र के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा और उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस गरीब जनपद के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये वहां पर बड़े-बड़े उद्योग धन्धे लगाये जायें और उन्हें वहां पर सुनिश्चित किया जाय जिससे वहां की गरीबी दूर हो सके।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि सामान्य बजट की इस चर्चा में आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुये जो भाषण दिया या उसे मैंने ध्यान से सुना था। उन्होंने अपने शासन की उपलब्धियों को ऐसे लुभावने शब्दों में रखा परन्तु उपलब्धियों के उस शानदार पर्दे के पीछे इस शासन की कमियों और इसकी असफलता का बहुत बड़ा ढेर छिपा हुआ है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने भी उस ओर उनका ध्यान दिलाया है और उसे मैं भी उजागर करना चाहता हूं। अपने हाथ से ही शासन दल के लोग अपनी पीठ ठोकना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शासन के कार्यों का मूल्यांकन जनता के आधार पर होना चाहिए। इसका मूल्यांकन इसी बात पर किया जा सकता है कि पिछले सदन की तुलना में इस सदन में ये लोग काफी कम संख्या म चुनकर आये हैं जबकि लोकसभा के चुनाव की शानदार जीत की हवा इनके साथ थी लेकिन लोगों ने आपको इस बार नहीं चुना, ठुकरा दिया। अतः उपलब्धियों की बात कहना जनता के लिये धोखे के समान है।

प्रस्तुत बजट में 32 करोड़ रुपये के नये कर लगेंगे और 14660 लाख रुपये का आपने घाटा दिखाया है और यह कह गया है कि राजकीय, प्रशासनिक और अनुत्पादक खर्चों में कमी की जायेगी तथा पुराने उधार की वसूलयाबी की जायेगी लेकिन पुराने अनुभव यह है कि इन खर्चों में कमी नहीं होगी तथा होने से घाटा और बढ़ेगा। जो शान शौकत तथा शाही ठाटबाट हमारे शासक दलों के लोगों के हैं, जो नीतियां हैं उसको देखते हुये यह खर्चा घट नहीं सकता है। मुझे आशंका है कि वर्ष के अन्त तक आम आदमी करों के बोझ से लाद दिया जायेगा। जहां तक उधार का सवाल है, 19 सौ करोड़ रुपये की वसूली का सवाल है वर्ष के अन्त तक वह और भी बढ़ जायेगा। पूंजीपतियों से वसूल करने का इस सरकार का बूता नहीं है। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा यह बजट जनविरोधी है, किसान विरोधी है इन अर्थों में कि यह सरकार को मालूम नहीं है कि आखिर बजट का केन्द्र बिन्दु क्या होना चाहिये। बजट और विकास

का केन्द्र बिन्दु चंद पूंजीपति या सुविधा भोगी लोग न हो कर समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा दीनहीन निर्धन वर्ग होना चाहिए। दुख है कि हमारे इस बजट म खेतिहर मजदूर के लिये, छोटे किसानों के लिये, श्रमिक वर्ग के लिए, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बेरोजगारों के लिये, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये कोई आशा का संदेश नहीं है। ऐसा नहीं दिखाई देता कि शासन गरीबों के लिये कुछ करना चाहता है। इन अर्थों में यह बजट निराशावादी है।

इस प्रदेश की सारी योजनायें और सारे विकास के कार्य भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है लेकिन उसके बारे में इस बजट में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। आज प्रदेश की सारी विकास योजनाओं को भ्रष्टाचार रूपी काला नाग खा रहा है और यह बजट इस दिशा में पूरी तरह से मौन रहा है। जैसा माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों की इसमें बहुत ही उपेक्षा की गई है। मैं जहां से चुनकर आया हूं आगरा से चुन कर आया हूं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे प्रदेश में सब से पिछड़ा हुआ है और खास तौर से आगरा उद्योग के नाम पर 6·7 प्रतिशत हमारे बजट में इसके लिये कुल प्राविधान किया गया है। उद्योगों की दृष्टि से आगरा को प्रदूषण के नाम पर बरबाद किया जा रहा है। वहां पर कोई उद्योग नहीं लगाये जा रहे हैं। वहां का टी0 वी0 टावर भी हटा दिये जाने की चर्चा है

वहां पर जो स्कूटर का कारखाना लगने वाला था वह भी वहां से हटा दिया गया है इस बात के नाम पर कि प्रदूषण से ताजमहल को खतरा होगा। मान्यवर, वहां के लोग यह कहने लगे हैं..

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

वहां के लोग कहने लगे हैं कि प्रदूषण के नाम पर ऐसा न हो कि आगरा को खाली करा लिया जाय यह कह कर कि आपकी श्वासों के प्रदूषण से ताजमहल के सौन्दर्य को खतरा पैदा हो गया है। जरूरत इस बात की है कि वहां इलेक्ट्रानिक्स तथा पावरलूम जैसे उद्योग लगे। इसी तरह से सड़कों का हाल है हमारे यहां सड़कों की हालत बहुत खराब है। जिस तरह हंटर की मार से आदमी की खाल उधड़ जाती है, उसी तरह लाखों का लागत से बनी सड़क एक ही बरसात में उधड़ जाती है।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

परिवहन की भी हालत बहुत खराब है। जो बसें हमारे यहां चल रही हैं वह टूटी फूटी--आवाज करती हुई बसें हैं जो सड़कों पर घिसट रही हैं। अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

*श्री बद्री सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। साथ ही साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक विकासशील और जनहितकारी बजट पेश किया जो हमारे प्रदेश का कल्याणकारी बजट है। हमारे बजट में जो एक मुख्य मुद्दा रखा गया है वह बीहड़ सुधार के संबंध में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में 12 जनपद ऐसे हैं, जो दस्युग्रस्त हैं, जो बीहड़ हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जैसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी केन्द्रीय सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने बीहड़ सुधार योजना चलाई है उसमें बीहड़ भूमि की सफाई करके उसे कृषि योग्य बनाया जायेगा । इस योजना में प्रदेश सरकार ने भी लक्ष्य रखा है । हमारे जनपद में भी बीहड़ सुधार योजना लागू की जाय जो बीहड़ भूमि है उसकी सफाई करके कृषि योग्य उसे बनाया जाय क्योंकि हमारा क्षेत्र भी दस्यु प्रभावित है ।

हमारा जनपद उद्योग शून्य जनपद है । मेरा कालपी का क्षेत्र है उसमें छोटे-छोटे उद्योग जैसे कागज, कालीन और खादी पोलियस्टर आदि के उद्योग चल रहे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । उनको सरकारी सहायता की आवश्यकता है । हमारे यहां का खाली पोलियस्टर का कपड़ा विदेशों में भेजा जाता है । मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय । चूंकि समय कम है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में कृषि के सम्बन्ध में तथा अन्य विकास की योजनाओं के सम्बन्ध में काफी किया गया है । मैं अपने विरोधी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस विकासशील और जनहितकारी बजट का समर्थन करें । इन शब्दों के साथ मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं ।

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

अधिष्ठाता महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश का बजट सदन में प्रस्तुत किया है वह बहुत ही अफसोसनाक बजट है और बहुत से आंकड़े उसमें लिखे गये हैं जिनका हमारे विरोधी दल के नेता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है मैं अपने को उससे जोड़ता हूं । मैं यह जरूर कहूंगा कि--

नक्शों को मत जांचिये मौके पर
जाकर बेशक देख,
क्या चीज जी रही है क्या चीज
मर रही है ।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ला-एण्ड आर्डर के नाम पर मुख्य मंत्री जी भी बन्दी के रूप में बना दिये गये हैं । उनसे भी संसद सदस्य और विधायकों का मिलना मुश्किल है आम जनता का मिलना दूर रहा । उनसे मिलने के लिए सूची तैयार की जाती है और जब मिलने का समय आता है तो मुख्य मंत्री जी उस समय उपलब्ध नहीं होते ।

मुझे उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे के सम्बन्ध में एक और बात कहनी है कि मंत्रियों को उसके पैसे का दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है । पहले जो मुख्य मंत्री हुआ करते थे उनके जब हवाई जहाज से सफर करने की बात होती थी तो वे संकोच करते थे लेकिन आज मुख्य मंत्री जी को छोड़ दीजिये मंत्रिगण भी हवाई जहाज से यात्रा करते हैं । हमारे मंत्रिमंडल के दो युवा मंत्री ऐसे हैं । दो युवा मंत्री हैं--एक श्री सुनील शास्त्री और दूसरे श्री संजय सिंह । इन दोनों ने सबसे ज्यादा हवाई जहाज और हेलिकाप्टर का इस्तेमाल किया है । 1952 में जब मुख्य मंत्री यहां चुनकर आये तो उनको मालूम है कि इनके पहले तीन मुख्य मंत्रियों ने श्री पंतजी, श्री सम्पूर्णानन्द जी एवं श्री चन्द्रभानु गुप्त ने दिल्ली की ओर इस तरह नहीं देखा जैसा कि आज नारायण दत्त तिवारी जी देखते हैं, इसीलिए इनको नई दिल्ली के रूप में जाना जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि इनका मंत्रिमंडल नई दिल्ली से बनाया गया, यही कारण है कि इनके डमरू पर सब नहीं नाचते इनका मंत्रिमंडल एक ऐसे ऊंट की तरह है जिसका एक कल भी सीधा नहीं है । इनके मंत्रिमंडल के ऐसे-ऐसे रंगरूट हैं जो भांति-भांति की बोलियां बोलते हैं । मान्यवर, 31 तारीख के अखबार में इनके मंत्रिमंडल के एक साथी ने यह कहा कि भाषा के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश की ढुलमुल नीति है । एक तरफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पाकिस्तान को सीमा सील को जाती हैं और दूसरी तरफ समझौता किया जाता है । यह नौटंकी कब तक चलेगी । इस पर केन्द्र सरकार को गालियां देना हुआ। मान्यवर, इनकी सामूहिक जिम्मेदारी कोई मंत्री नहीं निभा रहा है । इसलिए मुख्य मंत्री को मुख्य मंत्री पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है । मैं एक शेर के जरिये पूछना चाहता हूं--

तेरे दस्तूर में क्या कोई कमी है साकी,
जाम चलता है तो आपस में भी चल जाती है ।

मान्यवर, श्री लोकपति त्रिपाठी, स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री का जिक्र यहां सदन म आ चुका है, एक कहता है कि जान का खतरा है और दूसरा कहता है कि ट्रान्सफर रुके । मैं मुख्य-मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नौकरशाही के ऊपर जो बेलगाम घोड़े की तरह है, उस पर अंकुश लगायें । मुख्य मंत्री के शासन काल में एक बिरादरी के लोगों को अधिकारी बनाकर बड़ी-बड़ी जगहों पर रखा गया है, उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि श्री भोलानाथ तिवारी, गृह सचिव कब तक रहेंगे, श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, गन्ना सचिव कब तक रहेंगे और श्री बी0 एन0 शुक्ला, केन आयुक्त कब तक बने रहेंगे ? मान्यवर, 1985 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया उसका पालन नहीं हो रहा है । चुनाव घोषणा-पत्र में कहा गया था भाषण नीति के बारे में और श्री वासुदेव सिंह, के बारे में, यहां कई बार बातें आ चुकी हैं, भाषा के सम्बन्ध में उन्होंने जो विरोध किया था तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वह स्वयं डूबेंगे और मुख्य मंत्री जी को भी ले डूबेंगे ।

मान्यवर, अब बुनकरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उनके बारे में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है । बुनकरों के नाम पर 55 लाख आदमी आज भुखमरी के शिकार हैं जो शासन के लिए शर्म की बात है । वह बुनकर, जिसके हाथों मे दस्तकारी भरी पड़ी है, वह आज पत्थर तोड़ रहा है । इन्हीं बुनकरों के अंग्रेजों ने हाथ कटवा लिए थे किन्तु आज वह तबका बरबाद हो रहा है । इसलिए इनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है ।

मान्यवर, न्याय के बारे में कुछ बजट में नहीं कहा गया है । इस तरफ भी ध्यान दें ।

अन्त में मैं एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं--

जिसे है फूलों से नफरत, वह चमन का बागी है,
जो है जबां का दुश्मन, वह वतन का बागी है ।

धन्यवाद

(श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

एक सदस्य--

आपने मुझे बजट पर जो बोलने का अवसर दिया...

श्री अधिष्ठाता--

सकलानी जी का नाम लिया है, आपको दुबारा समय देंगे ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बजट की इस सामान्य चर्चा पर बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । मान्यवर, एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि टिहरी-गढ़वाल का नाम बजट की जो पत्रिकायें मिली हैं, उसमें गलत छपा हुआ है । इसमें टिहरी के स्थान पर टेहरी यानी छोटे 'इ' की

मात्रा के बजाय 'ए' की मात्रा से लिखा हुआ है, वह गलत है। यह अशुद्धि नहीं होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से निदेशक लेखन एवं मुद्रण उ० प्र० से कहना चाहता हूं, वह इसमें समुचित सुधार कर लें। मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका बहुत पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। उन्होंने सब बातें बहुत अच्छी कही हैं। सबसे पहले तो सातवीं योजना में इस बजट के व्यय में 77.4 प्रतिशत की वृद्धि की गयी ह, यह स्वागत योग्य बात है।

इस बजट में अन्न का उत्पादन बढ़ाया गया है, इसमें बिजली का उत्पादन बढ़ा है, इसमें सामान्य प्रशासन और जनसेवा में प्रगति दिखाई गई है, बढ़ोत्तरी दिखाई गई है। तो आप विरोधी लोग क्या चाहते हैं कि यह काम न हों। आई० आर० डी०, एन० आर० पी०, एल० आर० जी० पी० और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और गरीब किसानों के हित की बातें जो हमारी सरकार कर रही है, इसमें हैं। क्या आप इन्हें नहीं चाहते हैं? आप सभी चाहेंगे कि यह बातें होनी चाहिए और इसमें हमारे गरीब लोगों को बहुत लाभ पहुंचा है। मित्रों, विरोधी दल की तरफ से पहाड़ों का बड़ा विरोध किया गया है कि वहां पर बहुत बड़ा बजट खर्च किया गया है। जबकि वास्तविकता कुछ दूसरी ही है। वहां पर सबसे बड़ी योजना टिहरी डैम बन रही है। इनके कारण से हम जो वहां के लोग हैं वह कष्ट उठायेंगे, लेकिन इसका पानी और इसकी बिजली मैदानी इलाकों के लोगों को मिलेगी। आपके घरों में रोशनी होगी, आपके कारखाने लगेंगे और चलेंगे, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा और आपका जीवन ऊंचा उठेगा और हम जो आज त्याग कर रहे हैं वह प्लेन के लिए और मैदानी इलाकों के लिए कर रहे हैं। तो उससे आपका जीवन-स्तर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आप देखिए कि पहाड़ों में काम करना कितना कठिन होता है। वहां एक फर्लांग भी सड़क बनाना होता है तो बड़े-बड़े पहाड़ काटने पड़ते हैं, जिनमें बड़ा खर्च होता है। लेकिन आप कहते हैं कि पहाड़ों को सारा बजट दिया जा रहा है, इस तरह का आपका सोचना गलत बात है। मित्रों, मैं आपका ध्यान इसलिए भी दिलाना चाहता हूं विशेष रूप से पहाड़ों की तरफ, क्योंकि इस साल पहाड़ों पर बड़ा जबर-दस्त सूखा पड़ा। हमारी महिलाओं और बच्चों को मीलों दूर से पानी अपने सरों पर उठाकर लाना पड़ा है। उस पर 23,742 रुपया प्रति दिन लोगों को पानी पिलाने के लिए इस सरकार द्वारा खर्च किया गया है टैंकर और खच्चर लगाये गये हैं। इसके लिए मैं पहाड़ों की जनता की ओर से मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आपसे यह कहना चाहता हूं कि पहाड़ों के जल स्रोत सूख रहे रहे हैं, जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि जंगल कट गये और ब्लास्टिंग आदि की वजह से भी जल स्रोत सूख गये हैं। इसलिए पेय योजनाओं में पानी नहीं चलता है।

मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों पर लिफ्ट योजनाओं द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाये। मान्यवर, हिमालय की बड़ी कृपा है, विशेष कर गढ़वाल मंडल पर क्योंकि गंगा और यमुना जसी बड़ी-बड़ी नदियां वहां से निकलती हैं जो पेरीनियल रिवर हैं, हमेशा चलती हैं। जिस तरह से पानी की व्यवस्था नयी टिहरी, मंसूरी के लिये की गयी है, हिंडोलाखाल में भी पेयजल की पम्पिंग सेट योजना बनी है उसी तरह से व्यवस्था पानी के लिये होनी चाहिये ताकि पहाड़ के लोगों को पानी मिल सके। मैंने मंसूरी का नाम लिया है वहां की हालत ठीक नहीं है। वहां की सड़कें खराब हो गयी हैं, रेलिंग टूट गयी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें जो पुरानी मसूरी में थीं वह आज नहीं हैं। एक बात की ओर मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे बड़ी-बड़ी योजनायें बन रही हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये अच्छी-अच्छी कालोनियां बन रही हैं तो मेरा निवेदन है कि पहाड़ों में भी जहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहते हैं उनके लिये आवासीय व्यवस्था होनी चाहिये जैसी कि अन्य जगहों पर की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठ जायं।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

माननीय, यह जो बजट पेश किया गया है उसमें बुन्देलखंड की घोर उपेक्षा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किया है। बुन्देलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। सिंचाई सुविधा के लिये, 10 जून को माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बुन्देलखंड सलाहकार समिति की बैठक हुई थी और तमाम समस्यायें माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने रखी गयी थीं, खासकर सिंचाई सुविधा के सम्बन्ध में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिंचाई का जो क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4,564 हेक्टेयर सिंचाई का क्षेत्र है। मध्य उत्तर प्रदेश में 1,552 हेक्टेयर सिंचाई का क्षेत्र है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3,099 हेक्टेयर सिंचाई का क्षेत्र है। लेकिन बुन्देलखंड में केवल 446 हेक्टेयर सिंचाई का क्षेत्र है। आप देखिये कि सिंचाई के सम्बन्ध में बुन्देलखंड की कितनी उपेक्षा की गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर बुन्देलखंड को पानी मिल जाय तो वहां की उन्नति हो सकती है। करोड़ों रुपयों की लागत से जब लखनऊ में नक्षत्र मंडल बन सकता है तो मैं बुन्देलखंड के लिये एक ही मांग करता हूं कि वहां सिंचाई की सुविधा दे दें और मैं इस बात का वादा करता हूं कि अगर बुन्देलखंड को पूरा पानी दे दिया जाय तो बुन्देलखंड की उपजाऊ जमीन पूरे उत्तर प्रदेश को खाना दे सकती है।

माननीय, एक और मांग भी हमने रखी थी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील नरैनी तहसील है। उसमें एक अतर्रा कस्बा आता है। मुख्य मन्त्री जी ने 10 जून को बुन्देलखंड सलाहकार समिति की बैठक में आश्वासन दिया था और जब अतर्रा को नयी तहसील बनाने का आन्दोलन चल रहा था उस वक्त भी आश्वासन दिया था कि हम अतर्रा को नयी तहसील का दर्जा देंगे। अतर्रा, बांदा जनपद का सबसे बड़ा कस्बा है। वहां पर राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, जो कानपुर यूनीवर्सिटी से एफीलियेटेड है, डिग्री कालेज, 2 इंटर कालेज, 22-23 राइस मिल हैं। वहां से नरैनी तहसील जाने के लिये काफी दूरी तय करनी पड़ती है और इंटीरियर क्षेत्र होने के कारण आने-जाने में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान मैं आपके माध्यम से उस आश्वासन की तरफ दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने आश्वासन दिया था अतर्रा को नयी तहसील बनाने के लिये। मुख्य मन्त्री जी उसको पूरा करें।

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पुनः पीठासीन हुए।)

मैं इसके साथ-साथ बांदा की सिंचाई सुविधा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बांदा जनपद की मुख्य सिंचाई केन नहर के द्वारा होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केन नहर में जो पानी सप्लाई होता है, गंगऊ, रनगवां, बरयारपुर बांध से होता है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनवाया हुआ बांध है, जो मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब मध्य प्रदेश ने अपनी नहरें निकाल कर उत्तर प्रदेश में केवल 36 प्रतिशत पानी प्रारम्भ किया है, जबकि पूरा पानी मिलता था, तब भी हमारे बांदा जिले की सिंचाई नहीं हो पाती थी, अब केवल 36 प्रतिशत पानी ही मिलता है, जिससे कि सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है। तो हम निवेदन करते हैं कि सिंचाई का ध्यान रखते हुए वहां पर एक लिफ्ट कैनाल योजना ऐसी चलायी जाय, जो बहुत बड़ी क्षमता की हो और जो बाकी क्षेत्र को पानी पूरा कर सके।

हम आपका ध्यान अपने क्षेत्र नरैनी की तरफ ले जाना चाहते हैं। प्रदेश की कोई भी ऐसी तहसील नहीं होगी, जहां पर ट्यूब-वेल न लगा हो। नरैनी तहसील ऐसी है जहां पर एक भी ट्यूब-वेल नहीं लगा है। तो मेरा अनुरोध है कि सिंचाई पर ध्यान देते हुए वहां पर ट्यूब-वेल लगवाये जायं। केन नदी, बागे नदी, रंज नदी के किनारों का विद्युतीकरण कराया जाय, ताकि वहां पर सिंचाई की सुविधा हो सके। इसके साथ-साथ मैं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। हमारे जनपद में एक राजकीय आयुर्वेदिक कालेज है। उस आयुर्वेदिक कालेज को देखने से ऐसा लगता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री आयुर्वेद-संस्कृत के प्रति घृणा करते हैं और आयुर्वेदिक कालेज को नेस्त-नाबूत करने की मंशा रखते हैं। उस कालेज का कोई बजट बढ़ा कर नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि अतर्रा आयुर्वेदिक कालेज के लिए बजट बढ़ाया जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान एक डेढ़ सौ करोड़ की लागत से बनने वाली ग्लास फैक्ट्री की ओर दिलाना चाहता हूं। इससे बांदा जनपद को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यह इलाहाबाद के बार्डर पर बरगढ़ में बनाने का प्राविधान है, जबकि इलाहाबाद में नैनी में ग्लास फैक्ट्री पहले से ही है। तो मेरा निवेदन है कि जो आप ग्लास फक्ट्री बरगढ़ में इलाहाबाद के पास खोलवाना चाहते हैं, वह बांदा खास में खोलवाई जाय, ताकि बांदा को फायदा मिल सके। इन शब्दों के साथ में आपके इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, मैं किन शब्दों में इस सम्मानित सदन के उन सभी सदस्यों को धन्यवाद दूं कि जिन्होंने इस आय-व्ययक पर परिचर्चा में भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझावों से या अपनी आलोचना से हमें अवगत कराया। श्रीमन्, मैं सम्मानित नेता विरोधी दल एवं अन्य विरोधी दल के नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परम्परागत विधि से इस आय-व्ययक को मूल्यांकन किया और परम्परा को निभाया और आपने दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से रखने का प्रयास किया।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

माननीय नेता विरोधी दल, श्रीमन् उनका शुभ नाम ही ऐसा है कि मुलायम भी हैं और शायद मुलायमियत में कठोरता भी है, तो कठोर मुलायमियत है। लेकिन उन्होंने जो भाषण यहां पर दिया वह आंकड़ों से भरा हुआ था और उन्हों ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि वह अपने पद की मर्यादा को, नेता विरोधी दल के पद की मर्यादा को निभा सकें। श्रीमन्, उन्होंने भरपूर आंकड़े दिए। मुझे बस एक ही बात का दुख है, वह यह है कि मैं इस सदन में, इस सम्मानित सदन में, ऐसे कम ही सदस्य होंगे, जिन्हें 21 बजट देखने का, सुनने का, मौका मिला हो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो सन् 1952 से जितने भी आय-व्ययक प्रस्तुत हुए हैं उन पर मुझे सुनने का मौका मिला ।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मुझे विश्वास है कि इस सदन में, जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, उसमें अनेकानेक विशेषकर युवा सदस्य जो हैं, वह मुझसे भी अधिक बजट देखेंगे और आय-व्ययक में भाग लेंगे । मैं उन युवा सदस्यों को, उन युवा पीढ़ी के सम्मानित सदस्यों को सम्बोधित करना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ एक क्लेश रहा वह संसदीय दृष्टिकोण से है कि जो चर्चा हम कर सकते थे वह नहीं कर पाए क्योंकि हमने दूसरी नियमावली का प्रयोग करके उस पर समय लगा दिया, तो जितनी मार्मिकता के साथ जो अध्ययन करके भाषण हो सकता था, उससे हम वंचित रहे । मैं आग्रह करूंगा कि भविष्य में वह इस बात का ध्यान रखेंगे । कि आय-व्ययक को चर्चा सदैव सदन में हो, उन्हीं विषयों को जो आय-व्ययक में कह सकते हैं उनको देखें । मैं कोई नयी बात नहीं कह रहा हूं परिपाटी बता रही है । मान्यवर, मैं सन् 1952 से देख रहा हूं कि सदन का ध्यान हमेशा बजट पर रहा है और उस पर प्रभावशाली विवाद हुए हैं । मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा मैंने कहीं पर भी इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठाया कि हम नियमों के अधिकारों का प्रयोग करते हुए भविष्य में सावधान रहें, सचेत रहे । मैं केवल संकेत मात्र करना चाहता हूं, मैं केवल संकेत मात्र ही करूंगा । श्रीमन, सर्वप्रथम नेता विरोधी दल ने इस बजट को घाटे का बजट बताया और यह भी कहा कि इसका घाटा एक हजार करोड़ रुपये हो जाएगा । इसके लिए उन्होंने कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किए उन्होंने यह भी कहा कि यह जो घाटे का बजट है यह कांग्रेस संस्कृति की देन है और चार-पांच बार कांग्रेस की संस्कृति का उल्लेख किया, मैं श्रीमन्, उनसे एक आग्रह करूंगा और वह चाहे जो कह लें, लेकिन कांग्रेस की संस्कृति को दोष न दें क्योंकि यह कांग्रेस की 100वीं शताब्दी वर्णित है । एक-आध पार्टी को छोड़कर सभी कांग्रेस संस्कृति में रहे हैं....

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्रीमन्, कौन सा नेता आज देश में ऐसा है जो कभी न कभी सभी राजनीतिक पार्टियों में नहीं था । सभी का अध्याय किसी न किसी क्रान्तिकारी कहानी से जुड़ा है । चाहे वह चिटगांव आर्मी कोड हो, चाहे काकोरी कांड हो, यह सब इसके गवाह हैं । हमें गर्व है कि इस देश के सभी राजनीतिक नेता भिन्न-भिन्न दलों के जो हैं, कांग्रेस की आजादी की लड़ाई में उनका योगदान रहा है । हमें इस कांग्रेस की संस्कृति पर गर्व है, न केवल देश की आजादी बल्कि संसार की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो बल रहे हैं, उनका अग्रदूत कांग्रेस रहा है । हो सकता है व्यवधान रहा हो, त्रुटियां रही हों लेकिन कांग्रेस की संस्कृति को दोष न दें । सम्मानित नेता तो, मैं समझता हूं, उनकी अपनी संस्कृति के अनुरूप होगा । उनकी संस्कृति को मैं जानता हूं कि किस संस्कृति में वह पले और पोसे हैं । वह इटावा की संस्कृति है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, तो इटावा का एक कलेक्टर था, जिसने कांग्रेस को जन्म दिया । वह उसी जिले के निवासी हैं । यह कहा गया कि यह घाटे का बजट है और तमाम आंकड़े हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने दिये ।

पहली बात तो यह है कि आज कल बजट बनाना कितना कठिन है । कोई वित्त मंत्री हो, श्रीमन् हर राज्य का बजट पेश हो गया है, हर पार्टी का बजट है । पश्चिम बंगाल में जहां कांग्रेस पार्टी नहीं है, वहां बजट पेश हुआ है, अभी कल या परसों, केरल का हो चुका है, आन्ध्र का हो चुका है, कर्नाटक का पेश हो चुका है । मैं जानना चाहूंगा और आमंत्रित करना

चाहूंगा कि टैक्स लगा है, सेल्स टैक्स से लेकर तमाम टैक्स लगे हैं, तमाम राज्यों में क्या यह सही नहीं है, उसमें कम से कम 11-12-14 कहीं 10 किस्म के टैक्स लगे हैं। हर राज्यों को कर लगाना पड़ा है। उनकी मजबूरी है, कैसे संसाधन जुटायेंगे। कोई अलग को बचा नहीं सकता है। जब मैं सन् 1977-78, 78-79 में नेता विरोधी दल था, उस समय घाटे का बजट पेश हुआ था और माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं को उस समय मंत्रि-मण्डल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। क्या यह सही नहीं है कि उस समय बजट में टैक्स लगाया गया था, क्या यह सही नहीं है कि सेल्स टैक्स को बढ़ाने की नौबत आयी थी। उस समय घाटे का बजट पेश किया गया और यह कहा गया कि इस घाटे की पूर्ति टैक्स से करना पड़ेगा। यह मजबूरी है, अगर हमें संसाधन बढ़ाने हैं। हमने उस समय कहा था इन टैक्सों से हमें विरोध नहीं है। एक दो का विरोध हो सकता है, हर टैक्स का विरोध नहीं है। नेता विरोधी दल होने के नाते मैंने कहा था। आज इस तरह सारी आवश्यकतायें व्यय की बढ़ रही हैं कि हजारों करोड़ के खर्च की आवश्यकता है, कैसे यह पूरा होगा। नेता विरोधी दल ने ठीक सवाल पूछा कि कैसे घाटे की पूर्ति होगी और यह घाटा अगर जितनी मांगें खर्च की हैं, सबको स्वीकार कर लें तो घाटा 4 करोड़ हो जाता है।

जिस पुस्तक का उल्लेख नेता विरोधी दल ने किया था और कहा था वह पुस्तक भिजवा देंगे। चौधरी चरण सिंह की वह पुस्तक मेरे पास है। इस पुस्तक को हमने बहुत पहले देखा है और जब यह पुस्तक लिखी जा रही थी, तब हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था कुछ परामर्श करने का क्योंकि नेता लोकदल की बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही है। जब यह पुस्तक लिखी जा रही थी, तो कुछ अध्यायों का अध्ययन किया था। नेता, विरोधी दल ने उदाहरण दिया और कहा कि आज क्या कारण है, जो बुनियादी कारण है उसका अध्ययन और निदान चरण सिंह की पुस्तक में है। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पुस्तक का हिन्दी संस्करण मिल जाय लेकिन नहीं प्राप्त हो सका। सन् 81 का जो सबसे ताजा एडीशन है एकोनामिक नाइट मेयर आफ इण्डिया इकसेप्टिंग फार ए फ्यू कम्युनिटीज लाइक दि सिन्धीज, गुजराटीज, मारवारीज एन्ड पंजाबीज रिजाइडिंग इन दि वेस्टर्न पार्ट आफ दि कन्ट्री अदर पीपुल, आन दि अदर हैन्ड दैट इज, अनलाइक दि पीपुल आफ जापान, आर इजी गोइंग एन्ड एम्बोशस, दे आर नाट प्रीपेयर्ड टु वर्क हार्ड आफ देयर ओन फ्री विल, विद ए व्यू टु इम्प्रूविंग देयर इकोनामिक एन्ड सोशल स्टेटस। दे आर अफ्रेड आफ न्यू आइडियाज एन्ड वेज, आफ टेकिंग चान्सेज. आफ इनकरिंग टेम्पोरेरो डिफीट एन्ड लास और इसके आगे लिखा है कि मोस्ट आफ अवर पीपुल आर कान्टेन्ट विद देयर लाट आर किसमत एन्ड डू नाट बिलोव दैट दे देजसल्व्ज कैन बी दि आर्कीटेक्ट्स आफ देयर फेट। इन्स्टेड आफ रिलाइंग आन देयर इफर्ट्स, दे लुक टु आउटसाइड एड, बी इट गाड आर गवर्नमेन्ट। दि रिजल्ट इज ए सोसाइटी स्टीप्ट्ड इन फैटालिज्म एन्ड कांसीक्वेन्ट पावरटी।

श्रीमन्, मैंने एक बड़ा विश्लेषण किया है मैं कोई पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं यह सही है। मैं इसको स्वीकार करता हूं। सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी जो कि पश्चिमी भाग में रहते हैं, दूसरी ओर जैसे जापान के देश के लोगों की तरह हम लोग इतने कुछ बड़े आराम से चलने वाले हैं कि हममें इतनी प्रचण्ड क्षमता नहीं है कि हम अपने आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए कठिन परिश्रम से कार्य कर सकें और अपनी फ्रीविल से काम कर सकें। हमारे अधिकांश लोग अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं कि हमारी किस्मत में जो होगा वही हो जायेगा।

वे अपनी मेहनत को छोड़ कर सहायता के लिए दूसरों की ओर देखते हैं, चाहे वह सरकार हो या ईश्वर । यही कारण है कि हमारा समाज आज गरीब है । आज आवश्यकता इस बात की है कि हम एक भीष्म प्रतिज्ञा करें जैसे विवेकानन्द जी ने किया, महात्मा गांधी ने किया, हमारे नेताओं ने किया और चौधरी साहब इसको दोहरा रहे हैं । हम सब आज अपनी गरीबी को कम करने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा करें और सबसे बड़ा कारण गरीबी का परकेपिटा इनकम पर निर्भर करता है । इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि परकेपिटा इनकम के मामले में हमारा स्थान 14 वां है । इसका कारण है हमारी बढ़ती हुई आबादी । चौधरी चरण सिंह जी ने इस किताब के आखिरी पैरा में लिखा है वह बहुत सही लिखा है उसे मैं पढ़ देता हूं ।

इन कानक्लूजन, वी विल रिफर दि रीडर टु ह्वाट वेरा इन्सटे मेट 50 इयर्स एगो अबाउट इन्डियाज नीड टू प्रैक्टिस बर्थ कन्ट्रोल ।

50 साल पहले वेरा इन्सटे ने लिखा है कि भारत की आवश्यकता परिवार नियोजन की है । मान्यवर, मैं इसके अगले पृष्ठ 554 के आखिरी पैरा-ग्राफ को भी पढ़ देना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि "फर्स्ट एन्ड फारमोस्ट, इट मस्ट बी डिफिनिटली रिकग्नाइज्ड दैट जनरल प्रास्पेरिटी इन इन्डिया कैन नेवर बी रैपिडली आर सबसटैन्शियली इन्क्रीज्ड सो लांग ऐज एनी इन्क्रीज इन दि इनकम आफ इन्डिविजुअल्स इज एब्जार्व्ड नो बाई एराइज इन दि स्टैन्डर्ड आफ लाइफ, बट बाई ऐन इन्क्रीज इन दि पापुलेशन । दि पापुलेशन प्राब्लेम लाईज ऐट दि रूट आफ दि होल क्वेश्चन आफ इन्डियाज इकोनामिक फ्यूचर, एन्ड इट इज यूजलेस टु ट्राई टु वर्क दि फैक्ट" ।

उन्होंने कहा है कि देश की प्रास्पैरिटी जनसंख्या पर पूर्णतया आधारित होती है और लोगों के रहन-सहन के स्तर पर निर्भर करती है । इसीलिए बढ़ती जनसंख्या का प्रश्न यह भारत के आर्थिक भविष्य की जड़ में सबसे महत्व का प्रश्न है । इस चीज से अपने को ओझल करना अप्रासंगिक होगा, संगत न होगा । श्रीमन्, जो पर-कैपिटल इन्कम, प्रति व्यक्ति आमदनी उत्तर प्रदेश की इस समय है, उसका मुख्य कारण यह है कि जितनी भी हमारी आमदनी है, उसे हमारी बढ़ती हुई आबादी हजम कर रही है और दूसरे प्रदेश ज्यादा रुपया लगा रहे हैं और उनका ज्यादा इन्वेस्टमेन्ट हो रहा है ।

श्रीमन्, जिस समय भारत आजाद हुआ, उस समय आंध्र में इतनी महंगाई नहीं थी, मद्रास में नहीं थी, लेकिन बंदरगाह होने के साथ ही उन्हें आयात-निर्यात की सुविधा थी तो महाराष्ट्र और गुजरात आगे बढ़ गये । उनका जो विनियोजन उद्योग में हुआ, या जो पंजाब में कृषि बढ़ी है, तो उसकी प्रगति का यही मुख्य कारण है । इस प्रदेश को भी अपनी प्रगति के लिये संसाधन जुटाने होंगे, जो दूसरे प्रदेशों के लोग कर रहे हैं । श्रीमन्, मैं अत्यन्त नम्रता एवं दृढ़ता से यह कहना अपना कर्तव्य समझता हूं कि हमारा यह दृष्टिकोण रहा है, यह प्रयास रहा है कि इस बजट के माध्यम से सातवीं पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए इस बजट में प्राविधान करके इस प्रदेश को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है । इसके अलावा हमारे पास और कोई रामबाण नुस्खा नहीं है जिससे हम अपनी गरीबी को कम कर लें । श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि छठी योजना में हम लोगों को सफलता नहीं मिली । पांचवी योजना में नहीं मिली । नेता विरोधी दल ने कृपया करके पांचवी योजना को सफल बताया, उसमें उनका भी योगदान रहा । लेकिन, श्रीमन्, पांचवीं योजना के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि

पांचवी योजना सन् 74 में शुरू हुई थी और उसे बनाने में थोड़ा बहुत योगदान मुझे भी देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह योजना एक साल पहले ही खत्म कर दी गयी। माननीय नेता विरोधी दल, यह भी सुनें कि यह योजना सन् 78 में ही खत्म कर दी गयी 31 मार्च, को। और फिर रोलिंग प्लान आ गया। जिस पांचवी योजना के बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि ठीक रहा उसके चार सालों में तो यहां पर कांग्रेस की सरकार ही बैठी हुई थी। हां सन् 74 से लेकर के 77 तक के बीच में उनका भी एक साल का योगदान रहा।

एक साल चलाने के बाद इन्होंने सन् 78 से अपने हिसाब से इसको बदलने की कोशिश की। इस सिलसिले में श्रीमन् मैं ज्यादा आंकड़े नहीं देना चाहता। इस किताब में लिखा है कि सन् 70 से सन् 78 तक विकास की दर बढ़ी। यह पांचवीं योजना काल में ही नहीं बल्कि उसके पहले भी, इसके बारे में चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी पुस्तक के पेज 13 में लिखा है:

> इन्डिया डिड नाट डू टू बैडली इन दि 1970-78 पीरिएड, चीफली विकाज आफ ए सस्टेन्ड इम्प्रूवमेन्ट इन एग्रीकल्चर। इम्प्रूव्ड रिटर्नस टु दि ग्रोवर बाई वे आफ हायर फार्म प्राइसेज दि रैपिड स्प्रेड आफ स्माल स्केल इरीगेशन एन्ड, एबव आल, गुड वीदर कान्ट्रीब्यूटेड टु रिकार्ड हारवेस्ट्स।

इसमें सन् 1970 से जबसे इन्दिरा गांधी जी का प्रादुर्भाव हुआ, भारत के रंगमंच पर, तबसे सन् 78 तक के लिए लिखा गया है कि "इंडिया डिड नाट डू टू बैडली।" यह सन् 1981 की लिखी हुई किताब है। मुझे विश्वास है कि चौधरी साहब जब इसका दूसरा एडीशन लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि सन् 80 से लेकर सन् 85 तक भी जो हुआ, अच्छा ही हुआ।

सातवीं योजना में नेता विरोधी दल ने सही सवाल उठाया कि हमें खेती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। उनकी यह शिकायत रही कि खेती पर हम कम ध्यान दे रहें हैं।

मान्यवर, मैं केवल एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो बजट स्पीच यहां पढ़ी था, उसके पेज 4 की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। लिखा है बजट का 51.4 प्रतिशत बिजली और सिंचाई पर है 5,648 करोड़ रु0 बिजली और सिंचाई पर कृषि सम्बर्गीय क्षेत्र ग्रामीण विकास व हरितिका पर 1541 करोड़ यानि 14 प्रतिशत समुदाय तथा सामुदायिक सेवायें सामाजिक 16 प्रतिशत, 1870 करोड़। श्रीमन्, सिंचाई तो केवल देहात के लिए होती है, बिजली का भी अधिकांश भाग देहात के लिये जाता है, छोट गांव और छोटे शहरों के लिए जाता है।

एक सदस्य--

बिजली मिल कहां रही है ?

श्री नारायन दत्त--

बिजली मिल रही है या नहीं, यह अलग प्रश्न है मैं इनवेस्टमेन्ट की बात कर रहा हूं।

इसके अलावा मैंने अपने भाषण में लिखा है कि 7 हजार करोड़ रुपये की लागत से सातवीं योजना में 4 खाद के कारखाने और उसके निमित्त गैस पाईप लाइन लगेंगी। इसमें उल्लेख है कि 1800 करोड़ रुपये की गैस पाईप लाइन आयेगी। 4 बड़े कारखाने उत्तर प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये की लागत से लगेंगे, किसान के लिये लगेंगे, खाद कौन इस्तेमाल करेगा, किसान करेगा। अगर आप केन्द्रीय सेक्टर में होने वाले इस सबसे ऐतिहासिक विनियोजन को जोड़ लें तो 7 हजार करोड़ रुपये का खर्च किसानों के लिए हो रहा है। नेता विरोधी दल मन ही मन मुस्करायेंगे कि बात तो ठीक ही है। खाद ज्यादा पैदा होगी, तो किसान को

सस्ती मिलेगी। इसके अतिरिक्त आज ही घोषणा केन्द्र से हुई है 250 करोड़ रुपये का एल0 पी0 जी0 गैस का कारखाना इटावा ओरैया में लगने जा रहा है। इसके लिये हमारा केन्द्र से आग्रह भी था। मैं गर्वोक्ति नहीं करना चाहता हूं। हमको अभी बहुत कुछ करना है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। बजट की आत्मा, बजट का शरीर, बजट का भौतिक ढांचा किसान के प्रति समर्पित भावना से ओत-प्रोत है। श्रीमन्, यह जो आंकड़े दिये गये हैं, यह कहा गया कि हमने योजना के लिए 16,800 करोड़ रुपये का प्रारूप केन्द्र के पास भेजा था, स्वीकृत हुआ 11,000 करोड़ रुपये तो विकास की दर 6 फीसदी कैसे रह सकेगी ? विकास की दर भी घट कर 4 प्रतिशत रह जायेगी। यह श्रीमन्, अगर आप हिसाब किताब लायें तो चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह जो 6 प्रतिशत वृद्धि के आंकड़े दिये गये हैं। आप यूं लगायें। अगर किसी के पास 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ में वह खाद व बीज लगाये तो उसका उत्पादन 6 प्रतिशत हो सकता है अगर वह 5 एकड़ में लगाये तो तब भी उत्पादन 6 प्रतिशत हो सकता है। छठी पंच वर्षीय योजना को आप देखें 6 हजार 500 करोड़ रुपये की थी, इसमें 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिशत वृद्धि इनवेस्टमेन्ट के ऊपर निर्भर करती है। 11 हजार करोड़ रुपये में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई तो 16 हजार करोड़ रुपये में भी 6 प्रतिशत को घटाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

छठी पंचवर्षीय योजना में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई तो फिर यह वृद्धि कैसे हुई ?

श्री नारायन दत्त--

छठीं पंचवर्षीय योजना में जो 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके ऊपर यह 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। माननीय सदस्य तो कई वर्ष मन्त्री भी रह चुके हैं और यह भी जानते हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने सही उल्लेख किया कि पांचवी योजना में विकास की वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत था, छठ योजना में 6 प्रतिशत रही और सातवीं योजना में भी यह 6 प्रतिशत है। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग दें, नेता विरोधी दल हमें सहयोग दें तो हम इसे साढ़े 6 प्रतिशत कर सकते हैं। हम सहयोग के भूखे हैं। प्रतिक्षण, प्रति सेकन्ड हमें आपका सहयोग चाहिए ताकि हम संसाधनों को इकठ्ठा कर सकें और वृद्धि दर को 6 प्रतिशत से बढ़ा सकें :

माननवर, नेता विरोधी दल ने कहा कि उत्पादक व्यय 4 6 प्रतिशत और अनुत्पादक व्यय 29.3 प्रतिशत बढ़ा है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह 29.3 प्रतिशत नहीं है बल्कि 34 प्रतिशत है।

श्री नारायन दत्त--

यदि यही है तो मैं इसे ठीक कर लेता हूं। श्रीमन्, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। सदन को मैं आंकड़ों में डालना नहीं चाहता हूं। 1983-84 के मुकाबले अनुत्पादक व्यय में जो वृद्धि हुई है वह केवल 11.3 प्रतिशत है और उत्पादक व्यय में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेरे पास इन आंकड़ों को कतरनें हैं, यदि नेता विरोधी दल चाहें तो मैं उन्हें भिजवा सकता हूं। अनुत्पादक व्यय में जो 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसका मुख्य कारण यह है कि हमें 9 महंगाई की किश्तें अपने कर्मचारियों को देनी पड़ी, जिसे देना हमारे लिए अनिवार्य था, उसे हम रोक भी नहीं सकते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा व्यय है।

श्रीमन्, यह भी कहा गया कि राज्य सरकार कर्जदार हो गई है और कुल मिलाकर कर्ज की जो धनराशि है वह 75 अरब 56 करोड़ रुपया होगी, यह बिलकुल ठीक है । यह ठीक है श्रीमन्, आंकड़े । हमारा कुल कर्ज 75 अरब 56 करोड़ हो जायगा । अब श्रीमन्, इसके बारे में अगर आप देखें इसको तो राज्य सरकार को कितना लेना है ? केवल देना ही नहीं देखा जाता । राज्य सरकार की सम्पत्ति कितनी है ? जब फाइनेंस एकाउण्ट बनता है तो सारी बातें देखी जाती हैं । श्रीमन्, हमें 75 अरब 56 करोड़ देना है तो जो पूंजी है हमारी और कर्ज दिया है वह भी 76 अरब 50करोड़ है । एक अरब ज्यादा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शान्त रहें ।

श्री नारायन दत्त--

माननीय सदस्य बस्ती के हैं और नाम है माता प्रसाद उनको तो माँ से प्यार होना चाहिये और प्रसाद देने में....

(हंसी)

जो असेट्स क्रियेट होते हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए 38 अरब है । इस के लिए राज्य सरकार का जो है वह है 5 अरब 50 करोड़ । इसलिए जो ऋण और अग्रिम दिये हैं वह 33 अरब से अधिक है । कुल मिला कर 76 अरब 50 करोड़ है । इससे हमारे असेट्स और लाइबिल्टीज दोनों का मूल्यांकन करेंगे तो एक अरब से ज्यादा पायेंगे और कर्ज ? कौन सरकार है जो कर्ज नहीं लेती । अमेरिका सबसे बड़ी पूंजीवादी सरकार कही जाती है, 10 हजार करोड़ डालर का कर्ज अमेरिका की जनता को देना है । सबसे अधिक कर्ज तो अमेरिका की सरकार का है । कर्ज लें और कर्ज दें, यह तो सामान्य नियमन है, बजेटरी का मुख्य आधार है । हमारे बैंक उत्तर प्रदेश में ज्यादा लगायें उत्तर प्रदेश में जितना रुपया जमा हो रहा है उतना बैंकों से हम को नहीं मिल रहा है । हमारा प्रयास है श्रीमन् और सबसे आशीर्वाद चाहता हूं कि बैंकों से अधिक से अधिक रुपया उत्तर प्रदेश म, खेतो में लग सके । इस बात का उल्लेख किया गया कि हमारे जो निगम हैं वह बहुत घाटे दे रहे हैं ।

श्रीमन्, इन निगमों के बारे में कहना है कि सारे निगम घाटे में नहीं चल रहे हैं । आज स्थिति यह है कि ऐसे निगम, जो पिछले तीन वर्षों से लगातार शुद्ध लाभ कमा रहे हैं, उनकी संख्या 24 है । उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, इंडियन टर्पेन्टाइन एवं रोजिन कम्पनी, हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, पिकर, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, कर्मचारी कल्याण निगम, यू0 पी0 हैण्डलूम निगम, मत्स्य विकास निगम, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमायूं मंडल विकास निगम, मेरठ मंडल विकास निगम, इलाहाबाद मंडल विकास निगम, जहां से हमारे नेता विरोधी दल आते हैं वह भी कुल मिला कर शुद्ध लाभ दे रहे हैं । पंचायती राज वित्त निगम, रुहेलखंड, तराई गन्ना बीज एव विकास निगम, मुरादाबाद मंडल विकास निगम, पूर्व गन्ना बीज एवं विकास निगम । इनका शुद्ध लाभ 1982-83 में 857.51 लाख रुपये, 1983-84 में 1172.91 लाख तथा 1984-85 में 1443.32 लाख रुपया शुद्ध लाभ अर्जित किया था ।

इसी तरह ऐसे निगम जहां लाभ होना पैण्डुलम की तरह घटता बढ़ता रहता है, ऐसे भी 16 कारपोरेशन हैं, जिनमें सीमेन्ट कारपोरेशन, नलकूप निगम आदि हैं, ये कभी घाटे में जाते हैं कभी

लाभ में जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हानि में गये हैं जैसे यू० पी० राज्य चीनी निगम। चीनी निगम जो है इस में 35 करोड़ 20 लाख रु० का घाटा हुआ 1984-85 में और 1983-84 में 24 करोड़ 53 लाख रु० का घाटा हुआ, 13 करोड़ 19 लाख रु० का घाटा हुआ 1982-83 में, लेकिन ये घाटा क्यों हुआ ? यह इसलिये हुआ कि चीनी की कीमत अपेक्षाकृत कम और गन्ने की कीमत ज्यादा। गन्ने की कीमत को अदा करने के लिये राज्य सरकार ने इसको ऋण दिया, लेकिन ऋण के आधार पर वास्तव में यह घाटा नहीं है बल्कि गन्ना किसान को दी जाने वाली शासन की ओर से सबसिडी है।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट।)

इसकी हमें शिकायत नहीं है वर्ष 1978-79 में याद होगा माननीय नेता, विरोधी दल को कि 20 करोड़ रुपया केन्द्र से लेकर तब भी सबसिडी दी गयी थी।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह बता दें कि जितना कर्जा है उस पर सूद कितना देना पड़ रहा है और जो पूंजी लगायी है, उस पर कितना मुनाफा हो रहा है ?

श्री नारायन दत्त—

ऐ दोस्त बता दूं क्या फर्क तुझमें मुझमें,

तेरा दर्द दर्दे तन्हा, मेरा दर्द दर्दे जमाना।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

नाराज नशेमन खेल सही, सैय्याद मगर इतना सुन ले,

जब इश्क की दुनिया लुटती है, तब हुस्न का मातम होता है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

न इधर उधर की तू बात कर यह बता कि कारवां क्यूं लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है।

श्री नारायन दत्त—

"बर्क" कहीं भी गिरे लेकिन बजट पर न गिरे।

(हंसी)

(विपक्षी की ओर से "बर्क बजट पर ही गिरी है" की आवाज आने पर) क्या चीज "वर्क" या "बर्क" ?

(हंसी)

बिजली बोर्ड जो निगम है, उसका घाटा एक विशेष प्रकार का है क्योंकि बिजली बोर्ड को नयी ट्रान्समीशन लाइनों को लगाना पड़ता है। यह सही है कि उसका घाटा भी नियंत्रित होना चाहिये। जो बिजली बोर्ड की स्थिति है, उसको देखते हुए हमें अवश्य यह प्रयास करना चाहिये कि बिजली बोर्ड का घाटा भी कम हो और निगमों का घाटा कम हो। इस सम्बन्ध में मैं मा० नेता, विरोधी दल से सहमत हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि घाटे को कम करने का प्रयास किया जायगा। कहीं-कहीं पर अगर बोझा उठाना पड़े तो हम सब मिलकर तैयार रहेंगे, इसका मुझे भरोसा है। मैं माननीय नेता, विरोधी दल की सलाह को मानता हूं कि घाटा कम करने की कोशिश करनी चाहिये।

अब 5 बज रहे हैं और अभी बहुत से ऐसे बिन्दु हैं जिन पर विचार करना बाकी है। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि विद्युत् उत्पादन में जो प्रयास हुआ है उसके बारे में हमारे सहयोगी ऊर्जा मंत्री जब बोलेंगे तो उसका पूरा उल्लेख करेंगे। बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये जो नये तरीके हैं मैनेजमेन्ट की कुशलता को बढ़ाने के लिये उनको बिजली बोर्ड

में लागू किया जा रहा है। हमारे जो बिजली के स्टेशन जल चुके हैं या यंत्र जल गये हैं जैसे हरदुआगंज और ओबरा में वहां दूसरे संयंत्र, लगाये जा रहे हैं। ऊंचाहार, आनापारा और श्रीनगर के बिजली घर जिसे हम समय से पूरा कर सकते हैं उनको पूरा करके बिजली की कमी को दूर करने का प्रयास हम करेंगे और मुझे विश्वास है कि इस चुनौती का सामना करने के लिये हमें अपने सहयोगियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा एसा मेरा विश्वास है।

अभी एक माननीय सबस्य ने कहा कि बुन्देल खण्ड के बारे में कुछ नहीं हो रहा है तो उसके लिये मैं आपको बतला दूं कि बुन्देलखण्ड की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अभी पिछले तीन महीनों के अन्दर चार बार मेरी मध्य प्रदेश के मख्य मंत्री जी से बात हुई ? और अभी कल ही मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी जो कि यहां आये थे सामान्य रूप से इस विषय पर चर्चा हुई है। श्रीमन्, राजघाट योजना इस प्रदेश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है जो कि अभी 166 करोड़ रु0 की, हो सकता है कि आगे इसमें कुछ बढ़ोत्तरी भी हो जाय, प्रदेश की सम्पूर्ण धरती की हमारी योजना सुजलाम्, सुफलाम् करने की है इसके लिये हम कृत संकल्प हैं। मध्य प्रदेश के साथ उर्मिल, पेयस्वनी और बेरियारपुर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिय हम कृत संकल्प हैं।

अभी माननीय सदस्य बांदा के बोस साहब ने कहा था कि वहां के लिये केवल 29 करोड़ रु0 ही है। तो उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि यह 29 करोड़ रु0 का प्राविधान जिला योजनाओं के लिये किया गया है। यदि आप सारे बुन्देलखण्ड के हर विभाग के बजट को देखें तो यह 29 करोड़ का गुणांक कहीं अधिक आगे निकल जाता है, जितनी कि आपकी परिकल्पना है उससे भी ज्यादा निकल जाता है।

श्रीमन्, आज पूर्वांचल प्रदेश के विकास के लिये यहां चिन्ता प्रकट की गयी। श्रीमन्, सातवीं योजना एक राष्ट्रीय विकास की योजना है और इसमें विशेष रूप से पूर्वांचल को लिया गया है। इस बार धान की खेती को बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारित की गयी है। इसके लिये आपने देखा होगा कि इस बजट में बिजिटेन्ट ट्रेनिंग सिस्टम को लागू करने के लिये 43 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है।

श्रीमन्, इसी तरह से सिंचाई के लिये जो कार्यक्रम था वह शारदा सहायक योजना की व्यवस्था, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, उसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का इरादा किया गया है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लिये सरयू प्रोजेक्ट जो कि गिरजापुरी से शारदा सहायक निकलती है और आगे को चली है, इसे मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है। अब प्रश्न साधन का है। जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होते जायेंगे, हम इसे पूरा करते जायेंगे।

श्रीमन्, हमने निर्बल वर्ग के लिये पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये, हरिजन भाइयों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान पर बल दिया है। हमने जो खेतिहर मजदूर हैं जो कि सबसे ज्यादा गरीब वर्ग है, हमें उन लोगों को प्राथमिकता देना है उसको इसमें प्रदर्शित किया गया है। आज सातवीं योजना में गरीबी की रेखा से जो लोग नीचे हैं, उनको ऊपर लाने का प्रयास किया गया है। जब समय आयेगा तो उसका अधिक उल्लेख करूंगा। कुटुम्ब रजिस्टर को बदलने का निर्णय किया गया है, ताकि हर गांव में मालूम हो सके कि कौन सा परिवार है जो गरीबी की रेखा के नीचे है। तब उनका नियोजन कर सकते हैं कि किस तरह से गरीबी की रेखा से जो लोग नीचे हैं, उनको ऊपर लाया जाये।

मान्यवर, दुग्ध उत्पादन की योजना है, यह गुजरात में प्रारम्भ की गयी थी, उससे वहीं के लाखों लोगों को और खेतिहर मजदूरों को जिनके पास संसाधन नहीं हैं, उनको पूंजी मिली है, जिससे वह अपनी गरीबी को दूर कर सकें। वहां पर 160 करोड़ रुपये का दूध का उत्पादन हो रहा है और उसका लाभ गरीब किसानों को मिल रहा है, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं। सहकारी समितियों के संगठन का प्रयास करें। पूर्वांचल के सदस्य ने कहा, तो हमें भगीरथ प्रयत्न करना है कि इस प्रकार की सोसाइटी का संगठन करें कि जिस प्रकार से गुजरात की आमदनी बढ़ी है, उसी तरह से हम अपने उत्तर प्रदेश में इस प्रयास में सफल हों, तो मेरा विश्वास है कि यह जो बजट है, मैं नहीं कहता कि कोई सारी कठिनाइयों का और समस्याओं का हल है, यह तो विकास की महायात्रा में एक कदम है, लेकिन श्रीमन्, एक कदम बढ़ाना ही होगा, पीछे मुड़ने का प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ने का अवसर दिया है। सातवीं योजना का लक्ष्य है कि लोगों को संसाधन उपलब्ध हों और जो प्राथमिकता है वह उनकी आवश्तकताओं के अनुरूप हो। मैं नहीं कहता कि इससे अच्छी योजना नहीं बनायी जा सकती है, लेकिन जितना बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, वह बनाया गया है, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव आये हैं उनका परीक्षण करूंगा जो सुझाव, ब्योरे जिले और क्षेत्र के बारे में दिये गये हैं, उनका सम्परीक्षण करूंगा और मैं चेष्टा करूंगा कि उन योजनाओं को स्थान दें। मैं कहना चाहता हूं कि हर आलोचना गलत नहीं होती है, मैं उनका समाधान करूंगा, चाहे वह सदस्य इस ओर के हों या उस ओर के हों, इस सदन के प्रत्येक सदस्य के सुझावों का परीक्षण किया जायेगा और बजट की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जायेगा, बाद में एक बार मैं सदन के सदस्यों का जिन्होंने इसमें भाग लिया और जो आंकड़े प्रस्तुत किये और जो रचनात्मक सुझाव रखे हैं, मैं उनका अनुग्रहीत हूं। भले ही हमारा विरोधीदल के सदस्यों से मतभेद हो, नीतियों का मतभेद हो, कार्यक्रमों का मतभेद हो, लेकिन जहां तक प्रदेश की सेवा करने का प्रश्न है, 12 करोड़ नागरिकों की सेवा करने का प्रश्न है, हम सभी उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिये समर्पित हैं। हम इसका विश्वास दिलाते हैं। अन्त में, इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस परिचर्चा को समाप्त करें और आने वाले दिनों में बिन्दु 2 और विभाग 2 के बारे में परिचर्चा करने की अनुज्ञा दें। धन्यवाद।

(शासन पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री सरदार सिंह—

माननीय नेता सदन के बाद माननीय नेता विरोधी दल बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

इसके बाद नेता विरोधी दल का भाषण नहीं हुआ है, पिछली बार 7 मार्च की कार्यवाही हमारे पास है, उसको देख लिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

यह तो परम्परा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

और न कोई चर्चा हुई थी। स्पष्टीकरण के लिये कहा गया था। नेता विरोधी दल दो एक सवाल करना चाहें, तो कर सकते हैं।

*श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय नेता सदन इस प्रदेश के भी वित्त मंत्री रहे और केन्द्रीय सरकार में भी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे। आज भी जो पद उनके पास हमारी नजर में है, प्रधान मंत्री पद के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाद सबसे महत्वपूर्ण पद पर वे आज हैं । श्रीमन्, जैसी उम्मीद थी हम लोगों को कि वे अपने भाषण में यह स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश पिछड़ गया । मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने हम लोगों से सहयोग की आकांक्षा की, यदि वे खुले दिल से उत्तर प्रदेश की तस्वीर सामने रखते तो शायद उस पर बहस होकर अच्छे परिणाम होते । मैं केवल दो-तीन बातों के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद् से जो आपने 66 प्रतिशत से 75 प्रतिशत मांग की है अगर वह नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे । अगर उसने 75 प्रतिशत नहीं दिया तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे ? दूसरी बात यह है कि डिबेन्चर बांड रिजर्व बैंक से 340 करोड़ के जारी कर सकता है और आपने मांगा है 500 करोड़ । तो अगर यह 500 करोड़ नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे ? कहीं कोई प्राविधान नहीं है । जहां तक विकास दर का सवाल है 5 प्रतिशत विकास दर है और माननीय नेता सदन की बात मान ली जाय 6 प्रतिशत विकास दर बढ़ जाय तब मैं सदन में कहना चाहता हूं कि सन् 2000 तक हिन्दुस्तान के सबसे करीब सूबों में उत्तर प्रदेश होगा । जब तक 8/9 प्रतिशत विकास दर नहीं होगी तब तक विकास आप नहीं कर सकते हैं । हमारा सूबा भारत के 17 सूबों में तीसरा स्थान रखता है । आज यह स्थिति है ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमने पूरी कोशिश की थी कि आज वित्तीय अनुशासन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है । इस सम्बन्ध में आज मुख्य मंत्री जी जरूर कोई घोषणा करेंगे लेकिन इस सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गयी । एक बात और कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी के पास जो विभाग हैं आर० ई० एस० और आर० ई० एस० द्वारा जो राष्ट्रीय योजनायें, रोजगार सम्बन्धी योजनायें चलाई जा रही हैं और उनके द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं, उनमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है । मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश की कोई भी एक सड़क इसकी चुन लें तो आप पायेंगे कि उसमें निर्धारित मिट्टी, ईंट या डामर नहीं पड़ा हुआ है । यदि निर्धारित मात्रा में उस सड़क पर ये चीजें होंगी तो मैं आज से सरकार पर आरोप लगाना बन्द कर दूंगा । विशेषज्ञों के सामने आप इस बात की जांच कर लें । इस तरह से मैं यह कह सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से बड़ी उम्मीदें थीं कि वे जवाब देंगे लेकिन निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला ।

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना, जिसका विषय पिछले सप्ताह लखनऊ शहर के हुसैनगंज थाना के अन्तर्गत कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक रिक्शा चालक के शरीर में पेट्रोल छिड़क कर जला देने के सम्बन्ध में है, स्वीकार हुई है । शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

## जौनपुर, आजमगढ़ के छात्र श्री उदय प्रताप मल्ल की पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

नहीं मान्यवर, यह अभी हमें मिल रहा है । हम पढ़ नहीं पाये हैं इसलिए पढ़ने दीजिये तभी हम सवाल कर पायेंगे ।

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)--

दिनांक 22 मई, 1985 को वादी श्री हरिश्चन्द्र पान्डेय पुत्र सुरेश, साकिन बड़ार, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद आजमगढ़ ने, थाना मधुबन पर भा0दं वि0 की धारा 395/397 के अन्तर्गत एक मुकदमा (अपराध सं0 82/85) दर्ज कराया। वादी जो रोडवेज में बस कन्डक्टर है, के अनुसार जब उसकी बस (नम्बर-यू आर ओ-851) आजमगढ़ से मधुबन जा रही थी तब बनिया बान मोड़ पर एक जीप पर सवार टुन टुन मल्ल, श्याम प्रकाश मल्ल, राज कुमार, ओम प्रकाश मल्ल, सुनील कुमार मल्ल, सभी निवासी ग्राम उफरौली, उदय प्रताप मल्ल, सदलू मल्ल, शिवा नन्द मल्ल सभी निवासी ग्राम जजौली, महेन्द्र यादव ग्राम पलिया, जनपद आजमगढ़ जीप में सवार होकर आये और जीप रोक कर बस में घुस गये और उन्होंने ड्राइवर को मारना शुरू कर दिया तथा उसकी एच एम टी घड़ी छीन ली। ड्राइवर को बचाने के लिए वादी ने प्रयास किया। इस पर उपरोक्त व्यक्तियों ने कंडक्टर के बैग जिसमें 175 रुपये थे छीन लिये। इस घटना के समय बस में बैठे सब-इन्सपेक्टर श्री सुरेन्द्र सिंह जो मधुबन थाना पर तैनात थे' हमलावरों के समीप पहुंचे तथा कन्डक्टर तथा ड्राइवर को बचाने का प्रयास करने लगे। इस पर हमलावरों ने सुरेन्द्र सिंह को भी चाकू से घायल कर दिया। यात्रियों की मदद से हमलावरों में से सुनील कुमार मल्ल तथा महेन्द्र यादव को घटना स्थल पर ही उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तफतीश के बाद दिनांक 23-3-35 को मुकदमें की धाराओं में परिवर्तन करके भा0 द0 वि0 की धारा 147/148/149/353/332/323/324/379 तथा धारा 7 क्रिमनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अधीन मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के पश्चात् आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है।

2--इस मुकदमें में श्री उदय प्रताप मल्ल पुत्र राम वचन मल्ल, ग्राम जजौली, थाना मधुबन भी एक अभियुक्त था। अतः उपर्युक्त मुकदमें के क्रम में दिनांक 26-5-85 को अभियुक्त उदय प्रताप मल्ल को भी गिरफ्तार किया गया जिसका पूर्व अपराधिक इतिहास भी रहा है। अभियुक्त उदय प्रताप को हंगामा गिरफ्तारी में कुछ चोटें आई थीं। दिनांक 27-5-85 को उदय प्रताप मल्ल को उक्त अपराध के सम्बन्ध में मधुबन थाने से आजमगढ़ जिला कारागार भेज दिया गया। जेल में दाखिले के बाद उसे उसी दिन इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी और जब वह अस्पताल पहुंचा तो डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर अस्पताल आजमगढ़ में पोस्टमार्टम के पश्चात् उदय प्रताप मल्ल का शव उसी दिन दिनांक 27-5-85 को रात्रि में लगभग दस, ग्यारह बजे उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। दिनांक 28-5-85 को श्री सच्चिदानन्द के नेतृत्व में एक जुलूस उदय प्रताप मल्ल के शव के साथ निकाला गया जिसमें पुलिस विरोधी नारे लगाये गये और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उन्हें निलम्बित करने और गिरफ्तार करने की मांग की गयी।

3--दिनांक 28-5-85 को लगभग एक बजे दिन में अपर पुलिस अधीक्षक थाना मधुबन पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मांगों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। मृतक के चाचा श्री राम कुंवर मल्ल के प्रार्थना-पत्र पर थानाध्यक्ष एक उप निरीक्षक तथा तीन कान्स्टेबिलों के विरुद्ध थाना मधुबन में भा0 दं0 वि0 की धारा 147/304/161/504 के अधीन एक अपराध (संख्या 85/85) पंजीकृत किया गया। उक्त मुकदमें की तकलीफ क्षेत्राधिकारी घोसी द्वारा की जा रही है तथा परगनाधिकारी सगड़ी, द्वारा इस घटना की मजिस्ट्रीरियल जांच करने के भी आदेश दे दिये गये हैं। साथ ही थानाध्यक्ष, उप निरीक्षक तथा तीन पुलिस

कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है और उनके स्थानान्तरण भी अन्य जनपदों में कर दिये गये हैं ।

4--नियम 51 के नोटिस में दिया गया यह आरोप सही नहीं है कि मृतक उदय प्रताप मल्ल को पुलिस ने फर्जी मुकदमें में कुछ लोगों के कहने पर पकड़कर थाने में बुरी तरह से मारा-पीटा जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई । यह भी सही नहीं है कि पूरे आजमगढ़ जनपद तथा समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता में पुलिस के विरुद्ध रोष असन्तोष अथवा भय व्याप्त है और किसी व्यक्ति की आबरू सुरक्षित नहीं हैं । स्थिति सामान्य है ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, यह जो उदय प्रताप मल्ल के बारे में कहा गया है ....

श्री अधिष्ठाता--

आपके माइक से आवाज नहीं आ रही है आप दूसरे माइक पर आ जायें ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उदय प्रताप मल्ल को किस जिले और किस गांव से गिरफ्तार किया गया और दूसरा जो यह कह रहे हैं कि उसका आपराधिक इतिहास था । मैं जानना चाहता हूं कि इसके खिलाफ कोई एफ0 आई0 आर0 पहले कहीं दर्ज हुई थी यदि हुई थी तो, कब और किस दफा में दर्ज हुई थी ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, यह घटना 22-5-85 को है । जो क्रिमिनल केस कायम हुआ तो इसका आपराधिक इतिहास श्री उदय प्रताप मल्ल का था जिनको 26-5-85 को गिरफ्तारी हुई थी और सबेरे 5 बजे गिरफ्तार किया गया था जो थाना मधुबन में नोट है । श्री उदय प्रताप मल्ल के विरूद्ध अपराध सं0 82-85 धारा 147, 148, 149 के अतिरिक्त अपराध सं0 68-ए 1977 के अन्तर्गत धारा 147, 323 थाना मधुबन दिनांक 3-6-77 नोट है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में पढ़ा और उत्तर दिया कि उसका अपराधिक इतिहास रहा और धारा 147, 323 और 380 बताया और उसके तीन चोटें बतायी । तो मैं कहना चाहता हूं कि वह बड़ा अपराधी नहीं था । उसको 26-5-85 को हंगामे में गिरफ्तारी हुई जिसको जी0डी0 में लिखा जाता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि दरोगा को जी0 डी0 में कौन सी चोटें लिखी गयी हैं और पोस्ट मार्टम में कौन चोटें आयी हैं, दोनों को बता दें ?

श्री जफर अली नकवी--

गिरफ्तारी का जो स्थान पूछा गया तो वह देवरिया है जो जी0 डी0 में नोट है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मेरे प्रश्न का उत्तर मान्यवर, दिला दें । मान्यवर, जब मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाता है तो हवालात में जी0डी0 में आमद की जाती है कि इस तरह की चोटें आयी हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि हंगाम गिरफ्तारी में और पोस्ट मार्टम में कौन कौन सी चोटें आयी है यह बता दें ?

श्री जफर अली नकवी--

जी0 डी0 में जो नोट है उसके अनुसार दाहिने हाथ की कलाई और कोहनी पर चोट, बायें हाथ की कोहनी और कलाई पर चोट, दाहिने पैर के घुटने व फिल्ली पर चोट, बायें पैर के घुटने व फिल्ली पर चोट, दोनों पैर की एड़ी में कूदने से चोट ।

पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट डा० मिश्रा ने दिया है उसमें साक और हैमरेज से मृत्यु बताया है।

(व्यवधान)

श्री हरिश चन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं और उनके समक्ष तीन तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। नं० 1—एफ०आई० आर० में आठ लड़कों के नाम दर्ज किये गये हैं, उनमें क्या कारण है कि सात के नाम, पिता के नाम, गांव के नाम दिया है लेकिन श्री उदय प्रताप का नाम लिखने के बाद सब अज्ञात दर्ज है ...। नम्बर दो, वह देवरिया जिले के किस गांव से पकड़ कर लाए गये और क्या यह मौके पर उपस्थित नहीं थे ? क्या यह दोनों चीज देवरिया से पकड़ने की बात और एफ०आई०आर० दर्ज करते समय, इनके पिता का नाम, गांव का नाम आदि का पता नहीं था, उनकी अनुपस्थित को प्रमाणित नहीं करता है ? उसके पिता और गांव आदि का नाम क्यों दर्ज नहीं हुआ था, जबकि अन्य सातों के दर्ज थे ? मैं मंत्री जी से यह चाहूंगा कि पुलिस की जी० डी० रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाए, जिससे सदन सही तथ्य से अवगत हो सके ? आई० जी०, गोरखपुर महोदय से मैं स्वयं मिला हूं, आई० जी० महोदय का जो भी आदेश एस० पी०, आजमगढ़ को गया है वह रिपोर्ट कृपया आप मंगा लें और उनके आदेश मंगा लें तो आपके सामने यह तथ्य आएगा कि उदय प्रताप सिंह को थाने में मारते-मारते मार डाला गया है। इसके कारण से आई० जी० ने इतना सख्त आदेश दिया है और कार्यवाही के लिए लिखा है।

श्री जफर अली नकवी—

यह जी० डी० रिपोर्ट और पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट मेरे पास है, अगर वह कहेंगे तो मैं पूरी पढ़ कर सुना दूंगा, वह मेरे पास पूरी मौजूद है...

(व्यवधान)

जी० डी० रिपोर्ट के बारे में जो पूछा है मेरे पास दोनों रिपोर्ट मौजूद हैं, यदि कहें तो पढ़ कर सुना सकता हूं। जी० डी० रिपोर्ट जो पेश है, उसके विवरण में दिया हुआ है दाहिने हाथ में केहुनी व कलाई पर चोट, बायें हाथ की केहुनी व कलाई पर चोट, दाहिने पैर के घुटने वा फिल्ली पर चोट, बायें पैर के घुटने व फिल्ली पर चोट और दोनों पैरों की एड़ी में चोट। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है बायें बाजू के ऊपर खराश, बायें बाजू के ऊपर सूजन, दाहिने कन्धे पर खराश दाहिने बांह के ऊपरी भाग पर खराश बायें केहुनी के पास कन्टयूजन, दाहिने पंख पर खराश, बायें पंख पर खराश, बायें जांघ पर कन्टयूजन, बायें पैर में खराश, बायें फिल्ली पर सूजन, बायें पैर के पूरे पैर पर सूजन, दाहिने पैर के, सामने हिस्से में कन्टयूजन और दाहिने पैर के पंजे में सूजन व कन्टयूजन।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से सम्बन्धित, मैं जानना चाहूंगा कि दरोगा ने पहले रिपोर्ट दर्ज किया अपराध संख्या 82/85, 395/397 भारतीय दंड विधान की धारा के अन्तर्गत तो इन धाराओं को किसकी तफतीश के आधार पर बाद में बदला गया है ? दूसरा प्रश्न यह है कि दिनांक 26-5-85 को अभियुक्त उदय प्रताप मल्ल को कितने बजे गिरफ्तार किया गया तथा 27-5-85 को जिला कारागार में कब ले जाया गया और वहां के अस्पताल में कब ले जाया गया ? और मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या दर्ज है ?

श्री अधिष्ठाता—

आखिरी सवाल का जवाब तो उन्होंने बता दिया है।

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, जब तफतीश की गयी, तब उस समय यह पाया गया कि यह डकैती का मामला नहीं है, अतः धारा 395/397 को भा0 द0 विधान की धारा 147/148/149/353/332/323/324/379 में बदल दिया गया। इसके पश्चात् हमारे माननीय सदस्य ने पूछा है कि गिरफ्तारी कब हुयी तो इनको 26/5 को सुबह 5 बजे गिरफ्तार किया गया है।

श्री विष्णु देव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब देवरिया में वह गिरफ्तार किये गये तो क्यों नहीं उनको वहां पेश किया गया और क्यों उनको मधुबन लाया गया। दूसरी बात यह है कि जो उनको गिरफ्तार करके लाया गया तो जो जी0 डी0 में चोटों की रिपोर्ट है और जो पोस्टमार्टम में चोटों की रिपोर्ट है दोनों की अगर तुलना करेंगे तो यह स्पष्ट है कि पहली रिपोर्ट गलत है, थानेदार की रिपोर्ट गलत है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं जिस थानेदार के खिलाफ 304, 147, 161 का मुकदमा दर्ज हुआ हो वह थानेदार तभी से वहां रोक रखा गया है और वह उस क्षेत्र के सारे गुंडों को आर्गनाइज कर रहा है और मेरी हत्या की हर तरह की व्यवस्था कर रहा है। जितने गवाह हैं उनको तोड़ने और उनको आतंकित कर रहा है।

(शेम शेम की आवाजें)

तो मेरा कहना है कि मेरे निवास स्थान से 50 गज पर थाना है। सारी बातों को मैं जानता हूं। दरोगा वहीं रहकर सारे गुंडों को आर्गनाइज करके मेरी हत्या की तैयारी में है। मैं कैसे आ गया, मैं कैसे बताऊं।

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि देवरिया में गिरफ्तारी के बाद उसको आजमगढ़ कैसे लाया गया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह केस आजमगढ़ का है, गिरफ्तार करने के बाद किसी केस की तफतीस होती है। उसे उस थाने में लाया गया और जब तफतीश पूरी हो गयी तो जो नजदीक का कोर्ट है वहां पर उनको पेश किया गया।

श्री शतरूद्र प्रकाश--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि गिरफ्तारी के बाद जो सबसे नजदीक का दंडाधिकारी होता है उसके समक्ष सशरीर उपस्थित किया जाता है, थाने में नहीं लाया जाता। दूसरा प्रश्न यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जी0 डी0 में जो दर्ज है उसके अन्तर को देखते हुए हत्या की आशंका आ गई है। इनमें मृत्यु ब्रेन हैमरेज से हुयी है, लेकिन जी0 डी0 में जो दर्ज है उसके मुताबिक मृत्यु ब्रेन हैमरेज से नहीं हो सकती। गरदन पर चोटों को देखते हुये, ब्रेन हैमरेज को देखते हुए जो सारे प्रश्न सामने आते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी सी0 आई0 डी0 जांच कराने की घोषणा करेंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके या कोई और भी इस तरह की जांच कराने की घोषणा करेंगे जिससे यह जो रिपोर्ट आई है इसका पर्दाफाश हो सके?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि नजदीक के थाने में ले जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पहले उसको रिमांड में ले जाकर पूरी कार्यवाही करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वहां उसी थाने में ले जायं। दूसरा प्रश्न यह है कि जो आपने जी0 डी0 की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में कहा है तो जी0 डी0 की रिपोर्ट वाकया देखकर लिखते हैं और

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पूरी मेडिकल इन्क्वायरी के बाद होती है ।

कुवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जैसा कि अभी गुप्ता जी ने कहा जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं । उस दरोगा के खिलाफ कार्यवाही चल रही है । एक आदमी की जान थाने में चली गई है, वहां पर स्थिति तनावपुर्ण है । जिसमें गुप्ता जी के जान को भी खतरा है । ऐसी स्थिति में क्या दरोगा को जांच के दौरान वहां से हटा कर निष्पक्ष जांच करवायेंगे और उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कानून के अन्दर हम किसी को नहीं बख्श रहें हैं । इस सम्बन्ध में जितने पुलिस के कर्मचारी थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई उनको जेल भेजन के लिए, जो फरार थे, उनकी कुर्की कर-वाई । अगर माननीय सदस्य ऐसी कोई बात कहते हैं दरोगा को हटाने के संबंध में, तो हम अवश्य दरोगा को हटवा देंगे ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का इस बयान में कहना यह है कि वह हंगामे गिरफ्तारी में चोट आई, अपराधिक प्रवृत्ति का वह है । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सब कुछ सही है, तो फिर मुअत्तल करने की नौबत क्यों आई ? उन दरोगा और सिपाहियों को मुअत्तल क्यों किया गया ? क्या कोई जांच रिपोर्ट आपको मिली है कि इन्होंने फर्जी मुकदमा दर्ज किया ? वहां के जनपद के लोगों के अन्दर गुस्सा था, इसलिए धारा बदल दी गई । क्या वहां के दरोगा के खिलाफ एस0 पी0 को कोई रिपोर्ट ऐसी थी ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, इसकी जांच जारी है, अभी रिपोर्ट नहीं आई ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस घटना के बारे में वहां के आई0 जी0 गोरखपुर ने एस0 पी0 को कोई पत्र लिखा है ? उस पत्र को सदन के समक्ष रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मेरी भी निजी जानकारी है और मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी को भी पता चल गया होगा । इस जवान लड़के की शादी थी, उसी की बारात दूसरे दिन जाने वाली थी । जो और नवजवान थे, उनके साथ वह नहीं था । सारे विधायक आजमगढ़ के जो हैं, वह भी जानते हैं । देवरिया जनपद से उसको गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी में जो दरोगा का अपमान किया गया था, इसीलिए उसकी हत्या की गई । इसीलिए धारा 304 का केस दर्ज हो गया । तो मान्यवर, एक विधायक को भी उस दरोगा से खतरा है । जो डिप्टी एस0 पी0 जांच कर रहा है, उस पर माननीय सदस्य को भरोसा नहीं है । इसलिए सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने में आपको क्या कठिनाई है ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन, मेरे योग्य सहयोगी ने उक्त परिस्थितियों में जो कार्यवाही की जा सकती थी, उसका पूरा वर्णन दिया कि किस प्रकार पुलिस कर्मी गिरफ्तार किए गए, वह फरार हुए तो उनकी कुर्की हुई

श्रीमन, पूरी चेष्टा हुई । श्रीमन, क्योंकि एक तरफ तो हमें यह भी देखना होगा कि पुलिस का आमतौर पर सारे प्रदेश में मनोबल न गिरे ।

(घोर व्यवधान)

तो श्रीमन, इन सब मामलों में बड़ी सावधानी बरतनी होती हैं । जहां तक माननीय सदस्य की सुरक्षा का प्रश्न ह, उनकी सुरक्षा के लिए पूरे आदेश दिए जाएगे । नेता विरोधी दल ने जो सी0 आई0 डी0 की जांच के लिए कहा है, सी0 आई0 डी0 जांच के लिए भी आदेश दे दिए जाएगे ।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
22 जुलाई, 1985

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अतथी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर ।)

परिशिष्ट "क,"

1—श्री प्रहलाद उपाध्याय, सदस्य, किसान शिक्षा समिति के पत्र दिनांक शून्य में उल्लिखत मुख्य अनियमितायें :—

(i) प्रधानाचार्य शिव हर्ष किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बस्ती ने काशनमनी को कालातीत बताकर उस धन से 40,000 रु0 की कीमत की कार खरीदी है जब कि कीमत ज्यादा वसूल की गई है । अग्रवाल आटोमोबाइल्स, वाराणसी फर्म का महाविद्यालय में प्रस्तुत वाउचर वास्तविकता से परे है ।

(ii) प्रधानाचार्य डा0 व्यारे लाल शुक्ला ने कार्यालय में सफाई और सुधार पर 40,000 रु0 व्यय किया हैं जबकि इसके पूर्व प्राधानाचार्य ने 15 अथवा 20,000 रु0 व्यय का व्योरा प्रस्तुत किया था ।

(iii) प्रधानाचार्य ने कालेज की तात्कालिक आवश्यकताओं पर ध्यान न देकर कार, टलीविजन और बी0 सी0 आर0 खरीदा है ।

2—श्री शत्रुघन नाथ, सदस्य, किसान शिक्षा समिति, बस्ती के पत्र में उल्लिखित मुख्य शिकायतें :—

(i) कालेज की बस्ती तथा गोण्डा में स्थित अचल सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं की जा रही है ।

(ii) प्रधानाचार्य, डा0 शुक्ला नियमों की अवहेलना करके मनमानी वित्तीय समिति बनाकर महाविद्यालय के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं ।

(iii) प्रधानाचार्य ने काशनमनी निधि से एक कार अपने उपयोग के लिए खरीदने के लिए 2,000 रु0 का अग्रिम काशनमनी निधि से भेजा है ।

(iv) प्रधानाचार्य ने राष्ट्रीय सेवायोजना के बर्तन, कालेज का टेलीविजन एवम् बी0 सी0 आर0 अपने उपयोग के लिए अपने आवास पर रखा है ।

(v) प्रधानाचार्य ने अपनें निवास, कार्यालय एवम् कालेज में तीन टेलीफोन कनेक्शन लिए है, जिससे महाविद्यालय का अनावश्यक व्यय बढ़ेगा ।

(vi) प्रधानाचार्य ने कालेज के 6 चपरासी अपने घर पर रखे हैं ।

(vii) प्रधानाचार्य ने अपनी सुविधा के लिए 25,000 रु0 का फर्नीचर क्रय किया है । प्राचार्य की मेज एवम् कुर्सी की कीमत क्रमशः 7,000 तथा 4000 रु0 है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

उत्तर प्रदेश, ग्रामीण आवास परिषद् का गठन वर्ष 1983 में ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण हेतु किया गया है। योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से किया जायेगा। परिषद् लाभार्थियों को ऋण देने के साथ-साथ उन्हें मकानों की डिजाइन एवं निर्माण सामग्री उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेगी। इस हेतु लाभार्थियों का वर्गीकरण-(1) निर्बल आय वर्ग, (2) अल्प आय वर्ग, (3) मध्यम आय वर्ग के रूप में किया गया, इन लाभार्थियों की पात्रता तथा देय ऋण/अनुदान राशि का विवरण निम्नलिखित है :

| क्रमांक | वर्ग | पात्रता | देय ऋण/अनुदान राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | निर्बल आय वर्ग | ढाई एकड़ तक कृषि योग्य भूमि तथा वार्षिक आय 3500 रु0 से अधिक न हो | मकान निर्माण की लागत जो 6,000.00 रु0 से अधिक नहीं होगी उसके लिये 5000 रु0 ऋण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये 2,000 रु0, मैदानी क्षेत्र एवं 3,000 रु0 पर्वतीय क्षेत्र में प्रति आवास अनुदान दिया जायेगा। |
| 2 | अल्प आय वर्ग | ढाई एकड़ से अधिक साढ़े सात एकड़ तक भूमि तथा वार्षिक आय रु0 3,500 से अधिक रु0 12,500 तक हो | निर्माण लागत 15,000 रु0 तक जिसके लिए अधिकतम 12,000 रु0 ऋण सुविधा दी जायेगी, जो कुल लागत का 80 प्रतिशत से अधिक न हो। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3 | मध्यम आय वर्ग | साढ़े सात एकड़ से अधिक तथा साढ़े बारह एकड़ तक भूमि तथा वार्षिक आय 12,500 रु0 से अधिक तथा 20,000 रु0 तक हो | निर्माण की लागत 25,000 रु0 से अधिक न हो जिस पर अधिकतम 20,000 रु0 ऋण की सहायता दी जायेगी जो कुल लागत का 80 प्रतिशत से अधिक न होगा। |

ऋण की उक्त सुविधा निर्बल आय वर्ग के लिए 5 प्रतिशत और अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लिए 10 प्रतिशत ब्याज पर प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। ऋण की वसूली 20 वर्षों में समान 6 माही आसान किस्तों में लिए जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने हेतु परिषद् से विनियमों (रेगुलेशन) आदि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

श्याम सूरत उपाध्याय,
मंत्री,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

| क्र0सं0 | भुगतान किये जाने वाले पार्टी का नाम | भुगतान की धनराशि (रुपयों में) | आपूर्ति की गई वस्तु | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मेसर्स डी0 बी0 एम0 इंडस्ट्रीज, लखनऊ | 39,501.50 | पावर स्प्रेयर मशीन | रेट कान्ट्रैक्ट पर |
| 2 | मेसर्स अशोका इलेक्ट्रानिक, लखनऊ | 4,447.60 | गोदरेज टाइप राइटर मशीन | तदेव |
| 3 | मेसर्स भारत सर्जिकल इंडस्ट्रीज, लखनऊ | 9,501.75 | फर्नीचर | तदेव |
| 4 | मेसर्स आर0 के0 इन्टरप्राइजेज | 1,828.65 | कलकुलेटिंग मशीन | तदेव |
| 5 | मेसर्स टी0 के0 डिस्ट्रीब्यूटर्स, कानपुर | 12,579.70 | पशु औषधि | मैन्युफैक्चरिंग दर पर |
| 6 | मेसर्स मोटर सेल्स लि0, लखनऊ | 1,924.35 | ट्रक पार्ट्स | अधिकृत विक्रेता से |
| 7 | नया बाजार कोआपरेटिव, लखनऊ | 3,890.40 | लेखन सामग्री तथा अन्य प्रकीरण | सरकारी संस्था से |
| 8 | जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ | 91,044.00 | उर्वरक | तदेव |
| 9 | लखनऊ मंडलीय विकास निगम | 6,765.00 | उर्वरक | तदेव |
| | योग .. | 1,71,472.95 | | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

विकास खंड मल्लावां—1982–83

विकास खंड, मल्लावां के लिए वर्ष 1982–83 में 27 निर्बल वर्ग, आवास स्वीकृत किए गए थे जिनमें से 21 आवास निर्मित हो चुके हैं। एक आवास अधूरा है तथा 5 आवास निर्माण हेतु अवशेष हैं। अवशेष 5 आवासों के लाभार्थियों ने आवास बनाने से इंकार कर दिया था। इनके स्थान पर नये लाभार्थियों का चयन समय से न करने में श्री हरनाम सिंह, श्री देवी दयाल, ग्राम्य पंचायत अधिकारी तथा श्री कृष्ण चन्द्र दीक्षित, ग्राम्य विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं, जिन्हें खंड विकास अधिकारी, मल्लावां द्वारा चेतावनी दे दी गई है। कथित 5 लाभार्थियों के स्थान पर नये 5 लाभार्थियों का चयन कराके आवास निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

विकास खंड मल्लावां—1983–84

वर्ष 1983–84 में विकास खंड मल्लावां के लिए बांसा से मड़िया तक 4 किलोमीटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम बेरिया नजीरपुर में एक पंचायत भवन का निर्माण कार्य, 10 पेयजल कूप, 16 पुलिया का निर्माण कार्य तथा ग्राम साहपुर गंगा में 5 निर्बल वर्ग आवास का निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था। बांसा मड़िया सम्पर्क मार्ग का निर्माण एक किलोमीटर तक हो चुका है तथा 3 किलोमीटर निर्माण कार्य शेष है। उत्तरदायी ग्राम्य विकास अधिकारी, श्री गुरु प्रसाद शर्मा के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। शेष 3 किलोमीटर का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करा दिया जायेगा। ग्राम बेरिया नजीरपुर में एक पंचायत भवन का निर्माण होना था। ग्राम बाढ़ग्रस्त होने से कारण एवं उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के फलस्वरूप कार्य प्रारम्भ कराने में विलम्ब हुआ। खंड विकास अधिकारी द्वारा उपयुक्त स्थान चयनित कर लिया गया है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है जो शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा। उक्त विकास खंड में स्वीकृत 10 पेयजल कूप के विरुद्ध 3 निर्मित हो चुके हैं, 5 कूपों पर कार्य प्रगति पर है, 2 कूप निर्माण हेतु अवशेष हैं। स्थल का विवाद होने के कारण दोनों कूपों का निर्माण नहीं हो सका जिसके लिये श्री भगीरथ वर्मा, इन्द्रपाल सिंह, गुरु प्रसाद शर्मा, ग्राम्य विकास अधिकारी तथा श्री विजय बहादुर सिंह, देवी दयाल तथा राम चन्द्र, ग्राम्य पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। श्री गुरु प्रसाद शर्मा व श्री इन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। शेष कर्मचारियों के विरुद्ध जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी। उपयुक्त स्थान के प्राप्त होते ही शेष दोनों कूपों का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायगा।

उक्त विकास खंड हेतु 16 पुलियों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया जिनमें से 6 पूर्ण हो चुके हैं, 3 पर कार्य प्रगति पर हैं तथा 7 अवशेष हैं जिसके लिये तत्कालीन खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी पाये गये हैं। अवशेष 7 पुलियों का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कराया जा रहा है।

इस विकास खंड के ग्राम साहपुर गंगा में 5 निर्बल वर्ग आवास बनने थे जिनमें से 4 पूर्ण हो चुके हैं। एक आवास को लाभार्थी ने बनाने से इंकार कर दिया। दूसरे लाभार्थी का चयन न करने में श्री कृष्ण चन्द्र दीक्षित दोषी हैं जिन्हें

खंड विकास अधिकारी द्वारा चेतावनी दे दी गयी है । एक लाभार्थी का चयन शीघ्र ही कराके आवास निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ करा दिया जायेगा ।

## विकास खंड,माधोगंज–वर्ष 1982–83

वर्ष 1982–83 में विकास खंड माधोगंज को बधौली रोड से बरैयन पुरवा, उन्नाव रोड से नौमिलपुर तथा ग्राम रुदामऊ में खड़ंजा का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था जो पूर्ण हो चुका है ।

300 मीटर मिट्टी का कार्य भेंहदी घाट से राधौपुर, 700 मीटर का कार्य बधौली रोड से टेंडिया बरहस तक तथा एक किलोमीटर मिट्टी का कार्य ग्राम गढ़ीरसूलपुर में स्वीकृत था, जो पूर्ण हो चुका है ।

9 कूप बनने थे जो पूर्ण हो चुके हैं । 29 आवास स्वीकृत थे जो पूर्ण हो चुके हैं । 7 पुलिया स्वीकृत थी जो पूर्ण हो चुकी है ।

## विकास खंड, माधोगंज–वर्ष 1983–84

खड़ंजा निर्माण का कार्य ग्राम जलिहापुर, ग्राम रमऊवापुर चन्दौली में तथा ग्राम बाबटमऊ जरेरा में स्वीकृत था जो पूर्ण हो चुका है ।

3 किलोमीटर मिट्टी का कार्य कुरसठ मदिया मार्ग पर स्वीकृत था । यह मार्ग विवादग्रस्त होने के कारण अपूर्ण है । लोगों ने इस मार्ग पर कब्जा कर रखा है तथा सम्पर्क मार्ग निकालने में लोग बाधा डाल रहे हैं । डिमारकेशन हेतु जिला अधिकारी की ओर से परगनाधिकारी, बिलग्राम तथा आरक्षी अधीक्षक व थानाध्यक्ष, माधोगंज को पत्र भेजा जा चुका है । विवाद समाप्त होते ही इस अपूर्ण कार्य को पूरा करा दिया जायेगा ।

दो कूप स्वीकृत थे जो पूर्ण हो चुके हैं । एक पंचायत भवन का निर्माण ग्राम सदरपुर में स्वीकृत था जो पूर्ण हो चुका है ।

परिशिष्ट 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 149 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर।)

प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची

| क्रमांक | नाम/पद |
|---|---|
| 1 | श्री राम नरायन शर्मा, प्रबन्धक । |
| 2 | श्री दयाराम वर्मा, अध्यक्ष । |
| 3 | श्री राम जियावन चौधरी, उपाध्यक्ष । |
| 4 | श्री जयराम वर्मा, कोषाध्यक्ष । |
| 5 | श्री अली हैदर जैदी, सदस्य । |
| 6 | श्री मंगरू राम, सदस्य । |
| 7 | श्री दशरथ सिंह, सदस्य । |
| 8 | श्री त्रिभुवन नाथ वर्मा, सदस्य । |
| 9 | श्री राम प्रताप वर्मा, सदस्य । |
| 10 | श्री विश्वनाथ चौधरी, सदस्य । |
| 11 | श्री देवकली प्रसाद श्रीवास्तव, सदस्य । |
| 12 | श्री कमला प्रसाद वर्मा, पदेन सदस्य । |
| 13 | श्री जिया लाल चौधरी, पदेन सदस्य । |
| 14 | श्री राम सूरत वर्मा, पदेन सदस्य । |

सब शिक्षा प्रचारिणी सभा, सिकन्दरपुर, फैजाबाद के साधारण सभा के सदस्यों की सूची

| क्रमांक | नाम |
|---|---|
| 1 | श्री राम नरायन वर्मा । |
| 2 | श्री दया राम वर्मा । |
| 3 | श्री राम जियावन चौधरी । |
| 4 | श्री जय राम वर्मा । |
| 5 | श्री अली हैदर जैदी । |
| 6 | श्री मंगरू राम । |
| 7 | श्री दशरथ सिंह । |

| क्रमांक | नाम |
|---|---|
| 8 | श्री त्रिभुवन नाथ वर्मा । |
| 9 | श्री शिनकाऊ वर्मा । |
| 10 | श्री राम लखन वर्मा । |
| 11 | श्री विश्वनाथ चौधरी । |
| 12 | श्री संतराम वर्मा । |
| 13 | श्री राम प्रताप वर्मा । |
| 14 | श्री राम बहाल वर्मा । |
| 15 | श्री जोखन प्रसाद वर्मा । |
| 16 | श्री राम नरेश चौधरी । |
| 17 | श्री राम प्रजलित । |
| 18 | श्री मगेलू राम । |
| 19 | श्री राम लोचन वर्मा । |
| 20 | श्री राम शब्द । |
| 21 | श्री हंसराज चौधरी । |
| 22 | श्री कपिल देव वर्मा । |
| 23 | श्री बेचूराम वर्मा । |
| 24 | श्री पतिराम वर्मा । |
| 25 | श्री सीताराम वर्मा । |
| 26 | श्री राम कुमार वर्मा । |
| 27 | श्री बलभद्र प्रसाद शर्मा । |
| 28 | श्री रवी उल्लाह । |
| 29 | श्री देवकली लाल श्रीवास्तव । |
| 30 | श्री सीता राम वर्मा । |
| 31 | श्री सरयू प्रसाद वर्मा । |
| 32 | श्री राधे कृष्ण चौधरी । |
| 33 | श्री गयादीन चौधरी । |
| 34 | श्री मेरवदीन चौधरी । |

| क्रमांक | नाम |
|---|---|
| 35 | श्री राम दुलारे वर्मा । |
| 36 | श्री सै0 हसन जैदी । |
| 37 | श्री मो0 हसन । |
| 38 | श्री जय राम वर्मा । |
| 39 | श्री नन्द लाल वर्मा । |
| 40 | श्री महादेव प्रसाद वर्मा । |
| 41 | श्री पारस नाथ वर्मा । |
| 42 | श्री रघुनाथ वर्मा । |
| 43 | श्री प्रकाश चन्द्र वर्मा । |
| 44 | श्री शिवमूर्ति वर्मा । |
| 45 | श्री श्रीराम वर्मा । |
| 46 | श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी । |
| 47 | श्री राम नरेश वर्मा । |
| 48 | श्री राजित राम वर्मा । |
| 49 | श्री राम लखन वर्मा । |
| 50 | श्री रामनिधि वर्मा । |

उपरोक्त सदस्य सरदार पटेल स्मारक इंटर कालेज, लारपुर, फैजाबाद के प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करते ह, जिन्हें साधारण सभा के सदस्य के रूप में जाना जाता ह ।

विधान सभा